सत्यमेव जयते

भादूविप्रा
TRAI

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

(आईएस/आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित संगठन)

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
(पुराना मिन्टो रोड), नई दिल्ली-110002
टेलिफोन : +91-11-23664147
फेक्स नं० : +91-11-23211046
वेबसाइट : http://www.trai.gov.in

संप्रेषण पत्र

माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से केन्द्र सरकार की सेवा में

यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वर्ष 2020–21 की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (वर्ष 2000 में यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार को अग्रेषित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है।

इस रिपोर्ट में, दूरसंचार एवं प्रसारण क्षेत्रों का परिदृश्य और अधिनियम के तहत इसके लिए अनिवार्य कार्यों के विषिष्ट संदर्भ के साथ भादूविप्रा द्वारा विनियामक मुद्दों पर की गई महत्वपूर्ण पहलों का सारांश समाविष्ट है। इस रिपोर्ट में प्राधिकरण का लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल है।

(डॉ पी डी वाघेला)

अध्यक्ष

दिनांक : दिसम्बर, 2021

विषय सूची

६म संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र का परिदृश्य	1 - 8
भाग-I	**नीतियां और कार्य६म**	9 - 50
	ग्कह दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
	ग्खह नीतियों और कार्य६मों की समीक्षा	
	ग्गह प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा	
भाग-II	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा**	51 - 108
भाग-III	**भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के कार्य**	109 - 122
भाग-IV	**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा विँ ीय कार्य निष्पादन**	123 - 185
	ग्कह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले	
	ग्खह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित लेखे	
	गह भादूविप्रा का वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा	

दूरसंचार
और प्रसारण क्षेत्र
का परिदृश्य

परिदृश्य

अभूतपूर्व महामारी की स्थिति के कारण वर्ष 2020–21 सामान्य रूप से देश की समग्र आर्थिक गतिविधि और विशेष रूप से दूरसंचार सेवा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। हालांकि, इन चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, दूरसंचार क्षेत्र ने कई गतिविधियों और सेवाओं जैसे 'घर से काम/कहीं से काम/घर से अध्ययन', बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि के सुचारू संचालन के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी त्त्दान करना जारी रखा। रातों–रात नेटवर्क क्षमता बढ़ा दी गई। परिणामस्वरूप, लोगों को घर से काम करने में योगदान देने में सक्षम होने के साथ राष्ट्र आगे बढ़ता रहा। दर्शकों के घर तक सीमित रहने के कारण, टेलीविजन त्त्सारण क्षेत्र ने भी दर्शकों की संख्या में वृद्धि देखी।

भादूविप्रा ने दोनों क्षेत्रों के विकास को सक्षम बनाने के लिए अपना त्त्यास जारी रखा। जैसे–जैसे विज्ञापन राजस्व में गिरावट आई, त्त्धिकरण ने त्त्सारण क्षेत्र का गहन विश्लेषण किया। एक तत्काल उपाय के रूप में, त्त्धिकरण ने टेलीविजन त्त्सारण क्षेत्र के लिए 'इन्‍ास्ट्रक्चर शेयरिंग' और 'इन्‍ास्ट्रक्चर स्टेटस के अनुदान' के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें दोहराईं। त्त्धिकरण ने सेवा त्त्दाता को समयबद्ध रिपोर्ट और अनुपालन त्त्स्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। साल 2020–21 में भी टेलीकॉम सेक्टर में और मजबूती देखने को मिली है। भादूविप्रा निष्पक्ष और पारदर्शी टैरिफ के अनुरूप की सुविधा त्त्दान करता रहा है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण ऋभादूविप्राह का मिशन देश में दूरसंचार और त्त्सारण क्षेत्रों के विकास के लिए एक पद्धति से और गति से ऐसी स्थितियां पैदा करना और उनका पोषण करना रहा है, जिससे भारत उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभा सके। महामारी ने दूरसंचार नेटवर्क में पीढ़ीगत परिवर्तन लाया है। भविष्य के नेटवर्क आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्बाध और उच्च गति कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बेहतर डेटा कनेक्टिविटी अब कुछ उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं रह गई है। शिक्षा, सीखने और संगीत, कला आदि जैसे रचनात्मक क्षेत्रों के लिए डेटा का उपयोग बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट फोन का उपयोग बढ़ रहा है। डेटा की मांग तेजी से बढ़ रही है। भादूविप्रा के पास समय पर सिफारिशें त्त्दान करके इस क्षेत्र को सक्षम बनाने का जनादेश है। सार्वजनिक वाई–फाई और 'पीएम वानी' कार्यक्रम पर त्त्धिकरण की सिफारिशें जनता के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी। 5जी भारतीय सब्स्क्राइबरों के लिए डेटा की बढ़ती भूख को पूरा करने के लिए नेटवर्क को और सक्षम बनाएगा।

वित्त वर्ष, 2020–21 के दौरान त्त्धिकरण द्वारा दूरसंचार, त्त्सारण और केबल क्षेत्रों की बेहतरी के लिए कई पहल की गई। इस अवधि के दौरान त्त्धिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों से दूरसंचार और त्त्सारण सेवाओं के विकास को प्रोत्साहन देने में मदद मिली। इन उपायों से सेवाओं के विकल्प, सस्ते प्रशुल्क, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आदि के संदर्भ में उपभोक्ताओं को समग्र रूप से लाभ हुआ है। नई सेवाओं के उद्‌भव, क्षेत्रों में स्वस्थ निवेश और त्त्ौद्योगिकी के तेजी से विकास ने भी, इन क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की है। वॉयरलेस सब्स्क्राइबरों द्वारा डाटा के उपयोग में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। भादूविप्रा ने अपनी ओर से महत्वपूर्ण तकनीकी और नीतिगत उपायों पर परामर्श शुरू करना जारी रखा है। दूरसंचार और त्त्सारण क्षेत्र त्त्ौद्योगिकी संचालित हैं। क्लाउड–बेस्ड प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता, लेन–देन के लिए फिनटेक के उपयोग में तेजी से वृद्धि, लगातार बढ़ते मोबाइल ऐप और उपयोगकर्ताओं को सक्षम करने के लिए सुविधाएं डेटा गोपनीयता, डेटा स्थानीयकरण और डेटा सुरक्षा पर नई चुनौतियां पेश कर रही हैं।

भादूविप्रा ने सुरक्षा उपायों से समझौता किए बिना ऐसी प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम बनाने के उद्देश्य से इन उभरते हुए विषयों पर अध्ययन और परामर्श किया है। वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने ''ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और नेट न्यूट्रलिटी के लिए बहु–हितधारक निकाय'' पर सिफारिशें दीं। भादूविप्रा ने निष्पक्ष और पारदर्शी यातायात प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु–हितधारक निकाय का प्रस्ताव रखा है। सिफारिशें निगरानी और निर्णय लेने में हितधारकों की भागीदारी के साथ लाइट टच विनियमों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं। 'अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियमों और शर्तों की समीक्षा' पर सिफारिशों में समान सक्षम दृष्टिकोण अपनाया गया है। भादूविप्रा की सिफारिशों ने अन्य सेवा प्रदाताओं पर न्यूनतम निगरानी का मार्ग प्रशस्त किया। इन सिफारिशों ने सरकार के शर्तों को आसान बनाने में सक्षम बनाया और 'डब्ल्यू एफ एच पर' आधारित कामकाज और घर पर एजेंट को कॉल सेंटर की विस्तारित एजेंट स्थिति के रूप में सक्षम बनाया। शहरी बुनियादी ढांचे पर एक विस्तृत अध्ययन किया गया था। विस्तृत अध्ययन के बाद, 'भारत में स्मार्ट शहरः आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ढांचा' पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था। कॉल ड्रॉप एक ऐसा मुद्दा है जो दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के बीच परेशानी का कारण बनता है। प्राधिकरण ने मुद्दों पर एक विस्तृत अध्ययन किया। भादूविप्रा की टीम ने खराब यूजर एक्सपीरियंस की रिपोर्ट के कारण दिल्ली हवाई अड्डे को केंद्र बिन्दु क्षेत्र के रूप में पहचाना। प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से एक वैश्विक सम्मेलन संचालित किया जिसमें नागरिक केंद्रों, हवाई अड्डों और अन्य स्थानों पर बड़ी भीड़ द्वारा अक्सर खराब नेटवर्क गुणवत्ता के मूल कारण पर विचार–विमर्श किया गया। भादूविप्रा ने 'मल्टी–स्टोरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज' पर एक मोनोग्राफ जारी किया – गुणवत्ता में सुधार के तरीकों को फिर से तैयार करना' जिसमें प्राधिकरण ने कुछ ऐसे कारणों की पहचान की है जो नेटवर्क की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भादूविप्रा को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी राष्ट्रीय भवन संहिता में संशोधन के लिए उचित कदम उठाएंगे।

दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल भुगतान, आधार, ई–गवर्नेंस, ई–कॉमर्स, ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा और ई–व्यापार जैसी विभिन्न नई सेवाओं/अनुप्रयोगों के साथ डिजिटल इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उभरा है। दूरसंचार सेवाएं इन अनुप्रयोगों को सक्षमकारी बनाने और बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा और कई अन्य सेवाओं जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों के लिए आधार हैं, जो देश के समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। ज्यादा किफायती दामों पर स्मार्टफोन की उपलब्धता बढ़ने से मोबाइल फोन की उपयोगिता संचार उपकरण से कहीं अधिक हो गई है और सेवाएं मोबाइल, इंटरनेट और डिलिवरी की अन्य डिजिटल पद्धतियों के माध्यम से तेजी से जुड़ रही हैं। 4जी सेवाओं के विकास ने डाटा क्रांति के उद्भव को बल दिया, जिन्होंने इन सेवाओं का उपयोग किया। 5जी प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ, दूरसंचार सेवाओं का भविष्य आशाजनक प्रतीत हो रहा है, और 5जी के विकास से 'कृत्रिम बौद्धिकता', 'क्वांटम कंप्यूटिंग', 'वर्चुअल रियेलिटी' आदि जैसे विभिन्न नए अनुप्रयोग/प्रौद्योगिकियां सामने आएंगी। 5जी अभूतपूर्व वेग और अत्यधिक मात्रा में डाटा सृजन करेगा। यह तीव्र डाटा, डाटा संचालित सेवाओं और डिजिटल व्यापार मॉडल की एक व्यापक श्रृंखला को गति देगा। 5जी व्यापार के नए अवसरों को सामने लाएगा, और उत्पादकता के बढ़ने, सेवा प्रदान करने में सुधार, दुर्लभ संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ–साथ नए रोजगारों के सृजन के माध्यम से व्यापक रूप से लाभ प्रदान करेगा।

वर्ष के दौरान, विभिन्न अनुशंसात्मक और विनियामक कार्यों का निर्वहन करते हुए प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष आने वाले कई मुद्दों और चुनौतियों का समाधान किया। ''ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी के लिए मल्टी–स्टेकहोल्डर बॉडी'', ''क्लाउड सर्विसेज'', ''ओवर–द–टॉप (ओटीटी) कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क'' जैसे विषयों पर प्रमुख मुद्दों पर सरकार को सिफारिशें की गईं, ''स्पेक्ट्रम

शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लगाने की पद्धति'', ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकरण के तहत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के माध्यम से सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान'', ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'', ''वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण'' के अलावा भादूविप्रा की पिछली सिफारिशों पर डीओटी से प्राप्त संदर्भ का जवाब देना। इस अवधि के दौरान विभिन्न दूरसंचार विनियमों में संशोधन भी जारी किए गए।

प्रसारण क्षेत्र के लिए, विविध विषयों पर सरकार के साथ कई प्रमुख सिफारिशें साझा की गईं। 'सेट–टॉप बॉक्स (एसटीबी) की इंटरऑपरेबिलिटी' पर सिफारिशें उन मामलों में एसटीबी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हैं, जहां एक उपभोक्ता एक सेवा प्रदाता से दूसरे में माइग्रेट करता है। 'भारत में टेलीविजन दर्शकों के मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा' पर प्राधिकरण का परामर्श सही समय पर था। रेटिंग में हेराफेरी पर हालिया निष्कर्ष भादूविप्रा द्वारा अपनी सिफारिशों में उजागर की गई व्यापक चिंताओं का उदाहरण है। प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वर्तमान नमूना आकार पूरी तरह से अपर्याप्त है और दुर्भावना से ग्रस्त है। 'एफएम रेडियो चौनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य' पर सिफारिशें विस्तृत विचार–विमर्श का परिणाम हैं।

वर्ष 2020–21 के दौरान दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षेप में नीचे उल्लेख किया गया है:

I. दूरसंचार क्षेत्र

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र उपभोक्ताओं की संख्या दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में, पिछले कुछ वर्षों में व्यापक वृद्धि देखने को मिली है, जिसके मुख्य कारण किफायती टैरिफ, सेवाओं की व्यापक उपलब्धता, नई सुविधाओं और सेवाओं का शुभारंभ जैसे 3जी और 4जी, उपभोक्ताओं के उपयोग पैटर्न का विकास तथा अनुकूल विनियामक परिवेश रहे हैं।

मार्च 2021 के अंत तक सब्सक्राइबर बेस 1201.20 मिलियन था, जिसमें से 1180.96 मिलियन वायरलेस सब्सक्राइबर थे। वर्ष के दौरान, वायरलेस सब्सक्राइबर बेस में 23.21 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई, मार्च 2021 के अंत में कुल टेली–घनत्व 88.17% था। वर्ष 2020–21 के दौरान, 89.33 मिलियन सब्सक्राइबर ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ, संचयी एमएनपी अनुरोध मार्च, 2020 के अंत में 487.33 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2021 के अंत में 576.66 मिलियन हो गया, जो दर्शाता है कि ग्राहक सेवा प्रदाताओं की अपनी प्राथमिकताओं का उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च, 2020 तक 743.19 मिलियन की तुलना में 31 मार्च, 2021 तक देश में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 825.30 मिलियन थी। देश में कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबरों की संख्या 31 मार्च, 2020 के अंत में 687.44 से बढ़कर मार्च, 2021 के अंत में 778.09 हो गई है।

मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करते समय भादूविप्रा पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया आरंभ करता है और हितधारकों को प्रस्तावित विनियामक ढांचे पर विचार–विमर्श करने तथा अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान करता है। इस महत्वपूर्ण अभ्यास के हिस्से के रूप में, जो यह सुनिश्चित करती है कि परामर्श प्रक्रिया से एक सुदृढ़ विनियम उभरकर आए, भादूविप्रा ने इस वर्ष के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण परामर्श–पत्र जारी किए

जिनके माध्यम से हितधारकों से लिखित टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इनमें अंतर्संयोजन हेतु विनियामक ढ़ांचे की समीक्षा, 'जन सुरक्षा तथा संरक्षा सेवाओं हेतु भारतीय रेल को स्पेक्ट्रम का आवंटन', अवसंरचना प्रदाता श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण हेतु अवसंरचना प्रदाता के क्षेत्राधिकार की समीक्षा करना, कॉल किए जाने वाले पक्ष हेतु कॉल अलर्ट की अवधि, अंतर्संयोजन उपयोग प्रभारों की समीक्षा, दूरसंचार लाइसेंसों के अंतरण/विलय हेतु दिशानिर्देशों में सुधार करना, फिक्स लॉइन और मोबाइल सेवाओं हेतु एकीकृत नम्बर प्लॉन विकसित करना, अंतर्संयोजन विनियम, 'क्लॉउड सेवाओं', प्रशुल्क आदेशों के प्रकाशन में पारदर्शिता निम्नवत से संबंधित मुद्दे, दूरसंचार सेवाओं में प्रशुल्क संबंधी मुद्दे, ट्रैफिक मेनेजमेंट प्रेक्टिस (टीएमपी) तथा नेट निष्पक्षता के लिए बहु हितधारक निकाय, और वाणिज्यिक वीसैट सेवा प्राधिकारों के तहत वीसैट के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेल्युलर बैकहॉल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना शामिल है।

जैसा कि भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत अधिदेशित किया गया है, भादूविप्रा के कृत्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू सरकार को विभिन्न विभागों पर सिफारिशें करना है, जिसमें शामिल हैं–बाजार संरचना, क्षेत्र में नए प्रचालकों का प्रवेश, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क, दुर्लभ संसाधनों का प्रबंध जैसे स्पेक्ट्रम, उपभोक्ता सुरक्षा और संरक्षा इस अधिदेश के अनुसरण में, वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत विनियामक सिफारिशें की गईं जिनमें ''ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी के लिए मल्टी–स्टेकहोल्डर बॉडी'', ''क्लाउड सर्विसेज'', ''ओवर–द–टॉप (ओटीटी) कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क'' शामिल हैं।

शहरों में लगातार बढ़ती आबादी का प्रबंधन करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि शहरों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन और प्रबंधन सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) का उपयोग करके किया जाए ताकि उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में स्मार्ट शहरों पर एक श्वेत पत्र: 22 सितंबर, 2020 को जारी आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए ढांचा, स्मार्ट शहरों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, प्रमुख स्मार्ट समाधानों पर चर्चा करता है, स्मार्ट शहरों के लिए विशिष्ट वैश्विक मानकीकरण और कनेक्टिविटी संबंधी पहलुओं की आवश्यकता पर विचार–विमर्श करता है, और भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन की सफलता के लिए आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के ढांचे की पहचान करने का प्रयास करता है।

भादूविप्रा क्यूओएस मोनोग्राफ – मल्टी–स्टोरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज 'गुणवत्ता में सुधार के तरीकों को फिर से तैयार करना' 22 सितंबर, 2020 को जारी किया गया, जो नेटवर्क में सुधार के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण का सुझाव देता है, यानी, सामान्य हस्तक्षेप और समाधान दोनों जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के लिए विशिष्ट हैं। यह अपने लिए इष्टतम परिणामों को परिभाषित करने और प्राप्त करने में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी के पक्ष का समर्थन भी करता है।

II. प्रसारण क्षेत्र

प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। दूरदर्शन के एक स्थलीय टीवी नेटवर्क के अलावा टेलीविजन सेवाओं में केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, एचआईटीएस सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं शामिल हैं। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2020 में, भारत में अनुमानित 210.2[1] मिलियन टीवी घर हैं, जिसमें केबल टीवी घरों, भुगतान डीटीएच घरों, मुफ्त डीटीएच घरों और स्थलीय टीवी घरों का अनुमानित हिस्सा क्रमशः[1] 48%, 32%, 19% और 1% है।

[1] https://barcindia.co.in/whitepaper/barc-india-tv-universe-estimates-2020.pdf
[2] एफआईसीसीआई ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2021) जिसका शीर्षक है ''प्लेइंग बाय न्यू रूल्स–इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर रीबूट्स इन 2020''
[3] जैसा कि ट्राई को सूचित किया गया है
[4] http://broadcastseva.gov.in/webpage-User-tvchannels
[5] एमआईबी वेबसाइट https://digitalindiamib.com/

टीवी प्रसारण क्षेत्र में 350 प्रसारक[4] शामिल हैं, जिनमें से मार्च, 2021 के अंत तक 40 पे प्रसारक[3] हैं। इसके अलावा, मार्च, 2021 के अंत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के साथ पंजीकृत 1724 (1722 नियमित और 02 अनंतिम) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) थे, अनुमानित 1,40,000 केबल ऑपरेटर[3], 1 एचआईटीएस ऑपरेटर[3], 4 पे डीटीएच ऑपरेटर[3] और कुछ आईपीटीवी ऑपरेटर[3], सार्वजनिक सेवा प्रसारक – दूरदर्शन के अलावा, भारत में फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा प्रदान करते हैं।

वर्तमान में, मार्च, 2021 के अंत में एमआईबी द्वारा 901 निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों[3] को अनुमति दी गई है, जिनमें से 235 एसडी पे टीवी चैनल[3] हैं और 92 एचडी पे टीवी चैनल[3] हैं।

भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2019 में 78,800[2] करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020 में 68,500[2] करोड़ रुपये है, जिससे लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन संबंधी राजस्व समग्र उद्योग के राजस्व का एक बड़ा बड़ा हिस्सा होता सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2019 के 46,800[2] करोड़ रुपये से घटकर साल 2020 में 43,400[2] करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार, विज्ञापन राजस्व वर्ष 2019 में 32,000[2] करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान 25,100[2] करोड़ रुपये हो गया।

जैसा कि निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट किया गया था, मार्च, 2021 के अंत में सार्वजनिक सेवा प्रसारक– ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा 366[3] निजी एफएम रेडियो स्टेशन चालू थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा रिपोर्ट किए गए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए मार्च, 2021 के अंत में जारी किए गए 403[3] लाइसेंसों में से 324[3] सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो गए हैं। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट किया गया विज्ञापन राजस्व वर्ष 2019–20 में 1902.75 करोड़[3] रुपये से गिरकर वर्ष 2020–21 में 941.47 करोड़[3] रुपये हो गया है।

III. भादूविप्रा द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में, भादूविप्रा ने देश में दूरसंचार सेवाओं और प्रसारण और केबल सेवाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर डीओटी और एमआईबी को कई सिफारिशें भेजी हैं या तो डीओटी/एमआईबी के संदर्भ में या स्वतः संज्ञान लेने पर। इस वर्ष के दौरान, भादूविप्रा ने डीओटी और एमआईबी दोनों के साथ काम किया है और पीएमओ स्तर पर आयोजित ठोस प्रयासों और समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान इन सिफारिशों में से कई को स्वीकार किया गया है। हालांकि, कई महत्वपूर्ण सिफारिशें अभी भी डीओटी और एमआईबी द्वारा निर्णय/कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं, जिन्हें यदि लागू किया जाता है तो दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन सिफारिशों का विवरण संबंधित अध्यायों में उपलब्ध कराया गया है। एक ऐसा तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से जिससे दूरसंचार विभाग/एमआईबी में भादूविप्रा की लंबित सिफारिशों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा हो और सभी सिफारिशों की स्थिति की रीयल–टाइम ट्रैकिंग के लिए केंद्रीय भंडार तैयार किया जा सके, भादूविप्रा ने एक सिफारिश स्थिति पोर्टल विकसित किया है जिसे भादूविप्रा, डीओटी और एमआईबी द्वारा संयुक्त रूप से एक्सेस किया जा सकता है। रिपोर्ट में इस पोर्टल का विवरण भी दिया गया है।

[1] https://barcindia.co.in/whitepaper/barc-india-tv-universe-estimates-2020.pdf
[2] एफआईसीसीआई ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2021) जिसका शीर्षक है "प्लेइंग बाय न्यू रूल्स–इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर रीबूट्स इन 2020"
[3] जैसा कि ट्राई को सूचित किया गया है
[4] http://broadcastseva.gov.in/webpage-User-tvchannels
[5] एमआईबी वेबसाइट https://digitalindiamib.com/

IV. अन्य प्रशासनिक पहल

प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों से, चिकित्सा सुविधा जो भादूविप्रा की अनुसूची II (अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 द्वारा शासित है, को पूरे भादूविप्रा कैडर के अधिकारियों (दोनों सेवारत और दूरसंचार विभाग (डीओटी) के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों) ने दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को भारत के राजपत्र में ''भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020'' को अधिसूचित किया है जो प्राधिकरण के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारियों और कर्मचारियों को मौजूदा चिकित्सा सुविधाओं के हकदार बनाता है।

इसके अलावा, भादूविप्रा 1 जनवरी, 2021 से ई–ऑफिस में स्थानांतरित हो गया है। ई–ऑफिस को अपनाने के साथ, भादूविप्रा कागज रहित कार्यालय में चला गया है, जिसमें सभी फाइल का काम इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाता है। ई–ऑफिस को अपनाने से प्रशासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, भौतिक फाइलों के भंडारण और संरक्षण में होने वाली लागत कम होगी, अधिकारियों को ''कहीं भी और कभी भी'' फाइलों को साफ करने में सुविधा होगी, जिससे फाइल निपटान की दक्षता में सुधार होगा।

सन् 1997 में अपनी स्थापना के बाद से, भादूविप्रा किराए के परिसर से काम कर रहा है। वर्तमान में, भादूविप्रा का कार्यालय किराए के आधार पर एमटीएनएल के स्वामित्व वाले भवन में स्थित है। प्राधिकरण कार्यालय परिसर के स्वामित्व के लिए नियमित रूप से सरकार से संपर्क कर रहा है क्योंकि भादूविप्रा सरकारी पूल से कार्यालय आवास के लिए एक पात्र कार्यालय है। प्राधिकरण के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत सरकार (जीओआई) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के माध्यम से आगामी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (डब्ल्यूटीसी) नौरोजी नगर, नई दिल्ली में भादूविप्रा के लिए बिल्ट–अप ऑफिस स्पेस की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भादूविप्रा को निर्माणाधीन परियोजना में 1,15,982 वर्ग फुट का क्षेत्र आवंटित किया गया है और वर्ष 2022 के अंत तक अपने स्वयं के भवन में स्थानांतरित होने की उम्मीद है।

भाग - I

नीतियां और कार्यक्रम

(क) दूरसंचार क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

1.1 31 मार्च, 2020 तक 1177.97 मिलियन के सब्स्क्राइबर बेस की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में कुल दूरसंचार सब्स्क्राइबर बेस 1201.20 मिलियन तक पहुंच गया जिसमे वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 23.23 मिलियन सब्स्क्राइबरों की वृद्धि दर्ज की गई। समग्र सब्स्क्राइबर बेस और टेलीघनत्व को **तालिका–1** में दर्शाया गया है।

तालिका–1 : समग्र सब्सक्राइबर बेस और दूरसंचार घनत्व

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल (वायरलेस + वायरलाइन)
कुल सब्स्क्राइबर (मिलियन)	1180.96	20.24	1201.20
शहरी सब्स्क्राइबर (मिलियन)	645.20	18.57	663.77
ग्रामीण सब्स्क्राइबर (मिलियन)	535.75	1.67	537.42
समग्र दूरसंचार घनत्व	86.68%	1.49%	88.17%
शहरी दूरसंचार घनत्व	137.08%	3.95%	141.03%
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	60.08%	0.19%	60.27%
शहरी सब्स्क्राइबरों की हिस्सेदारी	54.63%	91.76%	55.26%
ग्रामीण सब्स्क्राइबरों की हिस्सेदारी	45.37%	8.24%	44.74%
इंटरनेट सब्स्क्राइबरों की संख्या (मिलियन)	799.30	25.99	825.30
ब्राडबैंड सब्स्क्राइबरों की संख्या (मिलियन)	755.35	22.75	778.09

वायरलेस और वॉयरलाइन खंड में सब्स्क्राइबर बेस का विवरण; मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) हेतु अनुरोध; दूरसंचार घनत्व; इंटरनेट सब्स्क्राइबर और तिमाही दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक का विवरण आगामी पैराओं में दिया गया है।

(क) वायरलेस

1.1.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 23.21 मिलियन सब्स्क्राइबरों की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2020 को 1157.75 मिलियन के सब्स्क्राइबर बेस की तुलना में 31 मार्च, 2021 के अंत में वायरलेस सब्स्क्राइबर बेस 1180.96 मिलियन था। पिछले 6 वर्षों के दौरान वायरलेस उपभोक्ताओं की स्थिति को **चित्र–1** में दर्शाया गया है।

चित्र–1 : मार्च, 2016 से पिछले पांच वर्षों के दौरान वायरलेस सब्सक्राइबर बेस (मिलियन में)

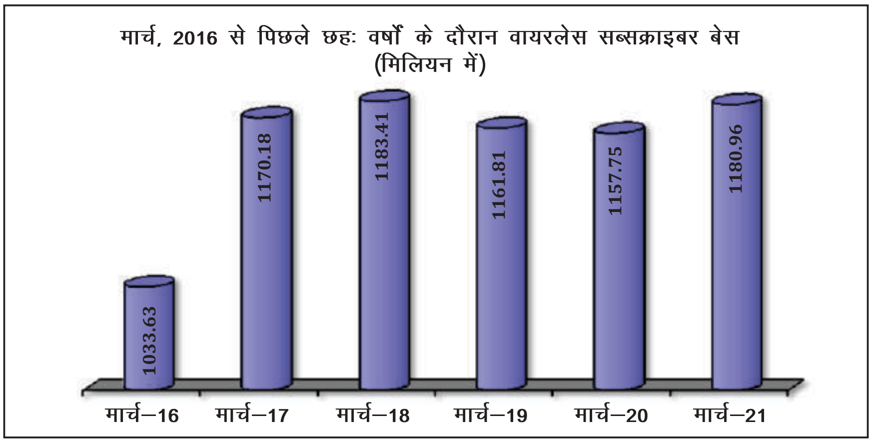

ख्रिक्र मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

1.1.2 वर्ष 2020–21 के दौरान, 89.33 मिलियन सब्स्क्राइबरों ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं को अपने पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत किए हैं। इसके साथ मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अनुरोध मार्च, 2020 के अंत में 487.32 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2021 के अंत में 576.66 मिलियन हो गया। मार्च, 2021 के अंत में सेवा क्षेत्रवार संचयी पोर्टिंग अनुरोध को **तालिका–2** में दर्शाया गया है।

तालिका–2 : मार्च, 2021 के अंत में सेवा क्षेत्र–वार संचयी पोर्टिंग अनुरोध

मार्च, 2021 के अंत तक संचयी एमएनपी अनुरोध सिेवा क्षेत्रवारक्र				
	सेवा क्षेत्र	निम्नवत द्वारा संसाधित एमएनपी अनुरोध		पोर्टिंग अनुरोधों की कुल संख्या
		अंचल–I	अंचल–II	
अंचल–I	दिल्ली	27,719,452	919,841	28,639,293
	गुजरात	38,154,733	430,412	38,585,145
	हरियाणा	19,456,168	387,640	19,843,808
	हिमाचल प्रदेश	2,697,619	37,181	2,734,800
	जम्मू और कश्मीर	1,278,298	38,469	1,316,767
	महाराष्ट्र	45,979,429	1,165,231	47,144,660
	मुंबई	25,004,170	484,200	25,488,370
	पंजाब	20,850,520	1,126,948	21,977,468
	राजस्थान	42,086,205	338,507	42,424,712
	उङ्कर प्रदेश य्पूर्वीह	37,510,810	423,501	37,934,311
	उङ्कर प्रदेश य्पश्चिमीह	29,922,601	349,447	30,272,048
अंचल–II	आन्ध्र प्रदेश	422,407	45,519,913	45,942,320
	असम	51,555	4,097,023	4,148,578
	बिहार	1,071,057	25,302,014	26,373,071
	कर्नाटक	592,149	47,462,393	48,054,542
	केरल	118,274	15,280,817	15,399,091
	कोलकाता	129,263	12,462,170	12,591,433
	मध्य प्रदेश	713,527	40,177,505	40,891,032
	पूर्वोङ्कर	26,233	1,537,770	1,564,003
	ओडिशा	147,095	11,158,894	11,305,989
	तमिलनाडु	276,348	44,690,266	44,966,614
	पश्चिम बंगाल	321,548	28,746,529	29,068,077
	कुल	294,529,461	282,136,671	**576,666,132**
	कुल य्अंचल–I + अंचल–IIह			

ग्रिक्र वॉयरलाइन सेवाएं

1.1.3 वर्ष 2020–21 के दौरान 0.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 31 मार्च, 2020 को 20.22 मिलियन सब्स्क्राइबर की तुलना में 31 मार्च, 2021 को कुल वायरलाइन सब्स्क्राइबर बेस 20.24 मिलियन था। 20.24 मिलियन वायरलाइन

ग्राहकों में से 18.57 मिलियन शहरी सब्स्क्राइबर हैं और 1.67 मिलियन ग्रामीण सब्स्क्राइबर हैं। पिछले पांच वर्षों के लिए वायरलाइन सब्स्क्राइबर बेस **चित्र–2** में दर्शाया गया है:

चित्र–2 : पिछले पांच वर्षों के दौरान, वॉयरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या

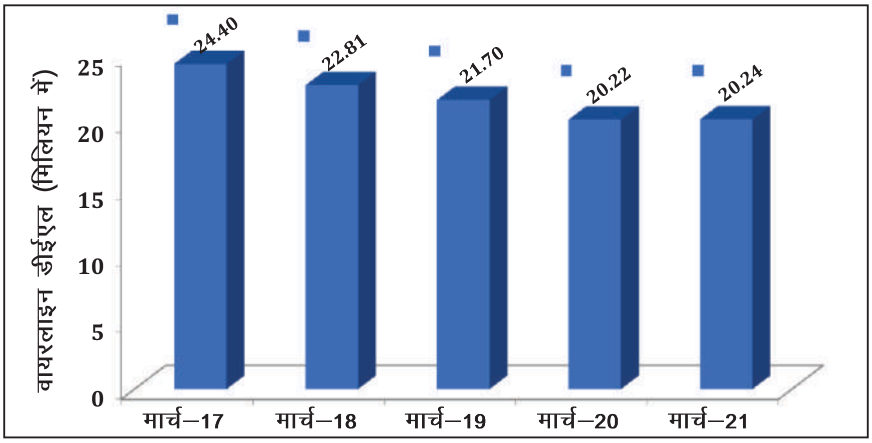

घिक्र दूरसंचार घनत्व

1.1.4 मार्च, 2021 के अंत में टेली–घनत्व 88.17 था, जो पिछले वर्ष के अंत में 87.37 की तुलना में 0.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। मार्च, 2017 से दूरसंचार घनत्व के रूझान को **चित्र–3** में दर्शाया गया है।

चित्र–3 दूरसंचार घनत्व का रूझान

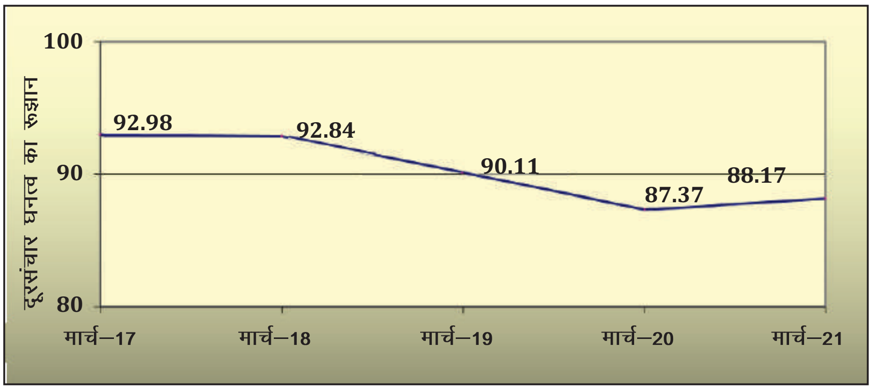

डि.क्र इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्स६ इबर

1.1.5 31 मार्च, 2021 को देश में इंटरनेट सब्स्क्र इबरों की संख्या 825.301 मिलियन थी, जो 31 मार्च, 2020 को 743.191 मिलियन थी। 31 मार्च, 2021 को देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्स्क्र इबर बेस 778.095 मिलियन है जबकि यह 31 मार्च, 2020 को 687.438 मिलियन था।

सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 का सब्सचि प्शन का विवरण **तालिका–3** में दर्शाया गया है:

तालिका–3 : इंटरनेट सब्स६ इबर

सिंब्स६ इबरों की संख्या मिलियन मेंक्र

खंड			श्रेणी	इंटरनेट सब्स६ इबर		वृद्धि प्रतिशत
				मार्च, 2020	मार्च, 2021	
क.	वायर्ड		ब्रॉडबैंड	19.176	22.749	18.64%
			नैरोबैंड	3.241	3.246	0.17%
			कुल	**22.416**	**25.995**	**15.97%**
ख.	वायरलेस	फिक्स्ड वायरलेस विाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैटक्र	ब्रॉडबैंड	0.602	0.671	11.46%
			नैरोबैंड	0.006	0.006	-5.11%
			कुल	**0.608**	**0.677**	**11.30%**
		मोबाइल वायरलेस फिोन + डाग्यलक्र	ब्रॉडबैंड	667.659	754.674	13.03%
			नैरोबैंड	52.507	43.955	-16.29%
			कुल	720.166	798.629	10.90%
कुल इंटरनेट सब्स६ इबर			ब्रॉडबैंड	687.438	778.095	13.19%
			नैरोबैंड	55.753	47.207	-15.33%
			कुल	**743.191**	**825.301**	**11.05%**

1.1.5.2 सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020–21 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सचि प्शन की संख्या **तालिका–4** में दी गई है:

तालिका–4 : वर्ष 2020–21 के लिए तिमाही–वार इंटरनेट/ ब्रॉडबैंड सब्स६ इबर बेस

सिंब्स६ इबर मिलियन मेंक्र

सेवाएं	मार्च, 2020	जून, 2020	सितम्बर, 2020	दिसम्बर, 2020	मार्च, 2021
ब्रॉडबैंड	687.438	698.231	726.317	747.408	778.095
नैरोबैंड	55.753	50.840	50.138	47.772	47.207
कुल इंटरनेट	**743.191**	**749.071**	**776.455**	**795.181**	**825.301**

नोटः उपर्युक्त जानकारी संबंधित सेवा प्रदाताओं से भादूविप्रा में प्राप्त आंकड़ों/रिपोर्टों पर आधारित है।

चिंक्र भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन सूचक

1.1.6.1 भादूविप्रा, दूरसंचार सब्सचि प्शन डेटा के संबंध में एक मासिक प्रेस विज्ञप्ति निकालता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कुल सब्स्क्र इबर बेस, दूरसंचार घनत्व, सेवा प्रदाता–वार बाजार हिस्सेदारी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी य्मएनपीह अनुरोध, व्यस्ततम वीएलआर डॉटा, वायरलेस, वॉयरलाइन और ब्रॉडबैंड खंड में माह के दौरान निवल अभिवृद्धि से

संबंधित जानकारी सम्मिलित की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार दूरंसचार सब्सचि्पशन संबंधी आंकड़ों के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति के मुख्य अंश **तालिका–5** में दिए गए हैं।

तालिका–5 : 31 मार्च, 2021 को दूरसंचार सब्सदि्पशन डेटा की मुख्य विशेषताएं

ब्योरा	वॉयरलेस	वॉयरलाइन	कुल (वॉयरलेस+ वॉयरलाइन)
कुल टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**1180.96**	**20.24**	**1201.20**
मार्च, 2021 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	13.25	0.05	13.30
मासिक वृद्धि दर	1.13%	0.26%	1.12%
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**645.20**	**18.57**	**663.77**
मार्च, 2021 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	5.96	0.10	6.06
मासिक वृद्धि दर	0.93%	0.53%	0.92%
ग्रामीण टेलीफोन उपभोक्ता (मिलियन में)	**535.75**	**1.67**	**537.42**
मार्च, 2021 में निबल अभिवृद्धि (मिलियन में)	7.29	-0.04	7.24
मासिक वृद्धि दर	1.38%	-2.60%	1.37%
समग्र दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	**86.68%**	**1.49%**	**88.17%**
शहरी दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	137.08%	3.95%	141.03%
ग्रामीण दूरसंचार– घनत्व (प्रतिशत)	60.08%	0.19%	60.27%
शहरी सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी	54.63%	91.76%	55.26%
ग्रामीण सब्सक्राइबरों की हिस्सेदारी	45.37%	8.24%	44.74%
ब्राडबैंड सब्सक्राइबर (मिलियन में)	**755.35**	**22.75**	**778.09**

❖ मार्च, 2021 के दौरान, 12.74 मिलियन उपभोक्ताओं ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी य़एमएनपीह्के लिए अपने अनुरोध प्रस्तुत किए। इसके साथ ही, एमएनपी के लागू होने के बाद, संचयी एमएनपी अनुरोधों की संख्या फरवरी, 2021 के 563.92 मिलियन से बढ़कर मार्च, 2021 के अंत में 576.67 मिलियन हो गई।

❖ मार्च, 2021 में सचि्य वायरलेस सब्स्य्इबरों की संख्या य़्यस्त वीएलआर रु की तिथि परह्993.92 मिलियन थी।

टिप्पण:

- उपर्युक्त तालिका में दी गई जानकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध गए आंकड़ों पर आधारित है।

* भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों, भारत तथा राज्यों की जनसंख्या, वर्ष 2011–2036 के अनुमान पर आधारित है।

वीएलआर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर का संक्षिप्त नाम है। विभिन्न टीएसपी के लिए व्यस्ततम वीएलआर की तिथि अलग–अलग सेवा क्षेत्रों में पृथक है।

1.1.6.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 'भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादक सूचकों' के संबंध में एक तिमाही रिपोर्ट का प्रकाशन भी करता रहा है। यह रिपोर्ट दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रमुख मानदंड तथा विकास रूझानों को प्रस्तुत करती है। उपयुक्त उल्लिखित अवधि के लिए दूरसंचार सेवा निष्पादक सूचकों का सारांश **तालिका– 6** में दिया गया है।

तालिका–6 : निष्पादक सूचक (31 मार्च, 2021 तक के आंकड़े)

दूरसंचार सब्स६ इबर (वायरलेस + वायरलाइन)	
कुल सब्स्क्र इबर	1,201.20 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	2.33%
शहरी सब्स्क्र इबर	663.77 मिलियन
ग्रामीण सब्स्क्र इबर	537.42 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	89.05%
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	10.95%
दूरसंचार घनत्व	88.17%
शहरी दूरसंचार घनत्व	141.03%
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	60.27%
वायरलेस सब्स६ इबर	
कुल वायरलेस सब्स्क्र इबर	1,180.96 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	2.36%
शहरी सब्स्क्र इबर	645.20 मिलियन
ग्रामीण सब्स्क्र इबर	535.75 मिलियन
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	89.68%
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	10.32%
दूरसंचार घनत्व	86.68%
शहरी दूरसंचार घनत्व	137.08%
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	60.08%
तिमाही के दौरान कुल वायरलेस डॉटा उपयोग	27,799 पीबी
सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवाओं की कुल संख्या (एमआरटीएस)	64,175
'वैरी– स्मॉल अर्पचर टर्मिनलों' की संख्या (वीसैट)	2,93,632
वायरलाइन सब्स६ इबर	
कुल वॉयरलाइन सब्स्क्र इबरों की संख्या	20.24 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	0.94%
शहरी सब्स्क्र इबर	18.57 मिलियन
ग्रामीण सब्स्क्र इबर	1.67 मिलियन
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	47.20%
निजी ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी	52.80%
दूरसंचार घनत्व	1.49%
ग्रामीण दूरसंचार घनत्व	0.19%
शहरी दूरसंचार घनत्व	3.95%
ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या (वीपीटी)	68,606
'पब्लिक कॉल आफिस (पीसीओ) की संख्या	126,108

दूरसंचार विँ ीय आंकड	
तिमाही के दौरान सकल राजस्व य्जीआरह	₹66,784 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में जीआर में प्रतिशत परिवर्तन	-6.71%
तिमाही के दौरान समायोजित सकल राजस्व य्एजीआरह	₹48,587 करोड़
पिछली तिमाही की तुलना में एजीआर में प्रतिशत परिवर्तन	2.03%
एक्सेस एजीआर में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी	5.93%
इंटरनेट / ब्रॉडबैंड सब्स६ाइबर	
कुल इंटरनेट सब्स्क्राइबर	825.30 मिलियन
पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	3.79%
नैरोबैंड सब्स्क्राइबर	47.21 मिलियन
ब्रॉडबैंड सब्स्क्राइबर	778.09 मिलियन
वॉयर्ड इंटरनेट सब्स्क्राइबर	25.99 मिलियन
वॉयलैस इंटरनेट सब्स्क्राइबर	799.30 मिलियन
शहरी इंटरनेट सब्स्क्राइबर	502.53 मिलियन
ग्रामीण इंटरनेट सब्स्क्राइबर	322.77 मिलियन
त्तति 100 जनसंख्या पर कुल इंटरनेट सब्स्क्राइबर	60.73
त्तति 100 जनसंख्या पर शहरी इंटरनेट सब्स्क्राइबर	107.30
त्तति 100 जनसंख्या पर ग्रामीण इंटरनेट सब्स्क्राइबर	36.24
प्रसारण और केबल सेवाएं	
निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की संख्या जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा केवल अपलिंकिंग / केवल डॉप्र नलिंकिंग / अपलिंकिंग और डॉप्र नलिंकिंग, दोनों की अनुमति प्रदान की गई है।	901
प्रसारकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पे– टेलीविजन चैनलों की संख्या	327
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या य्ऑल इंडिया रेडियो को छोड़करह	366
पे– डीटीएच आपरेटरों के साथ निवल सचि य सब्स्क्राइबरों की संख्या	69.57 मिलियन
चालू सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	324
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
राजस्व और उपयोग मानदंड	
वॉयलैस सेवाओं का मासिक एआरपीयू	₹103.58
प्रति सब्स्क्राइबर प्रतिमाह – वायरलेस सेवाओं का मिनट में उपयोग य्एमओयूह	818 मिनट
इंटरनेट टेलीफोनी के लिए उपयोग के कुल आउटगोइंग मिनट	174.89 मिलियन
वायरलेस डाटा उपयोग	
प्रति वायरलेस डाटा सब्स्क्राइबर प्रतिमाह औसत वायरलेस डाटा उपयोग	12.33 जीबी
तिमाही के दौरान प्रति जीबी वायरलेस डाटा हेतु औसत सब्स्क्राइबर लागत	₹10.77

(ख) नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा

1.2 अपनी स्थापना के समय से, भादूविप्रा का उद्देश्य रहा है: देश में दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास के लिए इस तरह और गति से परिस्थितियों का निर्माण और पोषण करना जो भारत को उभरते वैश्विक सूचना समाज में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाए। इस उद्देश्य के अनुसरण में, भादूविप्रा ने इस अवधि के दौरान विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को शुरू और कार्यान्वित किया है। दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में भादूविप्रा की निम्नलिखित प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा नीचे दी गई है:

(क) ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क;

(ख) टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार;

(ग) मूलभूत और मूल्यवर्धित दोनों सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अंतर्संयोजन;

(ड.) दूरसंचार प्रौद्योगिकी;

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन;

(छ) सेवा की गुणवत्ता; तथा

(ज) सार्वभौमिक सेवा बाध्यताएं।

1.2.1 ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

वायरलेस

1.2.1.1. दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस ग्रामीण (मोबाइल और डब्ल्यूएलएल (एफ)) सब्स्क्राइबरों की संख्या दिनांक 31 मार्च, 2020 के 511.32 मिलियन से बढ़कर दिनांक 31 मार्च, 2021 के अंत तक 519.27 मिलियन पहुंच गई। अब, ग्रामीण सब्स्क्राइबरों की हिस्सेदारी अब कुल वायरलेस सब्स्क्राइबरों का 45.37 प्रतिशत है। मार्च, 2016 से ग्रामीण वायरलेस सब्स्क्राइबर बेस को **चित्र–4** में दर्शाया गया है। सेवा प्रदाता–वार, ग्रामीण वायरलेस सब्स्क्राइबर बेस और उनकी बाजार हिस्सेदारी को **तालिका–7** और **चित्र–5** में दर्शाया गया है।

चित्र–4 : मार्च, 2016 से ग्रामीण वायरलेस सब्स्क्राइबर बेस

(मिलियन में)

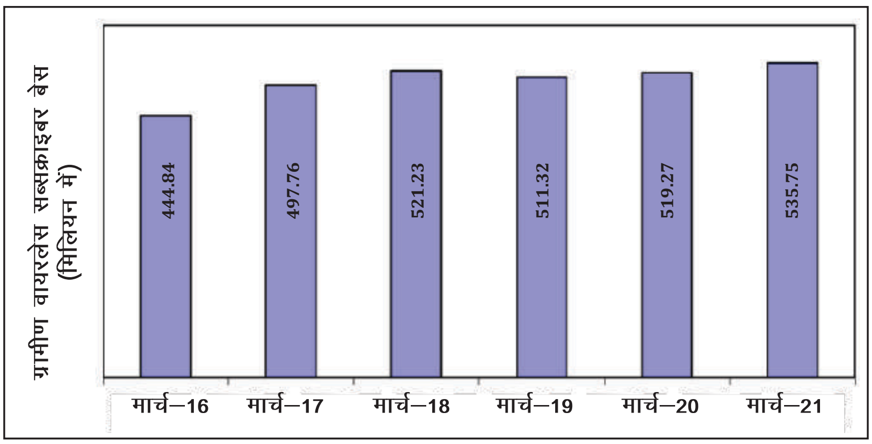

तालिका–7 : सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलेस सब्स६ाइबर और बाजार की हिस्सेदारी

६. सं.	वायरलेस समूह	सब्स६ाइबर ग्मिलियन मेंक्र		ग्रामीण सब्स६ाइबर ग्मिलियन मेंक्र		तिथि को ग्रामीण सब्स६ाइबरों की बाजार हिस्सेदारी	
		मार्च, 2021	मार्च, 2020	मार्च, 2021	मार्च, 2020	मार्च, 2021	मार्च, 2020
1.	आरजेआईएल	422.92	387.52	179.31	160.94	33.47%	29.98%
2.	भारती एयरटेल	352.39	327.81	168.63	153.18	31.47%	28.67%
3.	वोडाफोन आइडिया	283.71*	319.17	149.93*	167.02	27.98%*	33.98%
4.	बीएसएनएल	118.63(@)	119.87	37.84	38.09	7.06%	7.36%
5.	एमटीएनएल	3.30	3.36	0.05	0.05	0.01%	0.01%
6.	आरसीएल &	0.01	0.0178	0.00	0.00	0.00	--
7.	टाटा ^	--	--	--	--	--	--
	कुल	1180.96	1157.75	535.75	519.28	100.00	100.00

स्रोत: टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर यथा आधारित

टिप्पण:

(*) मैसर्स वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 से अपनी सेवाओं का विलय कर दिया है।

(@) तमिलनाडु सर्किल के लिए मैसर्स बीएसएनएल वीएनओ द्वारा उपलब्ध कराए गए एचएलआर आंकड़ों को तमिलनाडु सर्किल में बीएसएनएल जीएसएम में सम्मिलित कर दिया गया है।

(&) मैसर्स आरसीएल/आरटीएल ने खुदरा सेवाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया है, तथापि, वे बी2बी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।

(^) दिनांक 06 फरवरी, 2020 से मैसर्स टाटा का मैसर्स भारती एयरटेल के साथ विलय कर दिया गया है।

चित्र–5 : दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण वायरलेस

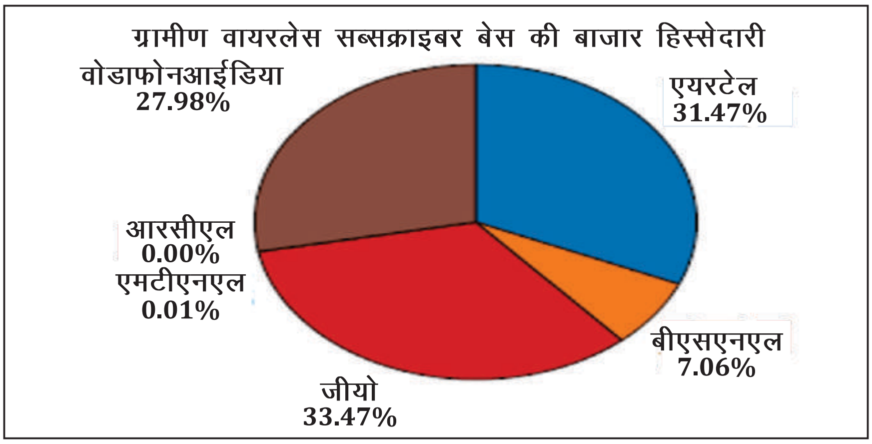

वॉयरलाइन सेवाएं

1.2.1.2 31 मार्च, 2021 तक ग्रामीण वायरलाइन सब्स्क्राइबर बेस 1.67 मिलियन था, जो 31 मार्च, 2020 के अंत में 2.24 मिलियन की तुलना में वर्ष भर में 25.45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है। सेवा प्रदाता–वार वायरलाइन ग्रामीण सब्स्क्राइबर बेस और उनकी बाजार हिस्सेदारी **तालिका–8** में दर्शाई गई है।

तालिका–8 : सेवा प्रदाता–वार ग्रामीण वायरलाइन सब्स६ इबर बेस तथा उनकी बाजार हिस्सेदारी

६. सं.	वॉयरलाइन समूह	कुल वॉयरलाइन सब्स६ इबर		ग्रामीण वॉयरलाइन सब्स६ इबर		ग्रामीण वॉयरलाइन सब्स६ इबरों की बाजार हिस्सेदारी प्रितिशत मेंक्र	
		मार्च, 2019	मार्च, 2020	मार्च, 2019	मार्च, 2020	मार्च, 2019	मार्च, 2020
1	बीएसएनएल	87,27,103	66,49,439	21,58,197	15,75,018	96.21%	94.44%
2	एमटीएनएल	30,93,800	29,03,589	-	-	-	-
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	43,92,581	47,78,290	-	-	-	-
4	क्वाडेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	1,82,269	2,16,428	35,478	28,107	1.58%	1.68%
5	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	17,70,108	16,26,525	45,723	40,146	2.04%	2.41%
6	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	5,05,605	2,10,328	945	180	0.04%	0.01%
7	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	4,55,944	5,21,357	-	-	-	
8	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	10,90,677	33,33,713	2,838	24,292	0.13%	1.46%
	कुल	**2,02,18,087**	**2,02,39,669**	**22,43,181**	**1,667,743**	**100.00%**	**100.00%**

(ii) पिछली चार तिमाहियों में ग्रामीण वायरलाइन उपभोक्ताओं की स्थिति **चित्र–6** में दर्शाई गई है।

चित्र–6 : ग्रामीण वायरलाइन सब्स६ इबरों को दर्शाता 'बार–चार्ट' मिलियन मेंक्र

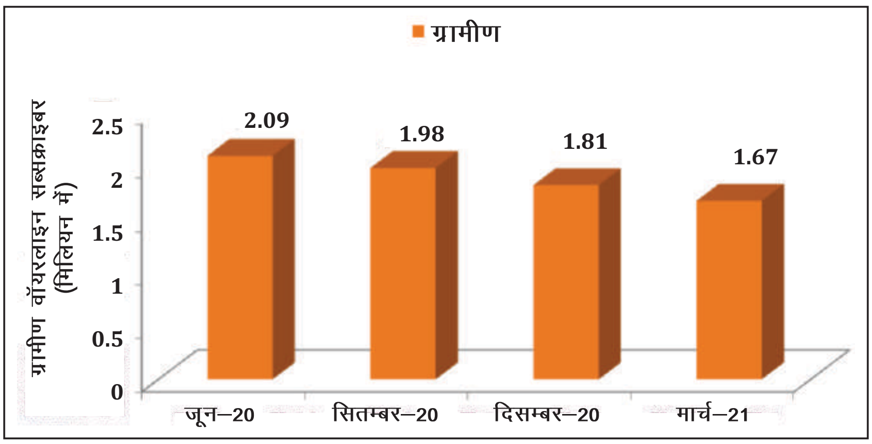

(iii) पिछले पांच विड्डीय वर्षों के दौरान ग्रामीण वायरलाइन ग्राहकों की स्थिति को **चित्र–7** में दर्शाया गया है।

चित्र–7 : वर्ष 2017–21 के दौरान ग्रामीण वॉयरलाइन सब्स६ाइबरों को दर्शाता 'बार–चार्ट'

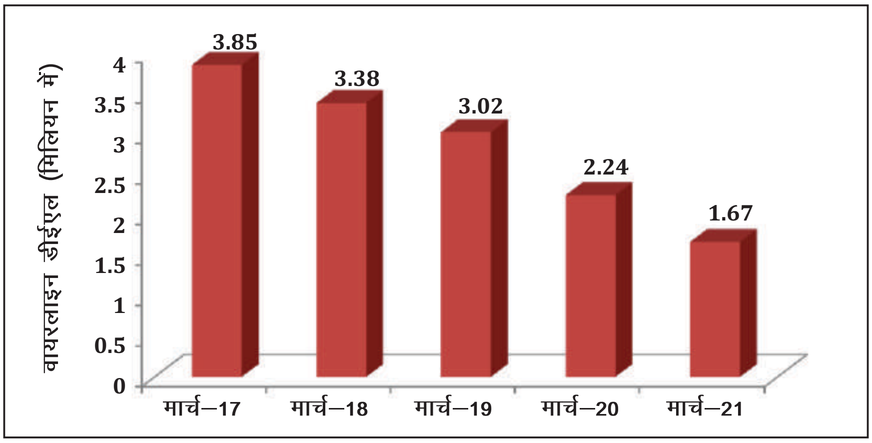

1.2.2 टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

पिछले छह वर्षों के दौरान देश में दूरसंचार नेटवर्क में पर्याप्त विस्तार हुआ है, जो दूरसंचार सेवा त्त्प्रदाताओं द्वारा स्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशनों ख्बीटीएसहकी बढ़ती संख्या में परिलक्षित होता है। मार्च, 2016 से मार्च, 2021 तक बीटीएस की कुल संख्या, जिसमें 2जी, 3जी और 4जी बीटीएस शामिल हैं, की वार्षिक त्त्वृद्धि को **चित्र–8** में देखा जा सकता है। पिछले विड्डीय वर्ष 2020–21 के दौरान बीटीएस की संख्या 2313462 से बढ़कर 2504910 हो गई है, यानी दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार 8.3% की दर से हुआ है।

चित्र–8 : संस्थापित किए गए बीटीएस

√मिलियन में्र

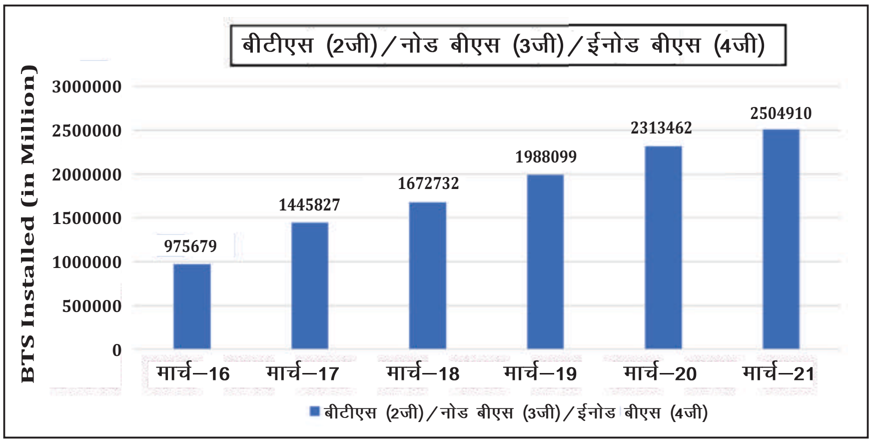

वायरलेस सेवाएं

1.2.2.1 वायरलेस सब्स्क्राइबर बेस 31 मार्च, 2021 को 1180.96 मिलियन है, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह 1157.75 मिलियन था। विड्डीय वर्ष 2020–21 के दौरान सब्स्क्राइबर बेस में 23.21 मिलियन ग्राहकों की वृद्धि हुई। मार्च, 2015 से मार्च, 2021 के दौरान सब्स्क्राइबर बेस का रूझान **चित्र–9** में दर्शाया गया है।

चित्र–9 : वॉयरलेस ऑपरेटरों का सब्स६ इबर बेस

ﺇमिलियन में੍ह

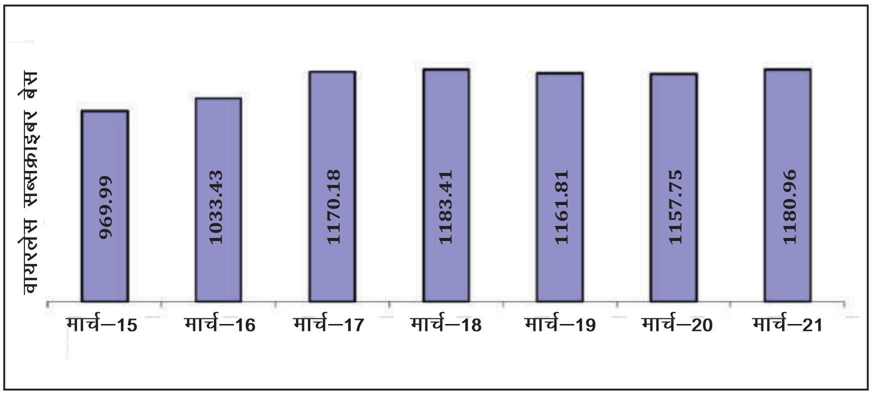

वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक व्यष्टिगत वायरलेस सेवा प्रदाताओं के सब्स्य इबर बेस के साथ–साथ विष्तीय वर्ष 2018–19 में उनकी प्रतिशत वृद्धि **तालिका–9** में दी गई है। 31 मार्च, 2021 को विभिन्न मोबाइल ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी **चित्र–10** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका–9 : वर्ष 2016–17 से 2020–21 के दौरान वायरलेस सेवाओं का सब्स६ इबर बेस

ﺇसब्स६ इबर बेस मिलियन में੍ह

सेवा प्रदाता	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	विं ा वर्ष 2019–20 में वृद्धि / कमी में
रिलायंस जिओ (*)	108.68	186.56	306.72	387.52	422.92	9.14%
भारती एयरटेल	273.65	304.19	325.18	327.81($)	352.39	7.50%
वोडाफोन	209.06	222.70	394.84(^)	319.17(^)	283.71 (^)	-11.11%
आइडिया	195.37	211.21				
बीएसएनएल	100.99	111.68	115.74 (~)	119.87 (~)	118.63 (~)	-1.03%
एमटीएनएल	3.63	3.56	3.45	3.36	3.30	-1.79%
आरकॉम / आरटीएल (#)	83.50	0.19	0.02	0.0178	0.01	-43.82%
एयरसेल (+)	90.90	74.15	--	--		-
टाटा	48.99	31.19	15.85	--		
टेलीनार	50.49	37.98	0.00($)	--		
सिस्टेमा (&)	4.91	-	-			
वीडियोकान (@)	-	-	-			
क्वाड्रेंट (@)	-	-	-			
कुल	**1170.18**	**1183.41**	**1161.81**	**1157.75**	**1180.96**	**2.00%**
स्रोत : सेवा प्रदाता						

(*) मैसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड ने वर्ष 2016–17 में अपनी वाणिज्यिक सेवाएं आरंभ की।

($) मैसर्स टेलीनॉर और मैसर्स टाटा का मैसर्स भारती एयरटेल के साथ च मशः दिनांक 14 मई, 2018 तथा 06 फरवरी, 2020 को विलय हो गया।

(^) मैसर्स वोडाफोन और मैसर्स आयडिया सेल्युलर ने दिनांक 31 अगस्त, 2018 से अपनी वाणिज्यिक सेवाओं को विलय कर दिया है।

(~) मैसर्स बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बेस में वीएनओ सेवा प्रदाताओं के भी सब्सक्राइबर शामिल हैं।

(@) मैसर्स वीडियोकान और मैसर्स क्वाडेंट्र ने वर्ष 2016–17 में अपनी सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

(&) वर्ष 2017–18 में मैसर्स सिस्टेमा श्याम लिमिटेड का अधिग्रहण आरकॉम / आरटीएल ने कर लिया।

(+) मैसर्स एयरसेल ने अप्रैल, 2018 से अपनी वाणिज्यिक सेवाएं उपलब्ध कराना बंद कर दिया है और एनसीएलटी में दिवालिया कार्यवाहियां दायर की हैं।

चित्र–10 : वायरलेस सेवा अभिदाताओं की बाजार हिस्सेदारी (31 मार्च, 2021 तक)

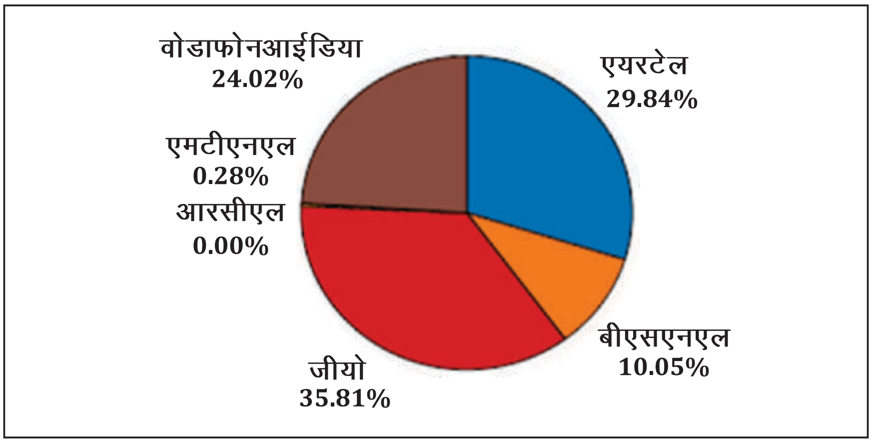

सब्सक्राइबर बेस के संदर्भ में, मैसर्स रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड 422.92 मिलियन सब्सक्राइबर बेस के साथ सबसे बड़ा सेवा प्रदाता था; जिसके पश्चात् मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड तथा मैसर्स बीएसएनएल क्रमशः 352.39 मिलियन, 283.71 मिलियन और 118.63 मिलियन सब्सक्राइबर थे।

मार्च, 2016 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए सेवा क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में वायरलेस सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर बेस को **चित्र–11** में रेखाचित्र में दर्शाया गया है।

चित्र–11 : मार्च, 2016 से मार्च, 2021 तक वायरलेस सेवाओं के लिए सर्किल–श्रेणीवार सब्सक्राइबर बेस

(आंकड़े मिलियन में)

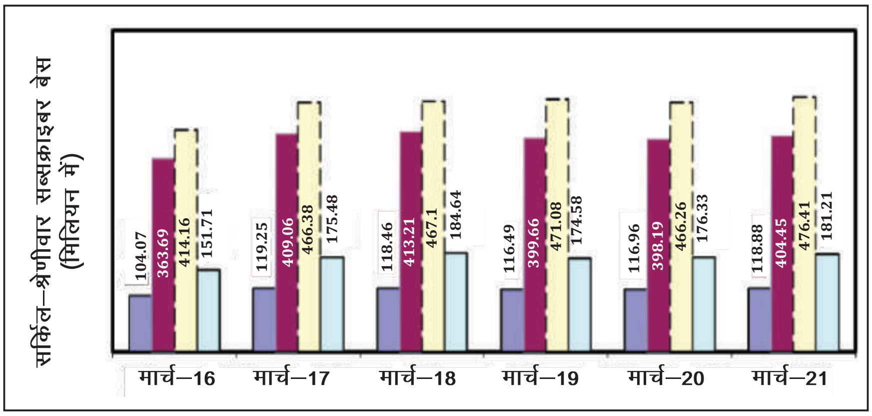

विभिन्न सेवा क्षेत्रों में वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की सूची **तालिका–10** में दी गई है।

तालिका–10 : दिनांक 31 मार्च, 2021 के अनुसार वॉयरलेस सेवा प्रदाताओं की स्थिति

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	भारती एयरटेल समूह	22	अखिल भारत
2	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड / रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड		अखिल भारत (असम और पूर्वोत्तर के अलावा)/ कोलकाता, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर
3	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	22	अखिल भारत
4	बीएसएनएल	20	दिल्ली और मुबंई के अलावा संपूर्ण भारत
5	एमटीएनएल	2	दिल्ली और मुबंई
6	रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड	22	अखिल भारत

स्रोतः डीओटी वेबसाइट।

यूएल (वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स) (वीएनओ)एक्सेस सर्विसेज लाइसेंसधारी जो 31 मार्च, 2021 तक सेवाएं प्रदान कर रहे है।

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडीपीएवाई मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फटेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में प्लीन्ट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)	22	अखिल भारत

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

वायरलाइन सेवाएं

1.2.2.2 दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 20.24 मिलियन वॉयरलाइन उपभोक्ताओं का सेवा प्रदाता–वार विवरण **तालिका–11** में दर्शाया गया और ग्रामीण एवं शहरी सब्सक्राइबरों के संदर्भ में ब्योरा **तालिका–12** में दर्शाया गया है। मौजूदा बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस में क्रमशः 32.85% और 14.35% बाजार हिस्सेदारी है, जबकि सभी छह निजी ऑपरेटरों की एक साथ 52.80% हिस्सेदारी है। निजी ऑपरेटरों की हिस्सेदारी 31 मार्च, 2020 को 41.53% से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 52.80% हो गई है, जिसमें 11.27% की वृद्धि दर्ज की गई है।

तालिका–11 : 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सेवा प्रदातावार वायरलाइन सब्स६ाइबर बेस का विवरण

६म संख्या	सेवा प्रदाता का नाम	प्रचालन का क्षेत्र	सब्स६ाइबर बेस ्वायरलाइनक्र
1	बीएसएनएल	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर अखिल भारतीय	6,649,439
2	एमटीएनएल	दिल्ली और मुंबई	2,903,589
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र त्त्देश ्तेलंगाना को छोड़करह दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य त्त्देश ्छत्तीसगढ़ को छोड़करह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्ृ ्मुंबई को छोड़करह मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु ्चेन्नई को छोड़करह चेन्नई, उङ्कर प्रदेभा–पूर्व और उङ्कर प्रदेभा–पश्चिम ्उङ्कराखंड को छोड़करह।	4,778,290
4	क्वाडेंृट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	216,428
5	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	आंध्र त्त्देश ्तेलंगाना को छोड़करह तेलंगाना, बिहार ्झारखंड को छोड़करह झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल त्त्देश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य त्त्देश ्छत्तीसगढ़ को छोड़करह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्ृ ्मुंबई और गोवा को छोड़करह गोवा, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु ्चेन्नई को छोड़करह चेन्नई, उङ्कर प्रदेभा–पूर्व, उङ्कर प्रदेभा–पश्चिम ्उङ्कराखंड को छोड़करह उङ्कराखंड और पश्चिम बंगाल ्अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़करह	210,328
6	रिलायंस जियो	आंध्र त्त्देश ्तेलंगाना को छोड़करह तेलंगाना, बिहार ्झारखंड को छोड़करह झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल त्त्देश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य त्त्देश ्छत्तीसगढ़ को छोड़करह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्ृ ्मुंबई को छोड़करह गोवाह गोवा, मुंबई, असम, अरुणाचल त्त्देश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु ्चेन्नई को छोड़करह चेन्नई, उङ्कर प्रदेभा–पूर्व, उङ्कर प्रदेभा–पश्चिम ्उङ्कराखंड को छोड़करह उङ्कराखंड और पश्चिम बंगाल ्अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़करह	3,333,713
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्र त्त्देश ्तेलंगाना को छोड़करह तेलंगाना, बिहार ्झारखंड को छोड़करह झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल त्त्देश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्ृ ्मुंबई और गोवा को छोड़करह गोवा, मुंबई, मध्य त्त्देश ्छत्तीसगढ़ को छोड़करह, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु ्चेन्नई को छोड़करह चेन्नई, उङ्कर प्रदेभा–पूर्व, उङ्कर प्रदेभा–पश्चिम ्उङ्कराखंड को छोड़करह उङ्कराखंड और पश्चिम बंगाल ्अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़करह	1,626,525

8	वोडाफोन आयडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर) तेलंगाना, असम, बिहार (झारखंड को छोड़कर) झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (मुंबई और गोवा को छोड़कर), गोवा, मुंबई, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) चेन्नई, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर) उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़कर)	521,357
	कुल		**20,239,669**

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

तालिका–12 : 31 मार्च, 2021 को सेवा प्रदाताओं का वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	शहरी	ग्रामीण	कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	5,074,421	1,575,018	6,649,439
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,903,589	0	2,903,589
3	भारती एयरटेल लिमिटेड	4,778,290	0	4,778,290
4	क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	188,321	28,107	216,428
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	210,148	180	210,328
6	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	3,309,421	24,292	3,333,713
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	1,586,379	40,146	1,626,525
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	521,357	0	521,357
	कुल	**18,571,926**	**1,667,743**	**20,239,669**

वायरलाइन सब्सक्राइबरों में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी

1.2.2.3 31 मार्च, 2021 तक, कुल वायरलाइन सब्सक्राइबरों में से 47.2% बीएसएनएल/एमटीएनएल के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और शेष वायरलाइन कनेक्शन विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। कुल वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी **चित्र–12** में दर्शाई गई है।

चित्र–12 : सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी की संरचना

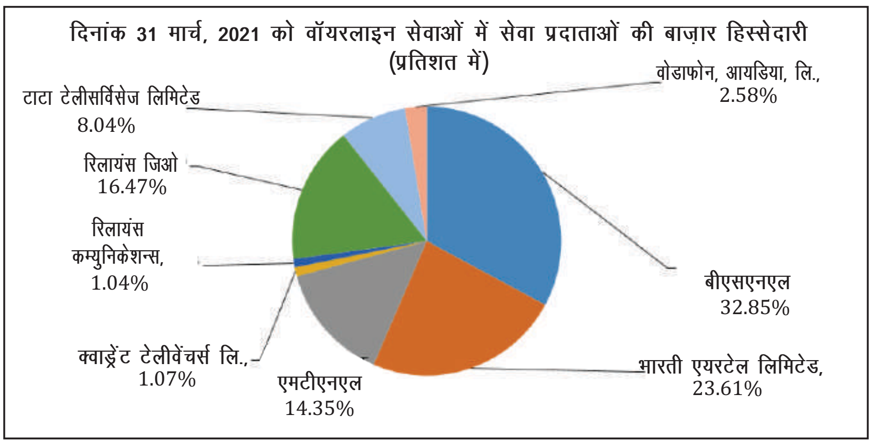

(ii) 31 मार्च, 2021 तक, कुल शहरी वायरलाइन सब्सक्राइबर 18.57 मिलियन थे, जिनमें से लगभग 42.96% बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी को **चित्र–13** में दर्शाया गया है।

चित्र–13 : शहरी क्षेत्रों में वायरलाइन सब्सक्राइबर बेस के हिस्से का संयोजन

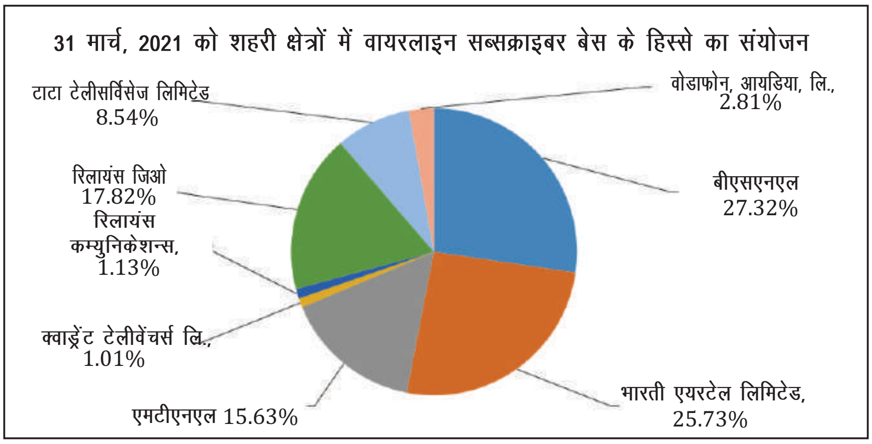

(iii) 31 मार्च, 2021 तक, कुल ग्रामीण वायरलाइन बेस 1.67 मिलियन थे। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वायरलाइन सेवा प्रदाताओं का बाजार हिस्सा **चित्र–14** में दर्शाया गया है: –

चित्र–14 : ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं के हिस्से की संरचना

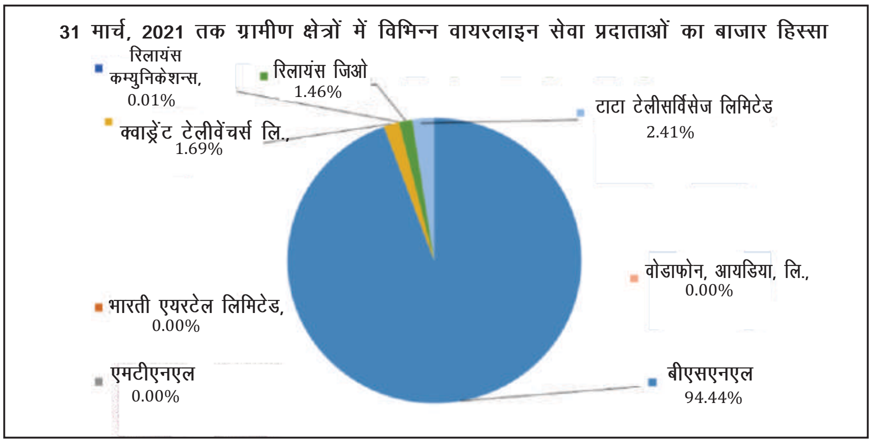

पब्लिक कॉल आफिस (पीसीओ)

1.2.2.4 31 मार्च, 2021 तक, पीसीओ की कुल संख्या 1.26 मिलियन है, जबकि 31 मार्च, 2020 को यह 1.78 मिलियन थी। बीएसएनएल, एमटीएनएल और निजी ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराए गए पीसीओ की संख्या **तालिका–13** में दर्शाई गई है:–

तालिका–13 : भारत में पब्लिक कॉल आफिस (पीसीओ)

क्र.सं.	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक
1	बीएसएनएल	1,05,003	68,826
2	एमटीएनएल	62,464	52,771
3	निजी ऑपरेटर	10,058	4,511
	कुल	**1,77,525**	**1,26,108**

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी)

1.2.2.5 31 मार्च, 2020 तक 0.68 लाख की तुलना में, सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) की कुल संख्या 31 मार्च, 2021 को 0.69 लाख थी। **तालिका–14** देश में कार्यरत वीपीटी की संख्या प्रदान करती है।

तालिका–14: भारत में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन

क्रम संख्या	सेवा प्रदाता का नाम	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2021 तक
1	बीएसएनएल	67,762	68,606
	कुल	**67,762**	**68,606**

सुसज्जित स्विचिंग क्षमता:

1.2.2.6 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, सेवा प्रदाता–वार कुल सुसज्जित स्विचिंग क्षमता और कार्यशील कनेक्शन **तालिका–15** में दर्शाए गए हैं।

तालिका–15 : सेवा प्रदाता वार सुसज्जित स्विचिंग क्षमता

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2021 तक	
			सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	चालू कनेक्शन
1	भारती एयरटेल लिमिटेड	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर) दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर) मुंबई, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) चेन्नई, उत्तर प्रदेश –पूर्व और उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर)।	11,094,852	4,778,290
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई को छोड़कर अखिल भारत	24,796,337	6,649,439
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	दिल्ली और मुंबई	4,881,215	2,903,589
4	क्वाडेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड	पंजाब	548,835	216,428
5	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर) तेलंगाना, बिहार (झारखंड को छोड़कर) झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (मुंबई और गोवा को छोड़कर) गोवा, मुंबई, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) चेन्नई, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर) उत्तराखंड और	1,344,000	210,328

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	सेवा क्षेत्र	31 मार्च, 2021 तक	
			सुसज्जित स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	चालू कनेक्शन
		पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़कर)		
6	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर) तेलंगाना, बिहार (झारखंड को छोड़कर) झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (मुंबई को छोड़कर)गोवा) गोवा, मुंबई, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) चेन्नई, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर) उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़कर)	23,928,000	3,333,713
7	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर) तेलंगाना, बिहार (झारखंड को छोड़कर) झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, महाराष्ट्र (मुंबई और गोवा को छोड़कर) गोवा, मुंबई मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) चेन्नई, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर) उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़कर)	3,836,253	1,626,525
8	वोडाफोन आइडिया लिमिटेड	आंध्र प्रदेश (तेलंगाना को छोड़कर) तेलंगाना, असम, बिहार (झारखंड को छोड़कर) झारखंड, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ को छोड़कर) छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र (मुंबई और गोवा को छोड़कर) गोवा, मुंबई मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु (चेन्नई को छोड़कर) चेन्नई, उत्तर प्रदेश–पूर्व, उत्तर प्रदेश–पश्चिम (उत्तराखंड को छोड़कर) उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल (अंडमान और निकोबार और सिक्किम को छोड़कर)	675,000	521,357

स्रोत: सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के अनुसार

इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्स६ाइबर

1.2.2.7 31 मार्च, 2021 को देश में इंटरनेट सब्स्क्र्ाइबरों की संख्या 825.301 मिलियन थी, जो 31 मार्च, 2020 को 743.191 मिलियन थी। 31 मार्च, 2021 तक देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्स्क्र्ाइबर बेस 778.095 मिलियन था जबकि 31 मार्च, 2020 को यह 687.438 मिलियन था।

31 मार्च, 2021 को देश में सेवा त्प्रदाताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए सब्सचि्पशन का विवरण **तालिका–16** में दर्शाया गया है।

तालिका–16 : इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सब्स६ाइबरों का विवरण

(सब्स६ाइबरों की संख्या मिलियन में)

	खंड		श्रेणी	इंटरनेट सब्स६ाइबर		प्रतिशत विकास
				मार्च, 2020	मार्च, 2021	
क.	वायरर्ड		ब्रॉडबैंड	19.176	22.749	18.64%
			नैरोबैंड	3.241	3.246	0.17%
			कुल	**22.416**	**25.995**	**15.97%**
ख.	वायरलैस	फिक्सड वॉयरलैस (वाई–फाई, वाई–मैक्स, रेडियो और वीसैट)	ब्रॉडबैंड	0.602	0.671	11.46%
			नैरोबैंड	0.006	0.006	-5.11%
			कुल	**0.608**	**0.677**	**11.30%**
		मोबाइल वायरलैस (फोन + डॉंगल)	ब्रॉडबैंड	667.659	754.674	13.03%
			नैरोबैंड	52.507	43.955	-16.29%
			कुल	**720.166**	**798.629**	**10.90%**
	कुल इंटरनेट सब्स६ाइबर		ब्रॉडबैंड	687.438	778.095	13.19%
			नैरोबैंड	55.753	47.207	-15.33%
			कुल	**743.191**	**825.301**	**11.05%**

1.2.2.8 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा संसूचित तिमाही–वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्सचि्पशन का विवरण **तालिका–17** में दिया गया है।

तालिका–17 : तिमाही– वार इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सब्स६ाइबरों का विवरण

(सब्स६ाइबरों की संख्या मिलियन में)

सेवा	मार्च, 2020	जून, 2020	सितम्बर, 2020	दिसम्बर, 2020	मार्च, 2021
ब्रॉडबैंड	687.438	698.231	726.317	747.408	778.095
नैरोबैंड	55.753	50.840	50.138	47.772	47.207
कुल इंटरनेट	**743.191**	**749.071**	**776.455**	**795.181**	**825.301**

1.2.3 बुनियादी तथा मूल्यवर्धित सेवाओं में निजी क्षेत्र का प्रवेश

1.2.3.1 दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार एक्सेस सेवाएं प्रदान के लिए यूएल ख्वर्चुअल नेटवर्क आपरेटरोंह ख्वीएनओह्पहुंच सेवाओं के लाइसेसधारियों की संख्या **तालिका–18** में दर्शाई गई है:–

तालिका–18 : यूएल विर्चुअल नेटवर्क अभ्परेटर्सक्र्वीएनओक्रएक्सेस सर्विसेज लाइसेंसधारी जो 31 मार्च, 2021 तक सेवाएं च्रदान कर रहे हैं।

ऋम संख्या	सेवा प्रदाता	सेवा क्षेत्र	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
1	एडीपीएवाई मोबाइल पेमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	चेन्नई सहित तमिलनाडु
2	सर्फटेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ख्पूर्व में प्लीन्टॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेडह	22	अखिल भारत
3	मूल और मूल्य वर्धित सेवाएं–एनएलडी लाइसेंस ख्यूएल शासन से पहलेह	21	
4	एनएलडी लाइसेंस की संख्या ख्यूएल व्यवस्था के तहतह	11	
5	बुनियादी और मूल्य वर्धित सेवाएं–आईएलडी लाइसेंस	21	
6	बुनियादी और मूल्य वर्धित सेवाएं–आईएलडी लाइसेंस	06	दिनांक 30 जून, 2021 ख्यूएल शासन के तहतह 30 जून, 2017 ख्एनएलडीह 15 दिसंबर, 2015 ख्आईएलडीह के अनुसार ख्स्रोतः डीओटीह

स्रोतः टीएसपी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार

1.2.4 सेवा प्रदाताओं के साथ तकनीकी संगतता तथा प्रभावी अंतर्संयोजन

1.2.4.1 भादूविप्रा अधिनियम के तहत, प्राधिकरण को इंटरकनेक्टिविटी के नियम और शर्तें तय करने और सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है। इंटरकनेक्शन एक बहु–संचालक वातावरण में दूरसंचार व्यवसाय के मूल में निहित है। सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए इंटरकनेक्शन के नियमों और शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी अंतर्संयोजन के लिए निम्नलिखित विनियम जारी किए गए थे:

"दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग शुल्क सोलहवां संशोधनक्र विनियम, 2020" दिनांक 17 अप्रैल, 2020

1.2.4.1 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ख्भादूविप्राह ने 17 अप्रैल, 2020 को "दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क ख्सोलहवां संशोधनह विनियम, 2020" जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, निश्चित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क ख्आईटीसीह/₹ 0.30 प्रति मिनट की व्यवस्था को संशोधित कर ₹ 0.65 प्रति मिनट कर दिया गया है, जो कि ₹ 0.35 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर है। ये विनियम 1 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

इन विनियमों का विवरण रिपोर्ट के भाग– ।। में दिया गया है।

1.2.5 दूरसंचार प्रौद्योगिकी

i. **चैनल सिलेक्टर ऐपः**

टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र के लिए भादूविप्रा के मौजूदा नियमों/आदेशों ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चौनलों का चयन करने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। नए ढांचे के कार्यान्वयन के साथ चौनलों के

चयन में उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए, भादूविप्रा ने इस चौनल सिलेक्टर ऐप को विकसित किया है और 25 जून, 2020 को एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया है। यह ऐप डीटीएच/केबल सब्सक्राइबर्स को उनकी खुद की सब्सक्रिप्शन की जांच करने, उनके डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए संपूर्ण प्लेटफॉर्म के बारे में जानें, अनुकूलित समाधान प्राप्त करने और संशोधित सब्सक्रिप्शन अनुरोध को जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

ii. एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टल

यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियम 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक के एसएमएस टर्मिनेशन शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण की तारीखों और एसएमएस समाप्ति शुल्क से 5 पैसे की छूट से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में जानने में भी मदद करता है।

iii. हेडर जानकारी पोर्टलः

हेडर जानकारी पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक को जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है या नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर से पूछताछ कर सकता या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यावसायिक या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

iv. डीएनडी ऐप–एपीआई विशिष्टताः

टीसीपीसीपी, विनियम 2018 जारी होने के साथ ही विनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में बड़े बदलाव किए जा रहे थे। तदनुसार, डीएनडी ऐप को विनियमों के अनुसार अद्यतनीकरण की आवश्यकता थी। इसलिए, सेवा प्रदाता प्रणालियों के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए एपीआई विनिर्देश बनाए गए थे। इन एपीआई विनिर्देशों के साथ सेवा प्रदाता डीएनडी ऐप में एकीकृत करने के लिए अपने एपीआई विकसित करेंगे।

V. ई–ऑफिसः

ई–ऑफिस का उद्घाटन दिनांक 1 जनवरी, 2021 को भादूविप्रा के अध्यक्ष डॉ पी.डी. वाघेला द्वारा किया गया था। ई–ऑफिस को अपनाने के साथ, भादूविप्रा अब काफी हद तक एक पेपरलेस संगठन बन गया है, जिसमें सभी फाइल का काम इलेक्ट्रॉनिक फाइल मोड के माध्यम से किया जाता है। ई–ऑफिस को अपनाने से प्रशासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, भौतिक फाइलों के भंडारण और संरक्षण में होने वाली लागत में कमी आएगी, अधिकारियों को "कहीं भी और कभी भी" से फाइलों को निपटाने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे फाइल निपटान की दक्षता में सुधार होता है, वरिष्ठ अधिकारियों को फाइलों और महत्वपूर्ण कागजात तक 24/7 पहुंच सक्षम होती है।

vi. रिपोर्टिंग स्वचालनः

आईटी प्रभाग ने एक डेटा संग्रह और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पोर्टल विकसित किया है, जो भादूविप्रा के विभिन्न प्रभागों के लिए स्वचालित डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और रिपोर्ट निर्माण प्रदान करेगा। संबंधित विभाग द्वारा पहचाने गए हितधारक वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ डेटा जमा करेंगे। संसाधित डेटा और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट झांकी का उपयोग करके बनाई जा रही हैं और संबंधित विभाग को डाउनलोड करने के लिए सिस्टम में उपलब्ध हैं। वर्तमान में एनएसएल–II प्रभाग निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के लिए प्रणाली का उपयोग कर रहा है। बाद में, एक बार एनएसएल–I और क्यूओएस डिवीजन के लिए अनुकूलन हो जाने के बाद, ये डिवीजन सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

vii. डेटा विश्लेषण और क्लाउड सेवाएं:

च्राउडसोर्सिंग के माध्यम से और संबंधित सेवा त्त्दाताओं से डेटा संग्रह से सार्थक अंतर्दृष्टि और जानकारी बनाने के लिए, भादूवित्त के विभिन्न त्त्भागों के लिए आंतरिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए निःशुल्कध्लाइसेंस त्त्प्त उपकरणों और त्त्रौद्योगिकी का उपयोग करके डेटा विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा, भादूवित्त के अधिकांश एप्लिकेशन क्लाउड वातावरण पर होस्ट किए जाते हैं और इस त्त्कार समय और बुनियादी ढांचे की लागत के मामले में बचत के अवसर का लाभ उठाते हैं।

viii. अवसंरचना उन्नयन:

कोविड–19 महामारी के कारण बैठकध्वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित सभी आधिकारिक कार्य ऑनलाइन किए गए।

कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए:

क. ई–ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने के लिए एनआईसी और भादूवित्त के बीच 50 एमबीपीएस निकनेट लाइन की स्थापना की गई थी।

ख. उच्च गति के इंटरनेट/ब्रॉडबैंड तक पहुंच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 16 दोहरे बैंड वाईफाई राउटर स्थापित किए गए थे।

ग. ई–बैठकों में भाग लेने के लिए उप सलाहकारों और प्र पर के स्तर के अधिकारियों को 35 वेबकैम और हेडफोन त्त्दान किए गए।

घ. ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए 20 हाई स्पीड स्कैनर और 100 डीएससी खरीदे गए।

1.2.6 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति का कार्यान्वयन

1.2.6.1 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी–2018) में बुनियादी ढांचा त्त्दाताओं (आईपी) के दायरे को बढ़ाकर सक्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने और साझा करने योग्य, निष्क्रिय और सक्रिय बुनियादी ढांचे की तैनाती को बढ़ावा देने और त्त्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

भादूवित्त ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर त्त्रोवाइडर्स श्रेणी–I (आईपी–I) रजिस्ट्रेशन के दायरे की समीक्षा' पर स्वतः संज्ञान लेते हुए परामर्श पत्र जारी किया था। उचित परामर्श त्त्क्रिया के बाद, भादूवित्त ने दिनांक 13 मार्च, 2021 को 'इन्फ्रास्ट्रक्चर त्त्रोवाइडर्स श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण के दायरे में वृद्धि' पर सिफारिशें जारी कीं और सचिव (दूरसंचार) दूरसंचार विभाग को विचार के लिए भेजा।

डीओटी ने अपने पत्र संख्या 10–12/2012–सीएस–III (पं. II)/236 दिनांक 18 नवंबर 2020 के माध्यम से सूचित किया कि "इन्फ्रास्ट्रक्चर त्त्रोवाइडर्स श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण के दायरे में वृद्धि" दिनांक 13 तारीख को भादूवित्त की सिफारिशें मार्च, 2020 पर विचार किया गया है और भादूवित्त से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। उचित विचार–विमर्श के बाद, भादूवित्त ने सचिव, डीओटी को पत्र संख्या आर–16/1/(ए)/2021–एनएसएल–I दिनांक 11 जनवरी, 2021 के माध्यम से अपनी त्त्तिक्रिया भेजी।

डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा भादूवित्त से राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की रणनीतियों पर सिफारिशें त्त्स्तुत करने का अनुरोध किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग योजना विकसित करके पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करना' शामिल है। भादूवित्त ने परामर्श त्त्क्रिया और हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के बाद, "फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करना" पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया था और सचिव, डीओटी को दिनांक 29 मई, 2020 को अपना पत्र भेजा था।

1.2.7 सेवा की गुणवैं ाा क्यिूओएसक्र

1.2.7.1 वर्ष 2020–21 के दौरान, सेवा की गुणवङ्गा की निगरानी और सेवा की गुणवङ्गा के संबंध में जानकारी के प्रसार तथा 'स्पैम' पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव आया है जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

1.2.8 सार्वभौमिक सेवा दायित्व

1.2.8.1 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 ख्वर्ष 2003 और 2006 में यथा संशोधितहृके अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती और उचित मूल्य पर लोगों की टेलीग्राफ सेवा तक पहुंच के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यह कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व का अर्थ उचित मूल्य पर परिभाषित न्यूनतम सेवा की निर्दिष्ट गुणवङ्गा के साथ हर जगह सभी उपयोगकर्ता को दूरसंचार सेवा मुहैया कराना है।

इस उर्ँश्यि को ध्यान में रखकर, देश के वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं मुहैया कराने के लिए विङ्गीय सहायता देने हेतु भारतीय टेलीग्राफ ख्संशोधनहृअधिनियम, 2003 ख्जिसमें 2006 में अगला संशोधन किया गया थाहृ के अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2002 को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि ख्यूएसओएसफहृकी स्थापना की गई थी।

दिनांक 19 दिसंबर, 2016 की अपनी सिफारिशों में 'ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क डेटा की व्यवस्था के माध्यम से डेटा उपयोग को प्रोत्साहित करने'' पर प्राधिकरण ने अनुसंशा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वहन क्षमता के अंतर को दूर करने और डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन देकर 'कैशलेस' अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को लगभग 100 एमबी डॉटा प्रतिमाह निशुल्क देने की एक योजना आरंभ की जाए और इस योजना को लागू करने की लागत यूएसओएफ द्वारा दी जाए।

(ग) प्रसारण और केबल टेलीविजन क्षेत्र में सामान्य परिवेश की समीक्षा

i. प्रसारण क्षेत्र में टेलीविजन और रेडियो सेवाएं शामिल हैं। दूरदर्शन के स्थलीय टीवी नेटवर्क के अलावा टेलीविजन सेवाओं में केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, एचआईटीएस सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं शामिल हैं। एक उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में, भारत में अनुमानित 210.2 मिलियन टीवी घर हैं जिसमें केबल टीवी परिवारों, पे डीटीएच परिवारों, मुफ्त डीटीएच परिवारों और स्थलीय टीवी परिवारों की अनुमानित हिस्सेदारी क्रमशः 48%, 32%, 19% और 1% थी।

ii. टीवी प्रसारण क्षेत्र में 350 प्रसारक शामिल हैं, जिनमें से मार्च, 2021 के अंत तक 40 पे ब्रॉडकास्टर हैं। इसके अलावा, मार्च, 2021 के अंत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के साथ पंजीकृत 1724 (1722 नियमित और 02 अनंतिम) मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) थे, अनुमानित 1,40,000 केबल ऑपरेटर, एचआईटीएस ऑपरेटर, 4 पे डीटीएच ऑपरेटर और कुछ आईपीटीवी ऑपरेटरों, सार्वजनिक सेवा प्रसारक–दूरदर्शन के अलावा, भारत में एक फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा प्रदान करते हैं।

iii. वर्तमान में, मार्च, 2021 के अंत में एमआईबी द्वारा 901 निजी सैटेलाइट टीवी चौनलों को अनुमति दी गई है, जिनमें से 235 एसडी पे टीवी चौनल हैं और 92 एचडी पे टीवी चैनल हैं।

iv. भारत का टेलीविजन उद्योग वर्ष 2019 में 78,800 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2020 में ₹ 68,500 करोड़ है, जिससे लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई है। सब्सक्रिप्शन राजस्व का उद्योग के कुल राजस्व में बड़ा हिस्सा होता है। सब्सक्रिप्शन राजस्व वर्ष 2019 में ₹ 46,800 करोड़ से गिरकर वर्ष 2020 में ₹ 43,400 करोड़ हो गया है। इसी तरह, वर्ष 2019 में ₹ 32,000 करोड़ की तुलना में वर्ष 2020 के दौरान विज्ञापन राजस्व ₹ 25,100 करोड़ था।

v. निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, मार्च, 2021 के अंत में सार्वजनिक सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के अलावा 3663 निजी एफएम रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए मार्च, 2021 के अंत में जारी किए गए 4033 लाइसेंसों में से 3243 सामुदायिक रेडियो स्टेशन चालू हो गए हैं। निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार विज्ञापन राजस्व वर्ष 2019–20 में ₹ 1902.75 करोड़ से गिरकर वर्ष 2020–21 में ₹ 941.47 करोड़ हो गया है।

इस क्षेत्र में केबल टीवी सेवाएं, डीटीएच सेवाएं, स्थलीय टीवी सेवाएं, एचआईटीएस सेवाएं, आईपीटीवी सेवाएं और रेडियो प्रसारण सेवाएं शामिल हैं। जनता को मनोरंजन, सूचना और शिक्षा प्रदान करने के लिए एफएम रेडियो प्रसारण भी सबसे लोकप्रिय और व्यापक माध्यम है। प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

---

[1] https://barcindia.co.in/whitepaper/barc-india-tv-universe-estimates-2020.pdf

[2] एफआईसीसीआई ईवाई रिपोर्ट (मार्च 2021) जिसका शीर्षक है "प्लेइंग बाय न्यू रूल्स–इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर रीबूट्स इन 2020"

[3] जैसा कि ट्राई को सूचित किया गया है

[4] http://broadcastseva.gov.in/webpage-User-tvchannels

[5] एमआईबी वेबसाइट https://digitalindiamib.com/

1.4 प्रसारण क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

सैटेलाइट टेलीविजन चैनल

1.4.1 सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत सैटेलाइट टीवी चौनलों की कुल संख्या मार्च, 2017 के अंत में 888 से बढ़कर मार्च, 2021 के अंत में 901 हो गई है। **चित्र–15** इस अवधि के दौरान टीवी चौनलों की वर्ष–वार कुल संख्या को दर्शाता है। स्टैंडर्ड डेफिनिशन य्एसडीह्पे टीवी चौनलों की संख्या मार्च, 2017 के अंत में 212 से बढ़कर मार्च, 2021 के अंत में 235 हो गई है। **चित्र–16** इस अवधि के दौरान एसडी पे टीवी चौनलों की वर्ष–वार कुल संख्या को दर्शाता है। **चित्र–17** इस अवधि के दौरान रिपोर्ट किए गए एचडी चौनलों की वर्ष–वार संख्या को दर्शाता है। मार्च, 2021 के अंत तक, कुल 92 एचडी चौनल चालू हो गए हैं। प्रसारक और उनके पे–टेलीविजन चैनलों य्एसडी और एचडीह्की सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक– I के रूप में संलग्न है।

चित्र–15 : भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की संख्या में हुई वार्षिक वृद्धि

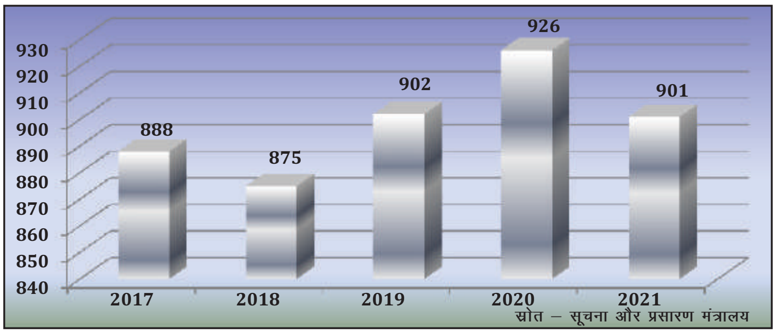

चित्र–16 : एसडी सैटेलाइट पे–टेलीविजन चैनलों की संख्या में हुई वार्षिक वृद्धि

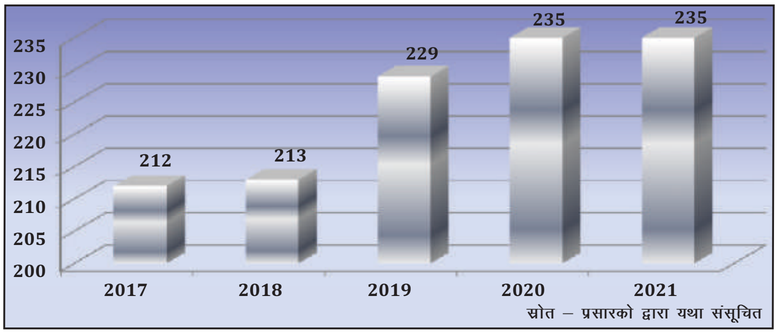

चित्र–17 : एचडी सैटेलाइट पे–टेलीविजन चैनलों की संख्या में हुई वार्षिक वृद्धि

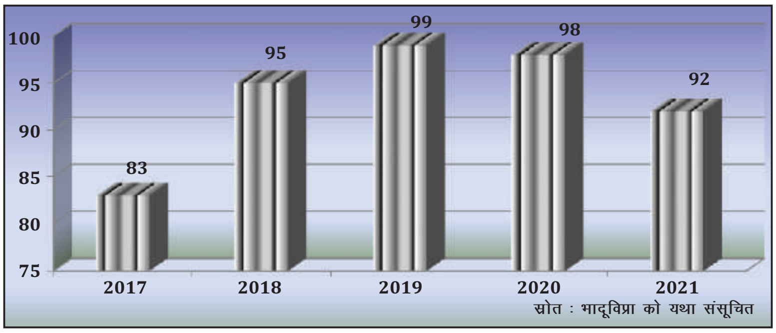

डीटीएच सेवाएं

1.4.2 वर्ष 2003 में अपनी शुरूआत से ही, भारतीय डीटीएच सेवाओं ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई पे डीटीएच ने मार्च, 2021 के अंत तक लगभग 69.57 मिलियन का कुल सचि्रय सब्स्क्राइबर बेस त्राप्त कर लिया है। यह डीडी ि्री डिश य्दूरदर्शन की निशुल्क डीटीएच सेवाएंद्द के सब्स्क्राइबरों की संख्या के अतिरिक्त है। मार्च, 2021 के अंत में, 4 पे डीटीएच सेवा प्रदाता इस सब्स्क्राइबर बेस को अपनी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। पे डीटीएच ऑपरेटरों की एक सूची इस रिपोर्ट के अंत में अनुलग्नक–।। के रूप में संलग्न है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहले य्मार्च, 2020 तकद्द कुल सचि्रय ग्राहकों की सदस्यता के आंकड़ों में पिछले 120 दिनों से अधिक के लिए निष्चि्रय और अस्थायी रूप से निलंबित ग्राहक शामिल थे। हालांकि, त्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के नए नियामक ढांचे के अनुसार, कुल सचि्रय ग्राहकों में वे ग्राहक शामिल हैं जो पिछले 90 दिनों से अधिक समय से निष्चि्रय या अस्थायी रूप से निलंबित हैं। इस बिंदु को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08 अक्तूबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 86/2019 य्https://main.trai.gov.in/sites/default/files/ PR_No.86of 2019.pdfद्द में विधिवत् रूप से स्पष्ट किया गया है। अपने निवल सब्स्क्राइबर आधार के संदर्भ में इस क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर को **चित्र–18** में दर्शाया गया है।

चित्र–18 : पे–डीटीएच क्षेत्र के कुल निवल सचि्रय उपभोक्ता आधार में वार्षिक वृद्धि य्मिलियन मेंद्ध

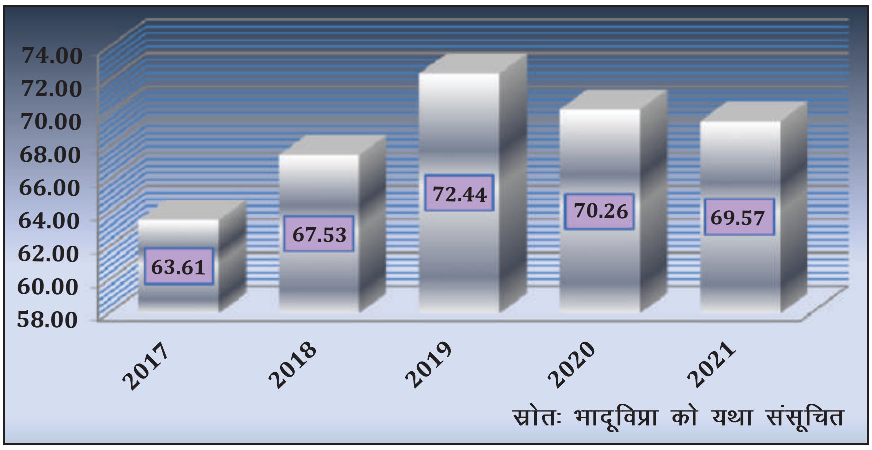

पारंपरिक टेलीविजन चैनलों की उपलब्धता में वृद्धि के अलावा, पे–डीटीएच ऑपरेटरों ने कई नई नवोन्मेषी पेशकश और मूल्य संवर्धित सेवाएं जोड़ना जारी रखा हैं जैसे मूवी–ऑन–डिमांड, गेमिंग, शॉपिंग, शिक्षा आदि।

एफएम रेडियो

1.4.3 रेडियो अपनी विस्तृत कवरेज, पोर्टेबिलिटी, सेट–अप की कम लागत और किफायत जैसे व्यापक गुणों के कारण जन संचार का एक लोकप्रिय साधन है। भारत में, रेडियो कवरेज शॉर्ट–वेव य्एसडब्ल्यूद्द मीडियम–वेव य्एमडब्ल्यूद्द बैंड और एमप्लीटयूड मॉडयुलेशन य्एएमद्दमोड और साथ ही एफएम ि्रक्वेंसी मॉडयुलेशन य्एफएमद्दमोड में उपलब्ध है। आज के समय में, एफएम रेडियो प्रसारण जनता को मनोरंजन, जानकारी और शिक्षा प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय और प्रमुख साधन माना जाता है। मार्च, 2021 के अंत तक सरकारी सेवा प्रसारक–ऑल इंडिया रेडियो य्एआईआरद्द के भौमिक नेटवर्क के अलावा, ऑल इंडिया रेडियो के 366 निजी एफएम रेडियो स्टेशन चल रहे हैं।

मार्च, 2021 के अंत तक, 30 निजी एफएम प्रसारकों द्वारा 105 शहरों में 366 एफएम रेडियो स्टेशनों को चालू कर दिया गया है। रेडियो प्रसारण क्षेत्र में निजी एफएम प्रसारकों की शुरूआत ने श्रोताओं को अच्छी रिसेप्शन और सामग्री प्रदान करते हुए रेडियो कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि की है।इससे स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। वर्षवार निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या को **चित्र–19** में दर्शाया गया है। इसके अलावा, निजी एफएम रेडियो प्रसारकों द्वारा रिपोर्ट किया गया विज्ञापन राजस्व वर्ष 2020–21 में ₹ 941.47 करोड़ है। निजी एफएम रेडियो स्टेशनों का वर्ष–वार कुल विज्ञापन राजस्व **चित्र–20** में दर्शाया गया है:

चित्र–19 : निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या में वार्षिक वृद्धि

(मिलियन में)

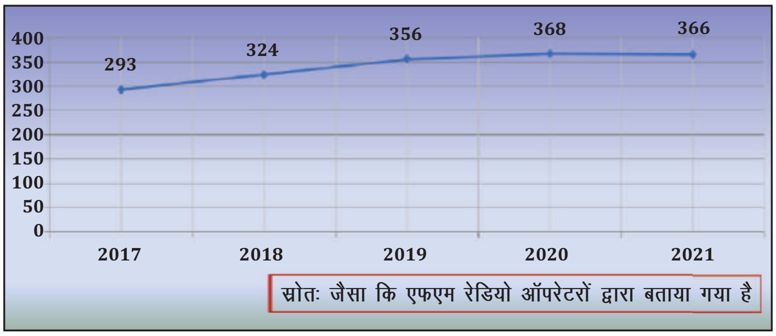

चित्र–20 : एफएम रेडियो विज्ञापन आय में वार्षिक वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

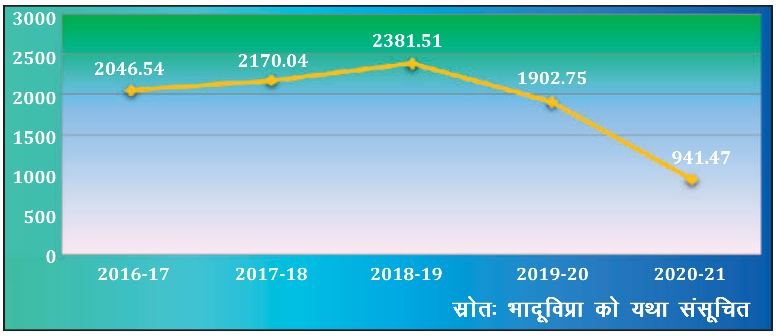

सामुदायिक रेडियो

1.4.4 रेडियो के क्षेत्र में जिस अन्य क्षेत्र में विकास देखा गया है वह सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की संख्या में हुई वृद्धि है। देश के विशाल भूभाग, भाषाई विविधता, क्षेत्रीय विविधताओं तथा सांस्कृतिक भिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए भारी संभावनाएं मौजूद हैं। सामुदायिक रेडियो प्रसारण आम आदमी की रोजमर्रा के सरोकारों पर ध्यान देने के उद्देश्य के साथ छोटे समूहों और समुदायों को जोड़ने के माध्यम के रूप में कार्य कर सकता है और साथ ही स्थानीय अपेक्षाओं की प्राप्ति करने में जनसाधारण की मदद कर सकता है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों को शामिल करके सीआरएस स्थापित किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार 324 सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रचालनरत हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में वर्ष–वार हुई वृद्धि को **चित्र–21** में दर्शाया गया है।

चित्र–21 : सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में हुई वार्षिक वृद्धि

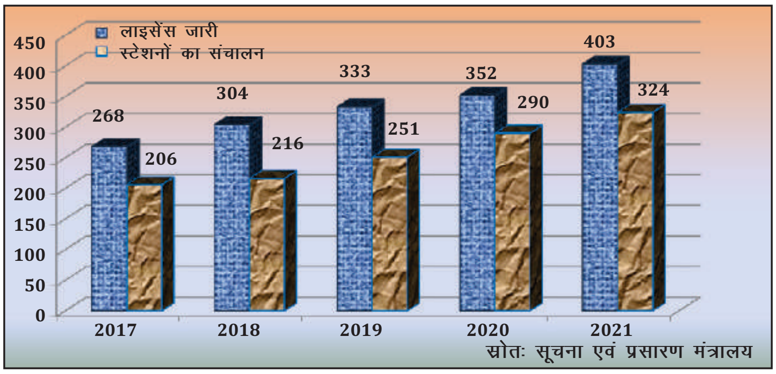

देश में त्तसारण और केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति **तालिका–19** में त्तदर्शित की गई है

तालिका–19 : त्त्सारण और केबल सेवा क्षेत्र की समग्र स्थिति

ञ्31 मार्च, 2021 तकक्र

एमआईबी द्वारा अनुमत त्तसारकों की संख्या	350
एमआईबी के साथ पंजीश त मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों की संख्या	1724
स्थानीय केबल ऑपरेटरों की संख्या ञ्अनुमानितह	1,40,000
पे डीटीएच ऑपरेटरों की संख्या	4
एमआईबी के साथ पंजीष्ट त सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों की संख्या	901
एसडी पे–टेलीविजन चैनलों की संख्या	235
एचडी टेलीविजन चैनलों की संख्या	92
एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या ञ्ऑल इंडिया रेडियो के अलावाह	366
प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या	324

वर्ष 2020–21 की चार तिमाहियों के दौरान प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र के निष्पादक सूचकों को **तालिका–20** में दिया गया है।

तालिका–20 : प्रसारण और केबल सेवाओं के निष्पादक सूचक

प्रसारण और केबल सेवाएं	निम्नवत को समाप्त तिमाही के दौरान			
	जून, 2020	सितम्बर, 2020	दिसम्बर, 2019	मार्च, 2021
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीइृ त चैनलों की कुल संख्या	909	911	907	901
एसडी पे–चैनलों की संख्या ख्यालूह	235	231	233	235
एचडी पे–चैनलों की संख्या ख्यालूह	97	96	93	92
कुल सचि य डीटीएच उपभोह्या आधार’ यमिलियन मेंह	70.58	70.70	70.99	69.57
निजी एफएम रेडियो स्टेशनों की संख्या	367	367	367	366

’प्रसारण और केबल टेलीविजन सेवा क्षेत्र के नए विनियामक ढ़ांचे के अनुसार, कुल सचि य उपभोक्ताओं की संख्या में ऐसे केवल ऐसे सब्साइबर शामिल हैं जिन्हें 90 दिनों से अनधिक की अवधि के लिए निष्चि य/अस्थायी रूप से निलंबित नहीं किया गया। इस मुर्ि को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08 अक्तूबर, 2019 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 86/2019 में विधिवत् रूप से स्पष्ट किया गया है ४https://main.trai.gov.in /sites/default/files/PR_No.86 of 2019.pdf) ।

अनुलग्नक–I

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पे–टेलीविजन चैनलों की सूची

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
1	एईटीएन 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	1	द हिस्ट्री चैनल	एसडी
		2	हिस्ट्री टीवी 18 एचडी	एचडी
2	एशियानेट स्टॉर कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	3	विजय टीवी	एसडी
		4	विजय सुपर	एसडी
		5	विजय एचडी	एचडी
		6	विजय म्यूज़िक	एसडी
		7	एशियानेट	एसडी
		8	एशियानेट प्लस	एसडी
		9	एशियानेट मूवीज	एसडी
		10	सुवर्ना प्लस	एसडी
		11	स्टार सुवर्ना एचडी	एसडी
		12	एशियानेट एचडी	एसडी
		13	स्टार सुवर्ना	एसडी
3	बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	14	आठ	एसडी
		15	सोनी मराठी	एसडी
4	बीबीसी ग्लोबल न्यूज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	16	बीबीसी वर्ल्ड न्यूज़	एसडी
		17	सीबीबीज	एसडी
5	बेनेट, कोलेमैन एंड कंपनी लिमिटेड	18	जूम	एसडी
		19	रोमेडी नॉओ	एसडी
		20	एमएन+	एचडी
		21	मिरर नॉओ	एसडी
		22	ईटी नॉओ	एसडी
		23	टाइम्स नॉओ	एसडी
		24	रोमेडी नॉओ एचडी	एचडी
		25	मूवीज नॉओ एचडी	एचडी
		26	एमएनएक्स एचडी	एचडी
		27	एमएनएक्स	एसडी
		28	टाइम्स नॉओ वर्ल्ड	एचडी
6	सेलिब्रिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	29	ट्रैवल एक्सपी एचडी	एचडी
		30	ट्रैवल एक्सपी तमिल	एसडी
7	सीएसएल इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	31	जन टीवी प्लस	एसडी
8	डायरेक्ट न्यू प्राइवेट लिमिटेड	32	न्यूज एक्स	एसडी
9	डिस्कवरी कम्युनिकेशन्स इंडिया	33	एनिमल प्लानेट	एसडी
		34	डिस्कवरी चैनल	एसडी
		35	डीतमिल	एसडी
		36	डिस्कवरी किड्स चैनल	एसडी
		37	डिस्कवरी साइंस	एसडी
		38	डिस्कवरी टर्बो	एसडी
		39	इंवेस्टिगेशन डिस्कवरी	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		40	डिस्कवरी एचडी	एचडी
		41	एनिमल प्लानेट एचडी वर्ल्ड	एचडी
		42	टीएलसी एचडी	एचडी
		43	इंवेस्टिगेशन डिस्कवरी एचडी	एचडी
		44	टीएलसी	एसडी
		45	यूरोस्पोर्ट्स एचडी ग्र्यूर्व में ''डीस्पोर्ट एचडी'' के नाम से जाना जाता थाह	एचडी
		46	यूरोस्पोर्ट्स ग्र्यूर्व में ''डीस्पोर्ट'' के नाम से जाना जाता थाह	एसडी
10	डिजनी ब्रॉडकॉस्टिंग ग्इंडियाहलिमिटेड	47	डिजनी जूनियर	एसडी
		48	यूटीवी मूवीज	एसडी
		49	मार्वल एचक्यू	एसडी
		50	डिजनी इंटरनेशनल एचडी	एसडी
		51	हंगामा टीवी	एसडी
		52	द डिजनी चैनल	एसडी
		53	यूटीवी एचडी	एचडी
		54	यूटीवी बिंदास	एसडी
		55	यूटीवी एक्शन	एसडी
11	ईनाडू टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड	56	ईटीवी	एसडी
		57	ईटीवी आन्ध्र प्रदेश	एसडी
		58	ईटीवी–तेलंगाना	एसडी
		59	ईटीवी सिनेमा	एसडी
		60	ईटीवी लाइफ	एसडी
		61	ईटीवी प्लस	एसडी
		62	ईटीवी अभिरूचि	एसडी
		63	ईटीवी एचडी	एचडी
		64	ईटीवी प्लस एचडी	एचडी
		65	ईटीवी सिनेमा एचडी	एचडी
12	आईएन 10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	66	एपिक टीवी	एसडी
		67	फिल्मची	एसडी
		68	गुब्बारे	एसडी
		69	इशारा टीवी	एसडी
13	इन्फॉर्मेशन टीवी त्ताइवेट लिमिटेड	70	इंडिया न्यूज	एसडी
14	ञम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	71	4टीवी न्यूज	एसडी
15	ग्रेसेल्स 18 मीडिया लिमिटेड	72	टॉपर टीवी	एसडी
16	आईबीएन लोकमत न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	73	न्यूज 18 लोकमत	एसडी
17	लिविंग एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड	74	जी जेस्ट एचडी	एचडी
		75	लिविंग ट्रेवल्ज	एसडी
18	लाइफ स्टाइल एंड मीडिया ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड	76	गुड टाइम्स	एसडी
19	लेक्स स्पोर्टेल विजन प्राइवेट लिमिटेड	77	आई स्पोटर्स	एसडी
20	माविस सेटकॉम लिमिटेड	78	जे मूवीज	एसडी

६ म संख्या	प्रसारक का नाम	६ म संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		79	जया मैक्स	एसडी
		80	जया प्लस	एसडी
		81	जया टीवी एचडी	एचडी
21	एमएसएम वर्ल्ड वॉइड फेक्च्युअल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	82	सोनी बीबीसी अर्थ	एसडी
		83	सोनी बीबीसी अर्थ एचडी	एचडी
22	मीडिया वर्ल्ड वाइड लिमिटेड	84	ट्रैवल एक्सपी	एसडी
23	न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड	85	एनडीटीवी 24'7	एसडी
		86	एनडीटीवी इंडिया	एसडी
		87	एनडीटीवी प्रॉफिट	एसडी
24	एनजीसी नेटवर्क ख्इंडियाहप्राइवेट लिमिटेड	88	फॉक्स लाइफ	एसडी
		89	नेशनल ज्योग्राफिक चैनल य्एनजीसीह	एसडी
		90	फॉक्स लाइफ एचडी	एचडी
		91	नेट जिओ वाइल्ड	एसडी
		92	नेशनल ज्योग्राफिक एचडी	एचडी
		93	नेट जिओ वाइल्ड एचडी	एचडी
		94	बेबी टीवी एचडी	एचडी
25	ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड	95	प्रार्थना	एसडी
		96	तरंग	एसडी
		97	तरंग म्यूज़िक	एसडी
		98	अलंकार	एसडी
26	पार्श्वनाथ मीडिया त्राइवेट लिमिटेड	99	दंगल कन्नड़	एसडी
27	राज टेलीविजन नेटवर्क लिमिटेड	100	राज डिजिटल प्लस	एसडी
		101	राज म्यूज़िक	एसडी
		102	राज न्यूज	एसडी
		103	राज टीवी	एसडी
28	सिल्वरस्टार कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	104	मेगा 24	एसडी
		105	मेगा म्यूज़िक	एसडी
		106	मेगा टीवी	एसडी
29	सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	107	सोनी ये!	एसडी
		108	सेट मैक्स	एसडी
		109	सब	एसडी
		110	सोनी एंटरटेनमेंट चैनल य्सेटह	एसडी
		111	पिक्स	एसडी
		112	सिक्स	एसडी
		113	मैक्स 2	एसडी
		114	पल	एसडी
		115	सेट एचडी	एचडी
		116	सिक्स एचडी	एचडी
		117	पिक्स एचडी	एचडी
		118	मैक्स एचडी	एचडी

६ म संख्या	प्रसारक का नाम	६ म संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		119	टेन 2 एचडी	एचडी
		120	टेन 3 एचडी	एचडी
		121	टेन 2	एसडी
		122	टेन 1	एसडी
		123	टेन 3	एसडी
		124	टेन 1 एचडी	एचडी
		125	सोनी वाह	एसडी
		126	सब एचडी	एचडी
30	स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	127	स्टार स्पोटर्स 3	एसडी
		128	स्टार स्पोटर्स 1 तमिल	एसडी
		129	स्टार स्पोट्र्स सिलेक्ट 2	एसडी
		130	स्टार भारत	एसडी
		131	स्टार गोल्ड 2 म्यूविज ओकेह	एसडी
		132	स्टार स्पोटर्स 1 हिंदी	एसडी
		133	स्टार गोल्ड	एसडी
		134	स्टार जलसा	एसडी
		135	स्टार मूवीज़	एसडी
		136	स्टार गोल्ड सिलेक्ट	एसडी
		137	स्टार प्लस	एसडी
		138	स्टार प्रवाह	एसडी
		139	स्टार स्पोटर्स 1	एसडी
		140	स्टार स्पोटर्स 2	एसडी
		141	स्टार वर्ल्ड	एसडी
		142	जलसा मूवीज	एसडी
		143	स्टार स्पोटर्स एचडी 2	एचडी
		144	स्टार स्पोटर्स एचडी 1	एचडी
		145	स्टार भारत एचडी	एचडी
		146	स्टार गोल्ड एचडी	एचडी
		147	स्टार मूवीज एचडी	एचडी
		148	स्टार प्लस एचडी	एचडी
		149	स्टार स्पोट्र्स 1 एचडी हिंदी	एचडी
		150	स्टार स्पोट्र्स सलेक्ट 1	एसडी
		151	स्टार मूवीज सलेक्ट एचडी	एचडी
		152	स्टार वर्ल्ड एचडी	एचडी
		153	स्टार स्पोट्र्स फर्स्ट	एसडी
		154	मां गोल्ड	एसडी
		155	मां मूवीज़	एसडी
		156	मां म्यूज़िक	एसडी
		157	मां टीवी	एसडी
		158	स्टार प्रवाह एचडी	एचडी
		159	स्टार जलसा एचडी	एचडी
		160	जलसा मूवीज एचडी	एचडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		161	स्टार स्पोर्ट्स सलेक्ट एचडी 1	एचडी
		162	स्टार स्पोर्ट्स सलेक्ट एचडी 2	एचडी
		163	मां एचडी	एचडी
		164	स्टार गोल्ड सलेक्ट एचडी	एचडी
		165	मां मूवीज एचडी	एचडी
		166	स्टार वर्ल्ड प्रीमियर एचडी	एचडी
		167	स्टार स्पोर्ट्स 1 तेलगू	एसडी
		168	स्टार स्पोर्ट्स 1 कन्नड़	एसडी
		169	स्टार स्पोर्ट्स 1 बांग्ला	एसडी
		170	स्टार उत्सव	एसडी
		171	स्टार स्पोटर्स 1 मराठी	एसडी
		172	स्टार उत्सव मूवीज	एसडी
31	सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड	173	आदित्य टीवी	एसडी
		174	चिंटू टीवी	एसडी
		175	छुट्टी टीवी	एसडी
		176	जेमिनी कॉमेडी	एसडी
		177	जेमिनी लाइफ	एसडी
		178	जेमिनी मूवीज़	एसडी
		179	जेमिनी म्यूज़िक	एसडी
		180	जेमिनी न्यूज़	एसडी
		181	जेमिनी टीवी	एसडी
		182	सूर्या मूवीज	एसडी
		183	कुशी टीवी	एसडी
		184	सन लाइफ	एसडी
		185	सन म्यूज़िक	एसडी
		186	सन न्यूज़	एसडी
		187	सूर्य म्यूजिक	एसडी
		188	सन टीवी	एसडी
		189	सूर्या कॉमेडी	एसडी
		190	सूर्या टीवी	एसडी
		191	उदय कॉमेडी	एसडी
		192	उदय मूवीज़	एसडी
		193	उदय म्यूजिक	एसडी
		194	उदय टीवी	एसडी
		195	कोचु टीवी	एसडी
		196	सन टीवी एचडी	एचडी
		197	केटीवी एचडी	एचडी
		198	सन म्यूजिक एचडी	एचडी
		199	जेमिनी टीवी एचडी	एचडी
		200	जेमिनी म्यूजिक एचडी	एचडी
		201	जेमिनी मूवीज एचडी	एचडी
		202	सूर्या टीवी एचडी	एचडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		203	उदय टीवी एचडी	एचडी
32	सूर्यांश ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	204	' लावर्स	एसडी
33	टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	205	कार्टून नेटवर्क	एसडी
		206	सीएनएन इंटरनेशनल	एसडी
		207	पोगो	एसडी
		208	कार्टून नेटवर्क एचडी+	एचडी
34	टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड	209	सीएनएन न्यूज 18	एसडी
		210	सीएनबीसी बाजार	एसडी
		211	सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम एचडी	एचडी
		212	सीएनबीसी आवाज	एसडी
		213	न्यूज 18 तमिलनाडु	एसडी
		214	न्यूज 18 केरल	एसडी
		215	न्यूज 18 असम/नार्थ ईस्ट	एसडी
		216	न्यूज 18 इंडिया	एसडी
		217	सीएनबीसी टीवी 18	एसडी
		218	न्यूज 18 बिहार झाराखंड	एसडी
		219 220	न्यूज 18 मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ न्यूज 18 राजस्थान	एसडी एसडी
		221	न्यूज 18 उत्तरप्रदेश/उत्तरांचल	एसडी
		222	न्यूज 18 उर्दू	एसडी
		223	न्यूज 18 कन्नड़	एसडी
		224	न्यूज 18 बांग्ला	एसडी
		225	न्यूज 18 पंजाब/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश	एसडी
		226	न्यूज 18 गुजरात	एसडी
		227	न्यूज 18 उड़िया	एसडी
35	टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड	228	आज तक	एसडी
		229	इंडिया टुडे	एसडी
		230	आज तक एचडी	एचडी
		231	आज तक तेज	एसडी
36	वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	232	कलर्स	एसडी
		233	कॉमेडी सेन्ट्रल ९एचडी९	एचडी
		234	एमटीवी	एसडी
		235	निक	एसडी
		236	निक जूनियर	एसडी
		237	सोनिक	एसडी
		238	वीएच 1 ९एचडी वितरण९	एचडी
		239	कलर्स इन्फिनिटी एचडी	एचडी
		240	कलर्स इन्फिनिटी	एसडी
		241	कलर्स एचडी	एचडी
		242	निक एचडी+	एचडी
		243	क्लर्स सिनेप्लेक्स	एसडी
		244	एमटीवी बीटस्	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		245	कलर्स कन्नड़ एचडी	एचडी
		246	कलर्स मराठी एचडी	एचडी
		247	कलर्स बांग्ला एचडी	एचडी
		248	कलर्स सुपर	एसडी
		249	कलर्स बांग्ला	एसडी
		250	कलर्स गुजराती	एसडी
		251	कलर्स कन्नड़	एसडी
		252	कलर्स मराठी	एसडी
		253	कलर्स उड़िया	एसडी
		254	एमटीवी बीट्स एचडी	एसडी
		255	कलर्स तमिल	एसडी
		256	कलर्स सिनेप्लेक्स एचडी	एचडी
		257	वीएच 1	एसडी
		258	कलर्स तमिल एचडी	एचडी
		259	एमटीवी एचडी+	एचडी
		260	कलर्स रिश्ते	एसडी
		261	कलर्स कन्नड़ सिनेमा	एसडी
		262	कलर्स गुजराती सिनेमा	एसडी
		263	कामेडी सेन्ट्रल	एसडी
		264	रिश्ते सिनेप्लेक्स	एसडी
		265	कलर्स बांग्ला सिनेमा	एसडी
37	ज़ी आकाश न्यूज प्राइवेट लिमिटेड	266	ज़ी 24 घंटा	एसडी
38	ज़ी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड	267	ज़ी बॉलीवुड	एसडी
		268	ज़ी एक्शन	एसडी
		269	ज़ी बांग्ला सिनेमा	एसडी
		270	ज़ी कैफे एचडी	एसडी
		271	ज़ी कैफे	एसडी
		272	ज़ी सिनेमा	एसडी
		273	ज़ी टाकीज़	एसडी
		274	ज़ी टीवी	एसडी
		275	जिंग	एसडी
		276	एंड पिक्चर	एसडी
		277	ज़ी बांग्ला	एसडी
		278	ज़ी मराठी	एसडी
		279	जी जेस्ट	एसडी
		280	ज़ी टीवी एचडी	एचडी
		281	ज़ी सिनेमा एचडी	एचडी
		282	एंड टीवी	एसडी
		283	एंड टीवी एचडी	एचडी
		284	ज़ी कन्नड	एसडी
		285	ज़ी तेलुगू	एसडी
		286	एंड पिक्चर एचडी	एचडी
		287	ज़ी सिनेमालु	एसडी

क्रम संख्या	प्रसारक का नाम	क्रम संख्या	चैनल का नाम	एसडी अथवा एचडी घोषित किया गया
		288	ज़ी युवा	एसडी
		289	ज़ी मराठी एचडी	एचडी
		290	एंड प्राइव एचडी	एचडी
		291	ज़ी बांग्ला एचडी	एचडी
		292	ज़ी तमिल एचडी	एचडी
		293	ज़ी सिनेमालु एचडी	एचडी
		294	ज़ी तेलुगु एचडी	एचडी
		295	ज़ी तमिल	एसडी
		296	ज़ी कन्नड़ एचडी	एचडी
		297	ज़ी अनमोल सिनेमा	एसडी
		298	एंड फिल्क्स एचडी	एचडी
		299	एंड फिल्क्स	एसडी
		300	ज़ी केरलाम एचडी	एचडी
		301	ज़ी केरलाम	एसडी
		302	जी वज्वा	एसडी
		303	ज़ी अनमोल	एसडी
		304	बिग मैजिक	एसडी
		305	बिग गंगा	एसडी
		306	जी क्लासिक	एसडी
		307	एंड एक्सप्लोर एचडी	एचडी
		308	जी सार्थक	एसडी
		309	जी टॉकीज एचडी	एचडी
		310	जी पंजाबी	एसडी
		311	जी थिराई	एसडी
		312	जी पिच्चर	एसडी
		313	जी बीस्पोक	एसडी
39	ज़ी मीडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	314	ज़ी 24 तास	एसडी
		315	ज़ी ओडिशा	एसडी
		316	ज़ी बिजनस	एसडी
		317	ज़ी पंजाब हरियाणा हिमाचल	एसडी
		318	ज़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़	एसडी
		319	ज़ी सलाम	एसडी
		320	ज़ी 24 क्लॉक	एसडी
		321	वियॉन	एसडी
		322	ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	एसडी
		323	ज़ी हिन्दुस्तान	एसडी
		324	ज़ी बिहार झारखंड	एसडी
		325	ज़ी न्यूज	एसडी
		326	ज़ी राजस्थान न्यूज	एसडी
40	ज़ूम एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड	327	मूवीज नॉओ	एसडी

अनुलग्नक– II

पे–डीटीएच ऑपरेटरों की सूची

६ म संख्या	डीटीएच ऑपरेटर
1.	मैसर्स टाटा स्काई लिमिटेड
2.	मैसर्स डिश टेलीविजन इंडिया लिमिटेड
3.	मैसर्स सन डायरेक्ट टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
4.	मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड

भाग - II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

किक्रभारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के कार्यों और प्रचालनों की समीक्षा

2.1 रिपोर्ट के भाग–I में 2020–21 के दौरान सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए दूरसंचार क्षेत्र, टीवी प्रसारण और रेडियो सेवाओं में प्रचलित सामान्य वातावरण का एक परिचाय दिया गया है। भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत आदेश के अनुरूप, भादूविप्रा ने दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के विकास में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाई है। भादूविप्रा का प्रयास एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना है जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

2.2 भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 36 के अंतर्गत, प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है। इसके अलावा यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 39 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं हैं जैसा कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

2.3 अनुशंसाएँ तैयार करने और नीतिगत पहलों का सुझाव देने के लिए भादूविप्रा विभिन्न हितधारकों, जैसे सेवा प्रदाताओं, उद्योग संगठनों, उपभोक्ता वकालत समूहों (सीएजी)/उपभोक्ता संगठनों और क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के साथ बातचीत करता है। इसने एक प्रक्रिया विकसित की है जिसके अंतर्गत सभी हितधारकों और आम जनता को नीति निर्माण के बारे में चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इस प्रक्रिया में शामिल मुद्दों को उजागर करने और मुद्दों पर हितधारकों के विचारों को जानने के लिए एक परामर्श पत्र जारी करना, देश के विभिन्न शहरों में ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) बैठकें आयोजित करना, ई–मेल पर और पत्रों के माध्यम से लिखित टिप्पणियों को आमंत्रित करना और नीतिगत मुद्दों पर अलग–अलग विचार और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित करना शामिल है। भादूविप्रा द्वारा जारी किए गए विनियमों/आदेशों में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भी होता है जो यह बताता है कि किस आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। भादूविप्रा द्वारा अपनाई गई भागीदारी और व्याख्यात्मक प्रक्रिया को व्यापक सराहना प्राप्त हुई है।

2.4 प्राधिकरण, दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के उपभोक्ता संगठनों/गैर– सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विचारों को प्राप्त करने के लिए उनके साथ भी संपर्क करता है। इसके पास दूरसंचार सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण और नियमित अंतराल पर उनके साथ संपर्क करने की एक प्रणाली मौजूद है। भादूविप्रा, उपभोक्ता संगठनों को मजबूत बनाने के उपायों को लगातार अपनाता रहता है। यह विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विषेषज्ञों की भागीदारी के साथ सम्मेलनों और कार्यषालाओं का भी आयोजन करता है तथा इन सम्मेलनों में हितधारकों, उपभोक्ता संगठनों और अन्य अनुसंधान संस्थानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।

2.5 भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1)(क) के अंतर्गत प्राधिकरण को या तो अपने विवेक से या लाइसेंसकर्ता अर्थात दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुरोध पर अनुशंसाएँ करने की आवश्यकता होती है। प्रसारण एवं केबल सेवाओं का मामला। 2020–21 के दौरान भाररतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा सरकार को निम्नवत अनुशंसाएँ प्रदान की गई हैं:–

दूरसंचार क्षेत्र

क्र.सं.	अनुशंसाओं और पिछले संदर्भों और प्रतिक्रियाओं की सूची
1	"ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी के लिए विभिन्न–हितधारक निकाय" पर दिनांक 22 सितंबर, 2020 की अनुशंसाएँ
2	"क्लाउड सर्विसेज" पर दिनांक 14 सितंबर, 2020 की अनुशंसाएँ
3	"ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक ढांचा" (ओटीटी) संचार सेवाओं पर दिनांक 14 सितंबर, 2020 की अनुशंसाएँ
4	"स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति" पर दिनांक 17 अगस्त, 2020 को की गई अनुशंसाएँ
5	"वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से उपग्रह के द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी का प्रावधान" पर दिनांक 28 जुलाई, 2020 की अनुशंसाएँ
6	'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करने" पर दिनांक 29 मई, 2020 की अनुशंसाएँ
7	"वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की अनुशंसाएँ
8	"ब्रॉडबैंड का त्वरित वितरण: हमें क्या करने की आवश्यकता है?" पर दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर दिनांक 12 मार्च, 2021 के बैक संदर्भ के प्रति भादूविप्रा की दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को दी गई प्रतिक्रिया
9	"इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स कैटेगरी–I (आईपी–I) रजिस्ट्रेशन के दायरे में वृद्धि" पर दिनांक 13 मार्च, 2020 की अनुशंसाओं पर डीओटी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के लिए भादूविप्रा की प्रतिक्रिया दिनांक 11 जनवरी, 2021
10	"अन्य सेवा प्रदाताओं (ओएसपी) के पंजीकरण के लिए नियमों और शर्तों की समीक्षा" पर अनुशंसाओं पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को डीओटी के बैक संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 28 सितंबर, 2020 को दी गई प्रतिक्रिया
11	"सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर दिनांक 09 मार्च, 2017 को फिर से विचार करने के लिए डीओटी के दिनांक 29 मई, 2020 के बैक–संदर्भ के लिए भादूविप्रा की दिनांक 05 जून, 2020 की प्रतिक्रिया
12	"कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी पॉलिसी संबंधी मुद्दों" पर की गई अनुशंसाओं पर दिनांक 12 मार्च, 2020 को डीओटी के बैक संदर्भ के प्रति भादूविप्रा की दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की प्रतिक्रिया

पिछले संदर्भों के लिए अनुशंसाएं और प्रतिक्रियाएं

- **ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी के लिए विभिन्न–हितधारक निकाय'' पर दिनांक 22 सितंबर, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.1 डीओटी ने पत्र संख्या 12–30/एनटी/2015/0/आईटी (पीटी) दिनांक 31 जुलाई, 2018 और 17 जून, 2019 के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और बहु–हितधारक निकाय अर्थात ''आवश्यक ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और दूरसंचार विभाग के विचार के लिए बहु–हितधारक निकाय की संरचना, कार्य, भूमिका और जिम्मेदारियां'' पर अतिरिक्त अनुशंसाएँ मांगीं ।

इस संदर्भ के अनुसरण में, भादूविप्रा ने दिनांक 02 जनवरी, 2020 को एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया। इसके बाद दिनांक 24 जून, 2020 को दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) को आयोजित किया गया।

प्राधिकरण ने प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर ''ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी के लिए मल्टी स्टेकहोल्डर बॉडी'' पर अपनी सिफारिश को अंतिम रूप दिया और इसे प्राधिकरण के पत्र संख्या 305–14/2014– क्यूओएस (बिन्दु–I) दिनांक 22 सितंबर, 2020 को सचिव, डीओटी को विचारार्थ भेज दिया।

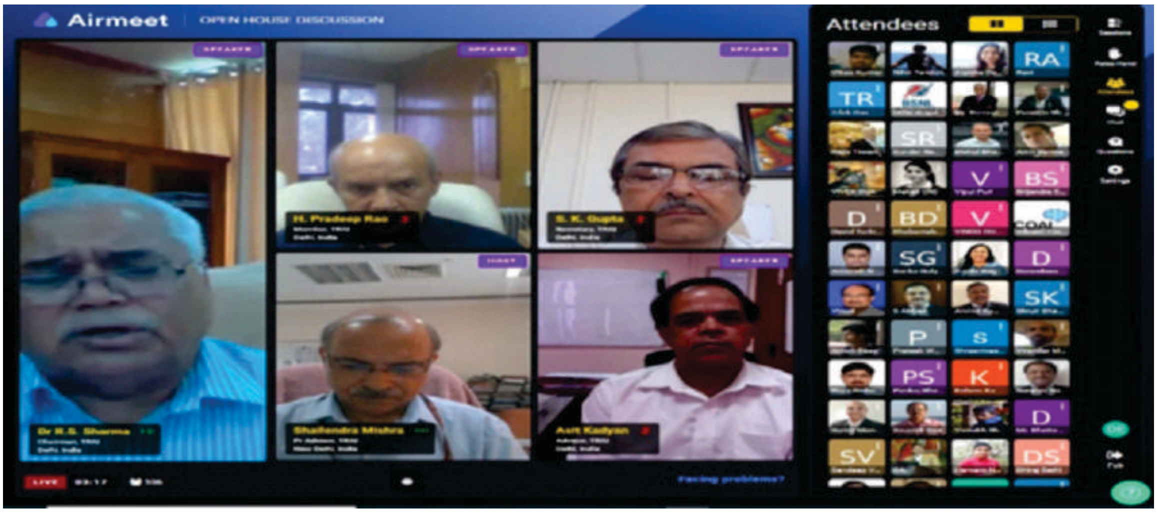

दिनांक 24 जून, 2020 को 'यातायात प्रबंधन प्रथाओं (टीएमपी) और नेट न्यूट्रैलिटी के लिए बहु–हितधारक निकाय' पर परामर्श पत्र पर एक ऑनलाइन ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई

- **''क्लाउड सेवाएं'' पर दिनांक 14 सितंबर, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.2 डीओटी ने पत्र संख्या 4–4/क्लाउड सर्विसेज/2017–एनटी दिनांक 27 सितंबर, 2018 और 06 मई, 2019 के माध्यम से ''उद्योग निकाय के पंजीकरण के नियम और शर्तों, पात्रता, प्रवेश शुल्क, पंजीकरण की अवधि और शासन संरचना, आदि'' पर अतिरिक्त अनुशंसाएँ मांगीं।

इस संदर्भ के अनुसरण में, भादूविप्रा ने दिनांक 23 अक्टूबर, 2019 को एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया। इसके बाद, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को दिल्ली में एक ओएचडी का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण ने प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर ''क्लाउड सर्विसेज'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और इसे विचार के लिए प्राधिकरण के पत्र संख्या 305–03/2015–क्यूओएस दिनांक 14 सितंबर, 2020 के साथ सचिव, दूरसंचार विभाग को भेज दिया।

- **"ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक रूपरेखा" पर दिनांक 14 सितंबर, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.3 डीओटी ने पत्र संख्या 12–30/एनटी/2015/ओटीटी (पीटी) दिनांक 03 मार्च, 2016 के माध्यम से दिनांक 27 मार्च, 2015 के परामर्श पत्र में शामिल अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के अलावा यातायात प्रबंधन और सेवाओं के आर्थिक, सुरक्षा और गोपनीयता पहलुओं सहित नेट न्यूट्रलिटी पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं की मांग की।

डीओटी के पत्र में उल्लिखित मुद्दों की जटिलता और अन्य परस्पर संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने विशिष्ट परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से विशिष्ट मुद्दों को निपटाने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने "डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ निषेध", "इंटरनेट टेलीफोनी के लिए विनियमन", "नेट न्यूट्रलिटी" और "दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व" से संबंधित अनुशंसाएँ या नियम पहले ही जारी कर दिए हैं।

भादूविप्रा ने दिनांक 12 नवंबर, 2018 को दूसरे गौण मुद्दों अर्थात ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक रूपरेखा पर एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों से टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों के लिए विभिन्न मुद्दों को उठाया। इसके बाद एक ओएचडी दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को बैंगलोर में और दूसरा दिनांक 20 मई, 2019 को दिल्ली में आयोजित किया गया।

प्राप्त टिप्पणियों और आगे के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने "ओवर–द–टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए नियामक ढांचा" पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया है और इसे प्राधिकरण के पत्र संख्या 310–05/2015 –क्यूओएस दिनांक 14 सितंबर, 2020 के साथ सचिव, दूरसंचार विभाग को इसके विचार के लिए भेज दिया है।

- **स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति" पर दिनांक 17 अगस्त, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.4 डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2020 के माध्यम से अन्य बातों के साथ सूचित किया कि दिनांक 24 सितंबर, 2015 को डीओटी द्वारा जारी एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम को साझा करने के लिए मौजूदा दिशा–निर्देश प्रावधान करते हैं कि सांझा करने के बाद प्रत्येक लाइसेंस की स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) दर में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 0.5% की वृद्धि होती है। डीओटी ने यह भी सूचित किया कि उसे अनुरोध प्राप्त हुआ है कि शेयर करने के बाद 0.5% की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल उस विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों द्वारा आयोजित पूरे स्पेक्ट्रम पर, क्योंकि एक विशेष बैंड में साझा करने की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि में डीओटी ने भादूविप्रा से निम्न पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया– (i) क्या स्पेक्ट्रम साझा करने के मामलों में एसयूसी दर में 0.5% की वृद्धि केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसमें साझाकरण हो रहा है; या एसयूसी की समग्र भारित औसत दर पर, जो सभी बैंडों से प्राप्त की गई है और (ii) भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएँ, जैसा कि संशोधित है।

इस संबंध में, दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को "स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान की गई थी और हितधारकों के इनपुट मांगे गए थे। नौ हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। दिनांक 09 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित की गई थी।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों के आधार पर और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, दिनांक 17 अगस्त, 2020 को, भादूविप्रा ने स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत ''स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और सरकार को भेजा। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि मौजूदा स्पेक्ट्रम–साझाकरण दिशानिर्देशों के अनुसार, एसयूसी दर पर 0.5% की वृद्धि उस विशिष्ट बैंड में स्पेक्ट्रम होल्डिंग पर लागू होनी चाहिए जिसमें शेयरिंग हो रही है, न कि लाइसेंसधारी के संपूर्ण स्पेक्ट्रम होल्डिंग (सभी बैंड) पर।

(ii) टीएसपी को आवश्यकताओं और वाणिज्यिक आधार पर अपने स्पेक्ट्रम का प्रबंधन करने के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए, शामिल टीएसपी द्वारा मौजूदा स्पेक्ट्रम–शेयरिंग व्यवस्था को समाप्त करने की जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त निकास से संबन्धित अनुच्छेद को स्पेक्ट्रम शेयरिंग के दिशानिर्देशों में शामिल किया जाना चाहिए।

अनुशंसाओं को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर डाला गया है।

- **वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा अनुमोदन के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी का प्रावधान'' पर दिनांक 28 जुलाई, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.5 उपग्रह एक बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान करते हैं। उपग्रह संचार प्रौद्योगिकियों में से एक वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) है जो ग्रामीण क्षेत्रों, जहाजों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ियों आदि जैसे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सीमित या कोई स्थलीय संपर्क नहीं होता है। इसका न्यूनतम प्रशिक्षण, मापनीयता, कम परिचालन लागत और संचार की विश्वसनीयता के साथ दूरस्थ स्थानों में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तेजी से व्यवस्था वीसैट तकनीक का मुख्य लाभ हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018, ने अन्य बातों के साथ–साथ लाइसेंसिंग और नियामक शर्तों को संशोधित करने, अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने और उपयुक्त लाइसेंसिंग तंत्र के माध्यम से हाई थ्रूपुट सैटेलाइट सिस्टम के प्रभावी उपयोग के लिए अनुमोदित सेवाओं के दायरे का विस्तार करने जैसे विभिन्न चरणों की परिकल्पना की है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने वीसैट के माध्यम से सेटेलाइट के द्वारा मोबाइल नेटवर्क के लिए बैकहाउल लिंक की अनुमति के लिए अपने पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2019 के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (संशोधित) की शर्तों के अंतर्गत टीआरएल संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा एकीकृत लाइसेंस के नियमों और शर्तों पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने के लिए भादूविप्रा से अनुरोध किया।

डीओटी से प्राप्त संदर्भ के आधार पर प्राधिकरण ने दिनांक 29 जनवरी, 2020 को 'वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी का प्रावधान' पर परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया, जिसमें हितधारकों से टिप्पणियों आमंत्रित की गई। इस सीपी में डीओटी द्वारा संदर्भित मुद्दों के अलावा अन्य मुद्दे जैसे लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत अधिकृत अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए बुनियादी ढांचे को साझा करना, फॉर्मूला–आधारित स्पेक्ट्रम चार्जिंग (उपग्रह–आधारित सेवाओं के लिए) से एजीआर आधारित एसयूसी में बदलना और लेखांकन के पृथक्करण से संबन्धित मामलों को भी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए उठाया गया था।

हितधारकों से सीपी पर लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित की गईं। प्राधिकरण को 15 हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं जबकि कोई प्रति–टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। ये टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। दिनांक 20 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) आयोजित किया गया।

परामर्श त्तक्रि या के दौरान त्ताप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूवित्ता ने '' वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा अनुमोदन के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी का त्तावधान'' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: –

(i) वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा त्तदाता को वीसैट का उपयोग करके उपग्रह के माध्यम से सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए एक्सेस सेवा त्तदाताओं को बैकहाउल कनेक्टिविटी त्तदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें वाई–फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए एक्सेस सर्विस त्तोवाइडर्स को वीसैट का उपयोग करके बैकहाउल कनेक्टिविटी त्तदान करने की भी अनुमति दी जा सकती है।

(ii) वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा त्तदाता द्वारा बैकहाउल कनेक्टिविटी के त्तावधान के लिए स्टैंड–अलोन वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा लाइसेंस, एकीश त लाइसेंस और एकीश त लाइसेंस ख्वीएनओह में सक्षम करने वाले त्तावधान किए जाने चाहिए।

(iii) अधिश त सेवाएं त्तदान करने के लिए वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी और एनएलडी दोनों सेवाओं के लिए लाइसेंसध्त्ताधिकरण रखने वाली इकाई को वीसैट हब को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iv) किसी भी सेवा अनुमोदन के अंतर्गत लाइसेंसधारी के स्वामित्व को अन्य त्ताधिकरणों या एकल लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारी को अधिश त अन्य सेवाएं त्तदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(v) एनएलडी लाइसेंस / त्ताधिकरण में वीसैट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क एजीआर के त्ततिशत के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। मौजूदा फॉर्मूला–आधारित तंत्र को त्ततिस्थापित करते हुए, एनएलडी सेवा लाइसेंस / त्ताधिकरण के अंतर्गत उपग्रह आवृत्तियों का उपयोग करने के लिए एजीआर के 1% के रूप में स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें उपग्रह–आधारित सेवाओं के अलावा अन्य लाइसेंस त्ताप्त सेवाओं से राजस्व शामिल नहीं है।

(vi) कैरियर स्पीड पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और इसलिए उच्च डेटा दर, जो अब नवीनतम त्तौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उपग्रह संचार में संभव है, की अनुमति बिना किसी बढ़ा के दी जानी चाहिए।

'' वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा अनुमोदन के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से उपग्रह के द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी के त्तावधान'' पर अनुशंसाएँ भादूवित्ता की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

- **''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करना'' पर दिनांक 29 मई, 2020 की अनुशंसाएच्**

2.5.6 डीओटी के पत्र संख्या 20–281 / 2010–एएस–I वॉल्यूम XII ख्वीटीह दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से एक संदर्भ त्ताप्त हुआ था। जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की रणनीतियों पर अनुशंसाएँ त्तस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एकीश त नंबरिंग योजना विकसित करके पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करना' शामिल है।

हितधारकों से टिप्पणियां और त्तति– टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए दिनांक 20 सितंबर, 2019 को 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एक एकीश त नंबरिंग योजना विकसित करना' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। दिनांक 16 जनवरी, 2020 को भादूवित्ता, नई दिल्ली में एक ओपन हाउस डिस्कशन ख्ओएचडीह भी आयोजित किया गया था।

हितधारकों से त्ताप्त टिप्पणियों / इनपुटों के आधार पर ओएचडी के दौरान हुई चर्चा और अपने स्वयं के विश्लेषण के

आधार पर, भादूविप्रा ने 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और भादूविप्रा के पत्र संख्या 413–2/2019–एनएसएल–I दिनांक 29 मई, 2020 सहित विचार करने के लिए सचिव, डीओटी को भेजा गया। अनुशंसाएँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं।

- **"वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण" पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.7 पत्र दिनांक दिनांक 16 जुलाई, 2019 के माध्यम से डीओटी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें यह सूचित किया गया था कि सरकार ने 'वाणिज्यिक सेवाओं के लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर दिनांक 04 दिसंबर, 2017 भादूविप्रा की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है और भादूविप्रा अधिनियम, 1997, जैसा कि भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुच्छेद 11(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण पर आगे इसी तरह की अनुशंसाएँ प्रदान करने का अनुरोध किया है।

वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के संबंध में डीओटी से प्राप्त संदर्भ के अनुसार, वायरलाइन एक्सेस सेवा के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण के मानदंडों को तय करने के लिए अनुशंसाएँ तैयार करने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालाँकि, दिनांक 04 दिसंबर, 2017 को 'वाणिज्यिक सेवाओं के लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर अनुशंसाएँ तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया के दौरान उठाए गए और समीक्षा किए गए अधिकांश मुद्दे वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए समान रूप से लागू थे, लेकिन प्राधिकरण ने दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए "वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर विस्तृत मसौदा अनुशंसाएँ जारी कीं।

हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुटों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और सचिव, डीओटी को पत्र संख्या 411–01/2019–एनएसएल –I दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को के माध्यम से विचार करने के लिए भेजा। अनुशंसाओं की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **"ब्रॉडबैंड का त्वरित वितरण: हमें क्या करने की आवश्यकता है?" पर दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर दिनांक 12 मार्च, 2021 के बैक रिफ्रेंस के प्रति भादूविप्रा की दिनांक 15 अप्रैल, 2021 को दी गई अनुक्रिया**

2.5.8 प्राधिकरण ने दिनांक 17 अप्रैल, 2015 को "ब्रॉडबैंड का त्वरित वितरण: हमें क्या करने की आवश्यकता है" पर अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं में स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) एनओएफएन, टावर्स, फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, सैटेलाइट, भारत में कंटेन्ट की होस्टिंग, आईएसपी पर लाइसेंस शुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग और ब्रॉडबैंड अपनाने को बढ़ावा देने जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। डीओटी ने लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड से अर्जित आय पर लाइसेंस शुल्क में छूट की मांग करने वाली अनुशंसाओं के संबंध में दिनांक 12 मार्च, 2021 को संदर्भ वापस भेजा। प्राधिकरण ने दिनांक 15 अप्रैल, 2021 के संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की। अपनी प्रतिक्रिया में प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि डीओटी के संदर्भ में उठाए गए कुछ नए मुद्दों पर एक नया परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है, जैसे कि राजस्व के दुरुपयोग की संभावना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रमाणित करके फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देना।

- **''इन्२ ास्टक्चर त्र्ोवाइडर्स कैटेगरी–। ािआईपी– ाक्ररजिस्टेशन के दायरे में वृद्धि'' पर दिनांक 13 मार्च, 2020 की अनुशंसाओं पर डीओटी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के लिए भादूविप्रा की अनुद्दिया दिनांक दिनांक 11 जनवरी, 2021**

2.5.9 भादूविप्रा ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को अपने विवेक से ''इन्ट ास्ट्क्चर त्ताेवाइडर्स कैटेगरी–। ख्आईपी– ाहरजिस्ट्रेशन के दायरे की समीक्षा'' पर हितधारकों से टिप्पणियों और त्तति–टिप्पणियों के लिए परामर्श पत्र जारी किया। 14 नवंबर, 2019 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई थी। हितधारकों से त्ताप्त टिप्पणियों/इनपुट के आधार पर, ओएचडी के दौरान हुई चर्चा और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने ''इन्ट ास्ट्क्चर त्ताेवाइडर्स कैटेगरी–। ख्आईपी– ाहरजिस्ट्रेशन के दायरे में वृद्धि'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और सचिव य्दूरसंचारह डीओटी को पत्र संख्या 413–1/2019–एनएसएल–1 दिनांक 13 मार्च, 2020 सहित विचार करने के लिए भेजा।

दूरसंचार विभाग ख्डीओटी हने अपने पत्र संख्या 10–12/2012-सीएस-III दिनांक 18 नवंबर, 2020 के माध्यम से सूचित किया कि •इन्ट ास्ट्क्चर त्ताेवाइडर्स कैटेगरी–। ख्आईपी– ाहरजिस्ट्रेशन के दायरे में वृद्धि'' पर भादूविप्रा की दिनांक 13 मार्च, 2020 को की गई अनुशंसाओं पर विचार किया गया है और भादूविप्रा से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

भादूविप्रा ने उचित विचार–विमर्श के बाद, सचिव, डीओटी को पत्र संख्या आर–16/1/यह/2021–एनएसएल–। दिनांक 11 जनवरी, 2021 के माध्यम से अपनी त्ततिदिया भेजी।

- **''अन्य सेवा त्र्दाताओं ािओएसपीक्रके पंजीकरण के लिए नियमों और शर्तों की समीक्षा'' पर अनुशंसाओं पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को डीओटी के बैक–संदर्भ पर भादूविप्रा की दिनांक 28 सितंबर, 2020 को दी गई अनुद्दिया**

2.5.10 डीओटी ने अपने पत्र संख्या 18–5/2015–सीएस–। य्पीटीहदिनांक 26 सितंबर, 2020 के माध्यम से सूचित किया कि ''अन्य सेवा त्तदाताओं ख्ओएसपीहके पंजीकरण के लिए नियमों और शर्तों की समीक्षा'' पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 की अनुशंसाओं की डीओटी द्वारा जांच की गई है। निम्नलिखित मुद्दों को भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11 के अंतर्गत वापस संदर्भित किया गया था और अनुरोध किया गया था कि वे इन पर पुनर्विचार करें:–

- आवाज या डेटा के आधार पर ओएसपी का वर्गीकरण
- बैंक गारंटी,
- सीसीएसपी/एचसीसीएसपी
- नेटवर्क डायग्राम
- अंतरराष्ट्रीय ओएसपी के लिए विदेशी पीएबीएक्स
- जुर्माना
- घर से काम करना
- डेटा और आवाज मार्ग का इंटरकनेक्शन

भादूविप्रा ने उचित विचार–विमर्श के बाद, अपनी त्ततिदिया को अंतिम रूप दिया और सचिव, डीओटी को पत्र संख्या 413–3/2018–एनएसएल–। दिनांक 28 सितंबर, 2020 के माध्यम से भेजा।

- **''सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रसार'' विषय पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर दिनांक 09 मार्च, 2017 को फिर से विचार करने के लिए डीओटी के दिनांक 29 मई, 2020 के बैक संदर्भ के लिए भादूविप्रा की दिनांक 05 जून, 2020 की अनुक्रिया**

2.5.11 प्राधिकरण ने ''सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार'' पर सरकार को दिनांक 09 मार्च, 2017 को अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं में सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के वितरण के लिए एक 'अनबंडल और वितरित मॉडल' की सिफारिश की गई थी। भादूविप्रा की अनुशंसाओं की तिथि से तीन साल के बाद डीओटी से दिनांक 29 मई, 2020 को एक बैक संदर्भ प्राप्त हुआ था। डीओटी का बैक संदर्भ मुख्य रूप से डबल्यूएएनआई आर्किटेक्चर की छोटी संस्थाओं को लाइसेंसिंग और नियामक दायित्वों के साथ लोड करने के विचार पर केंद्रित है, जैसा कि अन्य एकीकृत खिलाड़ियों/लाइसेंसधारियों के लिए प्रावधान है। प्राधिकरण ने बैक संदर्भ के लिए अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दिया और दिनांक 05 जून, 2020 को दूरसंचार विभाग को भेज दिया। अपनी प्रतिक्रिया में प्राधिकरण ने कई अन्य बातों के अलावा सूचित कि कई होटल, रेस्टोरेन्ट, हवाई अड्डे और मॉल बिना किसी विशिष्ट लाइसेंस/पंजीकरण के वाई–फाई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में भारत में कई ऐसे स्थान मैक आईडी आधारित प्रमाणीकरण का पालन करते हैं, जो मौजूदा निर्देशों के अनुसार आवश्यक ओटीपी का उपयोग करके हर बार प्रमाणीकरण के नियम का उल्लंघन है, और फिर भी, प्राधिकरण के संज्ञान में कोई स्पूफिंग या सुरक्षा मुद्दा नहीं आया है।

- **''कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी पॉलिसी संबंधी मुद्दों'' पर की गई अनुशंसाओं पर दिनांक 12 मार्च, 2020 को डीओटी के बैक संदर्भ के प्रति भादूविप्रा की दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की अनुक्रिया**

2.5.12 प्राधिकरण ने दिनांक 18 जुलाई, 2017 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को ''कैप्टिव वीसैट सीयूजी पॉलिसी इश्यू'' पर अपनी अनुशंसाएँ भेजी थीं। डीओटी ने अपने दिनांक 17 मार्च, 2016 के पत्र के माध्यम से कुछ अनुशंसाओं को पुनर्विचार/राय/अनुशंसाओं के लिए वापस भेज दिया।

डीओटी द्वारा प्रस्तुत विचारों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को सरकार को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। डीओटी के बैक संदर्भ पर विचार करने के बाद निम्नलिखित मुख्य अनुशंसाएँ की गई:

(i) कैप्टिव वीसैट सीयूजी लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पहले आवेदक कंपनी द्वारा जमा की गई प्रारंभिक वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) की राशि 30 लाख से घाटा कर 15 लाख रुपये की जानी चाहिए। बाद के वर्षों के लिए यह दो तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर देय अनुमानित राशि के बराबर होना चाहिए।

(ii) रॉयल्टी शुल्क केवल निर्दिष्ट आवृत्तियों के लिए शुल्क तक ही सीमित होना चाहिए। कैरियर की संख्या से अधिक वीसैट की संख्या के लिए पुनः उपयोग कारक के रूप में अतिरिक्त 25% राशि वसूलने का कोई औचित्य नहीं है।

(iii) आवेदक/लाइसेंसधारक कंपनियों की उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एकल खिड़की प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की गई है, जो कैप्टिव वीसैट सीयूजी लाइसेंस के संबंध में स्पेस खंड, भूमि खंड आदि से संबंधित लाइसेंस, अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने में शामिल हैं।

विस्तृत प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	अनुशंसाओं की सूची
1	भादूविप्रा की दिनांक 19 नवंबर, 2014 को ''प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा'' और भादूविप्रा की ''डीटीएच संचालकों द्वारा प्लेटफॉर्म'' पर अनुशंसाओं पर वापस संदर्भ पर दिनांक 2 फरवरी, 2021 की अनुशंसाएँ
2	''भारत में टेलीविजन के दर्शकों के मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा'' पर दिनांक दिनांक 28 अप्रैल, 2020 को जारी अनुशंसाएँ
3	''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की अनुशंसाएँ
4	''सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी'' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की अनुशंसाएँ

अनुशंसाएं

- **भादूविप्रा की दिनांक 19 नवंबर, 2014 को ''प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा'' और भादूविप्रा की ''डीटीएच संचालकों द्वारा पेश प्लेटफार्म'' पर अनुशंसाओं पर वापस संदर्भ पर दिनांक 02 फरवरी, 2021 की अनुशंसाएं**

2.5.13 दिनांक 19 नवंबर 2014 को ''प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा'' और ''डीटीएच संचालकों द्वारा पेश प्लेटफॉर्म'' पर अनुशंसाओं पर एमआईबी के वापस संदर्भ पर दिनांक 02 फरवरी, 2021 को भादूविप्रा ने अपनी अनुशंसाएँ जारी कीं। इन अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

i. मंत्रालय के इस विचार को स्वीकार करने में भादूविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो एमआईबी के साथ या डाकघर के साथ डीपीओ के रूप में पंजीकृत है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज (पीएस) चैनल वाहक के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुपालन संरचना को निर्दिष्ट करने में सक्षम हो, ताकि प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान करने वाले स्वामित्व की स्थिति पर पूर्ण प्रकटीकरण और कार्यक्रम और विज्ञापन कोड का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, प्राधिकरण ने अनुशंसा की है कि कोई भी व्यक्ति/संस्था जो स्थानीय समाचार और समसामयिक मामलों को पीएस के रूप में प्रदान करना चाहता है, या पहले से ही ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

ii. एमएसओ, आईपीटीवी ऑपरेटरों और एचआईटीएस ऑपरेटरों द्वारा अधिकतम 15 पीएस चैनल पेश किए जा सकते हैं।

iii. भादूविप्रा ने एमआईबी द्वारा दिए गए सुझाव पर सहमति व्यक्त की कि एमआईबी उन सभी एमएसओ/एलसीओ की सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करेगा जो पीएस की पेशकश करना चाहते हैं और पंजीकरण के समय एमएचए सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गई थी, जबकि वे अपना पीएस चलाते हैं। हालांकि, अगर किसी भी समय एमआईबी द्वारा सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने से पहले यह निर्धारित किया जाता है कि पीएस पर दी जाने वाली प्रोग्रामिंग सेवा और जो ऑनलाइन सिस्टम पर पंजीकृत है वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है, तो एमआईबी को एमएसओ/एलसीओ पीएस चैनल या प्रोग्रामिंग सेवा के वितरण से वापस लेने और/या पंजीकरण रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा भादूविप्रा ने सिफारिश की थी कि एमआईबी सभी डीपीओ (जो पीएस प्रदान कर रहे हैं) की सुरक्षा मंजूरी की समीक्षा करने के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर सकता है, जिसमें उनके स्वामित्व/नियंत्रण में कोई

भी बदलाव शामिल है। पीएस की पेशकश के लिए अनुमति देने के समय एमआईबी डीपीओ से अपेक्षित अंडरटेकिंग त्त्राप्त कर सकता है।

iv. त्ताधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। प्लेटफॉर्म सेवाएँ य्पीएसह्की परिभाषा निम्न होगी:

य्कह ''प्लेटफॉर्म सेवाएं य्पीएसह्वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों य्डीपीओह्द्वारा विशेष रूप से अपने स्वयं के ग्राहकों के लिए त्त्सारित कार्यच्चम हैं और इसमें दूरदर्शन चैनल और पंजीश्त टीवी चैनल शामिल नहीं हैं। पीएस में ऐसे विदेशी टीवी चैनल शामिल नहीं होंगे जो भारत में पंजीश्त नहीं हैं।''

य्खह पंजीश्त टीवी चैनलों या टेलीविजन चैनलों का अर्थ है एक चैनल जिसे केंद्र्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी या संशोधित नीति दिशानिर्देशों के अंतर्गत डाउनलिंकिंग की अनुमति दी गई है और 'चैनल' शब्द का संदर्भ 'टेलीविजन चैनल' के संदर्भ में समझा जाएगा।

v. त्ताधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। त्ताधिकरण ने निम्नलिखित अनुशंसाएँ कीः

य्कह डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटर द्वारा प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में त्त्सारित कार्यच्चम अनन्य होगा और इसे किसी अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटर य्डीपीओह्के साथ त्त्यक्ष या अत्त्यक्ष रूप से साझा करने की अनुमति नहीं होगी।

य्खह डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटर द्वारा प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में त्त्सारित कार्यच्चम में त्त्यक्ष या अत्त्यक्ष रूप से कोई पंजीश्त टीवी चैनल या दूरदर्शन चैनल या विदेशी टीवी चैनल शामिल नहीं होगा। प्लेटफॉर्म सेवा के रूप में पंजीश्त टीवी चैनलों य्जैसे1 सेवाओंह्के टाइम–र्शिं ट फीड की अनुमति नहीं दी जाएगी।

य्गह डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटर मंत्रालय द्वारा निर्धारित त्तारूप में मंत्रालय को एक अंडरटेकिंग त्त्दान करेगा और सुनिश्चित करेगा कि त्त्सारित कार्यच्चम उनके मंच के लिए विशिष्ट है और किसी अन्य डीपीओ के साथ त्त्यक्ष या अत्त्यक्ष रूप से साझा नहीं किया गया है।

य्घह यदि किसी अन्य डीपीओ के पीएस पर एक ही कार्यच्चम उपलब्ध पाया जाता है, तो एमआईबी/भादूवित्ता ऐसे कार्यच्चम के त्त्सारण को तुरंत रोकने के लिए निर्देश जारी कर सकता है। एमआईबी डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटर के ऐसे पीएस के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

vi. त्ताधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटर समय–समय पर भादूवित्ता द्वारा जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों में निर्धारित प्लेटफॉर्म सेवाओं एक्टिवेट/डीएक्टिवेट करने का विकल्प त्त्दान करेगा।

vii. त्ताधिकरण एमआईबी के विचारों से सहमत है। डीटीएच ऑपरेटर/एमएसओ/आईपीटीवी/एचआईटीएस ऑपरेटर के लिए निम्न अनिवार्य होगाः

य्कह प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों को इलेक्ट्रॉनिक त्तोग्रामेबल गाइड य्ईपीजीह्में 'प्लेटफॉर्म सर्विसेज' के अंतर्गत वर्गीश्त किया जाएगा, जो भादूवित्ता द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशा/निर्देशों/विनियमों के अधीन होगा।

य्खह प्लेटफॉर्म सेवा का संबंधित अधिकतम खुदरा मूल्य य्एमआरपीह्त्त्येक प्लेटफॉर्म सेवा के लिए ईपीजी में त्त्दर्शित किया जाएगा जो समय–समय पर भादूवित्ता द्वारा जारी किए गए आदेशों/निर्देशों/विनियमों के अधीन होगा।

(xii) प्लेटफॉर्म सेवाओं को लीनियर चैनलों से अलग करने के लिए 'प्लेटफॉर्म सर्विसेज' के रूप में कैप्शन डालने के प्रावधान की आवश्यकता हो सकती है। सरकार कैप्शन को ऐसे आकार में तय कर सकती है जो उपभोक्ताओं द्वारा दृष्टिगत रूप से पठनीय हो।

- **"भारत में टेलीविजन दर्शकों के मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा" पर दिनांक 28 अप्रैल, 2020 की अनुशंसाएं**

2.5.14 दिनांक 28 अप्रैल, 2020 को, भादूविप्रा ने "भारत में टेलीविजन दर्शकों के मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा" पर अनुशंसाएँ जारी कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं: –

(i) हितों के टकराव के संभावित जोखिम को कम करने, विश्वसनीयता में सुधार लाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा टीआरपी मापन प्रणाली में सभी हितधारकों का विश्वास जगाने के लिए बीएआरसी में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

(ii) प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों के एक भाग के रूप में बार्क इंडिया की संरचना को बदला जाना चाहिए। बोर्ड में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए, जिसमें मापन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में एक सदस्य, देश के शीर्ष संस्थानों में से राष्ट्रीय ख्याति का एक सांख्यिकीविद् और सरकार/नियामक के दो प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए।

(iii) बीएआरसी इंडिया के पुनर्गठित बोर्ड को तीन घटक उद्योग संघों, अर्थात् एएएआई, आईएसए और आईबीएफ के समान प्रतिनिधित्व और इक्विटी होल्डिंग के उनके अनुपात के बावजूद समान मतदान अधिकार प्रदान करना चाहिए। बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(iv) विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसी के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से सिस्टम में अधिक सटीकता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता और तटस्थता आएगी, क्योंकि विज्ञापनदाताओं को उचित दर्शकों तक पहुंचने की आवश्यकता होती है।

(v) घटक उद्योग संघ अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड की सदस्यता के लिए इस शर्त के अधीन नामित करने के हकदार होंगे कि ऐसे किसी भी नामित सदस्य के लिए लगातार दो कार्यकालों के बीच 4 साल की समायोजन अवधि लागू होगी।

(vi) बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बोर्ड की अध्यक्षता हर दो साल में घटक उद्योग संघों के मध्य बदली जाएगी।

(vii) तकनीकी समिति में सदस्यों की संख्या दो बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को मिलाकर 5 तक की जानी चाहिए।

(viii) रेटिंग प्रणाली में लगातार सुधार करते हुए अनुसंधान, डिजाइन और विश्लेषण के क्षेत्रों में बार्क इंडिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए। निगरानी समिति की संरचना राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, आईआईएम, आईआईटी, मीडिया अनुसंधान विशेषज्ञ और जनसांख्यिकी विशेषज्ञ, सूचना प्रसारण मंत्रालय से नामित सदस्यों, और भादूविप्रा के प्रतिनिधित्व के साथ व्यापक होगी। समिति को बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों के नामांकन/नियुक्ति के साथ–साथ यदि आवश्यक हो तो बार्क इंडिया को नीति निर्देश देने के लिए भी जिम्मेदार बनाना चाहिए।

(ix) डेटा के विश्वसनीय और सटीक संग्रह के निर्माण के लिए कई डेटा संग्रह एजेंसियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा और डेटा संग्रह व प्रोसेसिंग के लिए कई एजेंसियां नई तकनीकों, नई शोध

पद्धतियों, विश्लेषण में नई विधियों, बेहतर डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के नए और बेहतर तरीके प्रयोग केरेंगी।

(x) बीएआरसी अपनी सहायक कंपनी मीटियोरॉलजि डेटा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बीएआरसी के लिए अब तक एकमात्र डेटा संग्रह एजेंसी है, से कुछ दूरी पर होना चाहिएय ताकि डेटा असंगति के मामले में निहित जांच सुनिश्चित करने के लिए मापन की पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से की जा सके, अर्थात डेटा संग्रह एजेंसी और डेटा प्रोसेसिंग/प्रकाशन एजेंसी के बीच भूमिकाओं का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए।

(xi) पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए फील्ड से डेटा एकत्र और संसाधित करते समय चैनल के नाम और संख्या की पहचान को गोपनीय रखने के प्रयास किए जा सकते हैं।

(xii) बीएआरसी को अपने कार्यों को दो इकाइयों में विभाजित करना चाहिए – (क) एक इकाई को डेटा की रेटिंग/वैलिडेशन की पद्धति निर्धारित करने, डेटा प्रकाशित करने और ऑडिट तंत्र के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और (ख) दूसरी इकाई डेटा को संसाधित करने, वॉटरमार्किंग या डेटा संग्रह एजेंसियों के प्रबंधन सहित ऐसे अन्य तकनीकी कार्यों के लिए होनी चाहिए।

(xiii) एक बार जब कई एजेंसियां रेटिंग के लिए आगे आती हैं तो बीएआरसी को रेटिंग प्रकाशित करने, और रेटिंग एजेंसियों के लिए कार्यप्रणाली और ऑडिट तंत्र तैयार करने तक अपनी भूमिका सीमित करनी चाहिए, ताकि विभिन्न एजेंसियां नई तकनीकों का लाभ उठाते हुए विभिन्न रेटिंग प्रणालियाँ विकसित कर सके।

(xiv) रेटिंग एजेंसी को 2020 के अंत तक नमूना आकार को मौजूदा 44,000 से बढ़ाकर 60,000 करने और मौजूदा तकनीक का उपयोग करके 2022 के अंत तक 1,00,000 करने के लिए आदेश दिया जाना चाहिए।

(xv) बीएआरसी भारतीय सांख्यिकी संस्थान या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के सहयोग से उपयुक्त नमूना आकार का अनुमान लगाने के लिए और क्षेत्रीय और विशिष्ट चैनलों सहित दर्शकों का सही प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए एक अध्ययन करेगा। एक बार नमूना आकार बढ़ाने पर यह डेटा से छेड़छाड़ को कठिन बना देगा। किए गए अध्ययन के आधार पर बीएआरसी को समयबद्ध तरीके से नमूना आकार के लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए।

(xvi) बीएआरसी द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर पंजीकरण रद्द करने सहित दंडात्मक प्रावधानों के रूप में निर्धारित कुछ वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

(xvii) एमआईबी को डीटीएच लाइसेंस और एमएसओ पंजीकरण में संशोधन करना चाहिए ताकि दर्शकों के डेटा को स्थानांतरित करने और आरपीडी प्रौद्योगिकी को अपनाने में सक्षम एसटीबी को अनिवार्य किया जा सके। डेटा का यह हस्तांतरण एसटीबी से ऑडियंस मेजरमेंट एजेंसी के रिमोट सर्वर पर रिटर्न पाथ/कनेक्शन स्थापित करके किया जा सकता है। सब्सक्राइबरों की स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी एसटीबी से कोई डेटा रेटिंग एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए।

(xviii) डीपीओ को समय–समय पर भादूविप्रा द्वारा निर्धारित समग्र ढांचे के अंदर मापन रेटिंग एजेंसी के साथ डेटा साझा करने के लिए नियमों और शर्तों पर पारस्परिक रूप से बातचीत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एमआईबी द्वारा इन अनुशंसाओं को स्वीकार किए जाने के बाद भादूविप्रा द्वारा इस तरह की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी।

(xix) बीएआरसी को सभी प्रासंगिक डेटा जैसे घरेलू पैनल से प्राप्त मूल डेटा (मीटर–स्तरीय डेटा), रेटिंग के लिए हटाए गए/अवलोकन नहीं किए गए/विचार नहीं किए गए डेटा और परिणामी संसाधित डेटा को कम से कम एक वर्ष के लिए टीआरपी रेटिंग के लिए रखना चाहिए, जैसा की अंतिम रेटिंग के रूप में प्रारूप और पैटर्न में ब्रॉडकास्टर्स, विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं सहित सब्सक्राइबरों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

(xx) बीएआरसी को समय–समय पर किए गए वैज्ञानिक अध्ययन और बाजार सर्वेक्षण के आधार पर अपनी बाहरी नीति की समीक्षा करनी चाहिए। बीएआरसी को डेटा प्रोसेसिंग को इस तरह से स्वचालित करना चाहिए कि अंतिम टीआरपी रेटिंग जारी होने से पहले किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो। घरेलू पैनल से उत्पन्न होने वाले मीटर–स्तर/अव्यवस्थित डेटा में किसी भी प्रकार के मैन्युअल हस्तक्षेप से बचना चाहिए। असामान्य परिस्थितियों में मैनुअल हस्तक्षेप, यदि कोई हो, की सूचना दी जानी चाहिए और ऑडिटरों को भी सूचित किया जाना चाहिए।

(xxi) नोडल अधिकारी और अपीलीय निकाय के साथ शिकायत निवारण के लिए पर्याप्त रूपरेखा बनाई जानी चाहिए ताकि हितधारकों की शिकायतों को समयबद्ध तरीके से प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सके। बीएआरसी को एक पोर्टल भी विकसित करना चाहिए जिसमें किसी भी हितधारक एजेंसी द्वारा प्रकाशित रेटिंग के संबंध में शिकायत की जा सके।

(xii) टीआरपी रेटिंग पद्धति, नमूना आकार, और शिकायत निवारण पद्धति के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए बीएआरसी को एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा वार्षिक ऑडिट कराना चाहिए और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तीन महीने के अंदर बोर्ड की मंजूरी के बाद ऑडिट रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए। रेटिंग, घरेलू पैनल चयन, कामकाज और समग्र रेटिंग सिस्टम के लिए डेटा संग्रह के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एक ऑडिट मैनुअल बनाया जाना चाहिए।

(xiii) एएएआई या आईएसए के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक आंतरिक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जा सकता है जो ऑडिट प्रक्रियाओं, नमूना आकार, रेटिंग पद्धति और समयबद्ध तरीके से शिकायतों के प्रभावी निवारण कर सके। आंतरिक लेखा परीक्षा समिति की तिमाही रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर बीएआरसी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए और बीएआरसी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

- **'एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को जारी अनुशंसाएं**

2.5.15 भादूविप्रा ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' पर अनुशंसा जारी की। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं: –

(i) उत्तर–पूर्व, जम्मू और काश्मीर तथा अंडमान और निकोबार में स्थित शहरों को छोड़कर अन्य शहरों में एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरपी उस शहर में एफएम रेडियो चैनलों के मूल्यांकन के 0.8 गुना के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ii) पूर्वोत्तर, जम्मू–कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार में स्थित शहर में एफएम रेडियो चैनलों के लिए आरक्षित मूल्य को उस शहर में एफएम रेडियो चैनलों के मूल्यांकन के 0.4 गुना के बराबर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(iii) तीसरे चरण में 'अन्य' श्रेणी में 10 सीमावर्ती शहरों में आरक्षित मूल्य 5 लाख रुपये प्रति चैनल होना चाहिए।

(iv) तीसरे चरण के शेष चैनलों की नीलामी तकनीक से अलग कर दी जानी चाहिए। ब्रॉडकास्टरों को भविष्य में नीलामी के माध्यम से उन्हें आवंटित आवृत्ति पर रेडियो प्रसारण के लिए किसी भी तकनीक (एनालॉग या डिजिटल या दोनों) का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि रेडियो ब्रॉडकास्टर डिजिटल

त्तौद्योगिकी का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें एक से अधिक चैनलों को त्तसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो उन्हें आवंटित एकल आवृत्ति पर तकनीकी व्यवहार्यता के अधीन है।

(v) अनुमति धारक को देश में कुल एफएम रेडियो चैनलों के 15% की मौजूदा अधिकतम सीमा अब मान्य नहीं है क्योंकि अब एकाधिकार की कोई संभावना नहीं है। यह सीमा भी व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि उपलब्धता के आधार पर चैनलों की कुल संख्या अलग–अलग होगी। इसलिए, ऐसी सीमा को वापस लिया जा सकता है।

- **''सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी'' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को जारी अनुशंसाएं**

2.5.16 भादूविप्रा ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को ''सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी'' पर अनुशंसाएँ जारी कीं। अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं: –

(i) भारत में सभी सेट–टॉप–बॉक्स में सैद्धांतिक रूप से तकनीकी इंटरऑपरेबिलिटी की सुविधा होनी चाहिए, अर्थात उपभोक्ता को प्रदान किया गया प्रत्येक एसटीबी इंटरऑपरेबल होना चाहिए।

(ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय अनुमति/पंजीकरण/केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम में एक उपयुक्त अनुच्छेद/शर्त शामिल कर सकता है जो सभी डीपीओ (डीटीएच के साथ–साथ एमएसओ) को अनिवार्य रूप से डीपीओ द्वारा प्रदान किए गए या खुले बाजार से उपभोक्ता खरीदे गए इंटरऑपरेबल एसटीबी के माध्यम से सेवा प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगा है।

(iii) यूनिवर्सल एसटीबी के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक बाधाएं होती हैं। इसलिए, एसटीबी की इंटरऑपरेबिलिटी, मौजूदा अनुच्छेद/शर्त के अनुसार निर्धारित तिथि से डीटीएच या केबल खंड के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। अर्थात इंटरऑपरेबिलिटी क्रमशः डीटीएच खंड के अंदर और केबल खंड के अंदर लागू होगी।

(iv) एमआईबी डीटीएच एसटीबी और एमएसओ द्वारा संभावित तिथि से उपयोग किए जा रहे एसटीबी के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार लाइसेंस शर्तों या केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन के माध्यम से या किसी अन्य उपयुक्त तंत्र के माध्यम से ईटीएसआई टीएस 103 605 विशिष्टताओं के अनुसार डीवीबी सीआई प्लस 2.0 (यूएसबी सीएएम के साथ) के उपयोग को एक अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य कर सकता है।

(v) ईटीएसआई टीएस 103 605 विनिर्देशों के अनुसार एमआईबी अधिसूचनाओं की तिथि से डीवीबी सीआई प्लस 2.0 (यूएसबी सीएएम के साथ) को अपनाने के लिए डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ दोनों को छह महीने का समय दिया जा सकता है। एमआईबी भी बीआईएस के साथ समन्वय कर सकता है ताकि इस समय सीमा के अंदर बीआईएस द्वारा उपयुक्त संशोधन किए जा सकें।

(vi) प्राधिकरण भारत में सभी डिजिटल टीवी सेटों के लिए यूएसबी पोर्ट आधारित कॉमन इंटरफेस के अनिवार्य प्रावधान की अनुशंसा करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) भादूविप्रा के साथ समन्वय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) डीवीबी सीएल प्लस 2.0 मानक के अनुसार यूएसबी– आधारित कॉमन इंटरफेस पोर्ट के प्रावधान को शामिल करने के लिए डिजिटल टीवी सेट हेतु निर्देशों में संशोधन करने के लिए बीआईएस से अनुरोध कर सकता है जो ईटीएसआई टीएस 103 605 मानकों पर आधारित है। इस तरह के निर्देशों के अनुसार टीवी निर्माताओं के लिए निम्नलिखित अनिवार्य होना चाहिए :

(क) सभी डिजिटल टीवी सेटों में डीवीबी सीआई प्लस 2.0 मानकों पर आधारित न्यूनतम एक ओपन–इंटरफेस

पोर्ट के त्तदान करें, जिससे टीवी सिग्नल त्ताप्त करने के लिए यूएसबी सीएएम कनेक्शन आसानी से किया जा सके।

खह उपग्रह और केबल दोनों प्लेटफार्मों के माध्यम से टीवी पर दिखाए जाने वाले कंटेन्ट को त्ताप्त करने के लिए बिल्ट–इन टड्डूनर के साथ डिजिटल टीवी सेट त्तदान करें।

समन्वय और कार्यान्वयन समिति का गठनः

य्कह सूचना और त्तसारण मंत्रालय य्एमआईबीह्द्वारा एक समन्वय समिति का गठन किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना त्तौद्योगिकी मंत्रालय य्मईआईटीह भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण य्भादूवित्ताह भारतीय मानक ब्यूरो य्बीआईएसह और टीवी निर्माताओं के त्ततिनिधि शामिल होने चाहिए। यह समिति डीटीएच और केबल टीवी दोनों खंडों के लिए संशोधित एसटीबी मानकों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा यह समिति बीआईएस द्वारा ईटीएसआई टीएस 103 605 मानकों के आधार पर डीवीबी सीआई प्लस 2.0 पोर्ट त्तदान करने के लिए और डीटीएच और केबल टीवी सिग्नल दोनों की त्ताप्ति के लिए डिजिटल टीवी मानकों के निर्माण की निरंतर निगरानी रख सकती है।

य्खह समन्वय समिति समयबद्ध तरीके से संशोधित एसटीबी और डिजिटल टीवी मानकों के अनुकूलन के कार्य को आगे बढ़ा सकती है।

महत्वपूर्ण अनुशंसाओं के संबंध में सरकार को पूर्व में दी गई अतिरिक्त सूचना

2.6 पिछले कुछ वर्षों में, भादूवित्ता ने दूरसंचार सेवाओं और त्तसारण एवं केबल सेवाओं के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर दूरसंचार विभाग और एमआईबी को किसी संदर्भ की अनुक्रिया में या अपने विवेक से कई अनुशंसाएँ भेजी हैं। वर्ष के दौरान, भादूवित्ता ने डीओटी और एमआईबी दोनों के साथ काम किया है और ठोस त्तयासों से इस अवधि के दौरान इन अनुशंसाओं में से कुछ को स्वीकार किया गया है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ अभी भी डीओटी और एमआईबी द्वारा निर्णय/कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं, जिन्हें यदि लागू किया जाता है, तो दूरसंचार और त्तसारण क्षेत्र पर महत्वपूर्ण सकारात्मक त्तभाव पड़ेगा। यह महसूस किया गया है कि दूरसंचार और त्तसारण क्षेत्र में तकनीकी त्तगति और परिवर्तन होते रहते हैं, और यदि निर्णय उचित समय–सीमा में नहीं लिए जाते हैं, तो अनुशंसाएँ अपनी त्तासंगिकता खो देती हैं, जिससे भादूवित्ता द्वारा परिकल्पित अनुशंसा का उद्देश्य विफल हो जाता है। कभी–कभी अनुशंसाओं को आंशिक रूप से स्वीकार/कार्यान्वित किया जाता है जिससे अनुशंसा करते समय किसी विषय के त्तति व्यापक दृष्टिकोण में परिकल्पित उद्देश्य विफल हो जाता है। इसके अलावा, केवल अनुशंसाओं को स्वीकार करने से इस क्षेत्र को तब तक मदद नहीं मिलती, जब तक कि उन्हें धरातल पर लागू नहीं किया जाता। यदि अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन कई वर्षों के अंतराल के बाद लागू किया जाता है, तो इस देरी के कारण क्षेत्र विशेष में की गई अनुशंसा का त्तभाव कम हो जाता है।

इसलिए फीडबैक तंत्र की आवश्यकता है जिसके माध्यम से मंत्रालय भादूवित्ता की अनुशंसाओं की स्वीकृति/कार्यान्वयन या अन्य किसी भी विषय के संबंध में भादूवित्ता के साथ जानकारी साझा कर सकते हैं। अस्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/स्वीकृति में देरी के मामलों में, त्तासंगिक विवरण के साथ भादूवित्ता की अनुशंसाओं की अस्वीकृति/आंशिक स्वीकृति/लंबित होने के कारणों को संबंधित मंत्रालय य्डीओटी/एमआईबीह द्वारा भादूवित्ता के साथ साझा किया जाना चाहिए। यह तंत्र भविष्य में नीतियों और नियामक रूपरेखा के निर्माण में भादूवित्ता की सहायता करेगा, जिससे दूरसंचार विभाग/एमआईबी में भादूवित्ता की लंबित अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा की जाती है।

उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और सभी अनुशंसाओं की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी के लिए

केंद्रीय भंडार बनाने के लिए, भादूविप्रा ने एक अनुशंसा स्थिति पोर्टल विकसित किया है जिसे भादूविप्रा, डीओटी और एमआईबी द्वारा संयुक्त रूप से की गई अनुशंसाओं और कार्रवाई के बारे में विवरण अपडेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अवधि के दौरान दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत अनुशंसाएं

2.7 भूतकाल में भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार विभाग को की गई कई अनुशंसाओं में से महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है (दूरसंचार द्वारा प्रदान की गई स्थिति के अनुसार)। वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जो एक बार पूरी तरह से लागू होने के बाद क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। ऐसी स्वीकृत की गई ऐसी अनुशंसाओं की सूची नीचे दी गई है:

(i) नियामक अनिश्चितताओं को दूर करने और एक समान अवसर बनाने के लिए दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को ''वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण'' पर अनुशंसाएँ सरकार को भेजी गई थीं। इन अनुशंसाओं को सरकार ने मान लिया है। अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से ग्राहकों को परीक्षण चरण के दौरान अपनी स्थिति और टैरिफ योजना स्पष्ट होंगी और सेवा प्रदाता को परीक्षण चरण के दौरान अपने दायित्वों के बारे में भी स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा।

(ii) ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा अनुमोदन के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से उपग्रह द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी का प्रावधान'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 28 जुलाई, 2020 को भेजी की गई क्योंकि लाइसेंसधारी को मोबाइल ऑपरेटरों को उपग्रह आधारित बैकहाउल कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति देने के लिए वीसैट लाइसेंस के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता थी। इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया है। इससे देश के ग्रामीण, दुर्गम क्षेत्रों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने में मदद मिलेगी।

(iii) ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 29 मई, 2020 को सरकार को भेजी गई थीं। प्राधिकरण ने मोबाइल सेवाओं और एसडीसीए (कम दूरी का चार्जिंग क्षेत्र के लिए) से जुड़े मौजूदा 10 अंकों को जारी रखने की सिफारिश की है। प्राधिकरण की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया है और उनका कार्यान्वयन मौजूदा नेटवर्क कार्यान्वयन को प्रभावित किए बिना और नंबरिंग योजना में किसी अतिरिक्त अंक को बढ़ाए बिना सब्सक्राइबर बेस के लिए अतिरिक्त नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

(iv) ''सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क (पीएम वाणी) के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 09 मार्च, 2017 को सरकार को भेजी गईं। इससे देश में सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा मिलेगा और परिणामस्वरूप ब्रॉडबैंड इंटरनेट के प्रसार, आय और रोजगार में वृद्धि होगी और लोग सशक्त होंगे। यह सेलुलर अभावग्रस्त क्षेत्रों में सस्ती कीमतों पर ब्रॉडबैंड सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। दिनांक 09 दिसंबर, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम वाणी योजना को मंजूरी दी गई है।

(v) ''सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे को स्पेक्ट्रम का आवंटन'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को सरकार को भेजी गईं। भादूविप्रा ने नवीनतम ट्रेन सिग्नलिंग को लागू करने के लिए भारतीय रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज युग्मित स्पेक्ट्रम के आवंटन की सिफारिश की थी, जिससे ट्रेनों की निश्चित दूरी कम होगी और इस प्रकार वहन क्षमता में सुधार होगा, परिचालन लागत में कमी आएगी और ट्रेनों की गति को सुरक्षित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह एलओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित एसेट विश्वसनीयता निगरानी पर भी बल देता है। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने

दिनांक 19 सितंबर, 2020 को हुई बैठक में स्थायी समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी है।

(vi) ''स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) और अति लघु वाणिज्यिक एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सेवा प्रदाताओं के लिए अनुमानित समायोजित सकल राजस्व'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 07 मार्च, 2017 को सरकार को भेजी गई थीं। इन अनुशंसाओं का उद्देश्य नियामक शुल्क और अनुपालन के बोझ को कम करके और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके आईएसपी और वीसैट सेवा प्रदाताओं का विकास करना था। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने अनुशंसा को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। वाणिज्यिक वीसैट के लिए एसयूसी को 4% से घटाकर 1% करने पर अभी विचार किया जा रहा है।

(vii) ''कैप्टिव वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) नीति के मुद्दों'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 18 जुलाई, 2017 को सरकार को भेजी गई थीं। प्राधिकरण ने निम्नलिखित के लिए सिफारिश की है: कैप्टिव वीसैट लाइसेंस के लिए प्रवेश शुल्क जैसे विभिन्न शुल्कों में कमी 50% तक की कमी, अर्थात 30 लाख से ₹ 15 लाख रुपए कर देना, दूसरे हब और वीसैट टर्मिनलों के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस शुल्क, सरलीकृत ऑनलाइन सिंगल–विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लगाने के लिए और 512 केबीपीएस/2 एमबीपीएस प्रति वीसैट की अधिकतम डेटा दरों के प्रतिबंध को हटाना, क्योंकि नई तकनीकों के कारण उच्च डेटा दर संभव बन गई है। इन अनुशंसाओं से बैंकों, डाकघरों और अन्य कैप्टिव वीसैट सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरस्थ और दुर्गम स्थानों (ग्रामीण क्षेत्रों, जहाजों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ियों, आदि) में ऐसी सेवाएं प्रदान करने की लागत कम हो जाएगी। भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर सितंबर, 2020 में डीसीसी द्वारा विचार और अनुमोदन किया गया था।

(viii) ''700, 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300–3400 और 3400–3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 01 अगस्त, 2018 को सरकार को भेजी गईं। इन अनुशंसाओं में आरक्षित मूल्य के अलावा, अन्य नियम और शर्तें, जैसे कि नीलाम किए जाने वाले स्पेक्ट्रम की मात्रा, ब्लॉक आकार, रोल आउट दायित्व, स्पेक्ट्रम सीमा आदि की सिफारिश की गई थी। भादूविप्रा की अनुशंसाओं के आधार पर, स्पेक्ट्रम नीलामी 2021 में आयोजित की गई थी। 3300–3600 मेगाहर्ट्ज बैंड को छोड़कर सभी स्पेक्ट्रम बैंड नीलाम किए गए थे।

(ix) ''सैटेलाइट आधारित फोन सेवाओं के प्रावधान के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क लगाने की पद्धति'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को सरकार को भेजी गई थीं। इन अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों में इस सेवा को लागू किया जाएगा जहां दूरसंचार का कोई अन्य साधन नहीं है और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाएं, खोज और बचाव अभियान और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकारी एजेंसियों की सहायता करने के लिए उपयोग किया जाएगा। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने दिनांक 19 अगस्त, 2020 को हुई बैठक में स्थायी समिति की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी है। डीओटी ओएम दिनांक 28 जून, 2021 के माध्यम से स्पेक्ट्रम शुल्क को एजीआर के 1% के रूप में स्वीकार और कार्यान्वित किया गया है।

(x) ''भारतनेट के लिए कार्यान्वयन रणनीति'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 1 फरवरी, 2016 को सरकार को भेजी गईं। भादूविप्रा ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की सिफारिश की जो निजी प्रोत्साहनों को बिल्ड–ओन–ऑपरेट–ट्रांसफर/बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर मॉडल के दीर्घकालिक सेवा वितरण के साथ संरेखित करता है। इन अनुशंसाओं से नेटवर्क और सरकारी धन का कुशल उपयोग भी सुनिश्चित होगा। दिनांक 30 जून, 2021 को 16 राज्यों के लिए स्वीकृत सभी गांवों तक सार्वजनिक–निजी भागीदारी मोड के माध्यम से अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर निधि 19,041 करोड़ रुपये के साथ भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति निर्माण। प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया द्वारा चुने गए रियायतग्राही

द्वारा भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग किया जाएगा।

(xi) ''ऑडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स्ट/वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को सरकार को भेजी की गई थीं। ये अनुशंसाएँ सेवा प्रदाताओं को इन सेवाओं की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और एक समान अवसर पैदा करेंगी और व्यापक उद्यम ग्राहकों के लिए इन विशेष सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगी। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने दिनांक 01 दिसंबर, 2020 को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी। कार्यान्वयन प्रक्रिया चरण में है।

(xii) ''स्थानीय दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 03 अगस्त, 2018 को सरकार को भेजी गईं। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से भारत दूरसंचार उपकरण क्षेत्र में आत्मनिर्भर और दूरसंचार उपकरणों का शुद्ध निर्यातक बन सकता है। डीओटी ने अनुशंसाओं को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए दूरसंचार गियर के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 12,200 करोड़ रुपये की पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है। डीओटी ने कुछ संबंधित मुद्दों जैसे प्रोत्साहन संरचना आदि पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं के लिए एक नया संदर्भ भेजा है। भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के लिए समग्र विनिर्माण रणनीति और आरएंडडी इको–सिस्टम पर भी काम कर रहा है।

अवधि के अंत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित लंबित अनुशंसाएं

2.8 कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ जो पूर्व में दूरसंचार विभाग (डीओटी) को भेजी गई थीं, अभी भी लंबित हैं। जो दिनांक 31 मार्च, 2021 को स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए अभी भी सरकार के पास लंबित अनुशंसाओं की सूची नीचे दिया गई है:

अवधि के दौरान प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत अनुशंसाएं

क्र.सं.	विषय	भेजने की तिथि
1.	''माइक्रोवेव एक्सेस (एमडब्ल्यूए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एमडब्ल्यूबी) आरएफ कैरियर्स का आवंटन और मूल्य निर्धारण'' पर अनुशंसाएँ	29-08-2014
2.	''दूरसंचार क्षेत्र में शिकायते/शिकायत निवारण'' पर अनुशंसाएँ	10-03-2017
3.	''नेक्स्ट जेनरेशन पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ (पीपीडीआर) संचारनेटवर्क'' पर अनुशंसाएँ	04-06-2018
4.	''विकलांग व्यक्तियों के लिए आईसीटी को सुलभ बनाने'' पर अनुशंसाएँ	09-07-2018
5.	''दूरसंचार क्षेत्र में डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व'' पर अनुशंसाएँ	16-07-2018
6.	''पारदर्शी तंत्र के रूप में नीलामी सहित सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन की विधि'' पर अनुशंसाएँ	20-07-2018
7.	''दूरसंचार लाइसेंसों के हस्तांतरण/विलय के लिए दिशानिर्देशों में सुधार'' पर अनुशंसाएँ	21-02-2020
8.	''इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी–I (आईपी–I) पंजीकरण के दायरे में वृद्धि'' पर अनुशंसाएँ	13-03-2020
9.	''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर अनुशंसाएँ	17-08-2020
10.	''क्लाउड सेवाओं'' पर अनुशंसाएँ	14-09-2020
11.	''यातायात प्रबंधन प्रथाओं (टीएमपी) और नेट न्यूट्रलिटी के लिए बहु–हितधारक निकाय'' पर अनुशंसाएँ	22-09-2020

2.9 वर्ष 2020–21 के दौरान एमआईबी द्वारा स्वीकार की गई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ और क्षेत्र पर इन अनुशंसाओं के संभावित सकारात्मक प्रभाव का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ''नए डीटीएच लाइसेंस से संबंधित मुद्दे'' पर अनुशंसाएँ दिनांक 23 जुलाई, 2014 को सरकार को भेजी गईं। इन अनुशंसाओं के कार्यान्वयन से व्यापार की निश्चितता और निरंतरता सुनिश्चित होगी और डीटीएच क्षेत्र का क्रमिक विकास होगा और समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। एमआईबी द्वारा इन अनुशंसाओं को स्वीकार करने के बाद, डीटीएच लाइसेंस दिशानिर्देशों में दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को संशोधन जारी किए गए हैं।

(ii) दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को सरकार को ''डीटीएच सेट टॉप बॉक्स के केवाईसी'' पर भेजी गई अनुशंसाओं ने देश के बाहर डीटीएच बॉक्स के उपयोग के लिए सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया क्योंकि उपग्रहों के पदचिह्न भौगोलिक सीमाओं से दूर होते हैं। इन अनुशंसाओं की स्वीकृति और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप सत्यापन प्रक्रिया का मानकीकरण होगा और सीएएफ में उल्लिखित पते पर डीटीएच कनेक्शन की स्थापना सुनिश्चित होगी और उद्योग/ग्राहक को अनावश्यक अतिरिक्त आवश्यकताओं और लागतों को वहाँ नहीं करना पड़ेगा।

(ii) दिनांक 13 नवंबर, 2019 को सरकार को ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं'' पर भेजी गई अनुशंसाओं ने प्लेटफॉर्म सेवाओं को नियामक रूपरेखा के अंतर्गत लाने और प्लेटफॉर्म सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के मुद्दों को संबोधित किया। दिनांक 30 दिसंबर, 2020 को एमआईबी द्वारा डीटीएच लाइसेंस दिशानिर्देशों में संशोधन जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत डीटीएच ऑपरेटर को इसकी कुल चैनल ले जाने की क्षमता के अधिकतम 5% तक प्लेटफॉर्म सर्विसेज चैनल संचालित करने की अनुमति है।

अवधि के अंत में प्रसारण एवं केबल सेवा क्षेत्र से संबंधित लंबित अनुशंसाएं

2.10 प्राधिकरण द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को समय–समय पर कई अनुशंसाएँ की गईं। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भेजी गई कई महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ दिनांक 31 मार्च, 2021 तक सरकार के पास लंबित हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

2.11 वर्ष 2020–21 के दौरान, प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत सौंपे

क्र.सं.	विषय	जारी करने की तिथि
1	टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण के कारोबार में कुछ संस्थाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध	28.12.2012
2	भारत में रेडियो श्रोताओं का मापन और रेटिंग से संबंधित मुद्दे	15.09.2016
3	भारत में डिजिटल टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग (डीटीटी) से संबंधित मुद्दे	31.01.2017
4	टीवी प्रसारण वितरण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की साझेदारी	29.03.2017
5	भारत में डिजिटल रेडियो प्रसारण से संबंधित मुद्दे	01.02.2018
6	भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग से संबंधित मुद्दे	25.06.2018
7	नए शहरों में एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य	10.04.2020
8	सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी	10.04.2020
9	भारत में टेलीविजन ऑडियंस मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा	28.04.2020
10	एमएसओ के लिए प्लेटफार्म सेवाओं (पीएस) के लिए नियामक रूपरेखा	02.02.2021

गए अपने कार्यों के निर्वहन में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में निम्नलिखित विनियम तैयार किए हैं:

दूरसंचार क्षेत्र

विनियम

क्र.सं.	विनियमों की सूची
1.	दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020, दिनांक 30 सितंबर, 2020
2.	दूरसंचार अन्तःसंयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, दिनांक 10 जुलाई, 2020
3.	दूरसंचार अन्तःसंयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020, दिनांक 17 अप्रैल, 2020

- **दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 30 सितंबर, 2020**

2.11.1 भादूविप्रा ने दिनांक 30 सितंबर, 2020 को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम (टीसीपीआर) 2020 अधिसूचित किया। इस संशोधन के अधिनियमन के साथ, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में एक नया अध्याय जुड़ गया है जो अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाओं और और अधिक बिल आने से उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचा प्रदान करता है। उपर्युक्त संशोधन भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर अपलोड किया गया है।

- **"दूरसंचार अन्तःसंयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020" दिनांक 10 जुलाई, 2020**

2.11.2 भादूविप्रा ने दिनांक 10 जुलाई, 2020 को "दूरसंचार अन्तःसंयोजन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020" अधिसूचित किया, जो किन्हीं दो बदले गए सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क (आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित) और बदले गए सार्वजनिक टेलीफोन नेटवर्क (पीएसटीएन) और लंबी दूरी के राष्ट्रीय नेटवर्क (एनएलडी) के बीच इंटरकनैक्शन को आसान बनाता है।

दिनांक 30 मई, 2019 को "अन्तःसंयोजन के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया

था जिसमें हितधारकों से टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में दिनांक 19 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजित किया गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट के आधार पर, ओएचडी के दौरान हुई चर्चा और अपने स्वयं के विश्लेषण के बाद, प्राधिकरण ने दिनांक 10 जुलाई, 2020 को ''दूरसंचार अन्तःसंयोजन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020'' अधिसूचित किया। विनियम की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

''दूरसंचार अंतर्संयोजन विनियम, 2018'' में संशोधनों का सार इस प्रकार है:

i. एक सेवा क्षेत्र के अंदर, पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए पीओआई वहीं होगा जहां अन्तःसंयोजन प्रदाता और अन्तःसंयोजन चाहने वाले के बीच परस्पर सहमति हो।

ii. यदि अन्तःसंयोजन प्रदाता और अन्तःसंयोजन चाहने वाले के बीच सहमति नहीं होती है, तो पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल एलडीसीसी पर होगी। ऐसे मामले में, एलडीसीसी से एसडीसीसी तक और इसके विपरीत, जैसा लागू हो, कॉल के कैरिज चार्ज का भुगतान अन्तःसंयोजन चाहने वाले द्वारा अन्तःसंयोजन प्रदाता को किया जाएगा।

iii. पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई, कम से कम पांच साल की अवधि के लिए या इंटरकनेक्टेड सेवा प्रदाता पारस्परिक रूप से ऐसे पीओआई को बंद करने का निर्णय लेने के समय, जो भी पहले हो, तक कार्यान्वित रहेगा।

iv. पीएसटीएन और पीएसटीएन के बीच या पीएसटीएन और एनएलडी नेटवर्क के बीच कॉल के लिए एसडीसीसी स्तर पर मौजूदा पीओआई को बंद किया जा सकता है यदि उस एसडीसीए में किसी भी इंटरकनेक्टेड सेवा प्रदाताओं की सेवाएं बंद कर दी जाती हैं।

- **''दूरसंचार अन्तःसंयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' दिनांक 17 अप्रैल, 2020**

2.11.3 भादूविप्रा ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को ''दूरसंचार अन्तःसंयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' पारित किया। इन विनियमों के माध्यम से रु 0.30 प्रति मिनट की निश्चित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क (आईटीसी) की व्यवस्था को 0.35 रुपए प्रति मिनट से 0.65 रुपए प्रति मिनट तक लचीला बनाने के लिए संशोधित किया गया है। इसके अलावा, एकल और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि एक एक्सेस सेवा प्रदाता सभी को, अर्थात अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ–साथ एकल आईएलडीओ को, आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा। ये विनियम दिनांक 01 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

2.12. वर्ष 2020–21 के दौरान, प्राधिकरण ने दूरसंचार क्षेत्र में निम्नलिखित टैरिफ आदेश जारी किए

दूरसंचार क्षेत्र

टैरिफ आदेश

क्र.सं.	टैरिफ आदेशों की सूची
1.	दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश, 2020 दिनांक 3 जून, 2020

- **दूरसंचार टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश, 2020 दिनांक 03 जून, 2020**

2.12.1 विस्तृत परामर्श प्रक्रिया और ऑनलाइन ओपन हाउस चर्चा के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 03 जून 2020 को टेलीकॉम टैरिफ (65वां संशोधन) आदेश, 2020 जारी किया जो https://www.trai.gov.in/sites/default/files/ Regulation_03062020.pdf. लिंक पर उपलब्ध है। संशोधन आदेश दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची XIII को हटाने का प्रावधान करता है, जिसने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए प्रति दिन 100 एसएमएस प्रति सिम से अधिक प्रत्येक एसएमएस के लिए न्यूनतम 50 पैसे प्रति एसएमएस शुल्क लेना अनिवार्य बना दिया है। यह संशोधन आदेश ने टैरिफ विनियमन को दूर करने और टैरिफ को लचीला बनाने में भादूविप्रा की एक और पहल है।

2.13 भादूविप्रा ने वर्ष 2020–21 के दौरान सेवा प्रदाताओं द्वारा आदेश/विनियमों के अनुपालन के लिए निम्नलिखित निर्देश और आदेश जारी किए, इनमें से कुछ निर्देशों का विवरण नीचे दिया गया है: –

दूरसंचार क्षेत्र

दिशा–निर्देश

क्र.सं.	निर्देशों की सूची
1.	दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2021 को प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया गया
2.	दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को विभाजित प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांगने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिशा–निर्देश जारी किया गया
3.	टैरिफ प्रकाशनों पर दिनांक 18 सितंबर, 2020 के निर्देश में संशोधन, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020
4.	दिनांक 18 सितंबर, 2020 को टैरिफ प्रकाशनों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया गया
5.	दिनांक 18 सितंबर, 2020 को टैरिफ विज्ञापनों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया गया
6.	यूनिक पोर्टिंग कोड जनरेट करने, भुगतान न करने पर कनेक्शन बंद करने के अनुरोध और मोबाइल नंबरों के पुन: कनेक्शन के लिए न्यूनतम दस रुपये की सीमा के लिए दिनांक 27 अगस्त, 2020 का निर्देश
7.	दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर) 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 19 जून, 2020 को जारी निर्देश

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के अंतर्गत दिनांक 15 फरवरी, 2021 को प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया गया**

2.13.1 प्राधिकरण ने दिनांक 15 फरवरी, 2021 को भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्देश संख्या 311–04/2017– क्यूओएस दिनांक 6 अगस्त 2019 के अधिक्रमण में सभी एक्सेस प्रदाताओं को तिमाही आधार पर प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए अनुलग्नक (अनुलग्नक I, II, III, IV, V और VI में निर्दिष्ट पीएमआर प्रारूपों के अनुसार अलग–अलग प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) मानक अभ्यास के एक भाग के रूप में दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही से शुरू करते हुए क्रमशः दिनांक 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के 21 दिनों की अवधि के अंदर आवधिक आधार पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

- **दिनांक दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को विभाजित प्रस्तावों से संबंधित जानकारी मांगने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिशा–निर्देश जारी किया गया**

2.13.2 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 नवंबर, 2020 के अनुसरण में, भादूविप्रा ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करने की तिथि दिनांक 04 दिसंबर, 2020 के पंद्रह दिनों के अंदर मासिक आधार पर, प्रत्येक एलएसए के लिए, दिसंबर, 2020 से विभाजित पेशकशों का निम्नलिखित विवरण प्रदान करने का निर्देश दियाः –

i. दरों और संबंधित नियमों और शर्तों, सेवाओं की मात्रा, टैरिफ योजना का नाम और सदस्यता की वैधता अवधि और टैरिफ योजना में ग्राहकों के लिए उपलब्ध लाभ जिसमें विभाजित प्रस्ताव दिया गया है, का विवरण

ii. महीने के अंत में संबंधित टैरिफ योजना के अंतर्गत मौजूदा ग्राहकों को विभाजित प्रस्तावों की संख्या

iii. दरों और संबंधित नियमों और शर्तों, सेवाओं की मात्रा, सदस्यता की वैधता अवधि और उक्त विभाजित पेशकश में से प्रत्येक में ग्राहकों के लिए उपलब्ध लाभ का विवरण

iv. प्रत्येक महीने के अंत में ग्राहकों की संख्या, जिन्होंने प्रत्येक टैरिफ योजना के अंदर विभाजित प्रस्ताव का लाभ उठाया है

v. यह घोषणा कि इस तरह के खंडित प्रस्तावों का लाभ खंड/वर्ग में आने वाले सभी मौजूदा ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया है और गैर–भेदभाव के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया गया है

- **टैरिफ प्रकाशनों पर दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के निर्देश में संशोधन, दिनांक 18 सितंबर, 2020**

2.13.3 प्राधिकरण ने दिनांक 18 सितंबर, 2020 को सभी दूरसंचार एक्सेस सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को टैरिफ योजनाओं, विशेष टैरिफ वाउचर (एसटीवी), कॉम्बो वाउचर (सीवी) और जारी किए गए एड ऑन पैक के संबंध में आवश्यक जानकारी को उपलब्ध करने के लिए टैरिफ प्रकाशन पर और इस निर्देश के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर अपनी वेबसाइट, ऐप कस्टमर केयर सेंटर, पॉइंट ऑफ सेल और रिटेल आउटलेट पर अपडेट करने का निर्देश जारी किया। उक्त निर्देश के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त समय के लिए सीओएआई के अनुरोध पर, प्राधिकरण ने दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 को अपने निर्देश दिनांक 18 सितंबर, 2020 में एक संशोधन जारी किया, जिसमें पन्द्रह दिनों के स्थान पर दिनांक 02 नवंबर, 2020 तक निर्देश को लागू किया जाना था।

- **टैरिफ प्रकाशनों पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को जारी दिनांक 18 सितंबर, 2020 का निर्देश**

2.13.4 प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप धारा (1) के उपधारा (ख)

और (v) के साथ पठित भादूविप्रा अधिनियम की धारा 13 और दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और दिनांक 16 जनवरी, 2012 के अपने निर्देश का अधिक्रमण करते हुए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिनांक 18 सितंबर, 2020 के निर्देश के अंतर्गत टैरिफ ऑफर करते समय निम्नलिखित घोषणाएँ करने का निर्देश दिया:

टैरिफ योजनाओं के लिए आवश्यक घोषणाए

(क) इस निर्देश के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर सेवा क्षेत्र, पोस्ट–पेड ग्राहकों और प्रीपेड ग्राहकों के लिए प्रत्येक टैरिफ योजना, जैसा लागू हो, प्रकाशित करें और ग्राहकों सेवा केंद्र बिक्री के स्थान, खुदरा आउटलेट और वेबसाइट पर, दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऐप में निम्नलिखित आवश्यक घोषणाएँ उपलब्ध कराएं :

i. सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जैसे यूनिट/वॉइस का वॉल्यूम, डेटा और एसएमएस, उसके लिए दरें, जो लागू हो, उपयोग की सीमा, अधिकार के अंतर्गत उपयोग के बाद दरें और स्पीड आदि

ii. पोस्ट–पेड सेवाओं और स्टार्ट–अप किट (एसयूके) के लिए अग्रिम किराया, जमा, कनेक्शन शुल्क आदि सहित प्रासंगिक मदवार विवरण के साथ अग्रिम लागत का पूरा विवरण, जैसे टॉप अप, टैरिफ वाउचर, पहला रिचार्ज कूपन (एफआरसी) आदि, जो भी लागू हो

iii. स्पष्ट और समझने में आसान तरीके से उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ योजना की वैधता अवधि और बिल के भुगतान की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी

iv. टैरिफ योजना में शामिल विभिन्न उत्पादों की एक विस्तृत सूची, एक बंडल टैरिफ ऑफर के मामले में गैर–दूरसंचार उत्पादों के साथ–साथ वॉयस, डेटा और एसएमएस जैसे दूरसंचार उत्पादों की मात्रा/दर का विवरण

v. उन सभी शुल्कों का पूरा विवरण जो दूरसंचार और गैर–दूरसंचार उत्पादों के उपयोग के लिए निर्दिष्ट पात्रता के अलावा या दूरसंचार और गैर–दूरसंचार उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं पर लगाए जा सकते हैं जो विशेष रूप से प्रस्तावित या टैरिफ योजना में शामिल नहीं है

vi. वचन दिए गए सभी सेवा पैरामीटर जैसे डेटा स्पीड, आदि, स्पष्ट और समझने में आसान तरीके से उपलबद्ध करें तथा

vii. लागू उचित उपयोग नीति के विवरण सहित सभी भौतिक शर्तों का पूरा विवरण, जो विशेष रूप से उपरोक्त पैरा में शामिल है और इसके अलावा अन्य विवरण भी

एसटीवी/सीवी/ऐड ऑन पैक के लिए आवश्यक घोषणा

(ख) इस निर्देश के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर सेवा क्षेत्र, पोस्ट–पेड ग्राहकों और प्रीपेड ग्राहकों के लिए प्रत्येक टैरिफ योजना, जैसा लागू हो, प्रकाशित करें और ग्राहकों सेवा केंद्र बिक्री के स्थान, खुदरा आउटलेट और वेबसाइट पर, दूरसंचार सेवा प्रदाता के ऐप में निम्नलिखित आवश्यक घोषणाएँ उपलब्ध कराएं :

i. प्रत्येक एसटीवी/सीवी/ऐड ऑन पैक, जैसा भी लागू हो, की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे, वॉयस, डेटा और एसएमएस की यूनिट/वॉल्यूम, उसके लिए दरें, उपयोग की सीमा, और हकदार उपयोग के बाद

गति आदि, और टैरिफ योजना य्योजनाएंहजिन पर एसटीवी/सीवी/ऐड ऑन पैक लागू है

ii. किसी भी नाम से अग्रिम लागत और लागत घटकों का पूरा विवरण, जिसमें त्त्थम रिचार्ज की शर्तें य्एफआरसीह एक विशेष एसटीवी/सीवी/ऐड ऑन पैक का लाभ उठाने के लिए टैरिफ योजना की सदस्यता लेने की आवश्यकता, जिसमें अतिरिह्य लागत आ सकती है, शामिल हैं

iii. उपभोह्याओं के लिए एक स्पष्ट, साफ और समझने में आसान तरीके से एसटीवी/सीवी/ऐड–ऑन पैक की वैधता अवधि और वैधता अवधि के अंत में आवश्यक रिचार्ज की राशि के बारे में जानकारी

iv. एसटीवी/सीवी/ऐड ऑन पैक में शामिल सभी विशिष्ट सेवाओं की एक विस्तृत सूची, जिसमें वह एक बंडल टैरिफ ऑफर के मामले में गैर–दूरसंचार उत्पादों के साथ–साथ वॉयस, डेटा और एसएमएस जैसे दूरसंचार उत्पादों के लिए मात्राध्दर की जानकारी शामिल हो सकती है

v. उन सभी शुल्कों का पूरा विवरण जो दूरसंचार/गैर–दूरसंचार उत्पादों के उपयोग के लिए निर्दिष्ट पात्रता के बाद या दूरसंचार/गैर दूरसंचार उत्पादों के लिए उपभोह्याओं पर लगाए जा सकते हैं जो विशेष रूप से त्त्स्तावित नहीं हैं या एसटीवी/सीवी/ऐड ऑन पैक में शामिल नहीं है

vi. वचन दिए गए सभी सेवा पैरामीटर जैसे डेटा स्पीड आदि, स्पष्ट, और समझने में आसान तरीके से उपलबद्ध कराना तथा

vii. सभी भौतिक शर्तों का पूरा विवरण जो विशेष रूप से पूर्वोह्य सूचना बिंदुओं में शामिल नहीं हैं जैसे कि उचित उपयोग नीतियां आदि

य्गह सुनिश्चित करें कि उपरोह्य तरीके से त्त्काशित और उपरोह्य उप–पैरा य्एहऔर य्बीहमें संदर्भित टैरिफ, सेवा त्त्दाता की वेबसाइट, ऐप और कस्टमर केयर सेंटर, बिव्री के बिंदु और खुदरा दुकानों पर जब भी किसी भी टैरिफ ऑफर में या नया टैरिफ ऑफर लॉन्च किया जाता है, हर बार अपडेट किए जाएँ

य्घह इस निदेश के त्त्काशन के पन्द्रह दिनों के अंदर उपरोह्य उप–पैरा य्कहऔर य्खहमें निर्देशों की अनुपालन रिपोर्ट त्त्धिकरण को त्त्स्तुत करें तथा

य्ङह वित्तीय वर्ष के दिनांक 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और दिनांक 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही के बाद महीने की 7 तारीख तक स्व–त्त्माण पत्र के माध्यम से उपरोह्य उप–पैरा य्गहमें निर्देशों के संबंध में निरंतर अनुपालन के तथ्य त्त्धिकरण को त्त्स्तुत करे

- **टैरिफ विज्ञापनों पर दूरसंचार सेवा त्त्दाताओं को जारी दिनांक 18 सितंबर, 2020 का निर्देश**

2.13.5 त्त्धिकरण ने दिनांक 18 सितंबर, 2020 को भादूविप्रा अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपनी शह्यि का त्त्योग करते हुए और निर्देश संख्या 301–14/2010–ईआर दिनांक 26 मार्च, 2012 के पैरा 10 य्गह य्घह के अधिव्रमण में दूरसंचार सेवा त्त्दाताओं को अतिरिह्य नियमों और शर्तों को त्त्मुखता से त्त्दर्शित करने और टैरिफ संबंधी जानकारी का त्त्सार करते हुए, जहां भी आवश्यक हो, त्त्त्येक टैरिफ पेशकश के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के लिए एक लिंक त्त्दान करने और इस निर्देश के जारी होने की तिथि से अर्थात दिनांक 18 सितंबर, 2020 से पंद्रह दिनों के अंदर, अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पर इस सूचना को त्त्दर्शित करने का निर्देश दिया। उपर्युह्य निर्देश भादूविप्रा की वेबसाइट य्www.trai.gov.inहपर अपलोड किया गया था।

- **यूनिक पोर्टिंग कोड जनरेट करने, भुगतान न करने पर कनेक्शन बंद करने के अनुरोध और मोबाइल नंबरों के पुनः कनेक्शन के लिए न्यूनतम दस रुपये की सीमा के लिए दिनांक 27 अगस्त, 2020 का निर्देश**

2.13.6. प्राधिकरण ने दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (सातवां संशोधन) विनियम, 2018 जारी किया, जिसे दिनांक 16 दिसंबर, 2019 से लागू किया गया था, और जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि विनियमों के विनियम 6 क में निहित शर्तों के सत्यापन के आधार पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा युनीक पोर्टिंग कोड (इसके बाद ''यूपीसी'' के रूप में संदर्भित) आवंटित किया जाएगा।

प्राधिकरण ने अपने दिनांक 24 मई, 2011 के निर्देश संख्या 116–3/2011–एमएन के माध्यम से सभी सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं और एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाताओं को मोबाइल नंबर पोर्ट करने के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया था:

(क) यदि पिछले भुगतान किए गए बिल में ग्राहक से बकाया भुगतान दस रुपये से कम है, जिसे सेवा प्रदाता बिना किसी दंडात्मक शुल्क के ग्राहक के बाद के बिल में शामिल कर सकता है

(ख) उक्त प्रकार के मामले को छोड़कर मौजूदा संविदात्मक दायित्वों के आधार पर, –

(i) बंडल किए गए हैंडसेट के साथ पोस्ट–पेड कनेक्शन, अनुबंध संबंधी बाध्यता के साथ एक एक्जिट क्लॉज और सब्सक्राइबर ने उसका अनुपालन नहीं किया है तथा,

(ii) एक्जिट क्लॉज वाले संविदात्मक दायित्व के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन और सब्सक्राइबर ने उसका अनुपालन नहीं किया है

सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने अपने पत्र दिनांक 22 जून, 2020 के माध्यम से प्राधिकरण को लिखा था कि नियमों के अंतर्गत नॉन पेमेंट डिस्कनेक्शन (एनपीडी) सेवा अनुरोधों को बंद करने के लिए दस रुपये की सीमा भी लागू हो सकती है। डिस्कनेक्शन और पुनः संयोजन का समय, अर्थात जब एमएनपीएसपी पहले तीस दिनों के अंदर प्रदाता ऑपरेटर को मोबाइल नंबर की बकाया स्थिति के बारे में पूछेगा, तो प्रदाता ऑपरेटर एनपीडी के समाप्त करने के रूप में उत्तर देगा यदि बकाया राशि दस रुपये से कम है, और इसी तरह पुनः कनेक्शन के अनुरोध का समय, यदि बकाया राशि दस रुपये से कम है, तो ऑपरेटर एमएनपीएसपी को नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं भेजेगा और इस तरह के बकाया में कोई दंडात्मक शुल्क, जैसे देर से भुगतान शुल्क आदि, शामिल नहीं होगा।

उपरोक्त पैरा में उल्लिखित मुद्दे पर दिनांक 01 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'एमएनपी प्रक्रिया में एनपीडी मुद्दों' पर हुई बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एमएनपीएसपी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और वे सीओएआई के सुझाव से सहमत थे।

सातवें संशोधन विनियमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, यूपीसी की वैधता अवधि के अंदर सही यूपीसी के साथ एक व्यक्तिगत ग्राहक द्वारा प्रस्तुत पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, और जबकि कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध जो एमएनपीएसपी द्वारा ऑपरेटर को प्राधिकरण पत्र के सत्यापन के लिए अग्रेषित किए जाते हैं, दाता ऑपरेटर के डेटाबेस में उन लोगों के साथ प्राधिकरण पत्र में उल्लिखित विवरणों के मिलान के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

इसलिए, प्राधिकरण की राय थी कि दिनांक 24 मई, 2011 के निर्देश को प्रचलित विनियमों के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है, और इस प्रकार, यूपीसी के लिए किए गए अनुरोधों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए यदि पोस्ट–पेड ग्राहक से बकाया भुगतान लंबित है जिसे सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार जारी किया गया है, लेकिन युनीक पोर्टिंग कोड के अनुरोध की तारीख से पहले जारी किया गया है और वह दस रुपये या उससे कम है।

हालांकि, प्राधिकरण ने सातवें संशोधन विनियमों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए और टीएसपी और एमएनपीएसपी के प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के दौरान नोट किया कि पोर्ट किए गए ग्राहकों से बहुत मामूली बकाया राशि की वसूली के लिए एनपीडी के कई अनुरोध किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ₹ 8.50 या

₹ 0.50 आदि, और इस तरह न केवल ग्राहक को, बल्कि इतनी कम राशि के लिए डोनर ऑपरेटर, त्ताप्तकर्ता ऑपरेटर और एमएनपीएसपी को भी असुविधा होती है।

इसलिए, त्ताधिकरण सीओएआई के त्तस्ताव से सहमत है और इसका समर्थन सभी दूरसंचार सेवा त्तदाताओं द्वारा किया गया है, की दाता ऑपरेटर द्वारा ऐसे एनपीडी अनुरोध नहीं किया जाएगा, जहां पोर्ट किए गए ग्राहक द्वारा देय बकाया राशि दस रुपये या उससे कम है, और साथ ही त्ताप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा पुनः कनैक्शन का अनुरोध करने पर, जहां बकाया राशि दस रुपये या दस रुपये से कम है, एमएनपीएसपी को सकारात्मक त्ततिचि या भेजने की सहमति दी गई।

इसलिए, त्ताधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 य1997 का 24ह के अंतर्गत त्तद्व शह्नियों का त्तयोग करते हुए और दिनांक 24 मई, 2011 के निर्देश संख्या 116–3/2011–एमएन के अधिच्च मण में और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तें और उपभोह्याओं के हितों की रक्षा के लिए दिनांक 27 अगस्त, 2020 को सभी एक्सेस सर्विस त्तोवाइडर्स को डोनर ऑपरेटर के रूप में निम्नलिखित के लिए निर्देशित किया गया है : –

य्कह विनियम 6ए के उप–विनियम श्ुह के अनुच्छेद य्खह के अंतर्गत एमएनपीएसपी द्वारा किए गए बकाया देय राशि से संबंधित त्तश्न के उह्नर में, यदि पिछले भुगतान किए गए बिल में पोस्ट–पेड ग्राहक से दस रुपये या दस रुपये से कम राशि बकाया है तो यूपीसी उत्पन्न करने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए, जिसे सेवा त्तदाता बिना किसी दंड शुल्क के ग्राहक के बाद के बिल में शामिल कर सकता है

य्खह मोबाइल नंबर के लिए एनपीडी अनुरोध नहीं किए जाने चाहिए, यदि बिना किसी दंड शुल्क के पोर्ट किए गए ग्राहक से बकाया राशि दस रुपये या दस रुपये से कम है

य्गह त्ताप्तकर्ता ऑपरेटर द्वारा एमएनपीएसपी से त्ताप्त पुनः कनेक्शन के लिए अनुरोध पर डोनर ऑपरेटर की त्ततिचि या 'कोई बकाया नहीं' होनी चाहिए, यदि ग्राहक से बकाया राशि दस रुपये या दस रुपये से कम है

य्घह जब यूपीसी उत्पन्न करने के लिए विनियम 6 क के उप–विनियम श्ुह के अनुच्छेद य्छह के अंतर्गत एमएनपीएसपी द्वारा मौजूदा संविदात्मक दायित्वों से संबंधित पूछताछ की जाती है तो यूपीसी उत्पन्न करने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए, लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर :

i. बंडल हैंडसेट के साथ पोस्ट–पेड कनेक्शन अनुबंध संबंधी बाध्यता के साथ जिसमें निकास के लिए अनुच्छेद मौजूद है और सब्सच्र ाइबर ने उसका अनुपालन नहीं किया है तथा

ii. निकास अनुच्छेद वाले अनुबंध दायित्व के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन और सब्सच्र ाइबर ने उसका अनुपालन नहीं किया है

उह्न निर्देश दिनांक 27 अगस्त 2020 की एक त्तति भादूवित्ता की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम टीसीसीसीपीआरक्र 2018 के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 19 जून, 2020 को जारी निर्देश**

2.13.7 त्ताधिकरण ने अपने निर्देश सं. 311–04 / 2017–क्यूओएस दिनांक 19 जून, 2020 के माध्यम से सभी एक्सेस सेवा त्तदाताओं को निम्नलिखित निर्देश दिए:

कह एक त्तमुख इकाई को नया हेडर सौंपने के अनुरोध पर न्यूनतम त्तदर्शन आवश्यकताएं: यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण और हेडर के असाइनमेंट आदि के लिए नए अनुरोधों को संसाधित करने में कोई लम्बित नहीं है, त्तत्येक एक्सेस त्तदाता :

i. यह सुनिश्चित करें कि त्तमुख इकाई द्वारा सभी त्तासंगिक विवरण त्तस्तुत करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के अंदर पंजीकरण को मंजूरी दे दी गई है

ii. सुनिश्चित करें कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाली त्तमुख इकाई को आवेदन जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के अंदर, आवेदन में पाई गई कमियों के बारे में और स्पष्टीकरण के लिए एक्सेस त्तदाता के संपर्क विवरण देने के बारे में विधिवत सूचित किया गया है

iii. यह सुनिश्चित करना कि हेडर एक पंजीश त त्तमुख इकाई को सौंपा गया है या वैध कारणों से खारिज कर दिया गया है, यहा उस तिथि से दो कार्य दिवसों के अंदर होना चाहिए जिस पर हेडर के असाइनमेंट के लिए ऐसा अनुरोध किया गया हैय अस्वीश ति के मामले में, आवेदक को ऐसी अस्वीश ति के कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा

खह पंजीश त त्तमुख इकाई य़्पीईहऔर संबद्ध हैडर के बारे में जानकारी का त्तकाशन: त्तभकों के बारे में पारदर्शिता लाने के लिए त्तत्येक एक्सेस त्तदाता:

i. एक्सेस त्तदाता जिसने वास्तव में ऐसे पीई को पंजीश त किया है, डीएलटी पर पंजीश त सभी पीई की नवीनतम सूची, नाम, पता, शहर, पिन कोड के पूर्ण विवरण के साथ वेबसाइट पर त्तकाशित करेगा

ii. अपनी वेबसाइट पर किसी विशेष पीई से जुड़े सभी हैडर्स की नवीनतम सूची त्तकाशित करगा, जिसमें त्तत्येक हैडर के विशिष्ट उद्देश्य के विवरण हों जिसके लिए इसका उपयोग किया जाना है

iii. अपने ग्राहकों को किसी विशेष हेडर के लिए य़ाहऔर य़ाहमें उल्लिखित जानकारी त्ताप्त करने के लिए 1909 नंबर पर <हैडर> का विवरण टेक्स्ट के साथ एसएमएस भेजकर सुविधा त्तदान करता है, जो पहले से ही यूसीसी से संबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग में है

गह विनियमों के अनुसार संस्थाओं को भूमिकाएं सौंपने और हेडर सौंपने के लिए सेवा अनुबंध: त्तत्येक एक्सेस त्तदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा किसी भी संस्था को कोई ऐसी भूमिका नहीं सौंपी गई है जो नियमों के त्तावधानों के अनुसार नहीं है, और

i. सुनिश्चित करें कि ऐसा कोई सेवा समझौता नहीं किया गया है जो एक्सेस त्तदाताओं द्वारा टेलीमार्केटर्स जैसी अन्य संस्थाओं को निभाई जाने वाली भूमिका य़्भूमिकाओंहको दर्शाता है

ii. टेलीमार्केटर्स के साथ सेवा अनुबंधों के मौजूदा नियमों और शर्तों की समीक्षा और संशोधन करें, यदि कोई हो, जिसमें एक्सेस त्तदाता ने अपनी भूमिकाय़्ओंहऔर कार्यों को सौंप दिया है, जैसे इकाई पंजीकरण, सामग्री / सहमति टेम्पलेट पंजीकरण, टेलीमार्केटर का हेडर पंजीकरण क्योंकि ये विनियमों के अनुपालन में नहीं हैं

iii. सुनिश्चित करें कि किसी व्यह्यि या कानूनी इकाई के अलावा कोई अन्य इकाई, जिसने संदेश भेजा या वॉयस कॉल की, संदेश भिजवाया या वॉयस कॉल करवाया या संदेश भेजने या वॉइस कॉल करने के लिए अधिश त किया, नए हेडर के पंजीकरण या असाइनमेंट के लिए खुद को पीई के रूप में पेश न करें

घद्द पंजीश त होने के लिए पीई के लिए जागरूकता अभियान चलाएं: त्त्येक एक्सेस त्त्दाता हिंदी और अंग्रेजी के कम से कम दो त्त्मुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के त्त्काशन द्वारा इस निर्देश के जारी होने के 15 दिनों के अंदर स्वयं या अन्य एक्सेस त्त्दाताओं के सहयोग से एक मीडिया अभियान चलाएगा ताकि निम्न को सुनिश्चित किया जा सके:

i. जिन पीई ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है वे जानते हैं कि एक्सेस त्त्दाताओं के साथ पंजीश त किए बिना वाणिज्यिक संचार भेजकर और उन्हें सौंपे गए हेडर का उपयोग नहीं करने से, विनियमों के त्त्वधानों का उल्लंघन हो सकता है

ii. पीई को उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी है जैसे हेडर और सामग्री टेम्पलेट का पंजीकरण, मौजूदा ग्राहक की सहमति, और उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए सहमति की अधिग्रहण त्त्कि या

iii. पीई उसके द्वारा किए जाने वाले उपायों और एक्सेस त्त्दाताओं द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी है, जिसमें वेब पोर्टल के विवरण और अवांछित वाणिज्यिक संचार के खतरे को रोकने के लिए त्त्संगिक ऐप शामिल हैं

iv. पीई को एक्सेस त्त्दाताओं की वेबसाइटों के विशिष्ट पृष्ठों के लिंक के बारे में जानकारी है जो एक ऑनलाइन त्त्कि या के माध्यम से उनके साथ पंजीश त होने के लिए इंटरफेस त्त्दान करते हैं और इस उद्देश्य के लिए तैयार अक्सर पूछे जाने वाले त्त्श्न य्एफएक्यूद्द त्त्काशित किए जाते हैंय पीई तक पहुंचने के लिए डिजिटल मीडिया जैसे अभियान के विभिन्न अन्य चौनलों का उपयोग करें

त्त्सारण क्षेत्र

दिशा–निर्देश

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा र्ि क्र्के अनुच्छेद ख्रि क्र्के उप–खंड ख्रि क्र्के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 09 फरवरी, 2021 को मैसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन**

६.सं.	निर्देशों और संशोधन की सूची
1.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य्द्द के अनुच्छेद ख्द्द के उप–खंड ख्र्द्द के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन त्त्इवेट लिमिटेड को दिनांक 09 फरवरी, 2021 को जारी दिशा–निर्देश
2.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य्द्द के खंड ख्द्द के उप–खंड ख्र्द्द के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड को दिनांक 09 फरवरी, 2021 को जारी दिशा–निर्देश
3.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य्द्द के खंड ख्द्द के उप–खंड ख्र्द्द के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड को दिनांक 09 फरवरी, 2021 को जारी दिशा–निर्देश
4.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य्द्द के खंड ख्द्द के उप–खंड ख्र्द्द के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स केएएल केबल्स त्त्इवेट लिमिटेड को दिनांक 09 फरवरी, 2021 को जारी दिशा–निर्देश

5.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य१ह के खंड ख्खह के उप–खंड श्अह के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क त्ता. लि. को दिनांक 9 फरवरी, 2021 को जारी निर्देश
6.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य१ह के खंड ख्खह के उप–खंड श्अह के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स गुड मीडिया केबल नेटवर्क को दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को जारी निर्देश
7.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य१ह के खंड ख्खह के उप–खंड श्अह के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स मनाकुला विनयगर डिजिटल नेटवर्क और मेसर्स केएएल केबल्स त्तइवेट लिमिटेड और मैसर्स थामिझागा केबल टीवी कम्युनिकेशन त्तइवेट लिमिटेड को दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को जारी दिशा–निर्देश
8.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य१ह के खंड ख्खह के उप–खंड श्अह के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स को डेन सैटेलाइट नेटवर्क्स त्तइवेट लिमिटेड को दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को जारी दिशा–निर्देश
9.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा य१ह के खंड ख्खह के उप–खंड श्अह के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स मेट्रो कास्ट नेटवर्क इंडिया त्तइवेट लिमिटेड को दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को जारी दिशा–निर्देश
10.	भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत सभी त्तसारकों को दिनांक 18 अगस्त, 2020 के संसोधन के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2020 को जारी दिशा–निर्देश
11.	दूरसंचार य्तसारण एवं केबलह सेवा श्आठवांह य्एड्रेसेबल सिस्टम्सह टैरिफ य्द्वितीय संशोधनह आदेश, 2020 दिनांक 01 जनवरी 2020 और दूरसंचार य्तसारण एवं केबलह सेवा अन्तःसंयोजन य्एड्रेसेबल सिस्टम्सह य्दूसरा संशोधनह विनियम, 2020 दिनांक 01 जनवरी, 2020 के विभिन्न त्तवधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी त्तसारकों को दिनांक 24 जुलाई, 2020 को जारी निर्देश

त्राइवेट लिमिटेड को जारी दिशा–निर्देश

2.13.8 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के इस निर्देश के माध्यम से मेसर्स फास्टवे ट्रांसमिशन त्तइवेट लिमिटेड को दूरसंचार य्तसारण एवं केबलह सेवा श्आठवांह य्एड्रेसेबल सिस्टमह टैरिफ आदेश, 2017 और दूरसंचार य्तसारण एवं केबलह सेवाएं य्सेवा की गुणवत्ता सेवाएं य्सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण य्एड्रेसेबल सिस्टम्सह विनियम, 2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ि1क्र के खंड ि़खक्र के उप–खंड ि़अक्र के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 09 फरवरी, 2021 को मैसर्स केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड को जारी दिशा–निर्देश**

2.13.9 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के इस निर्देश माध्यम से, मैसर्स केरल कम्युनिकेटर्स केबल लिमिटेड को दूरसंचार य्तसारण एवं केबलह सेवाएं य्सेवा की गुणवत्ता सेवाएं य्सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण य्एड्रेसेबल सिस्टम्सह विनियम, 2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ि1क्र के खंड ि़खक्र के उप–खंड ि़अक्र के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 09 फरवरी, 2021 को मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड को जारी दिशा–निर्देश**

2.13.10 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के इस निर्देश माध्यम से, मैसर्स जीटीपीएल हैथवे लिमिटेड को दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृसेवा ऱ्आठवांहृ यएड्रेसेबल सिस्टमहृटैरिफ आदेश, 2017 और दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृसेवाएं ऱ्सेवा की गुणवत्त्ता सेवाएं ऱ्सेवा की गुणवत्त्ता और उपभोह्या संरक्षण यएड्रेसेबल सिस्टम्सहृ विनियम, 2017, दिनांक 3 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ऱ्क्रके खंड ऱ्खक्रके उप–खंड ऱ्अक्रके साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 09 फरवरी, 2021 को मैसर्स केएएल केबल्स त्राइवेट लिमिटेड को जारी दिशा–निर्देश**

  दिनांक 09 फरवरी, 2021 के इस निर्देश के माध्यम से मैसर्स केएएल केबल्स त्त्राइवेट लिमिटेड को दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृ सेवा ऱ्आठवांहृ यएड्रेसेबल सिस्टमहृ टैरिफ आदेश, 2017 और दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृ सेवाएं ऱ्सेवा की गुणवत्त्ता सेवाएं ऱ्सेवा की गुणवत्त्ता और उपभोह्या संरक्षण यएड्रेसेबल सिस्टम्सहृ विनियम, 2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ऱ्क्रके खंड ऱ्खक्रके उप–खंड ऱ्अक्रके साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 9 फरवरी, 2021 को मैसर्स यूसीएन केबल नेटवर्क त्रा. लि. को जारी निर्देश**

  दिनांक 09 फरवरी, 2021 के इस निर्देश के माध्यम से, मैसर्स यूसीएन केबल्स नेटवर्क त्त्राइवेट लिमिटेड को दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृ सेवा ऱ्आठवांहृ यएड्रेसेबल सिस्टमहृ टैरिफ आदेश, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ऱ्क्रके खंड ऱ्खक्रके उप–खंड ऱ्अक्रके साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स मनाकुला विनयगर डिजिटल नेटवर्क और मेसर्स केएएल केबल्स त्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स थामिझागा केबल टीवी कम्युनिकेशन त्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 16 दिसंबर, 2020 को जारी दिशा–निर्देश**

  दिनांक 16 दिसंबर, 2020 के इस निर्देश के माध्यम से, उपरोह्य सेवा त्त्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक त्त्रोग्राम गाइड में चौनलों की सूची के संबंध में 3 मार्च, 2017 के अन्तःसंयोजन विनियमन और दिनांक 03 मार्च, 2017 के सेवा विनियमन की गुणवत्त्ता के त्त्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ऱ्क्रके खंड ऱ्खक्रके उप–खंड ऱ्अक्रके साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को मैसर्स डेन सैटेलाइट नेटवर्क्स त्राइवेट लिमिटेड को जारी दिशा–निर्देश**

  दिनांक 04 दिसंबर, 2020 के इस निर्देश के माध्यम से, मेसर्स डेन सैटेलाइट नेटवर्क्स त्त्रा. लिमिटेड को दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृ सेवा ऱ्आठवांहृ यएड्रेसेबल सिस्टमहृ टैरिफ आदेश, 2017 और दूरसंचार स्त्रसारण एवं केबलहृ सेवाएं ऱ्सेवा की गुणवत्त्ता सेवाएं ऱ्सेवा की गुणवत्त्ता और उपभोह्या संरक्षण यएड्रेसेबल सिस्टम्सहृ विनियम, 2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ऱ्क्रके खंड ऱ्खक्रके उप–खंड ऱ्अक्रके साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को मैसर्स मेट्रो कास्ट नेटवर्क इंडिया त्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जेपीआर नेटवर्क त्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स सेवन स्टार डिष्ट कपा त्राइवेट**

लिमिटेड को जारी दिशा–निर्देश

दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को जारी इस निर्देश के माध्यम से, मैसर्स मेट्रो कास्ट नेटवर्क इंडिया त्ता. लिमिटेड, मेसर्स जेपीआर नेटवर्क त्ता. लिमिटेड और मैसर्स सेवन स्टार डॉट कॉम त्ता. लिमिटेड को दूरसंचार ्रसारण एवं केबलह सेवा ख्आठवांह्यएड्रेसेबल सिस्टमह्टैरिफ आदेश, 2017 और दूरसंचार ्रसारण एवं केबलहसेवाएं ख्सेवा की गुणवत्ता सेवाएं ख्सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण यएड्रेसेबल सिस्टम्सह विनियम, 2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप–धारा ािक्र्के अनुच्छेद खिक्र्के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत मैसर्स गुड मीडिया केबल नेटवर्क को दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 को जारी निर्देश**

  दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के इस निर्देश के माध्यम से, मैसर्स गुड मीडिया केबल नेटवर्क को इलेक्ट्रॉनिक त्तोग्राम गाइड में चौनलों की सूची के संबंध में दूरसंचार ्रसारण एवं केबलह सेवा ख्आठवांह यएड्रेसेबल सिस्टमह टैरिफ आदेश, 2017 और दूरसंचार ्रसारण एवं केबलहसेवाएं ख्सेवा की गुणवत्ता सेवाएं ख्सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण यएड्रेसेबल सिस्टम्सह विनियम, 2017, दिनांक 03 मार्च, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था।

- **भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत सभी त्रसारकों को दिनांक 18 अगस्त, 2020 के संशोधन के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2020 को जारी दिशानिर्देश**

  त्ताधिकरण ने दिनांक 24 जुलाई, 2020 को सभी त्तसारकों को दिनांक 10 अगस्त, 2020 तक त्ताधिकरण को सभी चौनलों नाम, त्त्र ति, भाषा, चौनलों के त्तति माह अधिकतम खुदरा मूल्य और चौनलों बुके के त्तति माह अधिकतम खुदरा मूल्य, या बुके की संरचना रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, और टीएओ 2020 और अन्तःसंयोजन विनियम, 2020 के त्तावधानों के अनुपालन में रेफरेंस इंटरकनेक्टेड ऑफर ख्आरआईओह में संशोधन करने का भी निर्देश दिया।

  समादेश याचिका यएलह संख्या 2020 का 117 और 2020 का 147 में दायर दो अंतरिम आवेदन ख्आईएएसह को दिनांक 07 अगस्त, 2020 को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा सूचीबद्ध किया गया और सुना गया था, जिसने एक आदेश पारित किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं–त्तसारकों द्वारा दायर सभी आईए को उस डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिसने समादेश याचिकाओं की सुनवाई की थी।

  याचिकाकर्ताओं–त्तसारकों द्वारा सभी आईए को तदनुसार दिनांक 12 अगस्त, 2020 को माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के संबंधित डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, त्ताधिकरण ने माननीय न्यायालय को आश्वासन दिया था कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निर्देश में निर्धारित दिनांक 10 अगस्त, 2020 की तिथि को दिनांक 26 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।

  इसलिए, त्ताधिकरण ने अधिसूचित किया कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निर्देश को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि दिनांक 24 जुलाई, 2020 के निर्देश में निर्धारित दिनांक 10 अगस्त, 2020 की तिथि को दिनांक 26 अगस्त, 2020 द्वारा त्ततिस्थापित किया जाएगा।

- **दूरसंचार ि्रसारण एवं केबलक्र्सेवा ाआठवांक्र्एिड्रेसेबल सिस्टम्सक्र्टैरिफ ाद्वितीय संशोधनक्र्आदेश, 2020 दिनांक 01 जनवरी, 2020 और दूरसंचार ि्रसारण एवं केबलक्र्सेवा अन्तःसंयोजन ाएिड्रेसेबल सिस्टम्सक्र्ादूसरा**

संशोधनक्रविनियम, 2020 दिनांक 01 जनवरी, 2020 के विभिन्न त्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी त्रसारकों को दिनांक 24 जुलाई, 2020 को जारी निर्देश

जून–जुलाई, 2020 माह में कुछ त्तसारकों ने डीपीओ को संशोधित कीमतों के साथ नए बुके स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना शुरू कर दिया था और एक त्तमुख ब्रॉडकास्टर ने अपने कम कीमत वाले बुके को बंद कर दिया ताकि उपभोह्मा नए उच्च मूल्य वाले बुके ले सकें जिससे उनका मासिक भुगतान बढ़ सकता था और उह्म ब्रॉडकास्टर ने दिनांक 1 अगस्त, 2020 से अपने कम कीमत वाले बुके के सब्सचि प्शन को बंद करने के लिए घोषणा की। उह्म ब्रॉडकास्टर द्वारा पेश किए जा रहे नए बुके टीएओ 2020 के त्तावधानों के अनुरूप नहीं थे और ब्रॉडकास्टर ने भादूवित्ता को सूचित करने की भी परवाह नहीं की, जो कि त्तिंसिपल टैरिफ ऑर्डर 2017 में त्तदान की गई रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का स्पष्ट उल्लंघन है।

ऐसे त्तसारकों ने स्थापित सिद्धांतों और मौजूदा विनियमों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए, टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के उल्लंघन में एकतरफा रूप से बुके की कीमतों में वृद्धि करके सेवा की पेशकशों को बदलना शुरू कर दिया और साथ ही साथ कम कीमत वाले बुके को बंद कर दिया, जिससे उपभोह्माओं के हितों की यथास्थिति पर त्तातिकूल त्तभाव पड़ा।

इसके अलावा, कुछ डीपीओ ने त्ताधिकरण के ध्यान में लाया है कि कई ब्रॉडकास्टर टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और अन्तःसंयोजन संशोधन विनियम 2020 के त्तावधानों के अनुसार समझौतों पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं हैं और चूंकि ब्रॉडकास्टर्स द्वारा पेश किए गए आरआईओ मौजूदा नियमों के अनुपालन में नहीं हैं इसलिए डीपीओ ऐसे गैर–अनुपालन समझौतों में त्तवेश करने के इच्छुक नहीं हैं जिससे इस क्षेत्र में एक नियामक शून्य पैदा हो जाए।

त्ताधिकरण ने देखा कि उद्योग में पूरी तरह से तदर्थवाद व्याप्त था जिसमें सभी अन्तःसंयोजन और अन्य समझौतों को एक/दो महीने के लिए नवीनीश त किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हो रही है और समझौतों को समय पर पूरा करने और सिग्नल/राजस्व हिस्सेदारी के त्तावधान आदि के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो रही है।

यह भी देखा गया कि भादूवित्ता द्वारा लगाए गए नियंत्रण के कारण लागू टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और अन्तःसंयोजन विनियम 2020 के गैर–कार्यान्वयन के लिए जबरदस्ती उपाय नहीं करना न केवल उपभोह्माओं के लिए बल्कि उन डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ आदि के लिए भी अनुचित था, जिन्होंने अन्तःसंयोजन विनियम 2020 और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के अनुसार पहले से ही दायित्व का अनुपालन किया है और ऐसे डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ ने भी भादूवित्ता को त्ततिनिधित्व किया है कि वे कुछ त्तसारकों द्वारा दायित्वों को पूरा न करने के कारण संशोधन टैरिफ आदेश 2020 के शेष भाग को पूर्ण रूप से लागू करने में सक्षम नहीं थे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ;द्द कुछ त्तसारकों द्वारा घोषित संशोधित मूल्य दिनांक 01 अगस्त, 2020 से त्तभावी होने वाले थेय ;पपद्ध त्ताधिकरण उपभोह्माओं के हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्य था और अपनी जिम्मेदारी का त्याग नहीं कर सकताय ;पपपद्ध इस बात की पूरी संभावना थी कि अन्य त्तसारक भी इसी तरह का उलंघन शुरू कर सकते हैं जिससे भादूवित्ता द्वारा त्तसारण क्षेत्र के नियमन के लिए निर्धारित कानूनी ढांचा ध्वस्त हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोह्माओं के मन में अनिश्चितता आती हैय और ;पअद्ध टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और अन्तःसंयोजन संशोधन विनियम 2020 के कार्यान्वयन में और देरी से उपभोह्माओं के हितों पर त्ततिकूल त्तभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप उपभोह्माओं को आपूरणीय क्षति होगी।

इसलिए, भादूवित्ता ने दिनांक 24 जुलाई, 2020 को ब्रॉडकास्टर्स को एक निर्देश जारी किया कि वे दिनांक 10 अगस्त, 2020 को या उससे पहले भादूवित्ता के विभिन्न त्तावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें और चौनल, के नाम,

प्रवृत्ति, भाषा या बुके की संरचना में परिवर्तन, प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

2.9 इसके अलावा, भादूविप्रा ने विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के विचार जानने के लिए निम्नलिखित परामर्श पत्र जारी किए।

दूरसंचार क्षेत्र

परामर्श पत्र

क्र.सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1.	''कम बिट दर अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर दिनांक 12 मार्च, 2021 का परामर्श पत्र
2.	''सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग और बिलिंग में सटीकता के लिए नियमावली) विनियम, 2006'' पर दिनांक 01 सितंबर, 2020 का परामर्श पत्र
3.	''डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र
4.	'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और अधिक ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा'' पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र
5.	''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत एसयूसी लागू करने की पद्धति'' पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का परामर्श पत्र

- **''कम बिट दर अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर दिनांक 12 मार्च, 2021 का परामर्श पत्र**

डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 23 नवंबर, 2020 के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(क) के अंतर्गत भादूविप्रा से अनुरोध किया कि ''वाणिज्यिक और कैप्टिव उपयोग दोनों के लिए सैटेलाइट आधारित कम बिट-दर अनुप्रयोगों के प्रावधान को सक्षम करने के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करें।

प्रस्तावित सैटेलाइट आधारित कम बिट दर सेवाओं के संबंध में मौजूदा प्रावधानों की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि वाणिज्यिक और कैप्टिव उपयोग दोनों पर ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त लाइसेंसिंग ढांचे की आवश्यकता है। इसे देखते हुए, डीओटी ने भादूविप्रा से सभी कारकों की समग्र रूप से जांच करने और डीओटी के मौजूदा लाइसेंसिंग ढांचे के अंतर्गत प्रावधानों को सक्षम करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है, या वाणिज्यिक और कैप्टिव उपयोग दोनों के लिए प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, बैंक गारंटी, एनओसीसी शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग सहित ऐसी सेवाओं के लिए शुल्क/रॉयल्टी शुल्क आदि नए लाइसेंसिंग ढांचे का सुझाव दिया जा सकता है।

इस संबंध में, हितधारकों से इनपुट आमंत्रित करते हुए दिनांक 21 मार्च, 2021 को ''कम बिट दर अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **''सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता (विनियम, 2006'' पर दिनांक 01 सितंबर, 2020 का परामर्श पत्र**

  दिनांक 01 सितंबर, 2020 को प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए ''सेवा की गुणवत्ता की समीक्षा (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए अभ्यास संहिता) विनियम, 2006'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। हितधारकों द्वारा लिखित टिप्पणियों की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर, 2020 थी और प्रति टिप्पणियां दिनांक 10 नवंबर, 2020 तक भेजी जा सकती थी। दिनांक 03 मार्च, 2021 को ओपन हाउस चर्चा का आयोजित किया गया था। दस्तावेज दूरसंचार क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में मीटरिंग और बिलिंग के दिशानिर्देशों पर विचार–विमर्श करता है ताकि अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से ऑडिट में मदद करने के लिए तकनीकी समाधान की संभावनाएं खोजी जा सकें और यहा पता लगया जा सके की क्या सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए कोड) विनियम, 2006 की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

- **''डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करना'' पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र**

  डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ यह सूचित किया कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018, अपने 'प्रोपेल इंडिया' मिशन के अंतर्गत, 'निवेश और नवाचार को उत्प्रेरित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देना के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था में सुधार के रूप में एक रणनीति की परिकल्पना करती है। डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से अलग–अलग लेयर्स (जैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क, सर्विसेज और एप्लिकेशन लेयर) की अनबंडलिंग को सक्षम करना उपरोक्त रणनीति को पूरा करने की कार्य योजनाओं में से एक है। दिनांक 08 मई, 2019 के उक्त पत्र के माध्यम से, डीओटी ने अन्य बातों के साथ, भादूविप्रा से अनुरोध किया कि वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की शर्तों के अंतर्गत, संशोधित लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयर्स के अनबंडलिंग को सक्षम करने पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करें।

  इससे पहले भादूविप्रा ने दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को ''डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर एक पूर्व–परामर्श पत्र के माध्यम से लाइसेंस के अनबंडलिंग के लिए व्यापक ढांचे पर हितधारकों से इनपुट मांगा था।

  पूर्व–परामर्श पत्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और आंतरिक विश्लेषण पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, दिनांक 20 अगस्त, 2020 को ''डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न परतों के अनबंडलिंग को सक्षम करने'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

  परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

- **'ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और अधिक ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा'' पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 का परामर्श पत्र**

  भादूविप्रा दिनांक ने 20 अगस्त, 2020 को ''ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और अधिक ब्रॉडबैंड स्पीड को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

  देश में बढ़ती विश्वसनीय और उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी वर्ष 2004 से सरकार और प्राधिकरण के ध्यान में रही है। वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए अतीत में कई नीतिगत और नियामक पहल की गई हैं। आईसीटी के क्षेत्र में हो रहे लगातार विकास ब्रॉडबैंड नेटवर्क की पहुंच और प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार

सरकार, त्ताधिकरण और टीएसपी पर दबाव डाल रहे हैं। लगातार बढ़ती मांग और उपभोह्याओं की अपेक्षाओं को पूरा करने के त्तयास जारी हैं। ब्रॉडबैंड नेटवर्क की पहुंच और त्तदर्शन में सुधार के लिए एनडीसीपी–2018 में कई रणनीतियों की पहचान की गई है। ऐसी रणनीतियों को कार्रवाई योग्य बिंदुओं में बदलने की जरूरत है।

इसके अलावा डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 26 अत्तैल, 2019 के माध्यम से भादूवित्ता अधिनियम 1997 की धारा 11य्ह्यकह्के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं पर त्ताधिकरण से अपनी अनुशंसाएँ त्तस्तुत करने का अनुरोध किया:

ःकह "विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग स्पीड अर्थात स्थिर और गतिशील के साथ अपलोड/डाउनलोड गति को निर्धारित करनाय

ःखह ब्रॉडबैंड स्पीड की विभिन्न श्रेणियों जैसे बेसिक ब्रॉडबैंड, हाई ब्रॉडबैंड और अल्ट्ा–हाई ब्रॉडबैंड आदि को यूरोप में कैसे परिभाषित किया जा सकता हैय तथा

ःगह 50 एमबीपीएस के एनडीसीपी–2018 उद्देश्य को त्ताप्त करने के लिए ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने की रूपरेखा।

डीओटी ने दिनांक 08 मई, 2019 और दिनांक 06 जून, 2019 को दो अन्य अलग–अलग संदर्भों के माध्यम से एनडीसीपी–2018 रणनीतियों च मशः "पुनर्क्रिय य और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों य्वीएनओह्के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण और उपलब्धता के लिए अभिनव ष्टिकोण को त्तोत्साहन द्वारा" और "नवीन और वैकल्पिक त्तौद्योगिकियों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना"। दोनों रणनीतियाँ "कनेक्ट इंडिया: एक मजबूत संचार अधरभूत संरचना का निर्माण" मिशन का हिस्सा हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ, त्ताधिकरण इस परामर्श पत्र के माध्यम से य्ह फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड को परिभाषित करने, य्iiह बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभिनव ष्टिकोण, य्iiiह ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, और य्ivह ब्रॉडबैंड की गति बढ़ाने के लिए उपायों पर हितधारकों के इनपुट त्ताप्त करने का इरादा रखता है।

- **"स्पेक्ट्म शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत एसयूसी लागू करने की पद्धति" पर दिनांक 22 अत्तैल, 2020 का परामर्श पत्र**

  भादूवित्ता ने दिनांक 22 अत्तैल, 2020 को "स्पेक्ट्म शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्म उपयोग शुल्क य्एसयूसीह्लागू करने की पद्धति" पर परामर्श पत्र जारी किया।

  डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2020 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ–साथ सूचित किया कि दिनांक 24 सितंबर, 2015 को डीओटी द्वारा जारी एक्सेस सर्विस त्तोवाइडर्स द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्म को साझा करने के लिए मौजूदा दिशा–निर्देश त्तावधान करते हैं कि शेयरिंग के बाद त्तत्येक लाइसेंसधारक की एसयूसी दर समायोजित सकल राजस्व य्एजीआरह्का 0.5% बढ़ जाती है। डीओटी ने यह भी सूचित किया कि उसे अनुरोध त्ताप्त हुआ है कि 0.5% पोस्ट शेयरिंग की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल उस विशेष स्पेक्ट्म बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों द्वारा आयोजित पूरे स्पेक्ट्म पर, चूंकि एक विशेष बैंड में साझा करने की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि में, डीओटी ने भादूवित्ता से निम्न पर अपनी अनुशंसाएँ त्तस्तुत करने का अनुरोध किया: य्ह क्या स्पेक्ट्म शेयरिंग के मामलों में एसयूसी दर में 0.5% की वृद्धि केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू की जानी चाहिए जिसमें साझाकरण हो रहा हैय या एसयूसी की समग्र भारित औसत दर, जो सभी बैंडों से त्ताप्त की गई है और य्iiह संशोधित भादूवित्ता अधिनियम 1997 के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिए उपयुह्य समझी जाने वाली कोई अन्य अनुशंसाएँ।

  इस संबंध में, "स्पेक्ट्म शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत स्पेक्ट्म उपयोग शुल्क य्एसयूसीह्लागू करने की पद्धति" पर एक परामर्श पत्र दिनांक 22 अत्तैल, 2020 को जारी किया गया

था जिसमें परामर्श पत्र मे उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां मांगी गई थीं।

परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र

परामर्श पत्र

- **दिनांक 19 नवंबर, 2014 को "प्लेटफार्म सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा "पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं**

क्र.सं.	परामर्श पत्रों की सूची
1.	दिनांक 19 नवंबर, 2014 को "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक रूपरेखा " पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर एमआईबी के वापस संदर्भ और दिनांक 13 नवंबर, 2019 को "डीटीएच ऑपरेटर्स द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सर्विसेज" पर भादुविप्रा की अनुशंसाओं पर एमआईबी के संदर्भ पर दिनांक 07 दिसंबर, 2020 का परामर्श पत्र
2.	"प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए सशर्त एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए रूपरेखा" पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का परामर्श पत्र

पर एमआईबी के वापस संदर्भ और दिनांक 13 नवंबर, 2019 को "डीटीएच ऑपरेटर्स द्वारा दी जाने वाली प्लेटफार्म सर्विसेज" पर भादुविप्रा की अनुशंसाओं पर एमआईबी के संदर्भ पर दिनांक 07 दिसंबर, 2020 का परामर्श पत्र

एमआईबी ने अपने पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11(4) के प्रावधान के अनुसार "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए नियामक रूपरेखा" पर दिनांक 19 नवंबर, 2014 की भादूविप्रा की अनुशंसाओं को संशोधनों के साथ अनुमोदित अनुशंसाओं पर पुनर्विचार के लिए वापस संदर्भित किया।

इसके अलावा, एमआईबी ने अपने दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के एक अन्य पत्र के माध्यम से दिनांक 19 नवंबर, 2014 को प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए भादूविप्रा की अनुशंसाओं पर और दिनांक 13 नवंबर, 2019 को "डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं" पर भादूविप्रा की अनुशंसाओं को संदर्भित किया। इस दूसरे संदर्भ के माध्यम से, एमआईबी ने "डीटीएच" शब्द के स्थान पर "एमएसओ" शब्द को बदलकर एमएसओ द्वारा पेश की जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाओं के संबंध में चार मुद्दों पर कुछ अनुशंसाओं को अपनाने के लिए और भादूविप्रा से उपरोक्त प्रस्ताव पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

प्राधिकरण ने उपर्युक्त दोनों पत्रों पर एक साथ विचार किया। प्राधिकरण ने 2014 में "प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए नियामक रूपरेखा" पर अपनी अनुशंसाओं को भेजा था और तब से काफी प्रगति हो चुकी है। इसके अलावा, कुछ नए मुद्दे हैं जिन्हें एमआईबी ने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 में उठाया है, जिसमें 2019 में एमएसओ पर भी डीटीएच ऑपरेटरों के लिए की गई कुछ अनुशंसाओं को लागू किया गया है। इसलिए, अपने अभ्यास के अनुरूप, भादूविप्रा एक उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद एमआईबी को उपर्युक्त पत्रों पर अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करेगा। इसलिए, भादूविप्रा ने दिनांक 07 दिसंबर, 2020 को सभी हितधारकों की टिप्पणियों के लिए परामर्श पत्र जारी किया।

- **प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए सशर्त एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के तकनीकी अनुपालन के लिए रूपरेखा" पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 का परामर्श पत्र**

भादूवित्ता ने दिनांक 22 अत्रैल, 2020 को ''त्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम ख्सीएएसह और सब्स्क्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स ख्एसएमएसह के तकनीकी अनुपालन के लिए रूपरेखा'' पर परामर्श पत्र जारी किया। इस परामर्श पत्र के माध्यम से भादूवित्ता ने निम्नलिखित मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीः –

(i) डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए सभी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से शामिल करने के लिए सीएएस और एसएमएस की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं की सूची बनाएं, जिसमें कंटेन्ट की सुरक्षा और सदस्यता की तथ्यात्मक रिपोर्टिंग पर ध्यान दिया गया है। श पया दूरसंचार ख्त्रसारण एवं केबलह सेवा अन्तःसंयोजन ख्एड्रेसेबल सिस्टम्सह विनियम, 2017 की अनुसूची–।।। में निर्दिष्ट सुविधाओं सहित विस्तृत सूची त्रदान करें।

(ii) लेखापरीक्षा त्रकि्रया के अनुसार ख्अनुसूची–।।। के अनुपालन मेंह सीएएस/एसएमएस अनुपालन की पुष्टि करने के लिए विक्रेता से एक त्रमाण पत्र पर्याप्त है। क्या आपको लगता है कि सभी सीएएस और एसएमएस उपरोक्त वर्णित अपेक्षित सुविधाओं का अनुपालन करते हैं? यदि नहीं, तो सीएएस/एसएमएस के अनुपालन में सुधार के लिए क्या अतिरिक्त जांच या अनुपालन उपायों की आवश्यकता है?

(iiii) क्या आप मानते हैं कि भारत में किसी भी डीपीओ द्वारा इन्हें लागू करने से पहले सिस्टम की न्यूनतम आवश्यकताओं को बेंचमार्क करने के लिए सीएएस/एसएमएस सिस्टम के लिए एक ढांचे को परिभाषित करने की आवश्यकता है?

(iv) सीएएस/एसएमएस विक्रेताओं द्वारा नियमित अपग्रेड/कॉन्फिगरेशन के अभाव में उपभोक्ताओं के साथ–साथ अन्य हितधारकों को नुकसान न हो, इसके लिए कौन से सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं?

(v) भारत में सीएएस और एसएमएस के लिए रूपरेखा को परिभाषित करने का कार्य किसे सौंपा जाना चाहिए? कारण सहित अपने चयन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ऐसी इकाई की संरचना और कार्यत्रणाली का वर्णन करें।

(vi) तंत्र/संरचना क्या होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारक परीक्षण निर्देशोंध्त्रकि्रयाओं के निर्माण में निर्णय लेने की त्रकि्रया में सकि्रय रूप से संलग्न हों? अपनी त्रतिक्रिया के समर्थन में भारत में या विश्व स्तर पर अनुकूलित किसी भी मौजूदा मॉडल का उल्लेख करें।

(vii) एक बार सीएएस और एसएमएस के लिए तकनीकी ढांचा विकसित हो जाने के बाद, श पया अनुपालन तंत्र के लिए एक उपयुक्त मॉडल का सुझाव दें।

कह क्या इस तरह के ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण और त्रमाणन करने के लिए एक नामित एजेंसी होनी चाहिए? या वैकल्पिक रूप से परीक्षण और त्रमाणन का काम मानक बनाने वाली एजेंसी/सरकार द्वारा सूचीबद्ध मान्यता त्राप्त परीक्षण त्रयोगशालाओं को सौंपा जाना चाहिए? श पया सुझाए गए मॉडल के लाभों और सीमाओं ख्यदि कोई होह सहित विस्तृत सुझाव दें।

खह भारतीय बाजार में सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण और त्रमाणन के सुचारू कार्यान्वयन के लिए योजना चरण में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्या आप कार्यान्वयन में कोई चुनौती देखते हैं?

गह निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र क्या होना चाहिए? श पया राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम त्रथाओं को साझा करते हुए तर्क के साथ अपनी टिप्पणी त्रदान करें।

(i) एक बार एक नया ढांचा स्थापित हो जाने के बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र होना चाहिए कि सभी सीएएस/एसएमएस विनिर्देशों का अनुपालन करते हैं? क्या मौजूदा और तैनात सीएएस/

एसएमएस सिस्टम को ढांचे के अनुरूप होना अनिवार्य है? यदि हां, तो ३ पया समय–सीमा का सुझाव दें। यदि नहीं, तो समान अवसर और साझा न्यूनतम ढांचा कैसे सुनिश्चित होगा।

(ii) क्या आपको लगता है कि सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण और त्त्माणन से आर्थिक दक्षता आएगी, सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और अंतिम उपभोक्ता के अनुभव में सुधार होगा? ३ पया विस्तृत टिप्पणियाँ त्त्दान करें।

(iii) वर्तमान परामर्श से संबंधित कोई अन्य मुद्दा।

भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा

नीतिगत ढांचे के विशिष्ट संदर्भ में भारतीय दूरसंचार विनियामक त्त्धिकरण के कामकाज और संचालन की समीक्षा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है: ४कद्दग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क ४खद्दटेलीफोन नेटवर्क का विस्तार ४गद्दबुनियादी और मूल्य वर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का त्त्वेश ४घद्दसेवा त्त्दाताओं के साथ तकनीकी संगतता और त्त्भावी अंतःचि या ४ङ द्ददूरसंचार त्त्रौद्योगिकी ४चद्दराष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन ४छद्दसेवा की गुणवत्ता और ४जद्दसार्वभौमिक सेवा दायित्व का विवरण नीचे दिया गया है:–

कक्र ग्रामीण टेलीफोन नेटवर्क

दिनांक 31 मार्च, 2021 तक ग्रामीण वायरलाइन सब्स्क्र ाइबर बेस 1.67 मिलियन था, जो दिनांक 31 मार्च, 2020 के अंत में 2.24 मिलियन की तुलना में वर्ष भर में 25.45% की गिरावट को दर्शाता है।

खक्र टेलीफोन नेटवर्क का विस्तार

2.10 दिनांक 31 मार्च, 2021 को कुल वायरलाइन सब्स्क्र ाइबर बेस दिनांक 31 मार्च, 2020 को 20.22 मिलियन ग्राहकों की तुलना में 20.24 मिलियन था, जो वर्ष 2020–21 के दौरान 0.11% की वृद्धि को दर्शाता है। 20.24 मिलियन वायरलाइन सब्स्क्र ाइबरों में से 18.57 मिलियन शहरी सब्स्क्र ाइबर हैं और 1.67 मिलियन ग्रामीण ग्राहक हैं।

2.11 दिनांक 31 मार्च, 2021 को वायरलेस सब्स्क्र ाइबर बेस 1180.96 मिलियन है, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2020 को यह 1157.75 मिलियन था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सब्स्क्र ाइबर बेस में 27.18 मिलियन की वृद्धि हुई।

गक्र बुनियादी और मूल्य वर्धित सेवा में निजी क्षेत्र का त्रवेश

2.12 दिनांक 31 मार्च, 2021 को एक्सेस सेवाएं त्त्दान करने के लिए यूएल / यूएल ४एएस)/ यूएएसएल / सीएमटीएस के अंतर्गत लाइसेंसों की संख्या निम्नलिखित है:

घक्र सेवा त्रदाताओं के साथ तकनीकी दक्षता और त्रभावी अन्तःसंयोजन

लाइसेंस का नाम	लाइसेंस की संख्या
एक्सेस सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस ४यूएल)द्दअनुमति	14
एकीकृत एक्सेस सर्विस लाइसेंस ४यूएएसएल)द्द	61
सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ४सीएमटीएस)द्दलाइसेंस	2

एक्सेस सेवा त्तदान करने के लिए एकीश त लाइसेंस	एक्सेस सेवा	16
ख्वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरहख्यूएल ख्वीएनओह	श्रेणी 'ख' सेवाएं	110
एनएलडी लाइसेंस की संख्या ख्यूएल व्यवस्था से पहलेह		21
एनएलडी लाइसेंस की संख्या ख्यूएल व्यवस्था के अंतर्गतह		11
दिनांक 30 जून, 2021 को ख्यूएल व्यवस्था के अंतर्गतह दिनांक 30 जून, 2017 ख्एनएलडीहके अनुसार		
एनएलडी लाइसेंस की संख्या ख्यूएल व्यवस्था से पहलेह		21
एनएलडी लाइसेंस की संख्या ख्यूएल व्यवस्था से पहलेह		6
दिनांक 15 दिसंबर, 2015 को ख्आईएलडीह		

स्रोत: डीओटी

2.13 भादूविप्रा अधिनियम के अंतर्गत, त्ताधिकरण को इंटरकनेक्टिविटी के नियम और शर्तें तय करने और सेवा त्तदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और त्तभावी अन्तःसंयोजन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अन्तःसंयोजन एक बहु–संचालक वातावरण में दूरसंचार व्यवसाय के मूल में निहित है। सेवा त्तदाताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अन्तःसंयोजन के नियमों और शर्तों को विनियमित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भादूविप्रा द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अन्तःसंयोजन के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए: –

''दूरसंचार अन्तःसंयोजन उपयोग शुल्क ख्सोलहवां संशोधनहविनियम, 2020'', दिनांक 17 अत्तैल, 2020

भादूविप्रा ने दिनांक 17 अत्तैल, 2020 को ''दूरसंचार अन्तःसंयोजन उपयोग शुल्क ख्सोलहवां संशोधनह विनियम, 2020'' जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, निश्चित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क ख्आईटीसीह₹ 0.30 त्तति मिनट की दर को ₹ 0.35 त्तति मिनट से ₹ 0.65 त्तति मिनट की निर्धारित सीमा के अंदर सीमित करते हुए संशोधित किया गया है। इसके अलावा, लंबी दूरी के एकल और एकीश त अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों ख्आईएलडीओह के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सेवा त्तदाता सभी को आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा अर्थात अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ–साथ एकल आईएलडीओ को। ये विनियम दिनांक 01 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

ड़क्र दूरसंचार त्तौद्योगिकी

2.14 दूरसंचार उपभोक्ताओं के साथ त्ताधिकरण की पहुंच और संपर्क को बढ़ाने के लिए त्ताधिकरण द्वारा निम्नलिखित तकनीकी उपाय किए गए:

(i) चैनल सिलेक्टर ऐप:

टेलीविजन और त्तसारण क्षेत्र के लिए भादूविप्रा के मौजूदा नियमों/आदेशों ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों का चयन करने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। नए ढांचे के कार्यान्वयन के साथ चैनलों के चयन में उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए, भादूविप्रा ने इस चैनल सिलेक्टर ऐप को विकसित किया है और दिनांक 25 जून, 2020 को एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया है। यह ऐप डीटीएच/केबल सब्सक्राइबरों को उनकी खुद की सदस्यता की जांच करने, उनके डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा त्तदान किए गए संपूर्ण प्लेटफॉर्म त्तसाद को जानने, अनुकूलित समाधान त्ताप्त करने और संशोधित सदस्यता अनुरोध जमा करने की

सुविधा त्तद्रान करता है।

(ii) एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए पोर्टलः

यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियम 35 के अंतर्गत पंजीश त हैडर के लिए 5 पैसे तक एसएमएस समाप्ति शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा त्तद्रान करता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण की तिथियों और 5 पैसे की छूट से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में जानने में भी मदद करता है।

(iii) हैडर सूचना पोर्टलः

हैडर सूचना पोर्टल सब्स्क्राइबरों को वाणिज्यिक और जागरूकता के लिए सरकारी संचार के त्तेषक को जानने की सुविधा त्तद्रान करता है। यह पोर्टल अन्य त्तमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि कोई समान दिखने वाला हैडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीश त है या नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हैडर से पूछताछ कर सकता है या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी त्तमुख संस्थाओं व्यावसायिक या कानूनी संस्थाओं को सौंपे गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

(iv) डीएनडी ऐप–एपीआई निर्देशः

टीसीपीसीपी विनियम 2018 के जारी होने के साथ ही विनियम के त्तावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में बड़े बदलाव किए जा रहे थे। तदनुसार, डीएनडी ऐप को विनियमों के अनुसार अपडेट करने की आवश्यकता थी। इसलिए, सेवा त्तद्राता त्तणालियों के साथ सुरक्षित रूप से संवाद करने के लिए एपीआई निर्देश बनाए गए थे। इन एपीआई निर्देशों के साथ सेवा त्तद्राता डीएनडी ऐप में एकीश त करने के लिए अपने एपीआई विकसित करेंगे।

(v) ई–अॉफिसः

डॉ. पी.डी. वाघेला, अध्यक्ष, भादूविप्रा ने दिनांक 01 जनवरी, 2021 को ई–ऑफिस का उद्घाटन किया। ई–ऑफिस को अपनाने के साथ, भादूविप्रा काफी हद तक एक कागज रहित संगठन बन गया, जिसमें सभी फाइलो का काम इलेक्ट्रॉनिक फाइल मोड के माध्यम से किया जाता है। ई–ऑफिस को अपनाने से त्तशासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, भौतिक फाइलों के भंडारण और संरक्षण में होने वाली लागत कम होगी, अधिकारियों को ''कहीं भी और कभी भी'' फाइलों को निपटाने में सुविधा होगी, जिससे फाइल निपटान की दक्षता में सुधार होगा, वरिष्ठ अधिकारियों को फाइलें और महत्वपूर्ण कागजात 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध होंगे।

(vi) रिपोर्टिंग स्वचालनः

आईटी डिवीजन ने डेटा संग्रह और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पोर्टल विकसित किया है, जो भादूविप्रा में विभिन्न विभागों के लिए स्वचालित डेटा संग्रह, प्रोसेसिंग और रिपोर्ट की सुविधा प्रदान करेगा। संबंधित विभाग द्वारा चिन्हित हितधारक वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ डेटा जमा करेंगे। संसाधित डेटा और विश्लेषणात्मक टेबल का उपयोग करके बनाई जा रही हैं और संबंधित विभाग को डाउनलोड करने के लिए सिस्टम में उपलब्ध हैं। वर्तमान में एनएसएल–द्वितीय प्रभाग प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के लिए प्रणाली का उपयोग कर रहा है। बाद में, एक बार एनएसएल–। और क्यूओएस डिवीजनों के लिए अनुकूलन हो जाने के बाद, ये डिवीजन सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

(vii) डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड सेवाएं

क्राउडसोर्सिंग के माध्यम से और संबंधित सेवा प्रदाताओं से डेटा संग्रह से सार्थक अंतर्दृष्टि और जानकारी बनाने के लिए, भादूविप्रा के विभिन्न डिवीजनों के लिए आंतरिक रिपोर्ट पीढ़ी के लिए मुक्त/लाइसेंस प्राप्त टूल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नियमित रूप से डेटा विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, भादूविप्रा के अधिकांश एप्लिकेशन क्लाउड वातावरण पर होस्ट किए जाते हैं और इस प्रकार समय और बुनियादी ढांचे की लागत के मामले में बचत के अवसर का लाभ उठाते हैं।

(viii) आधारभूत संरचना को अपडेट करना:

1. कोविड–19 महामारी के कारण मीटिंग/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित सभी आधिकारिक कार्य ऑनलाइन किए गए।

कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए:

(क) ई–ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने के लिए एनआईसी और भादूविप्रा के बीच 50 एमबीपीएस एनआईसी नेट लाइन की स्थापना की गई।

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च गति के इंटरनेट/ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए 16 दोहरे बैंड वाईफाई राउटर स्थापित किए गए।

(ग) ई–बैठकों में भाग लेने के लिए उप सलाहकार और उच्च स्तर के अधिकारियों को 35 वेबकैम और हेडफोन प्रदान किए गए।

(घ) ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए 20 हाई स्पीड स्कैनर और 100 डीएससी खरीदे गए।

उपभोक्ता आउटरीच:

पूरे देश में उपभोक्ता आउटरीच के महत्व को देखते हुए, भादूविप्रा के पास दूरसंचार वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल और देश भर में आयोजित उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से एक सार्वजनिक इंटरफेस है। भादूविप्रा ने उपभोक्ता संगठनों के उपभोक्ता समर्थन समूहों (सीएजी) के रूप में पंजीकरण के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। पंजीकृत सीएजी उपभोक्ताओं, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और भादूविप्रा के बीच वार्ताकार के रूप में कार्य करते हैं और उपभोक्ता शिक्षा में भादूविप्रा की सहायता करते हैं। भादूविप्रा लगातार शैक्षिक/प्रचार सामग्री प्रस्तुत करके और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान चलाकर अपने अधिकारों और सेवा से संबंधित मुद्दों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काम कर रहा है। महामारी के दौरान भादूविप्रा ने इन कार्यक्रमों को डिजिटल मोड के माध्यम से जारी रखा।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का कार्यान्वयन

2.15 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति यएनडीसीपी–2018ह में बुनियादी ढांचा त्त्रदाताओं य्आईपीह के दायरे को बढ़ाकर सक्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने और साझा करने योग्य, निष्क्रिय और सक्रिय बुनियादी ढांचे की तैनाती को बढ़ावा देने और त्त्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है।

भादूवित्त्रा ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को ''इन्फ्रास्ट्रक्चर त्त्रोवाइडर्स कैटेगरी–। य्आईपी–।ह रजिस्ट्रेशन के दायरे की समीक्षा'' पर स्वयं के विवेक से परामर्श पत्र जारी किया था। उचित परामर्श त्त्रक्रिया के बाद, भादूवित्त्रा ने 'इन्फ्रास्ट्रक्चर त्त्रोवाइडर्स कैटेगरी–। य्आईपी–।ह पंजीकरण के दायरे में वृद्धि' पर अनुशंसाएँ, दिनांक 13 मार्च, 2020 को जारी की इन्हें और सचिव य्दूरसंचारह डीओटी को विचार के लिए भेजा गया।

डीओटी ने अपने पत्र संख्या 10–12/2012–सीएस–।।। यबिन्दु–।।ह/236 दिनांक 18 नवंबर, 2020 के माध्यम से सूचित किया कि दिनांक 13 मार्च, 2020 को ''इन्फ्रास्ट्रक्चर त्त्रोवाइडर्स श्रेणी–। य्आईपी–।ह पंजीकरण के दायरे में वृद्धि'' पर भादूवित्त्रा की अनुशंसाओं पर विचार किया गया है और भादूवित्त्रा से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। उचित विचार–विमर्श के बाद, भादूवित्त्रा ने सचिव, डीओटी को पत्र संख्या आर–16/1/यह/2021–एनएसएल–। दिनांक 11 जनवरी, 2021 के माध्यम से अपनी त्त्रतिक्रिया भेजी।

डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 08 मई, 2019 के माध्यम से भादूवित्त्रा से राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 की रणनीतियों पर अनुशंसाएँ त्त्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एक एकीकृत नंबरिंग योजना विकसित करके पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करना' शामिल है। भादूवित्त्रा ने उचित विचार–विमर्श के बाद परामर्श त्त्रक्रिया और हितधारकों के साथ विचार–विमर्श के लिए, ''फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित करना'' पर अपनी अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिया और सचिव, डीओटी को पत्र दिनांक 29 मई, 2020 के माध्यम से भेजा गया।

छिक्र सेवा की गुणवत्ता क्यूओएसक्र

2.16 भादूवित्त्रा ने निम्नलिखित विनियमों के माध्यम से विभिन्न गुणवत्ता सेवा मानकों के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया है:

यकह बुनियादी टेलीफोन सेवा य्वायरलाइनह और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2009।

यखह ब्रॉडबैंड सेवा गुणवत्ता विनियम, 2006।

यगह वायरलेस डेटा सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2012।

वायरलाइन, सेल्युलर और ब्रॉडबैंड के विनियम अनुपालन के लिए नेटवर्क और सब्सक्राइबर मानदंड त्त्रदान करते हैं। मानकों का पालन न करने पर सेवा त्त्रदाताओं पर वित्तीय जुर्माना लगाने का त्त्रावधान है।

सेवा त्त्रदाताओं द्वारा त्त्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से बेंचमार्क के आधार पर सेवा त्त्रदाताओं के सेवा त्त्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं, वायरलेस डेटा सेवाओं, बुनियादी सेवाओं य्वायरलाइनह और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए अनुपालन रिपोर्ट तिमाही आधार पर त्त्रस्तुत की जाती है।

क्यूओएस विनियमों की 2019 में समीक्षा की गई और भादूवित्त्रा ने दिनांक 01 नवंबर, 2019 को ''आधारभूत टेलीफोन सेवा य्वायरलाइनह और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा य्सातवां संशोधनह विनियम, 2019'' के संबंध में गुणवत्ता के मानक जारी किए।

सेवा बेंचमार्क की गुणवत्ता का अनुपालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए, भादूवित्त्रा ने दिनांक 08 नवंबर, 2012 को जारी दूसरे संशोधन विनियमों के माध्यम से वित्तीय जुर्माने की त्त्रणाली निर्धारित की थी। ये विनियम बेंचमार्क की अनुपालना न करने, झूठी रिपोर्टिंग त्त्रस्तुत करने और अनुपालन रिपोर्ट में देरी के लिए

विद्धीय जुर्माने का त्तावधान करते हैं।

अनुपालन रिपोर्ट त्तस्तुत करने में देरी के लिए ₹ 5,000/– त्तति दिन और झूठी रिपोर्टिंग के लिए, ₹ 10,00,000/– त्तति पैरामीटर विद्धीय जुर्माने का त्तावधान है।

गैर–अनुपालन के लिए विद्धीय जुर्माने का विवरण नीचे दिया गया है:

सेलुलर सेवाएं

यिह पहली तिमाही में बेंचमार्क का अनुपालन न करने के लिए त्तति पैरामीटर एक लाख रुपये से अधिक नहीं।

यiiह लगातार दो या अधिक तिमाहियों में एक ही पैरामीटर के बेंचमार्क का अनुपालन न करना, लगातार दूसरे उल्लंघन के लिए डेढ़ लाख रुपये से अधिक नहीं और त्तत्येक लगातार उल्लंघन के लिए दो लाख रुपये से अधिक नहीं।

यiiiह किसी भी अनुवर्ती तिमाही में एक ही पैरामीटर के लिए बेंचमार्क का गैर–अनुपालन, जो लगातार गैर–अनुपालन नहीं है, त्तति पैरामीटर एक लाख रुपये।

बुनियादी सेवाएं यिायरलाइनक्र

बेंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए ₹ 50,000/– का जुर्माना त्तति पैरामीटर।

ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाएं

बेंचमार्क के गैर–अनुपालन के लिए पहली बार ₹ 50,000/– त्तति पैरामीटर का विद्धीय जुर्माना और वैकल्पिक उदाहरण के लिए ₹ 1,00,000/– त्तति पैरामीटर विद्धीय जुर्माना।

अवांछित वाणिज्यिक संचार

- अपने नेटवर्क से यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफलता के कारण गैर–अनुपालन के लिए वर्गीश त विद्धीय जुर्माना इस त्तकार है:
- नियमों के त्तावधानों का पालन न करने पर सेवा त्तदाता निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए उद्धरदायी

	"एक कैलेंडर माह के लिए आरटीएम के लिए यूसीसी की गणना" का मूल्य	विं ीय निरुत्साहन की राशि रुपये में
यकह	शून्य से अधिक लेकिन सौ से कम	त्तत्येक बार एक हजार रुपए
यखह	सौ से अधिक लेकिन एक हजार से कम	यकहसौ से अधिक होने पर त्तत्येक बार पाँच हजार रुपए पर अधिकतम विद्धीय जुर्माना
यगह	एक हजार से अधिक	यखहएक हजार से अधिक होने पर त्तत्येक बार 10 हजार रुपए पर अधिकतम विद्धीय जुर्माना

होगाः –

क. यदि विलंब की अवधि तीस दिनों से कम या उसके बराबर है, तो समय सीमा से अधिक की अवधि के लिए त्त्ति दिन पांच हजार रुपये से अधिक नहीं।

ख. तीस दिनों से अधिक की देरी की अतिरिद्य अवधि के लिए त्त्ति दिन बीस हजार रुपये से अधिक नहीं।

सेवा त्त्दाताओं के त्त्दर्शन का मूल्यांकन सेवा त्त्दाताओं द्वारा त्त्स्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर और भादूवित्त्ा द्वारा नियुद्य ऑडिट एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर भी किया जाता है। समय–समय पर रिपोर्ट, ऑडिट और स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से सेवा की गुणवद्धा के मूल्यांकन के माध्यम से सेवा त्त्दाताओं के त्त्दर्शन की बारीकी से निगरानी की जाती है। जहां भी सेवा बेंचमार्क त्त्ाप्त करने में कमियां देखी जाती हैं, वहाँ भादूवित्त्ा सेवा त्त्दाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है ताकि विभिन्न मापदंडों के लिए बेंचमार्क त्त्ाप्त करने में ऐसी कमियों को दूर किया जा सके। इस संबंध में भादूवित्त्ा में सेवा त्त्दाताओं के साथ समय–समय पर विभिन्न बैठकें होती हैं। सेवा त्त्दाताओं के साथ ये बैठकें और अनुवर्ती कार्रवाई सेवा की गुणवद्धा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण रही हैं। इसके अलावा, अनुपालन रिपोर्टों के आधार पर जहां भी बेंचमार्क का अनुपालन नहीं किया जाता है, वहाँ सेवा त्त्दाता से स्पष्टीकरण मांगा जाता है और सेवा त्त्दाता द्वारा त्त्स्तुत स्पष्टीकरण, गैर–अनुपालन की गंभीरता, सेवा में सुधार के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर सेवा त्त्दाताओं पर विद्धीय जुर्माना लगाया जाता है। सेवा गुणवद्धा के नियमों के उल्लंघन के कारण विद्धीय वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 1.475 करोड़ रुपए विद्धीय जुर्माना त्त्ाप्त किया गया। भादूवित्त्ा सेवा त्त्दाताओं द्वारा सेवा की गुणवद्धा के त्त्दर्शन, लेखा परीक्षा के परिणाम और स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई सेवा की गुणवद्धा के आकलन के बारे में अपनी वेबसाइट के माध्यम से हितधारकों की जानकारी के लिए जानकारी भी त्त्काशित करता है। सेवा से संबंधित जानकारी की गुणवद्धा का त्त्काशन सेवा त्त्दाताओं को सेवा की गुणवद्धा के त्त्दर्शन में सुधार करने और बेंचमार्क को पूरा करने में कमियों को दूर करने के लिए भी मजबूर कर रहा है।

जिक्र सार्वभौमिक सेवा दायित्व

2.17 त्त्ाधिकरण ने दिनांक 01 अत्त्ैल, 2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायर–लाइन कनेक्शनों की सहायता के लिए दिनांक 14 मई, 2012 को अनुशंसाएँ जारी की। पहले वर्ष के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में और इस वर्ष के लिए 1250 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी।

इसके अलावा, ''अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार'' पर दिनांक 22 जुलाई, 2014 की अपनी सिफारिश के माध्यम से त्त्ाधिकरण ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एक व्यापक दूरसंचार विकास योजना बनाई।

दूरसंचार आयोग को भादूवित्त्ा की सिफारिश के अनुसार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए एक एकीश त और व्यापक दूरसंचार विकास योजना को मंजूरी दी गई । योजना के अनुसार,. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी, सैटेलाइट बैंडविड्थ वृद्धि, निर्बाध 2जी कवरेज और इंट्रा–आइलैंड ओएफसी नेटवर्क त्त्दान करने के लिए यूएसओ फंड द्वारा 2035 करोड़ का विद्ध पोषण किया जाएगा।

2016 में, केंद्दीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01 अत्त्ैल, 2002 से पहले स्थापित ग्रामीण वायर–लाइन कनेक्शन के संचालन में बीएसएनएल द्वारा त्त्ाप्त घाटे के मुआवजे के रूप में यूएसओएफ से बीएसएनएल को 1250 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता का विस्तार करने के त्त्स्ताव को मंजूरी दी।

निःशुल्क डेटा के त्तावधान पर दिनांक 19 दिसंबर 2016 की अपनी अनुशंसाओं में त्ताधिकरण ने सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सामर्थ्य अंतर को दूर करने के लिए और डिजिटल माध्यमों को त्तोत्साहित करके कैशलेस अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार की सहायता करने के लिए ग्रामीण सब्सक्र ाइबरों को त्तति माह 100 एमबी मुं त देता त्तदान करने से शुरू किया जा सकता है और इस योजना के कार्यान्वयन की लागत यूएसओएफ से पूरी की जा सकती है।

अन्य गतिविधियां

- **भारत में स्मार्ट शहरों पर दिनांक 22 सितंबर, 2020 का श्वेत पत्रः आईसीटी आधारभूत संरचना के लिए रूपरेखा**

स्मार्ट सिटी का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना और एक साझा बुनियादी ढांचा स्थापित करके और डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके 'स्मार्ट समाधान' को तैनात करके एक स्वच्छ और टिकाप्र वातावरण त्तदान करना है।

शहरों में लगातार बढ़ती आबादी का त्तबंधन करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि शहरों में बुनियादी ढांचे का उन्नयन और त्तबंधन सूचना और संचार त्तौद्योगिकियों ﴾आईसीटी﴿ का उपयोग करके किया जाए ताकि उन्हें लंबे समय तक टिकाप्र बनाया जा सके।

भारत में विभिन्न स्मार्ट शहरों में नियोजित और तैनात किए जा रहे आईसीटी बुनियादी ढांचे का अध्ययन करते समय, यह देखा गया है कि त्तत्येक स्मार्ट शहर अपने तरीके से आईसीटी समाधानों की योजना बना रहा है और उन्हें तैनात कर रहा है और स्मार्ट शहरों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे के लिए कोई सामान्य ढांचा नहीं है।

किसी भी विनियमन या मानकों के अभाव में, गैर–मानकीश त स्वामित्व वाले उपकरण और समाधान बाजार में आ गए हैं। इस तरह के स्वामित्व या गैर–मानकीश त समाधान साइलो में बनाए गए हैं और इंटरऑपरेबिलिटी की समस्याएं पैदा करते हैं और अलग–अलग अनुत्तयोगों के बीच डेटा साझा करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

गैर–मानकीश त और गैर–अंतःत्तचालनीय आईसीटी समाधान एक जोखिम पैदा करेंगे क्योंकि यह निम्नलिखित बाधाओं से ग्रस्त होगाः

(i) स्वामित्व वाले समाधान में स्वामित्व रखरखाव और विक्रेता लॉक–इन होगा

(ii) उन्नयन और मापनीयता भी स्वामित्व वाली होगी और इसलिए महंगी होगी

(iii) अन्य क्षेत्रों में उपयोग एक चुनौती होगी

(iv) विभिन्न अनुत्तयोगों का एकीकरण और सूचना साझा करना एक चुनौती होगी

(v) आपदा की स्थिति में एकीश त राहत कार्य करना कठिन होगा

इसे ध्यान में रखते हुए भादूविक्ता ने दिनांक 22 सितंबर, 2020 को भारत में स्मार्ट शहरों पर एक श्वेत पत्रः आईसीटी आधारभूत संरचना के लिए रूपरेखा, जारी किया। स्मार्ट शहरों में उपयोग किए जाने वाले आईसीटी बुनियादी ढांचे से संबंधित त्तासंगिक पहलुओं पर चर्चा करने वाले इस श्वेत पत्र में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया हैः

(i) स्मार्ट सिटी के तत्व– पारिस्थितिकी तंत्र

(ii) स्मार्ट सिटी के विभिन्न तत्वों के लिए आईसीटी की आवश्यकता

(iii) कमियाँ और चुनौतियां

(iv) सिस्टम को इंटरऑपरेबल बनाने के लिए मानकीश त आईसीटी तकनीक

(v) स्मार्ट सिटी के लिए आईसीटी इं- ास्ट्क्चर के लिए सामान्य ढांचा

(vi) मानकीश त, अंतर–संचालनीय, लचीला, सुरक्षित आईसीटी आधारभूत संरंचना के विकास और तैनाती में विभिन्न हितधारकों के एकीश त त्रयास।

श्वेत पत्र भारत में स्मार्ट शहरों के लिए डिजिटल त्रौद्योगिकियों की भूमिका पर त्रकाश डालता है, त्रमुख स्मार्ट समाधानों पर चर्चा करता है, स्मार्ट शहरों के लिए विशिष्ट वैश्विक मानकीकरण और कनेक्टिविटी संबंधी पहलुओं की आवश्यकता पर विचार–विमर्श करता है, और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे की रूपरेखा की पहचान करने का त्रयास करता है।

श्वेत पत्र में स्मार्ट शहरों के लिए आईसीटी बुनियादी ढांचे में मानकीकरण, अंतर–संचालन, मापनीयता, स्थिरता, लचीलापन हासिल करने पर जोर दिया गया है, जिसे सामंजस्यपूर्ण मानकों, अनुपालन परीक्षण, क्लाउड रणनीति, राष्ट्रीय ट्रस्ट केंद्र डिवाइस परीक्षण के लिए साइबर सुरक्षा सुरक्षा रणनीति और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से त्राप्त किया जा सकता है।

यह श्वेत पत्र भारत में स्मार्ट शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए उद्योग और टेक्नोक्रेट्स के लिए उनकी विचार त्रक्रिया को त्रज्वलित करने और त्रमुख सक्षमकर्ताओं की पहचान के माध्यम से परिवर्तन लाने के द्वार खोलेगा।

- **दिनांक 20 मई, 2020 को "वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा त्राधिकरण के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी के त्रावधान" पर परामर्श पत्र पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा का आयोजन**

भादूविप्रा ने दिनांक 20 मई, 2020 को 'वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा त्राधिकरण के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से सैटेलाइट के द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी के त्रावधान' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

इस ओएचडी को संबंधित हितधारकों के मूल्यवान इनपुट त्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था। इस खुली चर्चा में दूरसंचार सेवा त्रदाताओं, उद्योग संघों, त्रौद्योगिकी कंपनियों आदि सहित कई हितधारकों ने भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडी आयोजित करने के लिए जबरदस्त त्रतिक्रिया मिली।

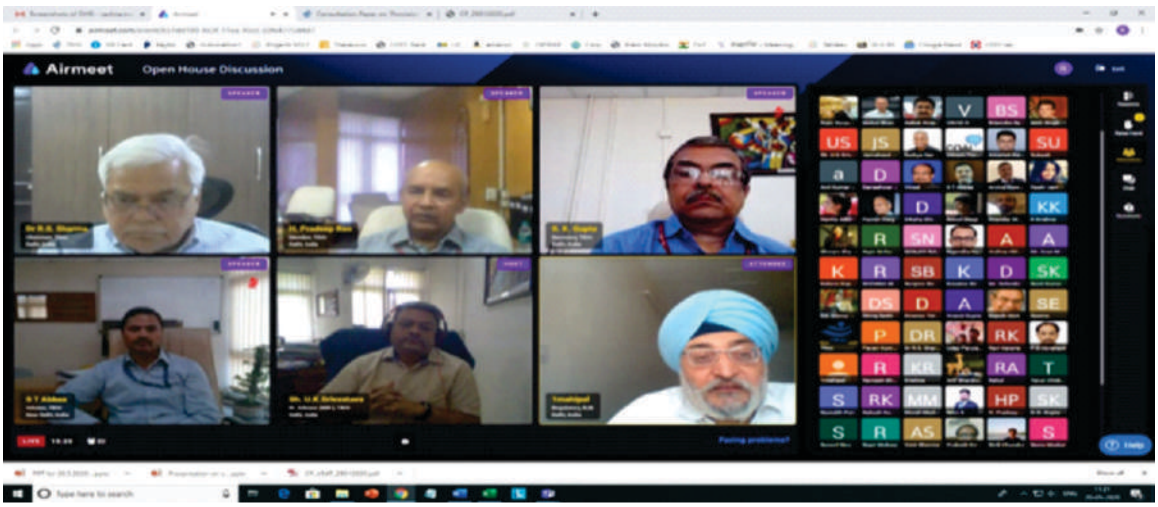

दिनांक 20 मई, 2020 को 'वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वीसैट के माध्यम से उपग्रह के द्वारा सेलुलर बैकहाउल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर परामर्श पत्र पर ऑनलाइन ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।

- **दिनांक 09 जुलाई, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से "स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत एसयूसी लागू करने की पद्धति पर परामर्श पत्र" पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन किया गया**

भादूविप्रा ने 9 जुलाई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के अंतर्गत एसयूसी को लागू करने की पद्धति पर परामर्श पत्र" पर एक ओपन हाउस डिस्कशन (ओएचडी) का आयोजन किया।

इस ओएचडी का आयोजन संबंधित हितधारकों के मूल्यवान इनपुट प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस खुली चर्चा में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडीआयोजित करने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

- **"डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयर्स की अनबंडलिंग को सक्षम करने" पर परामर्श पत्र पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 03 फरवरी, 2021 को ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) को आयोजित किया गया**

भादूविप्रा ने दिनांक 03 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से "डिफरेंशियल लाइसेंसिंग के माध्यम से विभिन्न लेयर्स की अनबंडलिंग को सक्षम करने पर परामर्श पत्र" पर एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) का आयोजन किया।

इस ओएचडी का आयोजन संबंधित हितधारकों के मूल्यवान इनपुट प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस खुली चर्चा में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, उद्योग संघों आदि सहित कई हितधारकों ने भाग लिया। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओएचडीआयोजित करने के लिए अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी)

2.19.2 उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, भादूविप्रा देश भर में उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी) आयोजित करता है। ये सीओपी उपभोक्ताओं को भादूविप्रा और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। कोविड–19 महामारी की स्थिति में, कोविड़ प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए इन कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद के स्थान से इसमें शामिल हो सकें। उपरोक्त अवधि के दौरान, भादूविप्रा ने पूरे देश में विभिन्न स्थानों के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए 37 ऑनलाइन उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम (सीओपी)आयोजित किए। आयोजित सीओपी की सूची संलग्न है।

उपभोक्ता शिक्षा साहित्य और मीडिया अभियान संगोष्ठियों का आयोजन और उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

2.19.3 टीवी सब्सक्राइबरों में उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उन्हें देश भर में प्रसारण एवं केबल सेवाओं के लिए नए ढांचे के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, एक उपभोक्ता पुस्तिका तैयार की जा रही है और यह अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

उपभोक्ता हितों और संरक्षण पर संगोष्ठी / वेबिनार

2.19.4 भादूविप्रा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है जागरूकता पैदा करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भादूविप्रा समकालीन तकनीकी और उपभोक्ता संबंधी मुद्दों पर सेमिनार आयोजित करता है।

कोविड–19 के कारण, भादुवित्त ने ऐसे सभी कार्यक्र म ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए। भादूवित्त ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों के दर्शकों को लक्षित करते हुए नौ ख्9ह वेबिनार आयोजित किए, जो इस त्त्कार हैं:

1ह दिनांक 24 जुलाई, 2020 को जयपुर में ''भारत में 5जी– विशिष्टता, उपयोग के मामले, चुनौतियाँ और कार्य योजना'' पर वेबिनार आयोजित किया गया।

2ह दिनांक 21 अगस्त, 2020 को बेंगलुरु में •5जी आर्किटेक्चर, उपयोग के मामले और सरकार की पहल, और साइबर सुरक्षा'' पर वेबिनार।

3ह दिनांक 28 अगस्त, 2020 को भोपाल में ''आईओटी ख्इंटरनेट ऑफ थिंग्सहत्त्चलन , सुरक्षा चुनौतियां और समाधान'' पर वेबिनार।

4ह दिनांक 21 सितंबर, 2020 को बेंगलुरु में •साइबर सुरक्षा•पर वेबिनार आयोजित किया गया।

5ह दिनांक 26 नवंबर, 2020 को जयपुर में •साइबर सुरक्षा•पर वेबिनार आयोजित किया गया।

6ह दिनांक 29 जनवरी, 2021 को भोपाल में ''डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और सुरक्षा'' पर वेबिनार आयोजित किया गया।

7ह दिनांक 19 फरवरी, 2021 को हैदराबाद में ''डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और सुरक्षा'' पर वेबिनार आयोजित किया गया।

8ह दिनांक 5 मार्च, 2021 को कोलकाता में ''5जी–परिचय, पारिस्थितिकी तंत्र विकास, अनुत्त्योग और नियामक पहलुओं'' पर वेबिनार आयोजित किया गया।

9ह दिनांक 17 मार्च, 2021 को बेंगलुरू में ''आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लीकॉम में इसका उपयोग'' पर वेबिनार आयोजित किया गया।

इन वेबिनारों में बड़ी संख्या में उपभोक्ता वकालत समूहों, उद्योग संघों, टीएसपी के त्त्तिनिधियों, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों, संकाय सदस्यों, अनुसंधान विद्वानों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने भाग लिया।

(ii) उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

2.19.5 भादूवित्त अधिनियम, 1997 में भादूवित्त द्वारा व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों के निपटान की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, भादूवित्त में त्त्प्त शिकायतों को उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित सेवा त्त्दाताओं को भेजा जाता है। दिनांक 01 अत्त्ैल, 2020 से दिनांक 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान, भादुवित्त को दूरसंचार सेवाओं से संबंधित 50846 शिकायतें और त्त्सारण एवं केबल टीवी से संबन्धित13037 शिकायतें मिलीं। इन सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित सेवा त्त्दाताओं को भेज दिया गया था। इन अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए सामान्य त्त्क ति की शिकायतों या समूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

उपभोक्ता केंद्रित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उपभोक्ता शिकायतों और याचिकाओं की संख्या, उपभोक्ता शिकायतों के त्त्मुख क्षेत्रों और सुधार के लिए टीएसपी के त्त्यासों जैसे विभिन्न मुद्दों पर टीएसपी के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

उपभोक्ता समर्थन समूहों का पंजीकरण

2.19.6 भादूवित्त के साथ पंजीश त उपभोह्या वकालत समूह ¼सीएजी½ अपने क्षेत्रों में उपभोह्याओं के जागरूकता कार्यक्रमों के लिए भादूवित्त की गतिविधियों के बारे में जानकारी के त्त्सार में भादूवित्त का समन्वय और सहायता करते हैं। वे भादूवित्त द्वारा आयोजित उपभोह्या आउटरीच कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं। ये सीएजी टीएसपी के अपीलीय त्त्धिकारियों की सलाहकार समिति के भी सदस्य होते हैं। उन सीएजी के त्त्दर्शन की समीक्षा की गई जिनका कार्यकाल के लिए नवीनीकरण होना था और 13 नए सीएजी भी पंजीश त किए गए हैं। भादूवित्त के साथ कुल 58 सीएजी पंजीश त किए गए हैं।

त्त्सारण क्षेत्र

- **दिनांक 25 जून, 2020 को ''त्त्सारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम ¼सीएएस½ और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स ¼एसएमएस½ के तकनीकी अनुपालन के लिए रूपरेखा'' पर परामर्श पत्र पर ओपन हाउस चर्चा का आयोजन**

  दिनांक 25 जून, 2020 को ''त्त्सारण एवं केबल सेवाओं के लिए कंडीशनल एक्सेस सिस्टम ¼सीएएस½ और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम्स ¼एसएमएस½ के तकनीकी अनुपालन के लिए रूपरेखा'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओपन हाउस चर्चा ¼ओएचडी½ का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 220 त्त्तिभागियों ने भाग लिया।

- **लेखा परीक्षा फर्मों के पैनल का निर्माण**

  भादूवित्त ने समय–समय पर संशोधित अन्तःसंयोजन विनियम, 2017 के विनियम 15 के अनुपालन में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करने के लिए लेखापरीक्षकों के पैनल का निर्माण करने के लिए दिनांक 01 जून, 2020 को रूचि की अभिव्यह्यि को जारी किया। लेखापरीक्षकों के पैनल का निर्माण एक सतत त्त्क्रिया है और सूचीकरण के लिए त्त्प्त त्त्स्तावों का मासिक आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है।

  वर्ष 2020–21 के दौरान, भादूवित्त ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करने के लिए 37 ऑडिट फर्मों को ऑडिट फर्मों की सूची में शामिल किया है। अब तक कुल 51 ऑडिट फर्मों को पैनल में शामिल किया गया है। पैनल में शामिल ऑडिट फर्मों की अपडेट की गई सूची भादूवित्त की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

- **भादूक्विा चैनल सिलेक्टर ऐप**

  उपभोह्याओं को चैनलों के चयन ¼जोड़ने/हटाने½ में आसानी के लिए, भादूवित्त ने दिनांक 25 जून, 2020 को भादूवित्त चैनल सिलेक्टर ऐप लॉन्च किया और यह जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। भादूवित्त चैनल सिलेक्टर ऐप के माध्यम से, उपभोह्या अपनी वर्तमान सदस्यता को कितनी भी बार देख और संशोधित कर सकता है। ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए भादूवित्त की वेबसाइट को निम्न यूआरएल पर देखें: https://trai.gov.in/channel-selector-application.

भादुक्विा ने दिनांक 25 जून, 2020 को चैनल सिलेक्टर ऐप लॉन्च किया

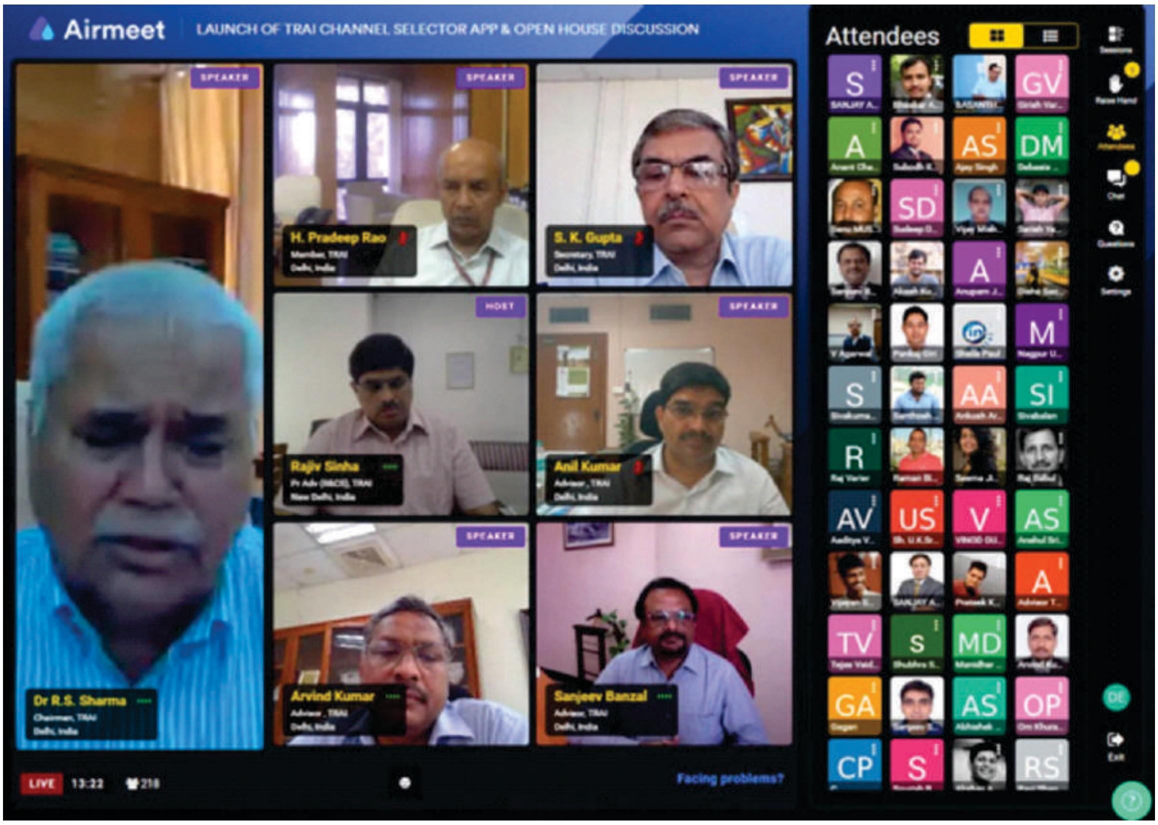

- **दिनांक 04 मई, 2020 और दिनांक 02 नवंबर, 2020 को जारी किए गए अन्तःसंयोजन विनियमन, 2017 के विनियम 15 के अनुपालन के संबंध में डीपीओ को भादुविप्रा के पत्र**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादुविप्रा) ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अन्तःसंयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (यहाँ पर अन्तःसंयोजन विनियम 2017 के रूप में संदर्भित, को अधिसूचित किया और दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को इसका पहला संशोधन और बाद में दूसरा शंसोधन दिनांक 01 जनवरी, 2020 को जारी किया गया। अन्तःसंयोजन विनियमन के विनियम 15 के प्रावधानों में प्रावधान है कि टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, कैलेंडर वर्ष में एक बार, मैसर्स बेसिल या भादुविप्रा द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर द्वारा अपने सिस्टम का ऑडिट करवाएगा ताकि यह सत्यापित किया जा सके की वितरक द्वारा ब्रॉडकास्टरों को उपलब्ध कराई गई मासिक सदस्यता रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही है, और प्रत्येक ब्रॉडकास्टर को इस संबंध में एक ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है जिसके साथ उसने एक अन्तःसंयोजन समझौता किया है।

भादुविप्रा के दिनांक 04 मई, 2020 और दिनांक 02 नवंबर, 2020 के पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों (डीटीएच ऑपरेटरों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) एचआईटीएस ऑपरेटरों और आईपीटीवी ऑपरेटरों) को समय समय पर संशोधित अन्तःसंयोजन विनियमन, 2017 के विनियमन 15 का पालन करने की सलाह दी गई थी।

- **दिनांक 02 जनवरी, 2020 और दिनांक 28 मई, 2020 को जारी दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं**

अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 के अनुपालन के संबंध में टीवी चैनलों के प्रसारकों और वितरकों को भादुविप्रा का पत्र

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 04 सितंबर 2019 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 (रजिस्टर विनियम) 2019 के रूप में संदर्भित, को अधिसूचित किया।

भादुविप्रा के दिनांक 02 जनवरी, 2020 और दिनांक 28 मई, 2020 के पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के सभी ब्रॉडकास्टरों और वितरकों से अनुरोध किया गया था कि वे दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन करारों का रजिस्टर और ऐसे ही अन्य सभी मामले संबंधी विनियम, 2019 के सभी प्रावधानों का पालन करें। उन्हें इस उद्देश्य के लिए भादुविप्रा द्वारा विकसित प्रसारण एवं केबल सेवा एकीकरण (बीआईपीएस) पोर्टल पर रजिस्टर विनियम 2019 के अनुसार सभी दस्तावेज/रिपोर्ट जमा करने की सलाह दी गई थी।

- **दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अन्तःसंयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 और दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा इ अन्तःसंयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम) (दूसरा संशोधन) विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए एक अद्वितीय चैनल नंबर निर्दिष्ट करने और दिनांक 17 सितंबर, 2020, दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 और दिनांक 01 दिसंबर, 2020 को जारी किए गए अन्तःसंयोजन समझौते में ब्रॉडकास्टर द्वारा घोषित टेलीविजन चैनलों की शैली को इंगित करने से संबंधित भादुविप्रा का पत्र**

  भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादुविप्रा) ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा अन्तःसंयोजन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 अन्तःसंयोजन विनियम 2017 के रूप में संदर्भित, को अधिसूचित किया और दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 को इसका पहला संशोधन और बाद में दूसरा संशोधन दिनांक 1 जनवरी, 2020 को जारी किया।

  भादुविप्रा के दिनांक 17 सितंबर, 2020, दिनांक 9 अक्टूबर, 2020 और दिनांक 01 दिसंबर, 2020 के पत्रों के माध्यम से, सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) को सलाह दी गई थी कि वे अन्तःसंयोजन विनियम 2017 के विनियम 18 के प्रावधानों और इसके दूसरे संशोधन विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें जिसका संबंध वितरण नेटवर्क पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीविजन चैनल के लिए अद्वितीय चैनल नंबर और अन्तःसंयोजन समझौते में ब्रॉडकास्टर द्वारा घोषित टेलीविजन चैनलों की शैली को दर्शाने से है।

- **अन्तःसंयोजन का रजिस्टर विनियम, 2019 दिनांक 04 सितंबर, 2019 का अनुपालन**

  अन्तःसंयोजन का रजिस्टर विनियम, 2019 विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और इसलिए विनियम 4 के प्रावधान, जो कि रजिस्टर विनियम 2019 के प्रावधान का अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप वित्तीय जुर्माना लगाने से संबंधित है, प्राधिकरण द्वारा अब तक लागू नहीं किया गया है। इस संबंध में, शायद केरल के माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 09 जनवरी, 2020 का आदेश केवल केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं पर लागू होता है, हालांकि, यह प्रस्तावित किया गया है कि भादुविप्रा रजिस्टर विनियम 2019 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के कारण तब तक वित्तीय जुर्माना लगाने से संबंधित कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है जब तक कि रजिस्टर विनियम, 2019 विचाराधीन है। प्रस्ताव को कानूनी प्रभाग द्वारा पुनरीक्षित किया गया है और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

2.19.7 वर्ष के दौरान अन्य नियामकों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव शुरू किए गए

(i) अफगानिस्तान दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण यएटीआरएह अफगानिस्तान के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने का त्तस्ताव त्तक्रियाधीन है।

(ii) दक्षिण अ-ीका के स्वतंत्र संचार त्ताधिकरण ख्आईसीएएसएह दक्षिण अ-ीका के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने का त्तस्ताव त्तक्रियाधीन है।

(iii) संचार और सूचना त्तौद्योगिकी आयोग ख्सीआईटीसीह सग्र दी अरब के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने के त्तस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(iv) सूचना और संचार त्तौद्योगिकी त्ताधिकरण ख्आईसीटीएह मॉरीशस के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने के त्तस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(v) कंबोडिया के दूरसंचार नियामक ख्टीआरसीह कंबोडिया के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने के त्तस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(vi) बोत्सवाना संचार नियामक त्ताधिकरण ख्बीओसीआरएह बोत्सवाना के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने के त्तस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(vii) दूरसंचार और पोस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ख्टीपीआरएह सूडान के साथ आशय पत्र यएलओआईहपर हस्ताक्षर करने के त्तस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है और इस पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

द्विपक्षीय बैठकें

(i) दिनांक 12 नवंबर, 2020 को अध्यक्ष, भादुविक्ता और कार्यकारी अध्यक्ष ख्इंजी. होसम एल गमालह राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक त्ताधिकरण यएनटीआरएह मिस्र के बीच वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक।

(ii) दिनांक 13 जनवरी, 2021 को बोत्सवाना संचार नियामक त्ताधिकरण ख्बीओसीआरएह बोत्सवाना के अधिकारियों के साथ वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक।

(iii) दूरसंचार और पोस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ख्टीपीआरएह सूडान के अधिकारियों के साथ दिनांक 19 जनवरी, 2021 को वर्चुअल द्विपक्षीय बैठक।

दूरसंचार विभाग डीओटीक्रके विचाराधीन त्रशासनिक, कानूनी और विँ ीय मुद्दे

2.20 रिपोर्ट में चर्चा किए गए विभिन्न मामलों के अलावा, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो निर्णय के लिए डीओटी के पास लंबित हैं। निम्नलिखित मुद्दे दूरसंचार विभाग के विचाराधीन हैं:

(i) भादुविक्ता अधिनियम 1997 के संशोधन का त्रस्ताव

भादुविक्ता अधिनियम 1997 के अंतर्गत भादुविक्ता का गठन अन्य बातों के साथ–साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा त्तदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए की गई है। त्ताधिकरण को अपने नियामक कार्यों के निर्वहन में निर्देश, विनियम और आदेश जारी करने की शक्तियां त्तदान की गई हैं, लेकिन नियामक उपायों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं है। भादुविक्ता अधिनियम, 1997 के अंतर्गत अपने कार्यों के त्तभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए त्ताधिकरण ने वर्ष 2007 में भादुविक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक त्तस्ताव भेजा। इसके बाद, डीओटी के साथ कई पत्राचार किए गए और डीओटी द्वारा कैबिनेट के लिए दो मसौदा नोट भी तैयार किए गए। लेकिन त्तस्तावित संशोधन अभी तक नहीं किए गए हैं। इसलिए, भादुविक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक त्तस्ताव दिनांक 3 जून, 2016 को डीओटी को भेजा गया था। इसके बाद, त्तस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए भादुविक्ता और

डीओटी के बीच कई बैठकें भी हुई थीं। भादुविप्रा ने दिनांक 27 जून, 2017 को विस्तृत टिप्पणियां भी भेजीं। इस संबंध में पिछली बैठक दिनांक 01 दिसंबर, 2017 को हुई थी और कुछ स्पष्टीकरण दिनांक 05 दिसंबर, 2017, दिनांक 10 अप्रैल, 2018, दिनांक 21 अगस्त, 2019 और दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को दूरसंचार विभाग को भी भेजे गए थे।

भादुविप्रा अधिनियम, 1997 में संशोधन का प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(ii) **भादुविप्रा की अनुसूची–I में संशोधन (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2002**

भादुविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली, 2002 की अनुसूची–I में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान शामिल करने के लिए संशोधनों की आवश्यकता है।

भादुविप्रा ने भादुविप्रा (अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियमावली, 2002 की अनुसूची–I में संशोधन /कुछ नई श्रेणी के पदों को शामिल के उद्देश्य से के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में कुछ नए पदों को शामिल करना था जो बाद में वेतन आयोगों द्वारा सृजित किए गए और सभी मंत्रालयों में संचालित किए गए और कुछ श्रेणी के पदों को बाहर किया था जो अब भादुविप्रा में आवश्यक/परिचालन नहीं हैं।

इस मामले में डीओटी द्वारा वांछित के रूप में, समेकित अनुसूची–I के साथ एक मसौदा संशोधन को डीओटी के पत्र संख्या 10–14/2009, दिनांक 14 अगस्त, 2017 के जवाब में सितंबर, 2017 में डीओटी को भेजा गया था। इसके अलावा, फरवरी, 2019 में स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया था। साथ ही, इस संबंध में जून, 2020 और अक्टूबर, 2020 में पत्राचार भी किया गया था।

1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के दौरान सीओपी की सूची

क्र.सं.	सीओपी का स्थान	दिनांक
1	छत्तीसगढ	19.06.2020
2	राजस्थान	26.06.2020
3	पश्चिम बंगाल	26.06.2020
4	आंध्र प्रदेश	29.06.2020
5	उत्तर प्रदेश	06.08.2020
6	गुजरात	07.08.2020
7	पश्चिम बंगाल	19.08.2020
8	झारखंड	09.09.2020
9	उत्तराखंड	11.09.2020
10	तेलंगाना	16.09.2020
11	हरयाणा	18.09.2020
12	असम	28.09.2020
13	महाराष्ट्र	29.10.2020
14	मध्य प्रदेश	29.10.2020
15	नॉर्थ ईस्ट	05.11.2020
16	पंजाब	06.11.2020
17	तमिलनाडु	06.11.2020
18	कर्नाटक	20.11.2020
19	कर्नाटक	25.11.2020
20	छत्तीसगढ	27.11.2020
21	कर्नाटक	04.12.2020
22	केरल	07.12.2020
23	बिहार	08.12.2020
24	उत्तर प्रदेश	17.12.2020
25	राजस्थान	18.12.2020
26	पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश	21.01.2021
27	गुजरात	22.01.2021
28	केरल एलएसए	15.02.2021
29	उत्तराखंड	25.02.2021
30	हरयाणा	04.03.2021
31	महाराष्ट्र एलएसए	09.03.2021
32	मध्य प्रदेश	18.03.2021
33	आंध्र प्रदेश	23.03.2021
34	कर्नाटक	24.03.2021
35	बिहार और झारखंड	25.03.2021
36	पंजाब	26.03.2021
37	तेलंगाना	26.03.2021

भाग - III

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के कार्य

भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के कार्य

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11,यथा संशोधित में उपबंध है कि –

(1) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे–

(क) निम्नलिखित मामलों पर स्वतः अथवा लाइसेन्सदाता के अनुरोध पर संस्तुति करना, नामतः

(i) नए सेवा प्रदाता के प्रवेश की आवश्यकता और समय;

(ii) सेवा प्रदाता को लाइसेन्स देने के नियम और शर्तें;

(iii) लाइसेन्स के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने पर लाइसेन्स निरस्त करना;

(iv) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा सुविधाजनक बनाने तथा दक्षता के प्रोत्साहन हेतु उपाय करना, ताकि इन सेवाओं का विकास सुसाध्य बनाया जा सके;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में प्रौद्योगिकी की दृष्टि से सुधार करना;

(vi) नेटवर्क में प्रयुक्त उपकरणों के निरीक्षण के उपरान्त सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का प्रकार निर्धारित करना;

(vii) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास तथा ऐसे अन्य मामलों हेतु उपाय करना, जो साधारण रूप में दूरसंचार उद्योग से संबद्ध करने योग्य है;

(viii) उपलब्ध स्पेक्ट्रम का दक्षतापूर्ण प्रबंधन;

(ख) निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन, नामतः

(i) लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2000 लागू होने से पहले स्वीकृत लाइसेन्स के नियम एवं शर्तों में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद सेवा प्रदाताओं के बीच अंतः संयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करना;

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी समायोजनीयता तथा कारगर अंतः संयोजन सुनिश्चित करना;

(iv) दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से मिलने वाले राजस्व में सेवा प्रदाताओं के मध्य उनकी हिस्सेदारी के लिए व्यवस्था विनियमित करना;

(v) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा की गुणवत्ता निर्धारित करना तथा सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इन सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण संचालित करना ताकि दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं का हित संरक्षित किया जा सके;

(vi) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लम्बी दूरी के परिपथ उपलब्ध कराने हेतु समय अवधि निर्धारित और सुनिश्चित करना;

(vii) अंतः संयोजन अनुबंधों तथा ऐसे सभी मामलों का रजिस्टर तैयार करना, जिनका प्रावधान विनियमों में किया गया है;

(viii) खंड (vii) के तहत अनुरक्षित रजिस्टर, जनता के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखना, उसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान तथा विनियमों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन करने पर, उपलब्ध करना;

(ix) सर्वसामान्य सेवा दायित्वों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना।

(ग) ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्क तथा अन्य प्रभार वसूल करना जैसा कि विनियम में निर्धारित किया गया है;

(घ) इस तरह के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जा सकते हैं या इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते कि इस उप–धारा के खंड (ए) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होंगी।

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को जारी करने हेतु नए लाइसेन्स के संबंध में इस उप–धारा के खंड (ए) और उप–खंड (i) एवं (ii) में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में प्राधिकरण की संस्तुतियां मांगेगी तथा प्राधिकरण अपनी संस्तुतियां सरकार द्वारा संस्तुतियां मांगे जाने की तिथि से साठ दिन के भीतर अग्रसारित करेगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण केन्द्र सरकार से ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जो इस उप–धारा के खंड (ए) और उप–खंड (i) एवं (ii) के अधीन संस्तुतियां करने हेतु आवश्यक है तथा कि सरकार ऐसी सूचना हेतु अनुरोध की प्राप्ति से सात दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी:

बशर्ते यह भी कि केन्द्र सरकार सेवा प्रदाता को लाइसेन्स जारी कर सकती है, यदि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि अथवा केन्द्र सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर कोई संस्तुति प्राप्त नहीं होती है:

बशर्ते यह भी है कि यदि केन्द्र सरकार प्राधिकरण की संस्तुति पर विचार किए जाने के बाद प्रथमदृष्टया निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्राधिकरण की संस्तुति स्वीकार नहीं की जा सकती है अथवा उसमें संशोधन की आवश्यकता है, यह संस्तुति प्राधिकरण द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजेगी तथा प्राधिकरण, पुनर्विचार अनुरोध की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिन के भीतर, सरकार द्वारा संदर्भित पुनर्विचार के उपरांत अपनी संस्तुति केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा। केन्द्र सरकार अतिरिक्त संस्तुति, यदि कोई हो, की प्राप्ति के पश्चात अंतिम निर्णय लेगी।

(2) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, प्राधिकरण, समय–समय पर, आदेश द्वारा, सरकारी राजपत्र में दरें अधिसूचित कर सकता है, जिन पर इस अधिनियम के अधीन भारत के भीतर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई दरों सहित भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है:

बशर्ते यह कि प्राधिकरण समान प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए विभिन्न व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है तथा जहां उपरोक्तानुसार भिन्न दरें निर्धारित की जाती हैं, प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलेखबद्ध करेगा।

(3) *प्राधिकरण उप–धारा (1) तथा उप–धारा (2) के अधीन अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टता अथवा नैतिकता के हित विरूद्ध कार्य नहीं करेगा।*

(4) *प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।*

3. त्ताधिकरण ने, उद्योग का विकास सुनिश्चित करने तथा उपभोद्माओं के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्यों की त्ताप्ति के अनुसरण में, स्वतः स्फूर्त विधि में अथवा सरकार द्वारा इसके विचारार्थ त्तेषित मामलों पर अनेक संस्तुतियां की हैं; अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विनियम अधिसूचित किए हैं; लाइसेन्स के नियम एवं शर्तें लागू करने हेतु कार्रवाई की गई है; तथा अन्य कई मुद्दों पर कार्य आरंभ किया है। विभिन्न संस्तुति संबंधी तथा विनियामक कार्यों के निर्वहन द्वारा भादूवित्ता ने उपभोद्माओं की संख्या में वृद्धि तथा पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं त्तदायक नेटवर्क उपलब्ध कराने के रूप में प्रसारण एवं केबल सेवाएं सहित दूरसंचार सेवाओं के विकास में अपना योगदान दिया है। इन सतत् उपायों के परिणामस्वरूप उपभोद्मागण सेवाओं के विकल्प, दूरसंचार सेवा की घटी दरों, सेवा की बेहतर गुणवद्मा इत्यादि के रूप में समग्र रूप से लाभान्वित हुए हैं। भादूवित्ता द्वारा भादूवित्ता अधिनियम की धारा 11 में विभिन्न मामलों के संबंध में निष्पादित कुछ विशिष्ट कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है।

किक्र दूरसंचार दरें, भारत के अंदर और भारत से बाहर दोनों के लिए, जिनमें भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजने की दरें सम्मिलित हैं

3.1 भारतीय दूरसंचार विनियामक त्ताधिकरण अधिनियम, 1997 भादूवित्ता ग्संशोधनह्अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित, की धारा 11ग्2ह्त्ताधिकरण को सरकारी राजपत्र में ऐसी दरें अधिसूचित करने का अधिकार त्तदान करती हैं, जिन पर भारत के अंदर और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं त्तदान की जाएंगी, इनमें वे दरें सम्मिलित हैं, जिन पर भारत से बाहर किसी देश को संदेश भेजा जा सकता है। इसमें यह त्तावधान भी किया गया है कि त्ताधिकरण समान त्तकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए भिन्न व्यद्मियों अथवा व्यद्मियों के वर्ग हेतु भिन्न दरें अधिसूचित कर सकता है। विभिन्न सेवाओं हेतु लागू प्रशुल्क व्यवस्था विनिर्दिष्ट करने के अतिरिद्म, भादूवित्ता से यह भी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि बाजार में विद्यमान प्रशुल्क विनिर्दिष्ट प्रशुल्क व्यवस्था के अनुरूप हैं। इस त्तयोजन हेतु, त्ताधिकरण सेवा त्तदाताओं द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए वसूल की जा रही दरों की निगरानी भी करता है। इसके अतिरिद्म, पे चैनलों के लिए तथा केबल सेवाओं के लिए दरें तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने का कार्य भी भादूवित्ता को सौंपा गया है। भादूवित्ता द्वारा 2019–20 के दौरान दूरसंचार क्षेत्र तथा त्तसारण एवं केबल क्षेत्र में की गई कार्रवाई की चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

3.1.1 वर्तमान प्रशुल्क ॅमवर्क के अनुसार, मोबाइल सेवाओं और डाटा सेवाओं के लिए प्रशुल्क प्रविरत रखे गए हैं। सेवा प्रदाता के पास अपने प्रचालन के विभिन्न सेवा क्षेत्रों के लिए मल्टीपल कंबीनेशन के साथ विभिन्न प्रकार की कॉल्स, एसएमएस या इंटरनेट डाटा पेशकश तय करने का विकल्प हैं। तथापि, प्रशुल्क पेशकश दूरसंचार प्रशुल्क आदेशों एवं दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम के अनुसार होने चाहिए। भादूवित्ता प्रशुल्क विनियम द्वारा उपभोद्मा हितों की संरक्षा करता है। प्रशुल्क विनियम, उपभोद्माओं को प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा जहां, बाजार इष्टतम दरें त्तदान नहीं कर रहा है, वहां प्रशुल्क त्तमार तय किए जाने के रूप में होता है।

र्खिक्र िक्रनए सेवा प्रदाताओं की आवश्कयकता और समय; िक्रनए सेवा प्रदाता के लिए लाइसेंस के नियम और शर्तें; तथा िक्रलाइसेंस के नियम और शर्तों का अनुपालन न करने के लिए लाइसेंस के प्रतिसंहरण पर सिफारिशें

3.2 भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11¥1ह्¥कह्के अंतर्गत, प्रसारण और केबल सेवाओं के मामले में प्राधिकरण के लिए स्वतः अथवा लाइसेंसप्रदाता अर्थात् दूरसंचार विभाग या सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुरोध किए जाने पर सिफारिशें करना अपेक्षित है। भादूविप्रा द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान सरकार को की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) •कैप्टिव वीएसएटी सीयूजी पॉलिसी इश्यूज• पर डीओटी बैक रेफरेंस दिनांक 12 मार्च, 2020 की सिफारिशों पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 को भादूविप्रा की प्रतिक्रिया।

(ii) ''एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य'' पर दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें।

(iii) ''सेट–टॉप बॉक्स की इंटरऑपरेबिलिटी'' पर दिनांक 10 अप्रैल 2020 की सिफारिशें।

(iv) भादूविप्रा की दिनांक 17 अप्रैल, 2015 की सिफारिशों ''तेजी से ब्रॉडबैंड वितरित करना: हमें क्या करने की आवश्यकता है?'' पर डीओटी के दिनांक 12 मार्च, 2021 के बैक–रेफरेंस पर प्राधिकरण की दिनांक 15 अप्रैल 2021 की प्रतिक्रिया।

(v) ''भारत में टेलीविजन दर्शकों के मापन और रेटिंग प्रणाली की समीक्षा'' पर दिनांक 28 अप्रैल 2020 की सिफारिशें।

(vi) ''सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार'' पर भादूविप्रा की सिफारिश दिनांक 09 मार्च, 2017 पर फिर से विचार करने के लिए डीओटी के 29 मई, 2020 के बैक–रेफरेंस के लिए प्राधिकरण की दिनांक 05 जून, 2020 की प्रतिक्रिया।

(vii) ''वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकरण के तहत वीसैट द्वारा उपग्रह के माध्यम से सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी का प्रावधान'' पर दिनांक 28 जुलाई, 2020 की सिफारिशें।

(viii) ''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क ¥एसयूसी½ लागू करने की पद्धति'' पर दिनांक 17 अगस्त, 2020 की सिफारिशें।

(ix) भादूविप्रा की दिनांक 19 नवंबर, 2014 की सिफारिशों ''प्लेटफॉर्म सेवाओं के लिए नियामक ढांचा'' और भादूविप्रा की सिफारिशों ''डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवाएं'' दिनांक 13 नवंबर, 2019 पर एमआईबी के पीछे के संदर्भ में दिनांक 02 फरवरी, 2021 की सिफारिशें।

र्गिक्र तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर्संयोजन सुनिश्चित करना

3.3 अंतर्संयोजन दूरसंचार सेवाओं की जीवन रेखा है। जब तक कि आवश्यक अंतर्संयोजन व्यवस्था लागू न हो तब तक दूरसंचार सेवाओं के सब्सक्राइबर एक दूसरे के साथ संवाद नहीं कर सकते हैं अथवा उन आवश्यक सेवाओं से जुड़ नहीं सकते हैं। एक प्रभावी और कुशल अंतर्संयोजन करार दूरसंचार सेवा क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भादूविप्रा ने दिनांक 10 जुलाई, 2020 को ''दूरसंचार इंटरकनेक्शन ¥दूसरा संशोधन½ विनियम, 2020'' अधिसूचित किया, जो किन्हीं दो सार्वजनिक स्विच किए गए टेलीफोन नेटवर्क ¥आमतौर पर फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के रूप में संदर्भित½ और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क ¥पीएसटीएन½ और नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस ¥एनएलडी½ नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन को आसान बनाता है।

र्घिक्र सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के माध्यम से प्राप्त किए गए उनके राजस्व की साझेदारी के

लिए उनके बीच व्यवस्था का विनियमन

3.4 अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) व्यवस्था एक सेवा प्रदाता के सब्स्क्राइबरों को किसी अन्य सेवा प्रदाता के सब्स्क्राइबरों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए एक अनिवार्य अपेक्षा है। अंतर्संयोजन प्रदान करने के लिए लागत आती है जिसके लिए सेवा प्रदाताओं की पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने की आवश्यकता है। आईयूसी प्रणाली न केवल सेवा प्रदाताओं पर अर्जित राजस्व का निर्धारित करता है बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि यह राजस्व उनके बीच किस प्रकार संवितरित किया जाना है। एक कुशल अंतर्संयोजन और प्रभार व्यवस्था विभिन्न नेटवर्कों के बीच कुशल और निर्बाध संपर्क के लिए प्रमुख शर्त है। प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहली बार आईयूसी को विनिर्दिष्ट किया था। तत्पश्चात्, विभिन्न संशोधनों के माध्यम से इन प्रभारों में संशोधन किया गया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जारी किए गए विनियमों के माध्यम से इन प्रभारों में और संशोधन किया गया था, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है :

दूरसंचार क्षेत्र

- **दिनांक 17 अप्रैल, 2020 का ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020''**

  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, निश्चित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क (आईटीसी)/₹ 0.30 प्रति मिनट की व्यवस्था को संशोधित कर ₹ 0.65 प्रति मिनट कर दिया गया है, जो कि ₹ 0.35 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर है। इसके अलावा, एकल और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर सभी को आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा यानी अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ के साथ–साथ एकल आईएलडीओ को भी। ये विनियम दिनांक 01 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

(ख) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी के सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समय–सीमा

3.5 पीओआई में प्रारंभिक अंतर्संयोजन और पोर्ट्स के संवर्द्धन के लिए पोर्ट्स के प्रावधान की समय सीमा को वर्ष 2018–19 में ''दूरसंचार अंतर्संयोजन (संशोधन) विनियम, 2018'' दिनांक 05 जुलाई, 2018 के माध्यम से बढ़ाकर 42 दिन कर दिया गया है।

(ग) लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना

3.6 रिपोर्ट अवधि के दौरान, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

- **दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 के तहत प्राधिकरण को निष्पादन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में सभी सेवा प्रदाताओं को दिनांक 15 फरवरी 2021 को निर्देश जारी किया गया**

  इस रिपोर्ट के भाग–II में दिशा–निर्देश पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(घ) दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए किए गए उपाय

3.7 भादूविप्रा, उपभोक्ता शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए भादूविप्रा पंजीकृत उपभोक्ता संगठन के क्षमता निर्माण पर उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित करता है और उपभोक्ता शिक्षा सामग्री लाता है और मीडिया अभियान चलाता है। रिपोर्ट के भाग–II में 2020–21 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और किए गए अभियानों का विवरण दिया गया है।

मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा

3.7.1 **मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा :** यह्मीटरिंग और बिलिंग के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन की जा रही प्रचि याओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने; यांह्बिलिंग के मापन में सटीकता और विश्वसनीयता से संबंधित मानदण्ड विनिर्दिष्ट करने; यांांह्सेवा प्रदाताओं द्वारा समय–समय पर उपलब्ध कराई जाने वाली बिलिंग की सटीकता का मापन करने तथा उनकी तुलना मानदण्डों से करना ताकि निष्पादन के स्तर का आंकलन किया जा सके; यvह्बिल संबंधी शिकायतों का न्यूनीकरण करने (v) और दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सेवा गुणवङ्गा य्मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता के लिए प्रचि या संहिताह्विनियम, 2006 की समीक्षा की तथा दिनांक 25 मार्च, 2013 को सेवा गुणवङ्गा य्मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए प्रचि या संहिताह्विनियम, 2013 जारी किए। विनियमों में सेवा प्रदाताओं के लिए अधिदेशित किया गया है कि वे भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किसी भी लेखापरीक्षक के माध्यम से वार्षिक आधार पर उनकी मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की लेखापरीक्षा की व्यवस्था करें तथा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई के अपश्चात् उसके संबंध में एक लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र भादूविप्रा को प्रेषित करें। विनियमों में यह उपबंध भी है कि सेवा प्रदाताओं को एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी अपर्याप्तता, यदि कोई है, के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी तथा उस पर की–गई–कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक विङ्ग वर्ष के 15 नवम्बर के अपश्चात् भादूविप्रा को प्रेषित करनी होगी। इसके अलावा, इन विनियमों के प्रभावी चि यान्वयन के लिए भादूविप्रा ने वार्षिक रिपोर्टों और की गई कार्रवाई की रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए ₹ 1,00,000 / – प्रति सप्ताह की दर से विङ्गीय हतोत्साहन तथा गलत या अपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रति की गई कार्रवाई रिपोर्ट ₹ 10,00,000 / – से अनधिक का विङ्गीय निरुत्साहन भी प्रवर्तित किया है। सेवा प्रदाताओं ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्टें और की गई कार्रवाई रिपोर्टें समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत की हैं। लेखापरीक्षा ने बिलिंग और चार्जिंग में कमियों की पहचान करने में मदद की है जिसके फलस्वरूप प्रभावित उपभोक्ताओं से उद्गृहीत अतिरिक्त प्रभारों की वापसी और प्रणालीगत मुद्दों को हल करने में मदद मिली है।

कॉल अलर्ट की अवधि विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियम: सब्स्चाइबर को कॉल उठाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने और कॉल अलर्ट की अनुपयुक्त लंबी अवधि के कारण सब्स्चाइबर को सब्स्चाइबर को असुविधा न हो इसलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 01 नवम्बर, 2019 को मूलभूत टेलीफोन सेवा य्वॉयरलाइनह्और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा य्सातवां संशोधनह्विनियमों की सेवा की गुणवङ्गा के मानकों को अधिसूचित किया, ताकि कॉल के लिए अलर्ट की अवधि को विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

एक्सेस सेवा प्रदाता को इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए अलर्ट की समयावधि को बनाए रखना होगा, जिसका कॉल करने वाले पक्ष द्वारा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मामले में तीस सेकंड और मूलभूत टेलीफोन सेवा के मामले में 60 सेकेंड तक न तो उङ्गर दिया जाता है और न ही उसे अस्वीकार किया जाता है। टर्मिनेटिंग नेटवर्क, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के मामले में तीस सेकंड और मूलभूत टेलीफोन सेवा के मामले में साठ सेकेंड तक, आने वाली वॉयस कॉल को 'कॉल रिलीज' करेगा और कॉल आरंभ करने वाले नेटवर्क पर 'कॉल रिलीज' संदेश संचारित करेगा । हालांकि, ङ्गारंभिक नेटवर्क समाप्त नेटवर्क से कॉल रिलीज संदेश ङ्गाप्त नहीं होने की स्थिति में 90 सेकंड के बाद एक अनुङ्गरित कॉल जारी कर सकता है।

स्पैम नियंत्रण: अवांछित वाणिज्यिक संप्रेषण य्यूसीसीह्की समस्या की रोकथाम के लिए, भादूविप्रा ने नए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म अर्थात् 'डिस्ट्रीब्यूटिड लेजर टेक्नालाजी य्डीएलटीह्को अपनाने को अधिदेशित करते हुए दिनांक 19 जुलाई, 2018 के ढांचे की समीक्षा की है और दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है। विनियम, ङ्गेषकों य्व्यवसायों और टेलीमार्केटर्सह् हेडर, सब्स्चाइबरों की

सहमति, संदेश टेम्पलेट आदि के पंजीकरण और वरीयताओं पर सूक्ष्म नियंत्रण का उपबंध करता है। यह एक सह–विनियम है जहां दूरसंचार सेवा प्रदाता/पहुंच प्रदाता ढांचे की स्थापना और व्यवस्था करते हैं, जो विधिक रूप से विनियम द्वारा समर्थित है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन विनियमों के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

ट्राई डीएनडी ऐप: यह मोबाइल एप्लिकेशन ग्राहकों को एक सामान्य मोड के माध्यम से किसी भी सेवा प्रदाता के साथ अपनी डू–नॉट–डिस्टर्ब (डीएनडी) वरीयता और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक बुद्धिमान स्पैम डिटेक्शन इंजन का उपयोग करके ग्राहकों को उनकी शिकायतों की रिपोर्ट करने में सहायता करता है और ऐप के भीतर शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में अपडेट करता है।

हेडर जानकारी पोर्टल: हेडर जानकारी पोर्टल ग्राहकों को वाणिज्यिक और सरकारी जागरूकता संचार के प्रेषक को जानने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल अन्य प्रमुख संस्थाओं को यह जांचने में भी मदद कर सकता है कि कोई समान दिखने वाला हेडर किसी अन्य संस्था द्वारा पंजीकृत है या नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हेडर से पूछताछ कर सकता या पूरी सूची डाउनलोड कर सकता है। टीएसपी प्रमुख संस्थाओं (व्यावसायिक या कानूनी संस्थाओं) को सौंपे गए अल्फा–न्यूमेरिक हेडर की सूची अपलोड कर सकते हैं।

जनहित के एसएमएस भेजने पर सरकारी संस्थाओं को छूट–एसएमएस टर्मिनेशन शुल्क से छूट के लिए पोर्टल: यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को टीसीसीसीपीआर, 2018 के विनियम 35 के तहत पंजीकृत हेडर के लिए 5 पैसे तक के एसएमएस टर्मिनेशन शुल्क से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सरकारी संस्थाओं को नवीनीकरण की तारीखों और एसएमएस समाप्ति शुल्क से 5 पैसे की छूट से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में जानने में भी मदद करता है।

"इमारतों के अंदर कनेक्टिविटी में सुधार" पर कार्यशाला

भादूविप्रा और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से दिनांक 04 सितंबर, 2020 को "इमारतों के अंदर कनेक्टिविटी में सुधार" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न विकास प्राधिकरणों और नगर पालिकाओं के बिल्डर, आरडब्ल्यूए, आर्किटेक्ट, दूरसंचार सेवा प्रदाता, बुनियादी ढांचा प्रदाता, प्रौद्योगिकी प्रदाता, सलाहकार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस आयोजन ने हितधारकों को अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने और ऐसे समाधान निकालने में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जो एक अच्छी गुणवत्ता वाले दूरसंचार नेटवर्क की हर किसी की आवश्यकता को पूरा करता है।

मोनोग्राफ

भादूविप्रा ने दिनांक 22 सितंबर, 2020 को एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया – "बहु–मंजिला आवासीय अपार्टमेंट के अंदर एक अच्छी गुणवत्ता वाले नेटवर्क की खोज"। मोनोग्राफ नेटवर्क में सुधार के लिए एक मिश्रित दृष्टिकोण का सुझाव देता है, अर्थात सामान्य हस्तक्षेप और समाधान दोनों जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के लिए विशिष्ट हैं। यह अपने लिए इष्टतम परिणामों को परिभाषित करने और प्राप्त करने में उपयोगकर्ताओं की भागीदारी की भी वकालत करता है। मोनोग्राफ मौजूदा नियमों और प्रथाओं की प्रभावशीलता, उभर रहे तकनीकी समाधानों और दुनिया के अन्य हिस्सों में नीतियों के अनुभव का आकलन करता है ताकि भारत के लिए आगे का मार्ग सुझाया जा सके। भादूविप्रा ने अन्य केस स्टडी भी की जैसे दिल्ली हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो ट्रेन में सेवाओं की गुणवत्ता। विस्तृत रिपोर्ट भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में विभिन्न प्रणालीगत मुद्दों, बुनियादी ढांचे की कमियों और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को दूरसंचार विभाग को भी भेज दिया गया है।

मामले का अध्ययन

भादूवित्त ने उन कारकों की पहचान करने के लिए मामलों का अध्ययन किया है जो उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुभव की गई गुणवङ्गा और मूल्यांकन के दौरान परिलक्षित गुणवङ्गा में अंतर का कारण बनते हैं। केस स्टडीज इमारतों के अंदर गुणवङ्गा पर अधिक केंद्रित थीं। केस स्टडीज से पता चला है कि भवन के अंदर खराब गुणवङ्गा का मुद्दा एक अच्छी गुणवङ्गा वाले नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण है जो विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जैसे कि अच्छा डिजाइन, तैनाती के समय टीएसपी या बुनियादी ढांचा त्त्दाताओं के लिए उपलब्ध अच्छे विकल्प, समाधान तैनात करने के लिए व्यावसायिक मामले आदि। यह भी पता चला है कि निर्माण में समाधान न तो महंगे हैं और न ही कठिन, हालांकि उन्हें कई एजेंसियों के बीच कुछ समन्वय की आवश्यकता होती है। अपार्टमेंट या भवन क्षेत्रों के अंदर मोबाइल नेटवर्क की तैनाती में आने वाली एक और बड़ी बाधा सेवा त्त्दाताओं और कुछ निवासियों या निवास कल्याण संघों ‡आरडब्ल्यूए‡ द्वारा व्यक्त की गई ईएमएफ चिंताओं के लिए दूरसंचार बुनियादी ढांचे को तैनात करने की अनुमति देने से इनकार या देरी है। कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा अवैध जैमर और बूस्टर लगाने से भी सेवाओं की गुणवङ्गा में गिरावट आती है।

भादूवित्त ने अन्य केस स्टडी भी की जैसे दिल्ली हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो ट्रेन में सेवाओं की गुणवङ्गा। विस्तृत रिपोर्ट भादूवित्त की वेबसाइट पर त्त्काशित की गई है। रिपोर्ट में विभिन्न त्त्चालीगत मुद्दों, बुनियादी ढांचे की कमियों और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से संबंधित चिंताओं पर त्त्काश डाला गया है। आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट को दूरसंचार विभाग को भी भेज दिया गया है।

वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस विनिर्देश: हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने भादूवित्त की सिफारिशों के आधार पर वाई–फाई एक्सेस नेटवर्क और सार्वजनिक डेटा कार्यालयों ‡पीडीओ‡ के त्त्वेश पर रूपरेखा और दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि सेवा की आवाज की गुणवङ्गा में सुधार लाने में मदद मिल सके।

आंतरिक भवन कवरेज में सुधार के लिए सेवा त्त्दाताओं द्वारा त्त्मुख पहल: मोबाइल नेटवर्क के कवरेज में सुधार और फिक्स्ड लाइन नेटवर्क के माध्यम से डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता का लाभ उठाने के लिए, टीएसपी ने वॉयस ओवर वाई–फाई ‡वीओ–वाईफाई‡ लॉन्च किया है। त्त्मुख टीएसपी या तो इसे पहले ही लॉन्च कर चुके हैं या उनकी इसे लॉन्च करने की योजना है। इसके साथ, उपयोगकर्ता किसी भी आईएसपी के वाई–फाई नेटवर्क से वॉयस कॉल कर सकते हैं और इस त्त्कार इमारतों के अंदर क्यूओएस में सुधार होता है जहां बाहरी एंटेना से मोबाइल सिग्नल का त्त्वेश मुश्किल होता है। किसी भी त्त्कार की डेटा कनेक्टिविटी भी मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके वॉयस कॉल करने में सक्षम बनाती है।

त्त्सारण सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम

3.7.2 भादूवित्त ने मार्च, 2017 में त्त्सारण और केबल सेवाओं के लिए 'नए विनियामक ढांचे' को अधिसूचित किया। नए ढांचे ने उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों का चयन करने की स्वतंत्रता दी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। तथापि, त्त्सारण सेवाओं के लिए नया टैरिफ आदेश जारी करने के बाद, यह देखा गया कि उपभोक्ताओं को अपने संबंधित वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों ‡डीपीओ‡ के वेब पोर्टल/एपीपी पर टीवी चैनलों/अपनी पसंद के बुके को चुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए, त्त्धिकरण ने एक ऐप विकसित करने का निर्णय लिया जो भादूवित्त द्वारा विकसित एपीआई के माध्यम से डीपीओ से डेटा त्त्प्त करता है।

दिनांक 09 अक्टूबर, 2019 को, उचित परामर्श त्त्क्रिया के बाद, भादूवित्त ने सेवाओं की गुणवङ्गा और उपभोक्ता संरक्षण ‡एड्रेसेबल सिस्टम‡ ‡दूसरा संशोधन‡ विनियम 2019 के मानक जारी किए। इस दूसरे संशोधन के माध्यम से, त्त्धिकरण ने डीपीओ को भादूवित्त के साथ एपीआई साझा करने के लिए अनिवार्य कर दिया ताकि उपभोक्ता भादूवित्त द्वारा विकसित एपीपी का उपयोग करके अपनी सदस्यता को संपादित और संशोधित कर सकें।

उपभोक्ताओं को चैनलों के चयन (जोड़ने/हटाने) में आसानी के लिए, ट्राई ने दिनांक 25 जून, 2020 को ट्राई चैनल सिलेक्टर ऐप लॉन्च किया और यह जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध है। ट्राई चैनल सिलेक्टर ऐप ग्राहकों को निम्नलिखित की सुविधा देता है:

(i) उनकी खुद की सदस्यता की जाँच करना।

(ii) उनके डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए सभी चैनल और बुके देखना।

(iii) केवल रुचि के चैनल चुनना और अन्य चैनल हटाना।

(iv) अनुकूलित समाधान प्राप्त करना, उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए चैनलों/बुके का सर्वोत्तम संयोजन समान मूल्य या कम कीमत में प्राप्त करना।

(v) लागू एनसीएफ (नेटवर्क क्षमता शुल्क) में चैनल जोड़ने की सुविधा।

(vi) सब्सक्राइबर को मौजूदा सब्सक्रिप्शन को संशोधित करने की अनुमति देना।

(vii) अपने सब्सक्रिप्शन अनुरोध की रीयल टाइम स्थिति जांचना।

चैनल सेलेक्टर ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। ऐप का उपयोग करके, डीटीएच/केबल ऑपरेटर के सब्सक्राइबर अपना सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन को संशोधित (चैनलों को जोड़ें/हटाएं) कर सकते हैं और नई सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐप की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि सब्सक्राइबर को पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सक्रियण के लिए डीटीएच/केबल ऑपरेटर को भेजे जाने से पहले सदस्यता का अनुकूलन किया जाता है।

(ग) दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन में प्रतिस्पर्धा को सुकर बनाने तथा कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम जिससे कि ऐसी सेवाओं के विकास को सुकर बनाया जा सके

3.8 भादूविप्रा ने सदैव ही ऐसी नीतियां तैयार करने का प्रयास किया है जो समसामयिक हों, वर्तमान घटनाक्रमों के अनुकूल हों, सरल और व्यावहारिक हों। उनका प्रतिस्पर्धा, अवसंरचना, राजस्व और उपभोक्ता कल्याण पर अपेक्षित प्रभाव होना चाहिए। प्राधिकरण, इस तथ्य के बारे में सतर्क है कि उपयुक्त व्यवसाय कार्यनीतियां तैयार करने, प्रतिस्पर्धा को संवर्धित करने और इसके द्वारा अभिनवता का लाभ उपभोक्ता को देने के लिए एक विनियामक निश्चितता अनिवार्य है। भादूविप्रा ने प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा समस्त गंभीरता के साथ प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदाताओं के प्रवेश को आसान बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किया है। सिफारिशों/विनियमों/प्रशुल्क आदेशों/निदेशों आदि के रूप में किए गए उपाय उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं।

दूरसंचार के संचालन में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भादूविप्रा द्वारा 2020–21 में निम्नलिखित कदम उठाए गए:

दूरसंचार क्षेत्र

- **दिनांक 17 अप्रैल 2020 का ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम'', 2020**

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दिनांक 17 अप्रैल, 2020 को ''दूरसंचार अंतर्संयोजन उपयोग शुल्क (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020'' जारी किया। इन विनियमों के माध्यम से, निश्चित अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति शुल्क (आईटीसी)/₹ 0.30 प्रति मिनट की व्यवस्था को संशोधित कर ₹ 0.65 प्रति मिनट कर दिया गया है, जो कि ₹ 0.35 प्रति मिनट की निर्धारित सीमा के भीतर है। इसके अलावा, एकल और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि एक एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर सभी को आईटीसी की गैर–भेदभावपूर्ण दर की पेशकश करेगा यानी अपने स्वयं के संबद्ध आईएलडीओ

के साथ–साथ एकल आईएलडीओ को भी। ये विनियम दिनांक 01 मई, 2020 से लागू हुए हैं।

झ्रिक्र ऐसी दरों पर तथा ऐसी सेवाओं के संबंध में शुल्कों और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं

3.9 भादूविप्रा को दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं के लिए प्रशुल्क नीतियों का निर्णय लेने का अधिदेश दिया गया है। भादूविप्रा प्रशुल्क के विनियमन के माध्यम से उपभोक्ता हितों का ध्यान रखता है। प्रशुल्क विनियमन, उपभोक्ताओं को प्रशुल्क प्रस्तावों में स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा वहां प्रशुल्क प्रभार निर्धारित करने का स्वरूप लेता है, जहां बाजार इष्टतम दरें प्रदान नहीं कर रहा है।

f क्र सार्वभौमिक सेवा दायित्व र्यूएसओक्र्का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम

3.10 ग्रामीण वायर–लाइन कनेक्शन को सहायता प्रदान करने के संबंध में दिनांक 14 मई, 2012 की अपनी सिफारिशों में त्राधिकरण से अनुशंसा की थी कि दिनांक 01 अत्रैल, 2002 से पहले संस्थापित ग्रामीण वायरलाइन कनेक्शनों को संपोषित करने के लिए मैसर्स बीएसएनएल को दो वर्ष तक सहायता जारी रखी जा सकती है। पहले वर्ष के लिए सहायता की राशि ₹ 1500 करोड़ और दूसरे वर्ष के लिए ₹ 1250 करोड़ हो सकती है। त्राधिकरण ने ''अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में दूरसंचार सेवाओं में सुधार'' के संबंध में अपनी दिनांक 22 जुलाई, 2014 को सिफारिशों के माध्यम से इन क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के उपायों की सिफारिश की है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा उपयोग को त्रोत्साहित करने के लिए त्राधिकरण ने दिनांक 19 दिसंबर, 2016 को ''निःशुल्क डाटा उपलब्ध कराने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा उपयोग को त्रोत्साहित करने'' की अपनी सिफारिशों को आगे बढ़ाया। इस सिफारिश में, त्राधिकरण ने सिफारिश की है कि इस योजना को यूएसओएफ के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए।

र्टिक्र दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित मामलों में तथा सामान्यतः दूरसंचार उद्योग से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को प्रदान किए गए परामर्श का विवरण

3.11 दूरसंचार के विकास से संबंधित मामलों में भादूवित्र द्वारा केंद्रसरकार को दी गई सिफारिशों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) ''सार्वजनिक वाई–फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के त्रसार'' पर भादूवित्र की सिफारिशें दिनांक 09 मार्च, 2017 पर फिर से विचार करने के लिए डीओटी के दिनांक 29 मई, 2020 के बैक–रेफरेंस के लिए त्राधिकरण की दिनांक दिनांक 05 जून, 2020 की प्रतिचि या।

(ii) भादूवित्र की सिफारिशों पर दिनांक 17 अत्रैल, 2015 को ''तेजी से ब्रॉडबैंड वितरित करना: हमें क्या करने की आवश्यकता है?'' पर डीओटी के दिनांक 12 मार्च, 2021 के बैक–रेफरेंस पर त्राधिकरण की दिनांक 15 अत्रैल, 2021 की प्रतिचि या।

इस संबंध में आगे के विवरण पर रिपोर्ट के भाग–।। में पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

ठिक्र सेवाओं की गुणवैं ाा की निगरानी तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसी सेवाओं के संवर्धनात्मक सर्वेक्षण का विवरण

खिक्र सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं की गुणवैं ाा की निगरानी

3.12 सेवा प्रदाताओं से प्राप्त रिपोर्टें

3.12.1 मूलभूत और सेल्युलर मोबाइल सेवाएं

भादूविप्रा मूलभूत तथा सेल्युलर मोबाइल सेवा निष्पादन की निगरानी उपरोक्त निदेशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से भादूविप्रा द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार करता है। सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की गुणवत्ता के सुधार के क्रम में, भादूविप्रा ने मूलभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012 दिनांक 08 नवम्बर, 2012 के माध्यम से मूलभूत टेलीफोन सेवा (वॉयरलाइन) तथा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा ऑपरेटरों पर नेटवर्क सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों तथा उपभोक्ता सेवा गुणवत्ता ऑपरेटरों के लिए मानदंडों का पालन नहीं किए जाने पर वित्तीय निरूत्साहन निर्धारित किए हैं। इन विनियमों में सेवा मानदंडों की गुणवत्ता की असत्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के लिए वित्तीय निरुत्साहन के रूप में दंडात्मक सुधार की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है।

3.12.2 ब्रॉडबैंड सेवा

भादूविप्रा निर्धारित सेवा मानदंडों की गुणवत्ता के संबंध में सेवा प्रदाताओं के निष्पादन की निगरानी, ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता विनियम दिनांक 06 अक्तूबर, 2006 के तहत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्ट (पीएमआर) के माध्यम से करता है। ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट का विश्लेषण सेवा की गुणवत्ता मानदंड के संबंध में उनके निष्पादन के आंकलन हेतु किया जाता है। मानदंडों का स्तर और ऊंचा करने के लिए भादूविप्रा द्वारा ब्रॉडबैंड के गति सुधार के लिए दिनांक 25 जून, 2014 को ''ब्रॉडबैंड सेवा की सेवा की गुणवत्ता (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2012'' जारी किए गए।

3.12.3 नेटवर्क / प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन (पीओआई) रिपोर्ट

भादूविप्रा मासिक आधार पर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच पीओआई पर व्यस्तता के स्तर की निगरानी कर रहा है। यह पैरामीटर उस सहजता को दर्शाता है जिसके द्वारा एक नेटवर्क के उपभोक्ता दूसरे नेटवर्क के उपभोक्ता के साथ संचार करने में सक्षम होता है। यह पैरामीटर यह भी दर्शाता है कि दो नेटवर्क के बीच अंतर्संयोजन कितना प्रभावी है। इस पैरामीटर के लिए क्यूओएस विनियमों में भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित मानदंड < 0.5 प्रतिशत है। भादूविप्रा सेवा की गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में मूलभूत तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के निष्पादन के आंकलन हेतु उनसे मासिक पीओआई व्यस्तता रिपोर्ट प्राप्त करता है।

3.12.4 ट्राई माईकॉल एप

''ट्राई माईकॉल ऐप'' क्राउड सोर्सिंग के जरिये कॉल की गुणवत्ता मापने के लिए है। ट्राई माईकॉल ऐप क्राउड सोर्स्ड वॉइस कॉल मॉनिटरिंग के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो एंड्रायड तथा आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन फोन उपयोगकर्ताओं की 'रीयल टाइम' में वॉइस कॉल की क्वालिटी के बारे में अपने अनुभव का मूल्यांकन करने और भादूविप्रा की नेटवर्क डाटा के साथ उपभोक्ताओं के अनुभव संबंधी डाटा एकत्रित करने में मदद करता है।

3.12.5 ट्राई माईस्पीड ऐप

यह एप्लिकेशन ग्राहकों को वायरलेस डेटा स्पीड अनुभव को मापने की अनुमति देता है और परिणाम भादूविप्रा को भेजता है। एप्लिकेशन डिवाइस और परीक्षणों के स्थान के साथ कवरेज, डेटा गति और अन्य नेटवर्क जानकारी को एकत्र करता है और भेजता है। माईस्पीड पोर्टल प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं में ऐसे नमूनों से वायरलेस डेटा गति की तुलना प्रदर्शित करता है।

डिक्र नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का निरीक्षण और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार पर की गई सिफारिश

3.13 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस शीर्ष के तहत उठाए गए विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:

- **'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 की सिफारिशें**

  प्राधिकरण ने उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद 'वायरलाइन एक्सेस सेवाओं के लिए सेवाओं के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले नेटवर्क परीक्षण' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को इसे मनन के लिए दूरसंचार विभाग को अग्रेषित कर दिया।

भाग - IV

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले तथा वित्तीय कार्य निष्पादन

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

4.1 इस खंड में, भादूविप्रा के संगठनात्मक मामलों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई गई है, विशेषरूप से जो संगठन संरचना, विद्धपोषण, मानव संसाधन से संबंधित है तथा इनमें भर्ती, क्षमता निर्माण और कुछ सामान्य मुद्दे शामिल किए गए हैं।

किक्र संगठन

4.2 भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ऋभादूविप्राॡ उपरोक्त नाम द्वारा एक निगमित निकाय है, जिसको सतत उद्धराधिकार तथा एक सामान्य मुद्रा और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल एवं अचल सम्पद्धियां अधिग्रहीत करने, धारण करने तथा निपटान करने और संविदा करने की शक्ति प्राप्त है तथा यह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा अथवा इसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जाएगा। भादूविप्रा ऋसंशोधितॡअधिनियम, 2000 के परिणामतः प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दिनांक 31 मार्च, 2021 को प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार थी:

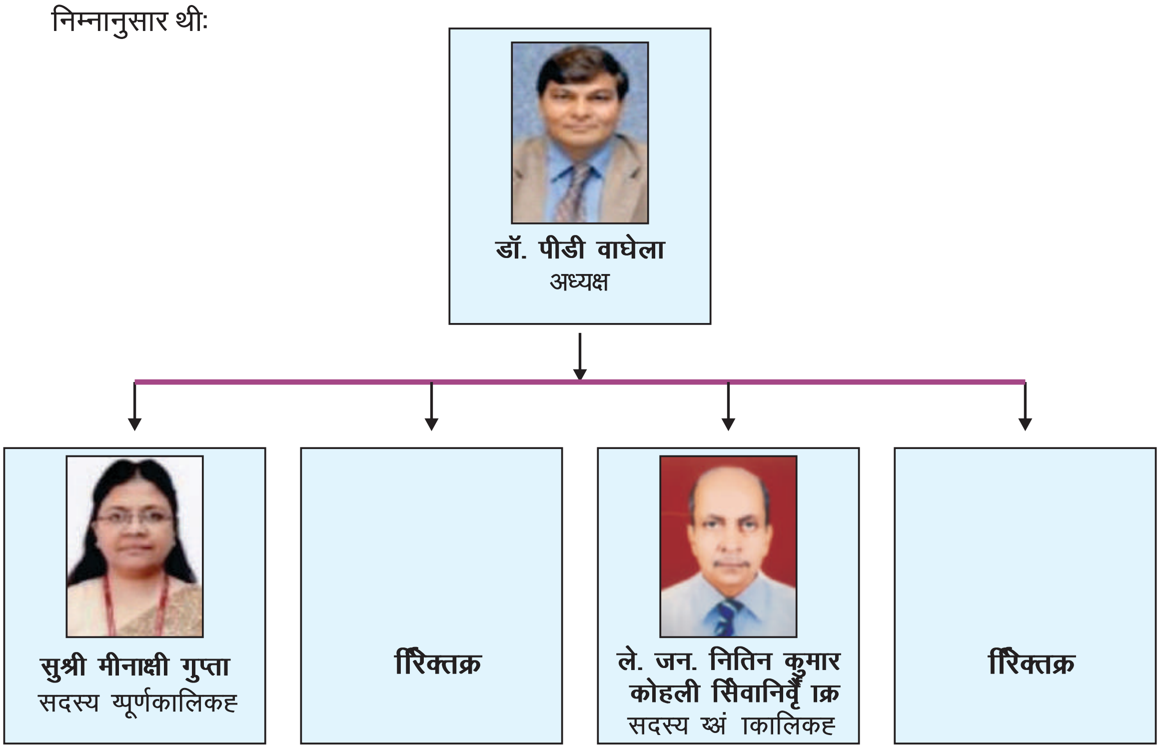

खिक्र भादूविप्रा का सचिवालय मुिख्यालयक्र

4.3 प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है और इस काम में उनकी सहायता सात प्रभागों द्वारा की जाती है, जो निम्नानुसार हैं :

ऋiॡ प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऋए एंड आईआरॡ ऋiiॡ प्रसारण एवं केबल सेवाएं ऋबी एंड सीएसॡ ऋiiiॡ विद्ध एवं

आर्थिक विश्लेषण ऋएफ एंड ईएह ऋvह नेटवर्क स्पेक्ट्रम तथा लाइसेंसिंग ऋएनएसएलह ऋvह सेवा की गुणवत्त्ता ऋक्यूओएसह ऋviह विधि और ऋviiह उपभोक्ता मामले, सूचना त्त्रौद्योगिकी और त्त्रौद्योगिकी विकास ऋसीए, आईटी और टीडीह

प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग

4.4 प्रशासन प्रभाग सभी प्रशासनिक तथा कार्मिक कार्यों के लिए उत्त्तरदायी है, जिनमें भादूविप्रा में मानव संसाधन विकास की योजना एवं नियंत्रण के साथ प्राधिकरण के उपयोग के लिए सूचना की समन्वित उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। त्त्रशासन विभाग के पास त्त्रशासन और कार्मिक अनुभाग ऋए एंड पीह सामान्य त्त्रशासन अनुभाग ऋजीएह संचार और जनसंपर्क ऋवाणिज्य और पीआरह अनुभाग, राजभाषा अनुभाग, त्त्रबंधन त्त्रतिनिधि और आरटीआई ऋएमआर एंड आरटीआईह अनुभाग की गतिविधियों के त्त्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी है। त्त्रभाग ने एक अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय का त्त्रबंधन किया है जिसमें ज्ञान का एक अच्छा संग्रह है, जिसमें तकनीकी पुस्तकें, कानूनी पुस्तकें, साहित्य पुस्तकें आदि शामिल हैं। इसके पास संसाधनों को साझा करने के लिए डीईएलएनईटी की संस्थागत सदस्यता भी है। यह त्त्रभाग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी संभालता है जिसमें सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/निकायों जैसे आईटीयू, एपीटी, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, एडीबी, एसएटीआरसी, ओईसीडी और अन्य देशों में नियामक निकायों के साथ समन्वय शामिल है।

प्रसारण एवं केबल सेवाएं ऋबी एंड सीएसह प्रभाग

4.5 प्रसारण एवं केबल सेवाएं ऋबीएंडसीएसह प्रभाग प्राधिकरण को सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों का प्रसारण, डायरेक्ट टू होम ऋडीटीएचह सेवाएं, केबल टीवी सेवाएं, हेड–एंड इन द स्काई ऋहिट्सह सेवाएं, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन ऋआईपीटीवीह सेवाएं, एफएम रेडियो प्रासरण सहित प्रसारण क्षेत्रों के लिए समग्र विनियामक संरचना निर्धारित करने के संबंध में परामर्श प्रदान करने हेतु उत्त्तरदायी है, जिसके दायरे में प्रशुल्क, अंतरसंयोजन और सेवा की गुणवत्त्ता के पहलू सम्मिलित हैं। यह प्रभाग पर प्रसारण क्षेत्र के आधुनिकीकरण/डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच करने और सरकार द्वारा प्रसारण क्षेत्र के विभिन्न सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए लाइसेंसों/अनुमतियों के नियम एवं शर्तों तथा विभिन्न नीतियों पर सिफारिशें देने के लिए उत्त्तरदायी है। यह प्रभाग प्रसारण क्षेत्र के सभी हितधारकों के हितों के संरक्षण के उपाय करने के संबंध में प्राधिकरण को सुझाव देता है, जिनमें उपभोक्ता विकल्पों को सुगम बनाना, किफायती मूल्यों पर वांछनीय गुणवत्त्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना शामिल है।

वित्त्त एवं आर्थिक विश्लेषण ऋएफ एंड ईएह प्रभाग

4.6 एफ एंड ईए त्त्रभाग मुख्य रूप से दूरसंचार टैरिफ आदेशों में निहित त्त्रावधानों, दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में निहित कुछ त्त्रावधानों और समय–समय पर संबंधित पहलुओं पर त्त्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, एफ एंड ईए त्त्रभाग दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न परिचालन पहलुओं पर सलाह त्त्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है, जैसे कि, टैरिफ विनियमन ऋजहां कहीं भी आवश्यक हो, दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण, सेवा त्त्रदाताओं द्वारा पालन किए जाने वाले टैरिफ सिद्धांतों को निर्धारित करना, टैरिफ की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना और नियामक ढांचे के अनुरूप उनकी जांच करना आदिह लागत आधारित अंतरसंयोजन त्त्रभारों का निर्धारण, मोबाइल पोर्टेबिलिटी के लिए त्त्रति पोर्ट लेनदेन शुल्क का निर्धारण, दूरसंचार सेवाओं आदि के लिए लागत पद्धति और लागत। इसके अलावा, एफ एंड ईए त्त्रभाग दूरसंचार क्षेत्र के विभिन्न परिचालन पहलुओं पर सलाह त्त्रदान करने व मौजूदा नियामक ढांचे के साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त्तीय विवरणों, लेखा पृथक्करण रिपोर्ट, एजीआर रिपोर्ट आदि की समीक्षा

करने के लिए भी जिम्मेदार है। एफ एंड ईए प्रभाग "भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट" भी संकलित करता है और इसे तिमाही आधार पर प्रकाशित करता है।

नेटवर्क, स्पेक्ट्रम तथा लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग

4.7 नेटवर्क, स्पेक्ट्रम तथा लाइसेंसिंग (एनएसएल) प्रभाग अंतर्संयोजन के नियम एवं शर्तें निर्धारित करने, विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कारगर अंतर्संयोजन सुनिश्चित करने, अंतर्संयोजन उपयोग प्रभार (आईयूसी) निर्धारण सहित अंतर्संयोजन के सभी मुद्दों को देखने तथा उनकी नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशनों के अंतर्संयोजन के मुद्दों को भी प्रभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, यह प्रभाग इंटरनेट/ब्रॉडबैंड सहित एक्सेस सेवाओं की लाइसेंस शर्तों से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करने के लिए, राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) सेवा, मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा, वेरी स्माल अपर्चर टर्मिनल (वीएसएटी) सेवा, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस (पीएमआरटीएस) और मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग, इसकी पुनर्रचना सहित स्पेक्ट्रम के कुशल प्रबंधन पर भी सिफारिशें देता है। यह प्रभाग नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरूआत और स्वदेशी दूरसंचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने से संबंधित मामलों पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, सतत दूरसंचार, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा राहत के लिए अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) और रेडियो संचार प्रणाली (पीडीआर) से संबंधित मामले को भी नियंत्रित किया जाता है। यह प्रभाग राष्ट्रीय नंबरिंग योजना, इंटेलिजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवा, कॉलिंग कार्ड और सैटकॉम नीति से संबंधित मुद्दों को भी देखता है।

यह प्रभाग उपरोक्त सभी सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन की निगरानी भी करता है। यह प्रभाग देश में फिक्स्ड लाइन, मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं के साथ–साथ मोबाइल डेटा उपयोग की सदस्यता की निगरानी भी करता है। यह प्रभाग सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ) और सभी संबंधित मामलों पर सिफारिशों के संबंध में भी कार्यवाही करता है। यह प्रभाग मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को नियंत्रित करता है और इसका अनुपालन सुनिश्चित करता है।

सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) प्रभाग

4.8 सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता (मूल टेलीफोन सेवा, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा, वायरलेस डेटा सेवा, और ब्रॉडबैंड सेवा) के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए क्यूओएस प्रभाग विनियमों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है; दूरसंचार उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना; मीटरिंग और बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए; अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) स्पैम को रोकने के लिए यह प्रभाग उपभोक्ता संगठनों/गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के पंजीकरण और ट्राई के साथ उनकी बातचीत के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों पर सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत आवधिक प्रदर्शन रिपोर्ट के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करता है। सेवा प्रदाताओं की सेवा की गुणवत्ता का आकलन देश भर में किए गए फील्ड मापन के माध्यम से भी किया जाता है। यह प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से पहले प्राप्त संदर्भों पर सिफारिशों को संभालता है। प्रभाग इंटरकनेक्ट समझौतों और ऐसे सभी अन्य मामलों के रजिस्टर को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है जो नियमों में प्रदान किए जा सकते हैं।

विधि प्रभाग

4.9 विधि प्रभाग को प्राधिकरण को सभी विनियामक मुद्दों पर विधिक परामर्श प्रदान करने, सभी विधिक दस्तावेजों को तैयार करने और उनकी जांच करने का भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह प्रभाग उन सभी वाद मामलों का प्रबंधन करता है, जिनमें भादूविप्रा एक पक्षकार होता है।

उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी विकास (सीए, आईटी और टीडी) प्रभाग

4.10 सीए प्रभाग दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ता परामर्श के विकास तथा उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ताओं के मध्य आम जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग संपूर्ण देश के उपभोक्ता संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों को भादूविप्रा के साथ पंजीकृत करने में सहायता देता है तथा उपभोक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ संपर्क स्थापित करता है। प्रभाग की अन्य गतिविधियों में उपभोक्ता शिक्षा/आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना, ट्राई के साथ पंजीकृत उपभोक्ता संगठनों की क्षमता निर्माण, प्रासंगिक विषयों पर क्षेत्रीय कार्यशालाएं और संगोष्ठी आयोजित करना, मीडिया अभियान चलाना, विकास करना और उपभोक्ता शिक्षा आदि को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता शिक्षा सामग्री को हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करना शामिल हैं।।

भादूविप्रा में आईटी प्रभाग विभिन्न प्रभागों की आईटी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है जैसे डेटा का विश्लेषण और परिकल्पना, विभिन्न पोर्टल और भादूविप्रा की वेबसाइट का कार्यान्वयन और अनुरक्षण, वेब एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप विकास, वीडियो कान्फ्रेंसिंग आदि। भादूविप्रा का आईटी प्रभाग भादूविप्रा की समस्त कंप्यूटर हार्डवेयर परिसंपत्तियों तथा एलएएन सेटअप का रखरखाव भी करता है।

टीडी अनुभाग समय–समय पर अपने–अपने क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से तकनीकी सत्र आयोजित कर रहा है, ताकि भादूविप्रा के अधिकारियों के बीच नई प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। यह अनुभाग दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार के लिए समय–समय पर 'टेक्नोलॉजी डाइजेस्ट' के रूप में तकनीकी सूचना पत्र भी प्रकाशित कर रहा है। टीडी अनुभाग मोबाइल टावरों से संबंधित शिकायते जैसे स्थापना/निष्कासन, विकिरण जोखिम, मौद्रिक धोखाधड़ी, अदालती मामलों, आरटीआई आदि को भी देखता है।

ग. मानव संसाधन

4.11 भादूविप्रा के सचिवालय (मुख्यालय) में कार्य संचालन हेतु कुल 180 (31 मार्च, 2021 तक) कर्मचारियों का दल काम कर रहा है, जो प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में उसे सौंपे गए कार्यों को करता है। जहां आवश्यक हो, सलाहकारों की नियुक्ति की जाती है।

(i) भादूविप्रा मुख्यालय के कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च, 2021 तक)

4.12 दिनांक 31 मार्च, 2021 को भादूविप्रा (मुख्यालय) के कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार थी:

क्रम संख्या	पद	संस्वीकृत पद	वास्तविक पद
1.	सचिव	01	01
2.	प्रधान सलाहकार	14	12
3.	सलाहकार		
4.	संयुक्त सलाहकार	25	21
5.	उप सलाहकार	10	09
6.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	03	03
7.	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	35	26
8.	प्रधान निजी सचिव	05	03
9.	तकनीकी अधिकारी	12	11
10.	तकनीकी अधिकारी, (अभियांत्रिकी)	5	0
11.	अनुभाग अधिकारी	20	17
12.	निजी सचिव	12	11

13.	सहायक	48	35
14.	निजी सहायक	18	09
15.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	01	00
16.	अवर श्रेणी लिपिक	07	01
17.	चालक विशेष ग्रेड	01	00
18.	चालक ग्रेड–।	04	02
19.	चालक ग्रेड–।।	04	04
20.	चालक साधारण ग्रेड	04	04
21.	पीसीएमओ	02	02
22.	डिस्पैच राइडर	01	01
23.	परिचर	05	08
	कुल	**237**	**180**

4.13. दिनांक 31 मार्च 2021 को भादूविप्रा (मुख्यालय) में सचिव, प्रधान सलाहकार/सलाहकार स्तर के अधिकारियों का विवरण

६.सं.	अधिकारी का नाम	धारित पद	चित्र
1	**श्री सुनील कुमार गुप्ता**	सचिव	
2	**श्री एस.के. मिश्रा**	प्रधान सलाहकार (एफ एंड ईए)	
3	**श्री राजीव सिन्हा**	प्रधान सलाहकार (बी एंड सीएस)	
4	**श्री संजीव कुमार शर्मा**	सलाहकार (प्रशासन एवं आईआर)	

६ .सं.	अधिकारी का नाम	धारित पद	चित्र
5	**श्री अनिल कुमार**	सलाहकार ख्बी एंड सीएसह– I	
6	**श्री सुनील कुमार सिंघल**	सलाहकार ख्बीबी एंड पीएह	
7	**श्री संजीव बंजल**	सलाहकार ख्सीए, आईटी और टीडीह	
8	**श्री अरविंद कुमार**	सलाहकार ख्बी एंड सीएसह– II	
9	**श्री एस.टी. अब्बास**	सलाहकार य्एनएसएलह– I	
10	**श्री राजीव रंजन तिवारी**	सलाहकार य्विधिह	
11	**श्री असित कादयान**	सलाहकार ख्यूओएसह	

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	धारित पद	चित्र
12	**श्री कौशल किशोर**	सलाहकार एफ एंड ईएंड	
13	**श्री अमित शर्मा**	सलाहकार एफ एंड ईएंड	

4.14 भादूविप्रा में अधिकांश कर्मचारी सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले दूरसंचार, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रशासन इत्यादि क्षेत्रों में अनुभवी इन पदाधिकारियों को प्रारंभ में दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और उसके पश्चात्, यदि अपेक्षित होता है, संबंधित सरकारी विभागों/संगठनों से उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है। प्रशिक्षित और अनुभवी विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि के विस्तार का प्रयास प्रायः कठिन होता है। जबकि प्राधिकरण के कार्यों के दायरे, स्तर और जटिलता में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर आए इन कार्मिकों को उनके मूल विभागों को वापस भेजे जाने के कारण प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिक की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए, प्राधिकरण ने ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को भादूविप्रा में स्थायी रूप से समाहित करने के विकल्प के साथ कुशल और विशेषज्ञता वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का एक संवर्ग बनाया है।

ii) **भर्ती**

4.15 प्राधिकरण ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से भादूविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आए पदाधिकारियों को समाहित कर, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अपना स्वयं का एक विशिष्ट संवर्ग तैयार किया है। तथापि, अधिकांश प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक, विशेष रूप से वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदाधिकारी, स्थायी रूप से समाहित किए जाने के विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए, इसके मुख्यालय के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रतिनियुक्ति द्वारा कार्मिको की भर्ती अभी जारी है। इसका कारण यह है कि सरकारी कर्मचारियों में, विशेषज्ञता प्रमुख रूप से मंत्रालयों अथवा सरकारी स्वामित्वता वाले दूरसंचार ऑपरेटरों के पास उपलब्ध है। तथापि, सेवा के अनाकर्षक नियमों एवं शर्तों के कारण प्राधिकरण विशेषज्ञता प्राप्त कर्मियों की भर्ती करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है।

(iii) **प्रशिक्षण**

4.16 भादूविप्रा दूरसंचार और प्रसारण के क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के लिए विशेषज्ञता विकसित करने के लिए मानव संसाधन पहल को अत्यधिक महत्व देता है। सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक संरचित प्रशिक्षण नीति बनाई गई है। भादूविप्रा के कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं:—

i. ओरिएंटेशन/प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण

ii. अल्पावधि विषयगत प्रशिक्षण

iii. दीर्घावधि प्रशिक्षण – ज्यादातर ऑनलाइन कोर्स

iv. कैरियर मध्यवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम

v. अन्य–अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण और सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण

यह पहल, इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए परामर्श दस्तावेज तैयार करने तथा प्राप्त सुझावों तथा प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने, दोनों के माध्यम से प्राधिकरण के लिए परामर्शी प्रक्रिया में प्रभावोत्पादक ढंग से भाग लेने हेतु तथा खुला मंच चर्चा के दौरान भी उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे दूरसंचार क्षेत्र के नियंत्रण में उठने वाले विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए नीति विकसित करने में भी सहायता मिली है। प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के चयन तथा तैयार करने में, भादूविप्रा वृहद स्तर नीति और नीतियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी हेतु प्रासंगिक तकनीकी–आर्थिक कार्य विवरण के संचालन के लिए विविध कौशल प्रदान करने हेतु प्रयास करता है। भादूविप्रा की विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति के लिए विशेष कार्यक्रमों की पहचान/डिज़ाइन और संचालित किए जा रहे हैं। प्राधिकरण संगठन में अपने अधिकारियों को उनकी विशेषज्ञता को और विकासित करने के लिए 'संस्थागत क्षमता निर्माण परियोजना' के अंतर्गत उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के लिए भी प्रायोजित करता है।

4.17 कोविड –19 महामारी के कारण अधिकांश प्रशिक्षण आमने–सामने प्रशिक्षण के बजाय ऑनलाइन आयोजित किए गए थे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ–साथ, जीएसएमए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और एशिया प्रशांत दूरसंचार (एपीटी) द्वारा आयोजित किए गए थे।इन प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिकारियों को बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे उनके संबंधित क्षेत्र के नियामक कार्य में उनके कौशल में वृद्धि हुई है। इन विषयों में मोबाइल गोपनीयता के सिद्धांत, 5जी–नेक्स्ट जनरेशन, रेडियो सिग्नल और स्वास्थ्य, मोबाइल दूरसंचार के लिए स्पेक्ट्रम प्रबंधन, कोविड –19 संकट के दौरान कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए विनियामक सिफारिशें, आपदा और मानवीय संकट का जवाब, 5जी नेटवर्क के तकनीकी, व्यावसायिक और नियामक पहलू, आईओटी उन्नत अनुप्रयोग: स्मार्ट सिटी और उद्योग 4.0 आदि शामिल थे।

(iv) संगोष्ठियां/कार्यशालाएं

4.18 विश्वभर में हो रहे विकास के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए, प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों के सदस्यों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों, बैठकों और संगोष्ठियों के लिए नामित किया है, जो कि कोविड –19 महामारी के कारण आभासी मंच के माध्यम से आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों ने न केवल अपने नीति बनाने हेतु बहुमूल्य सुझाव/जानकारियां जुटाने में मदद के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होने वाले नवीनतम विकास की जानकारी मिली। इससे भारत तथा इसके जैसे अन्य देशों में प्रमुख विनियामक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अंतर्राष्ट्रीय मदद मिली, जिसने भारत को वैश्विक सूचना सोसायटी में अग्रणी भूमिका निभाने हेतु सक्षम बनाया है।

v) कार्यालय के लिए स्थान

4.19 भारत सरकार की नीति के अनुसार, भादूविप्रा सरकारी पूल से कार्यालय परिसर के लिए पात्र कार्यालय है। परंतु, वर्ष 1997 में इसकी स्थापना के समय से ही भादूविप्रा किराए के परिसर में काम कर रहा है। वर्तमान में, भादूविप्रा का कार्यालय एमटीएनएल की बिल्डिंग में किराया आधार पर स्थित है।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) ने आगामी विश्व व्यापार केंद्र (डब्ल्यूटीसी), नौरोजी नगर, नई दिल्ली में भादूविप्रा के लिए बिल्ट–अप ऑफिस स्पेस की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निर्माणाधीन परियोजना में भादूविप्रा को 1,15,982 वर्ग फुट का क्षेत्र आवंटित किया गया है।

vi) भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर

4.20 भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों को प्राधिकरण द्वारा विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर सामान्य पूल आवास में बने रहने की अनुमति है, प्राधिकरण कर्मचारियों से सामान्य लाइसेंस शुल्क ले सकते हैं। प्रतिधारण की अनुमत अवधि, कर्मचारियों की सेवानिवृति अथवा प्राधिकरण में उनके सेवाकाल, जो भी पहले हो, तक होगी। सामान्य पूल आवासीय परिसर के आबंटन हेतु पात्रता भादूविप्रा द्वारा सम्पदा निदेशालय को विशेष लाइसेन्स शुल्क के भुगतान पर दिल्ली में प्राधिकरण (भादूविप्रा) के सचिवालय में तैनात उन अधिकारियों तक सीमित होगी जो प्राधिकरण में नियुक्त किए जाने से पूर्व सामान्य पूल आवासीय परिसर के आबंटन हेतु योग्य थे। पूर्ववर्ती स्थिति के दृष्टिगत, सम्पदा निदेशालय, भादूविप्रा में अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को समाहित किए जाने के बाद न तो सामान्य पूल से आवास आबंटित कर रहा है और न ही पहले आबंटित आवास प्रतिधारण की अनुमति दे रहा है।

एमटीएनएल/बीएसएनएल के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके भादूविप्रा के कर्मियों को आवास मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है जिसके माध्यम से एमटीएनएल/बीएसएनएल अपने सामान्य पूल के आवासीय क्वाटरों को पट्टे के आधार पर भादूविप्रा को प्रदान करने के लिए चिह्नित करेगा ताकि भादूविप्रा उन्हें अपने कर्मचारियों को किराए पर दे सके।

vii) भादूविप्रा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा:

4.21 भादूविप्रा के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा भादूविप्रा की अनुसूची–II (अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2002 द्वारा शासित है। भादूविप्रा ने दूरसंचार विभाग से भादूविप्रा के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके लिए चिकित्सा सुविधा को उक्त नियमों में शामिल करने का अनुरोध किया था।

दूरसंचार विभाग ने दिनांक 22 दिसंबर, 2020 को भारत के राजपत्र में ''भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2020'' अधिसूचित किया, जिसके तहत प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों को चिकित्सा सुविधाओं का हकदार बनाया गया है।

viii) भादूविप्रा की महिला कर्मचारियों के लिए मनोरंजन कक्ष:

4.22 महिला कर्मचारी और अधिकारी पूरे संगठन का एक स्वस्थ हिस्सा हैं। इसलिए, उनकी मनोरंजक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए एक अलग जगह की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कार्यालय परिसर में महिला कर्मचारियों के लिए एक नया मनोरंजन कक्ष बनाया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा किया गया था और सभी महिला कर्मचारियों को समर्पित किया गया था। दिनांक 08 मार्च, 2021 को भादूविप्रा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर मनाया गया।

दिनांक 8 मार्च, 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माननीय अध्यक्ष, भादूक्विा द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए मनोरंजन कक्ष का उद्घाटन

र्धिक्र विँ ापोषिण

4.23 भादूवित्त संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक विनियामक संस्था है। यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा विझ्ञ पोषित है। भादूवित्त अधिनियम, 1997 की धारा 21 के अनुसार, केंद्म सरकार, इस संबंध में संसद द्वारा कानून द्वारा किए गए उचित विनियोग के बाद, त्ताधिकरण को ऐसी राशि का अनुदान दे सकती है जो त्ताधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी को वेतन और भझे का भुगतान करने के लिए आवश्यक हो। अधिनियम की धारा 22यहृएहृऔर ख्रीहृमें कहा गया है कि एक कोष का गठन किया जाएगा जिसे भारतीय दूरसंचार नियामक त्ताधिकरण सामान्य निधि कहा जाएगा और इस अधिनियम के तहत त्ताधिकरण द्वारा त्ताप्त सभी अनुदान, शुल्क और

त्तमारय और त्ताधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से त्ताप्त सभी राशियां, जो केंद्रसरकार द्वारा तय की जाएं, इस निधि में जमा की जाएंगी। वर्ष 2020–21 में टाृई द्वारा किया गया कुल खर्च 91.20 करोड़ था। इस अवधि के दौरान व्यय के त्तमुख शीर्ष 'वेतन', 'किराया', 'पेशेवर शुल्क' आदि थे।

4.24 यदि विनियामकों से वसूले जा रहे लाइसेंस शुल्क के एक छोटे से हिस्से को भादूवित्ता के परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए त्तशासनिक शुल्क के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है, तो सहायता अनुदान के रूप में सरकारी सहायता की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था से भादूवित्ता को एक स्वतंत्र विनियामक के रूप में त्तमावी ढंग से त्तदर्शन करने के लिए आवश्यक लचीलापन और स्वतंत्रता मिलेगी। आईआरडीए, सेबी और आरबीआई जैसे नियामकों को गैर–सरकारी स्रोतों से भी विभिन्न स्तरों पर नई त्ततिभाओं की भर्ती करने और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता त्ताप्त है। इस तरह की स्वस्थ त्तथाओं का अनुकरण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भादूवित्ता को वैश्विक स्तर पर दूरसंचार क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले जटिल मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक कौशल त्ताप्त हो सके।

डि.क्र भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालय

4.25 प्राविकरण द्वारा वर्ष 2012 में देशभर में विभिन्न स्थानों पर भादूविप्रा के 11 ग्यारहहक्षेत्रीय कार्यालय खोलने को स्वीट्ट ति प्रदान की गई थी। प्राविकरण ने 2014–15 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के कामकाज की समीक्षा की और चंडीगढ़, पटना, मुंबई, गुवाहाटी तथा लखनप्र स्थित 5 क्षेत्रीय कार्यालय बंद करने तथा संशोधित क्षेत्राधिकारों के साथ हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरू, भोपाल, जयपुर और दिल्ली स्थित 6 क्षेत्रीय कार्यालय जारी रखने का अनुमोदन किया। भादूविप्रा के यह क्षेत्रीय कार्यालय भादूविप्रा की क्षमता निर्माण परियोजना के भाग के रूप में योजना निधि के तहत प्रायोगिक परियोजना के रूप में काम कर रहे हैं। भादूविप्रा ने क्षमता निर्माण परियोजना के भाग के रूप में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों को दिनांक 31 मार्च, 2022 तक जारी रखने का निर्णय किया है। संशोधित लाइसेंस–सेवा क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों की अवस्थिति य़र्ष 2020–21 के दौरानहनिम्नानुसार हैः–

६. सं.	भादूव्यिा के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थान	प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अद्बीन लाइसेन्स सेवा क्षेत्र
1	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उद्बर–पूर्व, असम, बिहार
2	बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्, मुंबई
3	हैदराबाद	आंध्र त्तदेश, तमिलनाडु सहित चेन्नई, उड़ीसा
4	भोपाल	मव्य प्रदेश, उद्बर प्रदेश य़ूर्वीह उद्बर प्रदेश य़श्चिमीह
5	जयपुर	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब
6	दिल्ली	दिल्ली, हिमाचल प्रदेभ, जम्मू और कभ्मीर

भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या य़दिनांक 31 मार्च, 2021 तकह

4.26 दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भादूविप्रा य़क्षेत्रीय कार्यालयोंहमें कर्मचारियों संख्या निम्नानुसार थी :

६म संख्या	पद	स्वीभ त	कार्यरत
1.	सलाहकार	06	03
2.	संयुक्त सलाहकार / उप सलाहकार	12	09
3.	वरिष्ठ अनुसंवान अविकारी	12	8
4.	सहायक	06	2
	योग	**36**	**22**

4.27 भादूविप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों में सलाहकार स्तर के अविकारियों का विवरण यदिनांक 31 मार्च, 2021 तकह

६म संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का स्थान	अधिकारी का नाम सिर्वश्री/श्रीमतीक्र	पद	चित्र
1.	हैदराबाद	ए. मुनिशेखर	सलाहकार	
2.	बेंगलुरु	श्रीनिवास एस. गलगली	सलाहकार	
3.	भोपाल	विनोद गुप्ता	सलाहकार	
4.	जयपुर	रिक्त	सलाहकार	
5.	कोलकाता	रिक्त	सलाहकार	
6.	दिल्ली	रिक्त	सलाहकार	

4.28 क. उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों ख्आर.ओ.ह्की भूमिका और कार्य हैं :–

यंह प्रशुल्क से संबंवित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा दूरसंचार, प्रसारण एवं केबल सेवाओं के खुदरा प्रशुल्क की प्रभावी निगरानी करना;

यांह सेवा प्रदाताओं के साथ विनियामक तथा विपणन संबंधी पहलुओं के संबंव में समुचित समन्वय करना;

यांiiह सेवा की गुणवङ्मा की निगरानी तथा उपभोक्ता शिकायतों का निवारण करना;

यंvह खुला मंच चर्चा ख्ओएचडीह/भादूविप्रा के उपभोक्ता पक्ष समर्थक समूहों ख्सीएजीह की बैठकें आयोजित करना;

ख्vह भादूविप्रा द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभिकरणों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सर्वेक्षण का समन्वय एवं निगरानी करना;

ख्viह सीएजी का जिला/ब्लॉक स्तर तक विकास तथा सीएजी के साथ सूक्ष्म अन्योन्यचि या करना;

ख्viiह उपभोक्ता जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करना;

ख्viiiह दूरसंचार विभाग के 'टीईआरएम' प्रकोष्ठ के साथ सूक्ष्म अन्योन्यचि या करना;

यंxह मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी यएमएनपीह विनियमों तथा अवांछित वाणिज्यिक संप्रे ाण यूसीसीह विनियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

य्xह पोर्टल पर एलसीओ / एमसीओ के पंजीकरण और एलसीओ के पंजीकरण की वैधता की निगरानी करना;

य्xiह प्रशासनिक तथा विङ्गीय कार्यों सहित ऐसे अन्य कार्य निष्पादित करना, जो भादूविप्रा के मुख्यालय द्वारा इसको सौंपे जाते हैं अथवा जो भादूविप्रा अविनियम के प्राववानों के निष्पादन हेतु आवश्यक हैं;

य्xiiह सेवा प्रदाता पोर्टल यएसपीपीह पर एमएसओ और एलसीओ की सूचना की निगरानी करना। आरओ यह सुनिश्चित करने के लिए एमएसओ से संवाद करेगा कि सभी एमएसओ और उनके एलसीओ द्वारा पोर्टल पर प्रविष्टि की जाए;

य्xiiiह एमएसओ और एलसीओ यएमआईए / एसआईएह के बीच समझौते का विश्लेषण करना और अनुपालन करना;

य्xivह एमएसओ हेतु क्यूओएस विनियम की निगरानी और कार्यान्वयन करना;

य्xvह बीसीसीएमएस पोर्टल पर क्षेत्रीय कार्यालयों में डीटीएच एवं मुख्य एमएसओ के विरूद्ध प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को लॉग करना;

य्xviह प्राप्त उपभोक्ता शिकायतों को टीसीसीएमएस पोर्टल में अपलोड करना और उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्र म सही ढंग से आयोजित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय करना; और

य्xviiह प्रत्येक तिमाही के डीसीआर मापदंड का विश्लेषण करना और सेवा की गुणवङ्गा में सुधार लाने के लिए टीएसपी के साथ अनुवङ्गी कार्यवाही करना।

थिक्र सूचना का अधिकार अधिनियम

4.29 वर्ष 2021–21 के दौरान, आरटीआई अविनियम, 2005 के अवीन विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 730 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों को तत्परता के साथ कार्यवाही की गई और निर्वारित समयाववि के भीतर उनका उङ्गर दिया गया।

छिक्र भादूविप्रा को आईएस / आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणन

4.30 भारतीय मानक ब्यूरो य्बीआईएसह द्वारा भादूविप्रा को दिसम्बर, 2004 में आईएसओ 9001:2000 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। इस प्रमाणपत्र को वर्ष 2007, 2010, 2013 और 2016 में नवीङ्ग त किया गया था। वर्ष 2016 के दौरान बीआईएस ने नवीङ्ग त करते हुए आईएस / आईएसओ 9001:2015 के नवीनतम प्रमाणपत्र की 'सीरीज़' प्राप्त करने हेतु जोर दिया। तदनुसार, भादूविप्रा ने अगस्त, 2018 में आईएस / आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र प्राप्त किया। तत्पश्चात, भारतीय मानक ब्यूरो य्बीआईएसह समय–समय पर भादूविङ्गा की गुणवङ्गा ङ्गबंधन ङ्गणाली य्क्यूएमएसह की निगरानी लेखा परीक्षा कर रहा है।

जिक्र राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

4.31 भारतीय दूरसंचार प्राविकरण में सचिव, भादूविप्रा की देखरेख में प्राधिकरण का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अविनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों तथा राजभाषा विभाग यगृह मंत्रालयह द्वारा इस विषय पर समय–समय पर जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। भादूविप्रा संघीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु पूर्ण प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, जब कभी विनियम, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचनाएं, राजपत्र अविसूचनाएं तथा अन्य दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जाने होते हैं तो राजभाषा विभाग विभिन्न प्रभागों की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

भादूविप्रा के सभी प्रभागों तथा अनुभागों द्वारा संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी, सलाहकार (प्रशासन) की अध्यक्षता में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) द्वारा की जाती है। ओएलआईसी की बैठकें हर तिमाही में नियमित आवार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में सरकारी कामकाज में राजभाषा का उपयोग निरंतर बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की जाती है तथा इस संबंव में भविष्य की कार्य योजना भी तैयार की जाती है। राजभाषा से संबंवित कार्य को गति प्रदान करने के लिए समिति के सदस्यों से बहुमूल्य सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। रिपोर्टाधीन अववि के दौरान, ओएलआईसी की 3 बैठकें क्रमशः दिनांक 14 सितंबर, 2020, 30 दिसंबर, 2020 और दिनांक 30 मार्च, 2021 को आयोजित की गईं।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) तथा दूरसंचार विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, भादूविप्रा में दिनांक 14 सितम्बर, 2020 से दिनांक 28 सितम्बर, 2020 तक "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया गया , जिसके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं जैसे। हिंदी कहानी–लेखन कथा विस्तार, हिंदी निबन्ध लेख, हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता आदि और केवल समूह 'घ' के लिए हिंदी निबन्ध लेख ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे। वरिष्ठ अनुसंवान अविकारी के स्तर तक के अविकारियों ने प्रतियोगिता में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। हिंदी दिवस के अवसर पर, राजभाषा नियमों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भादूविप्रा के अध्यक्ष का संदेश अविकारियों/कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया।

कार्यालय के दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी का उपयोग निरंतर बढ़ाने के क्रम में भादूविप्रा में विगत दस वर्ष से अविकारियों/कर्मचारियों के लिए एक वार्षिक प्रोत्साहन योजना नाम से प्रोत्साहन योजना चल रही है। इस योजना के तहत अविकारियों/कर्मचारियों को योजना अववि के दौरान कार्यालय का कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह योजना, कर्मचारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुई है तथा इससे कर्मचारी संपूर्ण वर्ष के दौरान अपना अविकांश कार्य हिंदी में करने हेतु प्रेरित हुए हैं।

अविकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण तथा प्रारूप कार्य हिंदी में करना सरल बनाने के लिए और उनको संघ सरकार की राजभाषा नीति की जानकारी देने के लिए भादूविप्रा में हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। इन कार्यशालाओं के दौरान प्रतिभागियों को शब्दकोश, प्रशासनिक शब्दावली, सहायक/संदर्भ पुस्तकें इत्यादि संवितरित की जाती हैं, जो उनको अपना कार्यालयी कामकाज हिन्दी में करने हेतु सहायक सिद्ध होती हैं। रिपोर्टाधीन अववि के दौरान, भादूविप्रा में दिनांक 09 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020 और दिनांक 30 मार्च, 2021 को तीन हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

भादूक्विा में हिंदी के उपयोग को और मजबूत करने के लिए श्री केवल त्र ष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक र्विरिष्ठक्रएनआईसी, दिल्ली द्वारा दिनांक 9 सितंबर, 2020 को आयोजित हिंदी कार्यशाला।

(i) आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण का दि यान्वयन

4.32 भादूवित्ता पदोन्नति करते समय पात्र श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के त्तावधानों का पालन करता रहा है। वर्ष के दौरान भादूवित्ता में सीधी भर्ती के आधार पर कोई नियुह्वि नहीं की गई है। आरक्षित वर्ग के विशेष त्तातिनिधित्व से संबंधित निर्देशों के चि यान्वयन की देखरेख के लिए निदेशक स्तर के एक संपर्क अधिकारी को नियुह्व किया गया है।

ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित लेखे

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. हमने दिनांक 31 मार्च 2021 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की संलग्न बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाते का भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों और दक्षता–सह प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, को अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

   ii. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट और आय और व्यय खाते/प्राप्तियां और भुगतान खाते को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी 2000 में संशोधित) की धारा 23 (1) के तहत लेखा महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित 'खातों के समान प्रारूप' में तैयार किए गए हैं।

   iii. हमारी राय में, अब तक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जनवरी, 2000 में संशोधित) की धारा 23(1) के तहत आवश्यक खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया गया है जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षा से पता चलता है।

   iv. भादूविप्रा के वार्षिक लेखाओं पर हमारी टिप्पणियां अनुवर्ती अनुच्छेद में दी गई हैं।

क. बैलेंस शीट

वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7)– ₹ 36.93 करोड़।

i) **अन्य वर्तमान देयताएं– भादूविप्रा सामान्य कोष (ईएमडी)**

2004–05 से 2017–18 की अवधि से संबंधित ईएमडी को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष ₹ 22.45 लाख से

अधिक बताया गया है। इन ईएमडी की अलग–अलग मामले के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसे बट्टे खाते में डालना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप उतनी ही राशि से अधिक घाटा हुआ है।

ii) **प्रावधान–व्यय के लिए प्रावधान**

1997–98 से 2017–18 की अवधि से संबंधित बहुत पुरानी राशियों को शामिल करने के कारण उपरोक्त शीर्ष ₹ 3.45 करोड़ से अधिक बताया गया है। भादूविप्रा को इन शेष राशियों की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भी उतनी ही राशि से घाटा हुआ है।

संपत्तियां

अचल संपत्ति (अनुसूची 8) – ₹ 8.77 करोड

i) 18.11.2020 को ₹ 18.33 लाख में खरीदे गए ई–ऑफिस (लाइट) संस्करण लाइसेंस के गैर–पूंजीकरण के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹ 16.98 लाख से कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास को ₹ 1.35 लाख से कम बताया गया है और उतनी ही राशि से घाटा हुआ है।

ii) 16.03.2021 को जीईएम के माध्यम से खरीदे गए राउटर, स्विच और 8 छोटे फॉर्म–फैक्टर प्लगेबल ट्रांसीवर के गैर–पूंजीकरण के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹ 40.79 लाख से कम बताया गया है।

ख. आय और व्यय

व्यय

मूल्यह्रास (अनुसूची 8क) – ₹ 1.61 करोड़।

वर्ष के दौरान खरीदे गए मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों के संबंध में अनुपात के बजाय पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास के शुल्क के कारण उपरोक्त शीर्ष ₹ 23.15 लाख से अधिक है। इसके परिणामस्वरूप समान राशि से अधिक मूल्यह्रास और घटा हुआ है।

ग. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 110.84 करोड़ (पिछले वर्ष के 20.84 करोड़ रुपये के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, भादूविप्रा ने 31 मार्च, 2021 तक अप्रयुक्त अनुदान के रूप में, ₹ 21.06 करोड़ की शेष राशि को छोड़कर, ₹ 89.78 करोड़ की राशि का उपयोग किया।

i. पिछले अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि बैलेंस शीट और आय और व्यय खाता/प्राप्तियां और भुगतान खाते इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए खातों की किताबों के साथ मेल खाते हैं।

ii. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए उक्त वित्तीय विवरण, और उपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध–I में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं:

   क. जहां तक यह 31 मार्च, 2021 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के बैलेंस शीट से संबंधित है तथा

   ख. जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे के आय–व्यय खाते से है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

ह0/–

(मनीष कुमार)

लेखापरीक्षा महानिदेशक

(वित्त एवं संचार)

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के खातों पर अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध – I

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता।

भादूविप्रा की आंतरिक लेखापरीक्षा मार्च, 2021 तक आयोजित की गई थी और सचिव, भादूविप्रा द्वारा अनुमोदित की गई थी। संगठन की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्य की प्रकृति के अनुरूप है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

अचल संपत्तियों के रजिस्टरों को मैन्युअल रूप से और साथ ही कम्प्यूटरीकृत रूप में बनाए रखा जाता है, संपत्ति/भंडार का भौतिक सत्यापन सालाना आयोजित किया जा रहा है। हमारी राय में, संगठन की अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और प्रकृति के कार्यों के अनुरूप है।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली।

स्टेशनरी और उपभोज्य वस्तुओं जैसे स्टोर आइटम की सूची स्टॉक रजिस्टर में रखी जाती है और वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन किया जाता है।

हमारी राय में, इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन के लिए प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार और इसके कार्यों की प्रकृति के अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता।

अंशदायी भविष्य निधि सहित किसी अन्य वैधानिक देय राशि के संबंध में कोई विवादित राशि देय नहीं थी।

ह0/–
(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(वित्त एवं संचार)

अस्वीकृति: "प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

		राजस्व	
		2020-21	2019-20
संग्रह/पूंजीगत निधि	1	(4,99,11,135)	(3,92,85,802)
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	3	22,61,98,520	
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	4	-	
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	5	-	
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	6	-	
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	36,92,99,430	43,04,71,351
कुल		**54,55,86,815**	**39,11,85,549**
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	8	8,77,39,210	9,02,63,679
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	
निवेश – अन्य	10	-	
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	45,78,47,605	30,09,21,870
विविध खर्चे			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**54,55,86,815**	**39,11,85,549**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूची	राजस्व	
		चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
बिक्री /सेवाओं से आय	12		
अनुदान /सब्सिडी	13	90,00,00,000	90,00,00,000
शुल्क /अंशदान	14	-	
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	-	
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय			
अर्जित ब्याज	16		
अन्य आय	17	7,04,564	
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	18	193,488	2,84,667
	19	-	
कुल (क)		**90,08,98,052**	**90,02,84,667**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	43,06,41,796	46,06,09,333
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	46,47,68,002	44,36,29,717
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	-	
ब्याज	23	-	
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)		1,61,13,587	1,47,24,511
कुल (ख)		**91,15,23,385**	**91,89,63,561**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)			
विशेष आरक्षित को अंतरण (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण			
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष	24	**(1,06,25,333)**	**(1,86,78,894)**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां			

हo/–	हo/–	हo/–	हo/–
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 – संग्रह/पूंजीगत निधि

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
वर्ष के आरंभ में शेष	(3,92,85,802)	(2,06,06,908)
जोड़े/घटाएं: संग्रह/पूंजीगत निधि की ओर योगदान		
जोड़े (कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित	(1,06,25,333)	(1,86,78,894)
निवल आय / (व्यय) का शेष		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**(4,99,11,135)**	**(3,92,85,802)**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

	गैर–योजना	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. पूंजी आरक्षितः	-	
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मल्यांकन आरक्षितः विशेष आरक्षितः	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षितः	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षितः	-	-
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जमा	-	-
घटाएंः वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3 – निर्धारित / बंदोबस्ती निधिः

(राशि–रूपए)

	निधि वार ब्रेकअप				कुल राजस्व	
	बिल्डिंग निधि	निधि एक्स एक्स	निधि वाई वाई	निधि जैड जैड	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) निधि का आरंभिक शेष	-					
ख) निधि में वृद्धि						
(i) दान/अनुदान						
(ii) निधि के खाते में निवेश से आय						
(iii) अन्य जमा (विविध आय, अग्रिम की प्राप्ति)						
(iv) बिल्डिंग के लिए डीओटी से मिली निधि	113,00,00,000					
कुल (क + ख)	113,00,00,000					
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय					NIL	NIL
– स्थायी परिसंपत्ति						
– अन्य						
– बिल्डिंग अग्रिम निधि एनबीसीसी	90,38,01,480					
कुल						
ii. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि					-	-
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल	90,38,01,480					
कुल (ग)						
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)	**22,61,98,520**					

टिप्पणियांः–

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए

2) शेष राशि, भादूविप्रा के मौजूदा खाते में पड़ी हुई है जिसे चालू परिसम्पत्तिगत ऋणों और अग्रिमों की अनुसूची 11 में दर्शाया गया है।

ह0/–

कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक	-	-
क) सावधि ऋण	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय	-	-
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

ह0/–

कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के	-	-
उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
ख) अन्य	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता	-	-
2) विविध ऋणदाता	-	-
क) वस्तुओं के लिए	-	-
ख) अन्य	-	-
3) प्राप्त अग्रिम	-	-
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:	-	-
क) प्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
ख) अप्रतिभूति ऋण/उधार	-	-
5) सांविधिक देयताएं	-	-
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	-	-
6) अन्य चालू देयताएं	-	-
1) भादूविप्रा सामान्य निधि (ईएमडी) के लिए	57,01,871	79,92,575
2) टेलीमार्किटर्स पंजीकरण शुल्क के लिए	1,78,302	1,78,302
3) टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	15,631	5,46,363
4) वत्तीय दंड	92,00,000	7,93,30,015
कुल (क)	**1,50,95,804**	**8,80,47,255**
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी	9,25,26,411	8,60,42,258
3. अधिवर्षिता/पेंशन		
4. संचित अवकाश नकदीकरण	9,98,88,759	9,27,13,358
5. व्यापार वारंटी/दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
व्यय के लिए प्रावधान	16,17,88,456	16,36,68,480
कुल (ख)	**35,42,03,626**	**34,24,24,096**
कुल (क+ख)	**36,92,99,430**	**43,04,71,351**

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 8 – स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि – रूपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ मे	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) लीज़होल्ड भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं	-		-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4. वाहन	73,70,025	20,92,446		94,62,471	45,85,722	7,79,729		53,65,451	40,97,020	27,84,303
5. फर्नीचर, फिक्सचर	2,82,16,970	1,68,690		2,83,85,660	2,30,37,971	9,43,463		2,39,81,434	44,04,226	51,78,999
6. कार्यालय उपस्कर	4,05,73,955	25,99,404		4,31,73,359	3,31,43,116	31,40,295		3,62,83,411	68,89,948	74,30,839
7. कंप्यूटर / पेरिफिरल	12,00,59,743	87,15,212		12,87,74,955	6,59,54,428	64,97,110		7,24,51,538	5,63,23,417	5,41,05,315
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन	1,17,35,827	-		1,17,35,827	87,07,858	4,48,525		91,56,383	25,79,444	30,27,969
9. पुस्तकालय पुस्तकें	44,34,192	13,366		44,47,558	43,70,332	31,435		44,01,767	45,791	63,860
11 ऑडिटोरियम	2,20,90,493	-		2,20,90,493	44,18,099	42,73,030		86,91,129	1,33,99,364	1,76,72,394
चालू वर्ष का योग	**23,44,81,205**	**1,35,89,118**	**0**	**24,80,70,323**	**14,42,17,526**	**1,61,13,587**	**0**	**16,03,31,113**	**8,77,39,210**	**9,02,63,679**
पिछला वर्ष	**22,40,37,012**	**1,15,98,651**	**11,54,458**	**23,44,81,205**	**13,05,35,202**	**1,47,24,511**	**10,42,187**	**14,42,17,526**	**9,02,63,679**	**9,35,01,810**
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

ह0/–

कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 9 – निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 10 – निवेश अन्य

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर एवं बांड	-	-
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (बैंक एफडीआर)	-	-
कुल	-	-

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड	-	-
तैयार माल	-	-
कार्य प्रगति पर	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट	-	-
ख) अन्य		
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)	26,385	66,822
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता ट्राई सामान्य निधि पर	3,00,801	20,84,12,360
– चालू खाता पंजीकरण शुल्क पर	1,77,694	1,78,302
टेलीमार्किटर्स से जुर्माना	15,318	5,46,363
– बचत खाता ग्राहक शिक्षा शुल्क पर		
– बचत खाता वित्तीय निवर्तक पर	92,00,000	7,93,30,015
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	43,65,00,000	
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर	-	-
– बचत पर	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-
कुल (क)	**44,62,20,199**	**28,85,33,862**

जारी.......

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को टीए, एलटीसी एवं त्यौहार अग्रिम)	31,11,912	30,93,074
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसूलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशिः		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान	77,76,372	84,63,189
ग) अन्य		
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधार्रित/अक्षयनिधियों से निवेश पर		
ख) निवेश – अन्य पर		
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	7,39,122	8,31,745
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
5. दावे प्राप्तयोग्य		
कुल (ख)	1,16,27,406	1,23,88,008
कुल (क + ख)	**45,78,47,605**	**30,09,21,870**

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. बिक्री से आय	-	-
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) स्क्रैप की बिक्री	-	-
2. सेवाओं से आय	-	-
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार	-	-
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)	-	-
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी

	राजस्व	
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. केंद्र सरकार	90,00,00,000	90,00,00,000
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (स्वच्छ भारत)		
कुल	**90,00,00,000**	**90,00,00,000**

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		

टिप्पणी: प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि – रूपए)

(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. ब्याज	-	-
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स	-	-
2. लाभांश	-	-
क) शेयरों पर	-	-
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-
3. किराया	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		
निर्धारित / अक्षयनिधियों को अंतरित		

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि – रूपए)

(निर्धारित/अक्षयनिधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. रॉयल्टी से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सावधि जमा पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	7,04,564	-
2. बचत खातों पर	-	-
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
ग) संस्थानों के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋणों पर	-	-
क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज	-	-
कुल	**7,04,564**	-

टिप्पणी: स्रोत पर कर कटौती का संकेत दिया गया है

ह0/–

कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां	1,75,507.00	2,68,354.00
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		6,169.00
4. विविध आय	17,981.00	10,144.00
5. टेलीमार्किटर्स से पंजीकरण शुल्क		
6. टेलीमार्किटर्स से ग्राहक शिक्षा शुल्क		
7. टेलीमार्किटर्स से जुर्माना		
8. वित्तीय निवर्तक		
कुल	**1,93,488.00**	**2,84,667.00**

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) अंतिम स्टॉक	-	-
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिशील कार्य	-	-
ख) घटाएं: आंरभिक स्टॉक	-	-
. तैयार माल	-	-
. प्रगतिशील कार्य	-	-
निवल वृद्धि / (कमी) (क – ख)	-	-

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	गैर–योजना	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) वेतन एवं मजदूरी	35,23,25,335	36,25,10,401
ख) भत्ते एवं बोनस	4,70,913	4,63,478
ग) भविष्य निधि में योगदान	1,93,28,583	1,64,26,839
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च	10,52,062	7,39,635
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ	4,22,46,667	6,92,19,643
छ) अन्य (अधिकारियों एवं स्टाफ को एलटीसी, मेडिकल और स्टाफ को ओटीए)	1,52,18,236	1,12,49,337
कुल	**43,06,41,796**	**46,06,09,333**

ह0/–

कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) खरीद		
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय		
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार		
घ) विद्युत एवं पॉवर	19,75,235	29,33,360
ड़) जल प्रभार		
च) बीमा और बैंक शुल्क	1,95,686	1,77,864
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	1,06,68,605	1,74,87,809
ज) सीमा शुल्क		
झ) किराया, दर और कर	30,01,02,796	28,77,12,415
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव	14,74,332	19,48,180
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	1,16,51,249	68,41,990
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	17,83,148	42,26,092
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय	2,22,98,087	5,06,66,397
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय	1,30,333	62,77,076
त) अंशदान व्यय	57,15,398	56,72,528
थ) पूर्व अवधि के खर्च	-5,28,240	-5,68,38,592
द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक	1,90,000	1,90,000
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क	4,90,794	11,67,139
न) पेशवेर शुल्क	4,22,04,312	4,08,80,848
प) परामर्श और प्रशिक्षण	2,63,19,680	3,65,33,080
फ) स्वच्छ भारत शुल्क		
ब) संपत्तियों की बिक्री से हानि		
भ) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		
म) सॉफ्टवेयर विकास व्यय		
य) विज्ञापन एवं प्रचार	25,35,500	47,14,834
र) अन्य		
(i) अन्य (सुरक्षा, हाउसकीपिंग आदि को भुगतान)	3,75,61,087	3,30,38,697
कुल	**46,47,68,002**	**44,36,29,717**

ह0/–

कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि – रूपए)

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	**पिछला वर्ष 2019-20**
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	-	-
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया सब्सिडी	-	-
कुल		

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 – ब्याज

	राजस्व	
	चालू वर्ष 2020-21	**पिछला वर्ष 2019-20**
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

ह0/–
कंसलटेंट (एफ एण्ड ईए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि – रूपए)

प्राप्ति	राजस्व चालू वर्ष 2020-21	राजस्व पिछला वर्ष 2019-20	भुगतान	राजस्व चालू वर्ष 2020-21	राजस्व पिछला वर्ष 2019-20
I. आरंभिक शेष			**I. व्यय**		
क) हाथ में नकदी	66,822	51,388	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	41,30,18,567	44,19,80,936
i) चालू खाते में	20,84,12,360	28,45,83,956	ख) प्रशासनिक (अनुसूची 21 के अनुरूप)	47,12,79,323	52,64,72,712
ii) जमा खाते में					
iii) बचत खाते – दंड	5,46,363	10,85,281	**II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान**		
पंजीकरण शुल्क	1,78,302	53,15,405	(प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित		
ग्राहक शिक्षा शुल्क			निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
वित्तीय निर्वतक	7,93,30,015	6,33,07,463	बिल्डिंग फंड के लिए एनबीसीसी को किया गया भुगतान	90,38,01,480	
II. प्राप्त अनुदान			**III. किए गए निवेश एवं जमा**		
क) केंद्र सरकार से	90,00,00,000	90,00,00,000	क) निर्धारित/अक्षयनिधि से		
ख) राज्य सरकार से			ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)		
ग) बिल्डिंग फंड के लिए डीओटी से प्राप्त अनुदान	113,00,00,000		ग) भवन निधि में से सावधि जमा	22,61,98,520	
(पूंजी या राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दर्शाया गया है)			घ) भादूविप्रा सामान्य निधि में से सावधि जमा	21,03,01,480	
III. निम्न में निवेश से आय			**IV . स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय**		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	7,04,564		क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	1,35,89,118	1,15,98,651
ख) स्वयं की निधियां (अन्य निवेश)			ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
IV. प्राप्त ब्याज			**V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी**		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार को		
ख) ऋण, अग्रिम आदि			ख) राज्य सरकार को		
			ग) टेलीमोर्केटर पंजीकरण शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को	5,108	53,15,405
			ग्राहक शिक्षा शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग को		
			टेलीर्मोटर्स से जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	5,46,363	10,85,281
			वित्तीय दंड/जुर्माने के लिए दूरसंचार विभाग को	7,93,30,015	6,33,07,463
ग) विविध					
V. अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			**VI. वत्तीय प्रभार (ब्याज)**		
विविध आय को	7,21,728	16,313			
			VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
VI. उधार ली गई राशि			ऋण एवं अग्रिम और प्रतिभूति जमा	22,90,705	8,31,306
VII. कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)			**VIII. अंतिम शेष**		
			क) हाथ में नकदी	26,385	66,822
प्रतिभूति जमा से	7,60,602	43,30,506	ख) बैंक शेष		
अन्य अग्रिम			1) चालू खाता में – भादूविप्रा सामान्य निधि	3,00,801	20,84,12,360
परिसंपत्तियों की बिक्री से		3,80,624	i) चालू खाता में – पंजीकरण शुल्क	1,77,694	1,78,302
वाहन की बिक्री पर अग्रिम	1,39,382		ii) जमा खाता में		
पंजीकरण शुल्क से	5,108	1,78,302	2) बचत खाता		
ग्राहक शिक्षा शुल्क से			i) ग्राहक शिक्षा शुल्क		
टेलीमार्किटर्स से लिए दंड से	15,631	5,46,363	ii) टेलीमार्किटर्स से दंड	15,318	5,46,363
वित्तीय निर्वतक से	92,00,000	7,93,30,015	iii) वित्तीय निर्वतक	92,00,000	7,93,30,015
कुल	**233,00,80,877**	**133,91,25,616**	**कुल**	**233,00,80,877**	**133,91,25,616**

ह0/–
प्रधान सलाहकार (एफ एण्ड ईए)

ह0/–
सचिव

ह0/–
सदस्य

ह0/–
अध्यक्ष

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 **लेखा परंपराएं :**

ग्कह "वत्तीय विवरण को "एक समान खाते के प्ररूप" में तैयार किया गया है जैसा कि लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके दिनांक 23 जुलाई, 2007 के पत्रांक संख्या एफ.संख्या 19ग्2ह/प्रकीर्ण/2005/टीए/450–490 के माध्यम से योजनागत तथा गैर–योजनागत दोनों चि याकलापों के लिए उपयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से यथा अनुमोदित है।"

ग्खह चालू वर्ष अर्थात, 2020–21 के लिए लेखा संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग्गह खाता बहियों में सभी निर्विवादित और ज्ञात देयताओं के लिए त्नावधान किया गया है।

ग्घह आंकड़ों को निकटतम रुपयों में समेकित कर दिया गया है।

ग्श ह तथ्यों और इस मामले में शामिल कानूनी पहलुओं के सावधानी से मूल्यांकन के बाद आकस्मिक देयताओं का खुलासा किया गया है।

2 **स्थायी परिसंपत्तियां :**

स्थायी परिसंपत्तियों को आवक भाड़े, शुल्कों और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आनुषंगिक और त्नत्यक्ष खर्च को समावेशी अधिग्रहण की लागत में दर्शाया गया है।

3 **मूल्यत्रास :**

ग्कह अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग "सी" की निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति से दिया गया है, जिसमें नीचे वर्णित श्रेणियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन पर मूल्यह्रास उच्च दरों से लगाया गया है।

वर्ग	कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्यह्रास दर	लागू मूल्यह्रास दर
कार्यालय उपस्कर	19.00%	19.00% *
फर्निचर और फिक्स्चर	9.50%	10.00%
विद्युत उपस्कर	9.50%	10.00%
एयर कंडीशनर	9.50%	10.00%
पुस्तकें और त्नकाशन	6.33%	20.00%

* कार्यालय उपस्करों में कार्यालय संबंधी उद्देश्यों के लिए अधिकारियों को मुहैया कराए गए मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं। सक्षम त्नाधिकारी द्वारा दिनांक 04 मई, 2007 के आदेश संख्या 2–1/97–एलएएन के तहत डीओटी के पैटर्न पर एन हैंडसेटों को तीन वर्षों में मुहैया/बप्रे खाते में डालने का निश्चय किया है। तदनुसार, 2007–08 से मोबाइल हैंडसेटों पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से प्रभारित किया गया हैं।

ग्खह वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के परिवर्धन के संबंध में, मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर माना जाता है।

ग्गह ₹ 5000/– या कम की लागत की त्नत्येक परिसंपत्तियां पूरी तरह से त्नदान की जाती हैं।

ह0/–
कंसलटेंट ऍिफ एण्ड ईएक्र

4 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

विदेशी मुद्राओं में नामित लेन–देन को लेन–देन के समय त्तचलित विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

5 सेवानिवृॅ ा लाभ :

ख्कह त्ततिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2021 के लिए समय–समय पर बुनियादी नियमों के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान के लिए लेखा बहियों में त्तावधान किया गया है।

ख्खह नियमित कर्मचारियों के मामले में, वर्ष 2020–21 के लिए अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्यूटी का त्तावधान बीमांकिक द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।

6 सरकारी अनुदान :

ख्कह सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों के आधार पर सरकारी अनुदानों को लेखाबद्ध किया गया है।

ख्खह पंजीकरण शुल्क, ग्राहक शिक्षा शुल्क, टेलीमार्केटर्स और वित्तीय नवर्तक पर दंड के रूप में त्ताप्त राशि का हिसाब नकदी आधार पर किया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1 आकस्मिक देयताएं :

संस्था के खिलाफ ऋण के रूप स्वीकार नहीं किए गए दावे, वर्तमान वर्ष में ख्शून्यहय़पिछले वर्ष शून्यह

2 वर्तमान परिसंपॅ ायां, ऋण और अग्रिम :

त्तबंधन की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम में व्यापार के सामान्य च्र म में वसूली पर एक मूल्य है, जो कम से कम तुलन पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर है।

3 कराधान :

भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 32 के अनुसार, ट्राई को संपत्ति और आय पर कर से छूट दी गई है।

4 अनुदान :

वित्तीय वर्ष 20–21 के दौरान भादूविप्रा के दिन–त्ततिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए डीओटी से ₹ 90 करोड़ की राशि सरकारी अनुदान के रूप में त्ताप्त हुई है।

5 निर्धारित अनुदान

भादूविप्रा समय–समय पर संचार मंत्रालय से ऑफिस स्पेस के लिए फंड आवंटित करने का अनुरोध कर रहा था। दिनांक 26 नवंबर, 2020 को डीओटी ने पत्र संख्या 15–11/2012–रेस्टग के माध्यम से भादूविप्रा को कार्यालय स्थान के लिए 1,15,188/वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए सक्षम त्ताधिकारी के त्तशासनिक अनुमोदन के बारे में बताया। तत्पश्चात डीओटी ने पत्र संख्या 1–15/2021–बी/313 के माध्यम से भवन निधि के आवंटन के लिए 113 करोड़ की स्वीश ति से अवगत कराया। उक्त राशि फरवरी, 2021 में त्ताप्त हुई थी और भादूविप्रा के लिए कार्यालय स्थान के निर्माण के लिए एनबीसीसी को ₹ 90,38,01,480.00 की राशि का भुगतान किया गया था। उक्त बिल्डिंग फंड और इसके उपयोग का खुलासा बैलेंस शीट की अनुसूची 3 में किया गया है।

6 **पिछले वर्ष के आंकड़े:**

जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीइ्ट त/व्यवस्थित किया गया है। पिछले वर्ष से संबंधित व्ययध्आय यानी पूर्व अवधि व्ययध्आय पूंजीगत निधि के माध्यम से भेजी गई है।

7 **विदेशी मुद्राओं में लेनदेन :**

विदेशी मुद्रा में व्ययः	शून्य
य्कहयात्राः	शून्य
	विदेशी संस्थानों के लिए भागीदारी शुल्क हेतु ₹ 54,35,575.00
	का भुगतान किया गया था।
य्खहविज्ञीय संस्थाओं, बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा में वित्तिषण और ब्याज का भुगतान	शून्य
य्गहअन्य व्ययः	शून्य

8 1 से 25 तक की अनुसूचियों को संलग्न किया गया है और उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2021 के तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं व्यय के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है।

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
प्रधान सलाहकार ऍिफ एण्ड ईएक्र	**सचिव**	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

गक्र भादूविप्रा का वर्ष 2020–21 के लिए लेखापरीक्षित अंशदायी भविष्य निधि लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के वार्षिक लेखा पर अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. **परिचय**

हमने दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के संलग्न तुलन–पत्र तथा दिनांक 10 अप्रैल, 2003 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 333(ई) के अधीन जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम 2003 के नियम 5(ख) के साथ पठित महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय खाता/प्राप्तियां एवं भुगतान खाता की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंशदायी भविष्य निधि खाते के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ लेखा पद्धतियों, लेखा मानकों व प्रकटन मानदंडों आदि के अनुसरण में केवल वर्गीकरण के सम्बन्ध में लेखा पद्धतियों पर भारत के महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां हैं। क्षमता व निष्पादन पहलुओं तथा कानून, नियमों व विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन आदि के सम्बन्ध में वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, अगर कोई हों, तो वे अलग से निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से रिपोर्ट की जाती हैं।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस प्रकार लेखा परीक्षा की योजनायोजना बनाएं और निष्पादित करें ताकि इस बात का उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय विवरण तथ्यों की गलतबयानी से मुक्त हों। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर जांच, राशियों को समर्थित करते प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल होता है। एक लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा बनाएं गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों की कुल प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को एक यथोचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   i. हमने वे सभी जानकारियां व स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान व विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक थे;

   ii. इस रिपोर्ट हेतु देखे गए तुलन–पत्र तथा आय व व्यय खाता/प्राप्तियां व भुगतान खाता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अंशदायी भविष्य निधि) नियम, 2003 के नियम 5 के अधीन महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखा के समान प्रपत्र' में बनाएं गए हैं।

   iii. हमारी राय में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता द्वारा उचित लेखा पुस्तकों व अन्य सम्बंधित रिकार्ड का रखरखाव किया गया है।

iv. हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट हेतु देखे गए तुलन–पत्र तथा आय व व्यय खाता/प्राप्तियां व भुगतान खाता लेखा पुस्तकों के अनुसरण में हैं।

v. हमारी राय में तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा पर लेखागत नीतियों तथा टिप्पणियों के साथ पठित, तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 में उल्लिखित अन्य मामलों तथा प्र पर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों के अधीन, भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसरण में एक सत्य व निष्पक्ष परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं:

क. जहाँ तक ये भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता के दिनांक 31 मार्च, 2021 के मामलों की स्थिति पर तुलन–पत्र से सम्बंधित हैं; तथा

ख. जहाँ तक ये उस तिथि पर समाप्त वर्ष हेतु 'व्यय पर आय की अधिकता' के आय व व्यय खाते से सम्बंधित हैं।

ह0/–
(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक
(वित्त एवं सम्प्रेषण)

अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक–1

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक च्राधिकरण–अंशदायी भविष्य निधि खाता

हमें त्तद्रान की गई सूचना व स्पष्टीकरणों, लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा देखी गई पुस्तकों व रिकार्ड के अनुसार तथा हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान व विश्वास के अनुसार हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

(1) आंतरिक लेखा परीक्षा चणाली की पर्याप्तता

टीआरएआई–सीपीएफ खातों की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट फरवरी, 2021 तक उपलब्ध है तथा इसे सचिव, टीआरएआई द्वारा अनुमोदित किया गया है। मार्च, 2021 हेतु टीआरएआई–सीपीएफ खातों की आन्तरिक लेखा परीक्षा ऑनलाइन की गई थी। संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा त्तणाली पर्याप्त है तथा उसके आकार व कार्य की त्तृ ति के अनुरूप है।

(2) आंतरिक नियंत्रण चणाली की पर्याप्तता

संस्थान की आंतरिक नियंत्रण त्तणाली पर्याप्त है तथा उसके आकार व कार्य की त्तृ ति के अनुरूप है।

ह0/–
(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक
(वित्त एवं सम्प्रेषण)

भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता 2020–21 में आंतरिक नियंत्रण त्रणाली पर संक्षिप्त नोट

वर्ष 2020–21 के दौरान टीआरएआई के वार्षिक खातों के त्रमाणन की त्रकिया के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण य्टीआरएआईह– सीपीएफ खाते में लागू आंतरिक नियंत्रण त्रणाली का एक मूल्यांकन किया गया और इसकी रिपोर्ट निम्नानुसार है :

1. परिचय

भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता य्टीआरएआई–सीपीएफह दिनांक 10 अत्रैल, 2003 के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. जीएसआर 333य्ईह के अधीन जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक त्राधिकरण य्अंशदायी भविष्य निधिह नियम 2003 के नियम 3य4ह के अनुपालन में दिनांक 5 मई, 2003 से स्थापित किया गया था। टीआरएआई के पास कुल स्वीश त संख्या 237 है तथा वर्तमान में 180 कर्मचारी तैनात हैं। दिनांक 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार इनमें से 48 त्रतिनियुक्ति पर हैं तथा 113 नियमित स्टाफ हैं। त्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते य्जैसा भी मामला होह हेतु वेतन से कटौती करके उनकी नियुक्ति के नियम व शर्तों के अनुसार उनके मूल कार्यालय को भेज दिया जाता है। टीआरएआई के नियमित स्टाफ के मामले में अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अनुसरण में उनके वेतन से इसकी कटौती की जाती है और टीआरएआई द्वारा कर्मचारी तथा नियोक्ता के अंशदान का भुगतान, मासिक आधार पर, त्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में की गई कटौती के ब्यौरों के साथ, टीआरएआई–सीपीएफ खाते में किया जाता है।

2. संस्थागत ढांचा

टीआरएआई–सीपीएफ खाते में उनके स्वयं के कोई कर्मचारी नहीं हैं। टीआरएआई–सीपीएफ खाते के रखरखाव का पूर्ण कार्य एक ट्रस्टी बोर्ड द्वारा किया जाता है जो टीआरएआई के कर्मचारियों से ही बना होता है। टीआरएआई त्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उप सलाहकार य्एफएंडईएह ट्रस्टी बोर्ड के सचिव हैं। बोर्ड के ट्रस्टी निम्नानुसार हैं:

(i)	सलाहकार य्त्रशासनह	:	अध्यक्ष य्पदेनह टीआरएआई–सीपीएफ ट्रस्ट
(ii)	संयुक्त सलाहकार य्मानव संसाधनह	:	ट्रस्टी य्पदेनह
(iii)	उप सलाहकार य्एनएसएल–।।ह	:	ट्रस्टी
(iv)	सहायक य्क्यूओएसह	:	ट्रस्टी
(v)	उप सलाहकार य्एफएंडईएह	:	सचिव, सीपीएफ

ट्रस्टी बोर्ड के सचिव टीआरएआई–सीपीएफ खाते के रखरखाव तथा ट्रस्टी बोर्ड की बैठकों के आयोजन के त्रति उत्तरदायी हैं। ट्रस्टी बोर्ड के सभी निर्णय उनकी आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

3. आंतरिक लेखा का कार्यक्षेत्र तथा स्वतंत्रता

टीआरएआई का अपना स्वयं का आंतरिक लेखा परीक्षा त्रभाग है जिसके त्रमुख तकनीकी अधिकारी य्आईएयूह होते हैं। सीपीएफ खातों सहित आंतरिक लेखा की रिपोर्ट अनुमोदन हेतु सचिव को त्रस्तुत की जाती हैं व तत्पश्चात अपेक्षित सुधार उपायों के लिए सम्बंधित त्रभागों को भेजी जाती हैं। त्रभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों पर निरंतर व नियमित तौर पर नजर रखी जाती है।

4. **निधियों की प्राप्ति व वितरण**

निधियों की प्राप्ति व वितरण से सम्बंधित कार्य ट्रस्टी बोर्ड के सचिव के अधीक्षण में एक प्रभाग अधिकारी द्वारा किया जाता है। टीआरएआई–सीपीएफ खाते से कोई नकद लेन–देन नहीं किया जाता क्योंकि सभी प्राप्तियां व भुगतान चेक द्वारा ही किये जाते हैं। टीआरएआई से सीपीएफ कटौतियों की प्राप्ति तथा सीपीएफ आहरण अथवा अग्रिम के कारण टीआरएआई–सीपीएफ खाते के सदस्यों को किये गए भुगतान, अगर कोई हों, की प्रविष्टि नियमित तौर पर बैंक पुस्तिका में की जाती है।

5. **निवेश**

टीआरएआई–सीपीएफ खाते की निधियों का निवेश सरकारी मानकों के अनुसरण में विभिन्न प्रतिभूतियों में किया जाता है। इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त/उपार्जित ब्याज को ब्याज आय में जमा किया जाता है। निवेश सम्बन्धी निर्णय ट्रस्टी बोर्ड की आवधिक बैठकों में लिए जाते हैं।

6. **ब्याज**

सदस्यों के सीपीएफ जमा का ब्याज, समय–समय पर, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट दर पर सामान्य भविष्य निधि के अंशदान पर ब्याज का भुगतान करने हेतु उनके निजी खातों में जमा किया जाता है। सदस्यों को देय ब्याज में अगर कोई कमी हो तो उसकी पूर्ति टीआरएआई सामान्य निधि से की जाती है।

7. **सीपीएफ का आहरण/अग्रिम**

टीआरएआई–सीपीएफ खाते के सदस्य सीपीएफ नियमों के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अपने खाते से आहरण अथवा अस्थायी अग्रिम के पात्र होते हैं। सदस्यों को अग्रिम दिए जाने के मामलों में टीआरएआई के आहरण–संवितरण अधिकारी को अग्रिम की वसूली हेतु सम्बंधित सदस्य के वेतन से की जाने वाली अपेक्षित मासिक कटौती के सम्बन्ध में सूचित कर दिया जाता है।

ह0/–
(मनीष कुमार)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक
(वित्त एवं सम्प्रेषण)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाता

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
बिक्री /सेवाओं से आय	12		
अनुदान /सब्सिडी	13		
शुल्क /अंशदान	14		
निवेश से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए निवेश से आय – निधियों में अंतरित)	15	12,290,199.14	10,418,150.64
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16		
अर्जित ब्याज	17	8,060,553.00	7,787,673.00
अन्य आय	18	188,763.00	
तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी (कमी) और प्रगति पर कार्य	19		
कुल (क)		20,539,515.14	**18,205,823.64**
व्यय			
स्थापना व्यय	20		
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	77,864.90	767,705.72
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22		
ब्याज	23	18,526,682.00	18,140,190.00
म्यचूअुल फंडों में निवेश मूल्य में कमी			
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में निवल योग – अनुसूची 8 के अनुरूप)			
कुल (ख)		**18,604,546.90**	**18,907,895.72**
व्यय से अधिक आय के आधिक्य का शेष (क–ख)		1,934,968.24	-702,072.08
निवेशों के मूल्य में ह्रास होने के कारण विविध व्यय में कुछ सीमातक अतंरित परंतु बटट्े खाते में नहीं डाला गया।			
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		1,934,968.24	-702,072.08
संग्रह/पूंजीगत निधि में अंतरित अधिशेष/(घाटा) का शेष			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
मीतू गुलाटी उप सलाहकार ¼एफएंडईए½ सचिव सीपीएफ½	रेशमा एस. उस्मानी सहायक ¼सेवा की गुणवत्ता½ न्यासी	सोनिया मदान उप सलाहकार ¼एनएसएल–II½ न्यासी	एस. के. दैं ाा संयुक्त सलाहकार ¼एचआर½ पूर्व–पदेन न्यासी	संजीव शर्मा सलाहकार ¼प्रशासन½ पूर्व–पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र

आय	अनुसूची	राजस्व चालू वर्ष 2020-21	राजस्व पिछला वर्ष 2019-20
संग्रह / पूंजीगत निधि	1	292,965,139.00	260,833,399.00
ट्राई –सीपीएफ सदस्य खाता	2	6,388,213.50	4,453,245.26
आरक्षित एवं अधिशेष	3		
निर्धारित एवं बंदोबस्ती निधि	4		
प्रतिभूति ऋण एवं उधार	5		
अप्रतिभूति ऋण एवं उधार	6		
अस्थगित क्रेडिट देयताएं	7		
चालू देयताएं एवं प्रावधान		440,226.00	4,871,152.00
कुल		**299,793,578.50**	**270,157,796.26**
परिसंपत्तियां	8		
स्थायी परिसंपत्तियां	9		
निवेश – निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	10		
निवेश – अन्य	11	280,600,000.00	250,202,274.00
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		19,193,578.50	19,955,522.26
विविध खर्च			
(बट्टे खाते में न डाले गए अथवा समायोजित नहीं किए गए)			
कुल		**299,793,578.50**	**270,157,796.26**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और खाते पर टिप्पणियां	25		

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	रेशमा एस. उस्मानी सहायक (सेवा की गुणवत्ता) न्यासी	सोनिया मदान उप सलाहकार (एनएसएल–II) न्यासी	एस. के. मिश्रा संयुक्त सलाहकार (एचआर) पूर्व–पदेन न्यासी	संजीव शर्मा सलाहकार (प्रशासन) पूर्व–पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 1 – ट्राई – सीपीएफ सदस्य खाता

(राशि–रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
वर्ष के आरंभ में शेष	260,833,399.00	218,732,073.00
घटाएं: पिछले वर्ष के लिए समायोजन	32,131,740.00	42,101,326.00
जोड़ें: सदस्यों के खाते में अंशदान		
जोड़े/(कटौतीं): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		
वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र	**292,965,139.00**	**260,833,399.00**

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. पूंजी आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
2. पुनर्मल्यांकन आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
3. विशेष आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार		
वर्ष के दौरान जमा		
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		
4. सामान्य आरक्षित:		
पिछले खाते के अनुसार	4,453,245.26	5,155,317.34
वर्ष के दौरान जमा	1,934,968.24	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती		-702,072.08
कुल	**6,388,213.50**	**4,453,245.26**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 3 – निर्धारित / बंदोबस्ती निधिः

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) निधि का आरंभिक शेष		
ख) निधि में वृद्धि		
i. दान / अनुदान		
ii. निधि के खाते में निवेश से आय		
iii. अन्य जमा (विशेष प्रकृति)		
ग) निधि के उद्देश्य पर उपयोग/व्यय		
i. पूंजीगत व्यय		
. स्थायी परिसंपत्ति		
. अन्य		
कुल		
ii. राजस्व व्यय		
. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि		
. किराया		
. अन्य प्रशासनिक व्यय		
वर्ष की समाप्ति पर निवल शेष (क+ख+ग)		

टिप्पणियांः–

1) अनुदानों से संबंधित शर्तों के आधार पर प्रकटीकरण को प्रासंगिक शीर्ष के अधीन रखा जाना चाहिए
2) केंद्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधियों के रूप में दर्शाया जाए और किसी अन्य निधि के साथ शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची 4 – प्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 – अप्रतिभूति ऋण और उधार

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)		
3. वित्तीय संस्थाएं		
4. बैंक		
क) सावधि ऋण		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
ख) अन्य – ऋण (निर्दिष्ट करें)		
– ब्याज प्रोद्भूत एवं देय		
5. अन्य संस्थान और एजेंसियां		
6. डिबेंचर और बॉण्ड		
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) पूंजीगत उपस्करों एवं अन्य परिसंपत्तियों के उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां		
ख) अन्य		
कुल		

टिप्पणी: एक वर्ष के अंदर देय राशि

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 7 – चालू देयताएं और प्रावधान

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क. चालू देयताएं		
1) स्वीकार्यता		
2) विविध ऋणदाता		
क) वस्तुओं के लिए		
ख) अन्य		
3) प्राप्त अग्रिम		
4) प्रोद्भूत ब्याज पर निम्न पर देय नहीं:		
क) प्रतिभूति ऋण / उधार		
ख) अप्रतिभूति ऋण / उधार		
5) सांविधिक देयताएं		
क) अतिदेय		
ख) अन्य		
6) अन्य चालू देयताएं		
कुल (क)		
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		
2. ग्रेच्युटी		
3. अधिवर्षिता/पेंशन	306,919.00	4,838,382.00
4. संचित अवकाश नकदीकरण		
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	133,307.00	32,770.00
कुल (ख)	440,226.00	**4,871,152.00**
कुल (क+ख)	**440,226.00**	**4,871,152.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां
अनुसूची–8 स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत तक योग	चालू वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत तक
क. स्थायी परिसंपत्तियां										
1. भूमि										
क) फ्रीहोल्ड										
ख) लीज़होल्ड										
2. भवन										
क) फ्रीहोल्ड भूमि पर										
ख) लीज़होल्ड भूमि पर										
ग) स्वामित्व फ्लैट/परिसर										
घ) भूमि पर अतिसंरचना संस्था से संबंधित नहीं										
3. संयत्र मशीनें एव उपकरण										
4. वाहन										
5. फर्नीचर, फिक्सचर										
6. कार्यालय उपस्कर										
7. कंप्यूटर/पेरिफिरल										
8. इलैक्ट्रिक संस्थापन										
9. पुस्तकालय पुस्तकें										
10. ट्यूबवैल एवं जल आपूर्ति										
11. अन्य स्थायी परिसंपत्तियां										
चालू वर्ष का योग										
पिछला वर्ष										
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर										
कुल										

(टिप्पणी: उपरोक्त सहित किराया क्रय पर परिसंपत्तियों की लागत के रूप में दिया जाना चाहिए)

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्ष्यनिधियों से निवेश

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 10 – निवेश अन्य

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	186,500,000.00	131,000,000.00
– दीर्घावधि निवेश		
– चालू निवेश		
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां		
3. शेयर		
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड		
5. सब्सिडी एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (बैंक/पीएसयू में सावधि जमा) – दीर्घावधि	94,100,000.00	119,202,274.00
कुल	**280,600,000.00**	**250,202,274.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क. चालू परिसंपत्तियां:		
1. सामान		
क) स्टोर्स और स्पेयर्स		
ख) लूज टूल्स		
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
तैयार माल		
कार्य प्रगति पर		
कच्चा माल		
2. विविध डेब्टर्स		
क) छह माह की अवधि से अधिक बकाया डेब्ट		
ख) अन्य		
3. हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
4. बैंक शेष:		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)	-	-
– बचत खाते पर	5,014,663.09	9,874,490.93
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
– चालू खाता पर		
– जमा खाते पर		
– बचत खाते पर		
5. डाकघर बचत खाता		
कुल (क)	**5,014,663.09**	**9,874,490.93**

जारी.......

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 11 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण		
क) स्टाफ		
ख) संस्थान के समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी अन्य संस्थाएं		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
2. अग्रिम एवं नकद में या उस प्रकार वसलीयोग्य अन्य राशि अथवा प्राप्त होने वाली राशि:		
क) पूंजीगत खाते पर		
ख) पूर्व भुगतान		
ग) अन्य		
3. प्रोद्भूत आय		
क) निधारिंत/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर		
ख) निवेश – अन्य पर	14,178,915.41	10,081,031.33
ग) ऋण एवं अग्रिम पर		
घ) अन्य		
(देय आय में वसूली न गई राशि सहित)		
4. दावे प्राप्तयोग्य		
कुल (ख)	14,178,915.41	**10,081,031.33**
कुल (क + ख)	**19,193,578.50**	**19,955,522.26**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री		
ख) कच्चे माल की बिक्री		
ग) स्क्रैप की बिक्री		
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रसंस्करण प्रभार		
ख) पेशेवर/सलाहकार सेवाएं		
ग) एजेंसी कमीशन एवं दलाली		
घ) अनुरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)		
ड़) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं सब्सिडी प्राप्त)		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार		
3. सरकारी एजेंसियां		
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. प्रवेश शुल्क		
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान		
3. सम्मेलन / कार्यक्रम शुल्क		
4. परामर्श शुल्क		
5. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

टिप्पणीः प्रत्येक मद की लेखांकन नीतियां प्रकट की जानी चाहिए

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(राशि – रूपए)

(निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में किए गए निवेश से प्राप्त आय का निधि में अंतरण)	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूति पर	12,290,199.14	10,418,150.64
ख) अन्य बोंड / डिबेंचर्स		
2. लाभांश		
क) शेयरों पर		
ख) म्युचुअल फंड प्रतिभूतियों पर		
3. किराया		
4. अन्य		
कुल	**12,290,199.14**	**10,418,150.64**
निर्धारित / बंदोबस्ती निधियों को अंतरित		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. रॉयल्टी से आय		
2. प्रकाशन से आय		
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)		
कुल		

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. सावधि जमा पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	7,883,605.00	7,593,493.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
2. बचत खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों के साथ	176,948.00	194,180.00
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ		
ग) संस्थानों के साथ		
घ) अन्य		
3. ऋणों पर		
क) कर्मचारी/स्टाफ		
ख) अन्य		
4. डेब्टर्स एवं अन्य प्राप्यों पर ब्याज		
कुल	**8,060,553.00**	**7,787,673.00**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां		
ख) अनुदानों से अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां		
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन		
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4. विविध आय	188,763.00	
कुल	**188,763.00**	

अनुसूची 19 – निर्मित माल के स्टॉक एवं प्रगतिशील कार्य में वृद्धि/(कमी)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) अंतिम स्टॉक		
. तैयार माल		
. प्रगतिशील कार्य		
ख) घटाएंः आंरभिक स्टॉक		
. तैयार माल		
. प्रगतिशील कार्य		
निवल वृद्धि / (कमी) (क – ख)		

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) वेतन एवं मजदूरी		
ख) भत्ते एवं बोनस		
ग) भविष्य निधि में योगदान		
घ) अन्य निधि में योगदान (निर्दिष्ट करें)		
ड़) स्टाफ कल्याण खर्च		
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और आवधिक लाभ		
छ) अन्य		
कुल		

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय आदि

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) खरीद		
ख) मजदूरी और प्रसंस्करण व्यय		
ग) कार्टेज और कैरिज प्रभार		
घ) विद्युत एवं पॉवर		
ड़) जल प्रभार		
च) बीमा		
छ) मरम्मत एवं रखरखाव		
ज) सीमा शुल्क		
झ) किराया, दर और कर		
ञ) वाहन चालन एवं रखरखाव		
ट) डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार		
ठ) प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		
ड) यात्रा एवं परिवहन व्यय		
ण) सेमिनार/ कार्यशाला पर व्यय		
त) अंशदान व्यय		
थ) शुल्क पर व्यय		
द) लेखापरीक्षकों का पाश्रिमिक		
ध) आतिथ्य–सत्कार पर शुल्क		
न) पेशवेर शुल्क		
प) अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान		
फ) बट्टे खाते डाला गया अवूसलनीय शेष		
भ) पैकिंग प्रभार		
म) मालभाड़ा एवं अग्रेषण व्यय		
य) वितरण व्यय		
र) विज्ञापन एवं प्रचार		
व) अन्य		
डीएलआईएस		
बैंक एवं वित्त प्रभार	77,864.90	767,705.72
कुल	**77,864.90**	**767,705.72**

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए आय एवं व्यय खाते का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 22 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) संस्थानों / संगठनों के लिए दिया गया अनुदान	/	/
ख) संस्थानों / संगठनों के लिए दी गई सब्सिडी		
कुल		

टिप्पणी: संस्थान के नाम, दी गई अनुदानों/सब्सिडी की राशि के साथ उनकी गतिविधियों का उल्लेख करें

अनुसूची 23 – ब्याज

(राशि – रूपए)

	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
क) सावधि ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)		
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) – सदस्यों को देय ब्याज	18,526,682.00	18,140,190.00
वित्त प्रभार		
कुल	**18,526,682.00**	**18,140,190.00**

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1 **लेखा परंपराएं :**

i) विद्धीय विवरण लेखा महानियंत्रक द्वारा उनके पत्र सं एफ. सं.19 य्ह/ विविध / 2005 / टीए / 450–490 दिनांकित दिनांक 23 जुलाई, 2007 द्वारा अनुमोदित ''खातों के एकसमान प्रारूप'' में तैयार किए गए हैं।

ii) लेखा चालू वर्ष अर्थात् 2020–21 के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार किया गया है। पिछले साल से लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iii) अनुसूची 10 यनिवेश – अन्यह्में दिखाया गया निवेश कीमत पर लिया गया है।

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

आकस्मिक देयताएंः

1 संस्था के खिलाफ कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे – शून्य

खातों पर टिप्पणियां

1 विद्व मंत्रालय यविद्धीय सेवाएं विभागह्की दिनांक 2 मार्च, 2015 की अधिसूचना, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से लागू है, में विनिर्धारित पैटर्न के अनुसार निवेश किए गए हैं।

2 अनुसूची 10 यनिवेश–अन्यह्में दर्शाये गए निवेश में सरकारी प्रतिभूतियों में ₹ 18,65,00,000.00 का निवेश और अन्य ख्बैंकों / पीएसयू को सावधि जमाएंह्में ₹ 9,41,00,000.00 की राशि शामिल है।

3 वर्ष के दौरान स्वीश त निकासीध्अग्रिम राशि ₹ 49,56,199.00 है। सदस्यों को भुगतान किए गए ब्याज की राशि ₹ 1,85,26,682.00 है और अग्रिम की वापसी राशि ₹ 6,42,450.00 है।

4 ''अनुसूची 7 में दर्शाए गए त्तावधान ख्वर्तमान देनदारियां और त्तावधानह्में शामिल हैंः एह्टाृई की सेवाओं से हटाए गए पूर्व चालक श्री ओम त्त्काश गिरी की ब्याज सहित उनके सीपीएफ खाते में उपलब्ध सदस्यता के रूप में ₹ 3,06,919/- की राशि सदस्यों को देय के रूप में दर्शाई गई हैः बीह्श्री ओम त्त्काश गिरी, पूर्व चालक द्वारा टाृई को देय ₹ 1,33,307/- की राशि का त्तावधान उनके सीपीएफ खाते से टाृई को देय के रूप में किया गया हैः सीह्उसके सीपीएफ खाते में उपलब्ध ब्याज के साथ ₹ 1,88,763/- की शेष राशि, टाृई को देय उसकी बकाया राशि को समायोजित करने के बाद, अन्य आय खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।''

5 जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीट्ट त / व्यवस्थित किया गया है।

ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –
मीतू गुलाटी उप सलाहकार (एफएंडईए) सचिव (सीपीएफ)	रेशमा एस. उस्मानी सहायक (सेवा की गुणवत्ता) न्यासी	सोनिया मदान उप सलाहकार (एनएसएल–II) न्यासी	एस. के. दत्ता संयुक्त सलाहकार (एचआर) पूर्व–पदेन न्यासी	संजीव शर्मा सलाहकार (प्रशासन) पूर्व–पदेन अध्यक्ष

वित्तीय विवरण का प्रपत्र (अलाभकारी संगठन)
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण – अंशदायी भविष्य निधि खाता
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान विवरण

(राशि – रूपए)

प्राप्ति	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
I आरंभिक शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष		
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते	9,874,490.93	721,450.87
II प्राप्त अनुदान		
क) भारत सरकार से		
ख) राज्य सरकार से		
ग) अन्य स्रोतों से (विवरण दें)		
(पूंजी एवं राजव्य व्यय के लिए अनुदान को अलग–अलग दर्शाया जाए)		
III निम्न में निवेश से आय		
क) निर्धारित / बंदोबस्ती निधि		
ख) स्वयं की निधियां (म्युचूअल फंड में निवेश पर)		
IV प्राप्त ब्याज		
क) बैंक जमा पर	5,184,262.00	7,093,612.00
ख) ऋण, अग्रिम आदि		
ग) विविध	10,891,658.06	10,051,272.78
घ) बचतों पर ब्याज	176,948.00	194,180.00
V अन्य आय (निर्दिष्ट करें)		
विविध आय को (वित्त प्रभार)	188,763.00	
VI उधार ली गई राशि		
VII कोई अन्य प्राप्ति (विवरण दें)		
शुल्क		
पूंजीगत निधि		
प्रकाशन की बिक्री		
परिसंपत्तियों की बिक्री		
सदस्यों से अंशदान	37,987,081.00	36,207,189.00
ट्राई से अंशदान	9,909,214.00	10,280,097.00
शेष का अंतरण	440,226.00	32,770.00
अग्रिमों का पुनःभुगतान	642,450.00	1,121,210.00
एफडी की परिपक्वता/म्युचुअल फंड का नकदीकरण	33,302,274.00	80,649,393.00
कुल	**108,597,366.99**	**146,351,174.65**

भुगतान	चालू वर्ष 2020-21	पिछला वर्ष 2019-20
1. व्यय		
क) स्थापना व्यय		
ख) प्रशासनिक		
	359.90	767,705.72
	3,540.00	
	75,735.00	
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से किया गया भुगतान (प्रत्येक परियोजना के लिए किए गए भुगतान के विवरण सहित निधि अथवा परियोजना का नाम दर्शाया जाए)		
	63,700,000.00	116,900,000.00
III. किए गए निवेश एवं जमा		
क) निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से		
ख) स्वयं निधि से (निवेश – अन्य)		
(निवेश – फ्लेक्सी खाता)		
IV. स्थायी परिसंपत्तियां एवं प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		
ख) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य पर व्यय		
V. अधिशेष राशि/ऋण की वापसी		
क) भारत सरकार को		
ख) राज्य सरकार को		
ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		
	34,846,870.00	9,661,982.00
	4,956,199.00	9,146,996.00
VI. वित्तीय प्रभार (ब्याज)		
VII. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
अंतिम भुगतान		
अग्रिम एवं निकासी		
VIII. अंतिम शेष		
क) हाथ में नकदी		
ख) बैंक शेष	5,014,663.09	9,874,490.93
i) चालू खाते में		
ii) जमा खाते में		
iii) बचत खाते मे		
कुल	**108,597,366.99**	**146,351,174.65**

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
मीतू गुलाटी	रेशमा एस. उस्मानी	सोनिया मदान	एस. के. दँ ाा	संजीव शर्मा
उप सलाहकार ¼एफएंडईए½	सहायक ¼सेवा की गुणवत्ता½	उप सलाहकार ¼एनएसएल–II½	संयुक्त सलाहकार ¼एचआर½	सलाहकार ¼प्रशासन½
सचिव ¼सीपीएफ½	न्यासी	न्यासी	पूर्व–पदेन न्यासी	पूर्व–पदेन अध्यक्ष

अस्विकृतिः ''यह रिपोर्ट मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट मान्य होगा।''

सत्यमेव जयते

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण